संशोधित प्रति
28.7.2001

सर्व शिक्षा अभियान

दीर्घ कालीन योजना
(2001–2010)

तथा

वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट
(2001–2002)

जनपद - पीलीभीत

NIEPA DC
D11500

LIBRARY & DOCUMENTATION CENTRE
National Institute of Educational
Planning and Administration.
17-B, Sri Aurobindo Marg,
New Delhi-110016
DOC, No D-11500
Date 09-07-2002

पीलीभीत

अनुक्रमणिका

क्र0 सं0	अध्याय	पृष्ठ संख्या
1.	जिले की पृष्ठभूमि	1–4
2.	शैक्षिक परिदृश्य	5–11
3.	नियोजन प्रक्रिया	12–17
4.	सर्वशिक्षा अभियान के लक्ष्य एवं उद्देश्य	18–21
5.	समस्याएं एवं रणनीतियाँ	22–27
6.	शिक्षा की पहुँच का विस्तार–1, (नवीन विद्यालय)	28–29
7.	शिक्षा की पहुँच का विस्तार–1, (ई0जी0एस0 / ए0आई.ई0)	30–61
8.	ठहराव में वृद्धि	62–73
9.	प्राथमिक शिक्षा में गुणात्मक उन्नयन	74–117
10.	परियोजना प्रबन्ध एवं अनुश्रवण	118–141
11.	परियोजना लागत	142-155
12.	वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट	156-165
	परिशिष्ट	
	महत्वपूर्ण शासनादेश	

पीलीभीत

अध्याय-1

जनपद की पृष्ठभूमि

बरेली मण्डल में स्थित जनपद पीलीभीत उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में स्थित है: जिसकी सीमा अन्तर्राष्ट्रीय रूप से नेपाल देश को स्पर्श करती है । पश्चिम में बरेली जनपद, दक्षिण में शहीदों की नगरी शाहजहांपुर व पूरब में लखीमपुर खीरी जनपद आते हैं। उत्तर में नव गठित उत्तरांचल राज्य का जनपद ऊधमसिंह नगर स्थित है ।

पीलीभीत जिले का गठन सन 1904 में हुआ था । इस जिले का नाम 'पीरिया' नामक बंजारा जन-जाति के नाम से लिया गया है एवं भीत का अर्थ है - दीवार । पीरिया बंजारे अपने कुटुम्ब के साथ अपने घरों को बनाकर रहते थे । घरों की सुरक्षा हेतु उनके चारों ओर उन्होंने एक चौड़ी एवं पीली दीवार का निर्माण कराया था जिससे बस्ती पीलीभीत कहलाती थी। उसी बस्ती के नाम के आधार पर जनपद का नाम पीलीभीत पड़ा। दसवीं शताब्दी के अंत में चिन्द्रा परिवार की महारानी इस जिले के पूर्व भाग में शासन करती थीं। इस बात का साक्ष्य पुरानी दीवार के ऊपर लिखी बातें हैं । जनपद पीलीभीत के उपलब्ध इतिहास के अनुसार रोहिला वंशज अठारहवी शताब्दी में यहां शासन करते थे। पीलीभीत का क्षेत्र रोहिला सरदार हाफिज रहमत खां के रूप में भी जाना जाता था । हाफिज रहमत खां सन 1774 में शाहजहांपुर जिले के मीरानपुर कटरा नामक स्थान पर अंग्रेजों से युद्ध करते हुए शहीद हो गये थे।

जनपद पीलीभीत में तीन तहसील एवं सात विकास खंड हैं। ये तहसीलें हैं - पीलीभीत, बीसलपुर एवं पूरनपुर । बीसलपुर एवं सदर तहसीलों में प्रत्येक में तीन-तीन विकास खण्ड हैं, जबकि पूरनपुर तहसील में मात्र एक विकास खण्ड है जो पूरनपुर के नाम से ही जाना जाता है। इस प्रकार जिले में कुल सात विकास खण्ड हैं जो निम्न प्रकार हैं :- 1.मरौरी 2. अमरिया 3. ललौरीखेड़ा 4. पूरनपुर 5.बरखेड़ा 6.बिलसन्डा 7. बीसलपुर।

उपरोक्त में प्रथम तीन विकास खण्ड पीलीभीत सदर तहसील में व अन्तिम तीन विकास खण्ड बीसलपुर तहसील में आते हैं।

इस जिले में कुल 73 न्याय पंचायतें, 563 ग्राम पंचायतें और 1349 ग्राम हैं, इनमें 09 वनगांव भी सम्मिलित हैं ।

सारणी 1.1
जिले की प्रशासनिक इकाइयां

तहसील	03
विकासखण्ड	07
न्याय पंचायत	73
ग्राम सभायें	563
राजस्व गांव	1349
बस्तियों की संख्या	1210
नगरीय क्षेत्र	09
नगर निगम	-
नगर महापालिका	-
नगर पालिका	03
टाउन एरिया	06
वार्ड	-

स्रोत- सांख्यिकी पत्रिका जनपद पीलीभीत,1997

जनपद पीलीभीत की अर्थ व्यवस्था कृषि पर आधारित है । जनपद में चार चीनी मिल - बीसलपुर, पीलीभीत, मझोला तथा पूरनपुर में स्थापित है । बिलसन्डा, बीसलपुर, पीलीभीत तथा पूरनपुर में राइस मिल्स स्थापित है। जनपद मण्डल में धान की उपज में प्रथम स्थान रखता है।

जनपद पीलीभीत अन्तर्विषमताओं वाला जनपद है जिससे शिक्षा की प्रगति भी प्रभावित होती है। जनपद में वाराही रेंज, माला रेंज तथा महौफ रेंज विनोच्छादित है। जनपद की प्रमुख नदी देवहा है जो शहर के पश्चिम में बहती है। जनपद की सीमा विकास खण्ड पूरनपुर से होकर बहने वाली प्रसिद्ध नदी शारदा है जिससे नहरें निकालकर जनपद में सिंचाई होती है। इस नदी में वर्षा ऋतु में बाढ़ आ जाती है। जनपद में प्रतिवर्ष बाढ़ ग्रस्तता की समस्या उत्पन्न होती है। इससे शिक्षा व्यवस्था भी प्रभावित होती है। प्रदेश की प्रमुख गोमती नदी का उद्गम स्थल जनपद के पूरनपुर विकास खण्ड में है जिसे स्थानीय लोग गर्रा कहते है।

जनसंख्या

1991 की जनगणना के अनुसार पीलीभीत जिले की कुल आवादी 12.83 लाख है। इसमें 6.92 लाख महिलायें है। पुरुष महिला अनुपात 54:46 है। पीलीभीत जिले में अनुसूचित जाति की जनसंख्या 2045051 है, जो कि कुल आवादी का 16 प्रतिशत है। अनुसूचित जनजाति जनजाति 'थारू' की संख्या 1.32 हजार है। दस वर्षो में जनपद की जनसंख्या वृद्धि दर 23.86 है। ग्रामीण जनसंख्या कुल जनसंख्या का 81.54 प्रतिशत है।

पीलीभीत मुख्य रूप से हिन्दू बाहुल्य जिला है, हिन्दुओं की कुल संख्या जिले की जनसंख्या का 74.77 प्रतिशत है। मुस्लिम समुदाय की जनसंख्या द्वितीय स्थान पर है। इसका प्रतिशत 21.12 है। भारत पाक विभाजन के समय पंजाब से आये सिख तथा 1971 में बंगलादेश से आये बंगाली शरणार्थियों को जगह उपलब्ध करा देने से जिले में सिख तथा बंगाली 'पाकेट' भी बन गये हैं, जिनकी आवादी 3.9 प्रतिशत है।

सारणी 1.2

विकास खण्डवार/नगर क्षेत्रवार जनसंख्या

क्र. सं.	नाम	1991 की जनसंख्या						2001 की अनुमानित जनसंख्या						
		कुल जनसंख्या			अनु0 जाति की कुल जनसंख्या			कुल जनसंख्या			अनु0 जाति की कुल जनसंख्या			
		पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग	प्रति.
1.	अमरिया	88623	77463	166086	11091	9397	20488	108120	94505	202625	13531	11464	24995	15.32
2.	मरौरी	71216	61744	132960	15823	13833	29656	86884	75328	162212	19304	16876	36180	22.30
3.	ललौरीखेड़ा	56398	48332	184730	10042	8554	18596	68805	58965	127770	12251	10436	22687	17.75
4.	बरखेड़ा	64719	53750	118469	11888	9758	21646	78957	65575	144532	14503	11905	26408	18.27
5.	बिलसन्डा	68889	56229	125118	16513	13399	29912	84045	68599	152644	20146	16347	36493	23.90
6.	बीसलपुर	62214	51373	113587	8483	6812	15295	75901	62675	138576	10347	8311	18660	13.46
7.	पूरनपुर	152716	131114	283830	27047	23210	50257	186314	159959	346273	32997	28316	61313	14.81
8.	वनक्षेत्र	910	557	1467	217	144	361	1110	679	1789	262	176	441	24.65
9.	योग ग्रामीण	565685	480562	1046247	101104	85427	186211	690136	586285	1276421	123346	103831	227177	17.79
10.	नगर क्षेत्र पीलीभीत	56722	49883	106605	-	-	9437	69201	60857	130058	-	-	11513	

क्र. सं.	नाम	1991 की जनसंख्या						2001 की अनुमानित जनसंख्या						
		कुल जनसंख्या			अनु0 जाति की कुल जनसंख्या			कुल जनसंख्या			अनु0 जाति की कुल जनसंख्या			
		पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग	प्रति.
11	बांसलपुर	23647	20182	43829	-	-	3450	28849	24622	53471	-	-	4209	
12.	पूरनपुर	16183	14256	30439	-	-	2382	19743	17392	37135	-	-	2906	
13.	न्यूरिया हुसेनपुर	8677	7774	16451	-	-	406	10586	9484	20070	-	-	495	
14.	बिलसन्डा	4025	4216	9141	-	-	1082	6008	5143	11151	-	-	1320	
15.	जहानाबाद	5073	4572	9645	-	-	403	6189	5578	11767	-	-	492	
16.	कलीनगर	4341	3843	8184	-	-	1420	5296	4688	9984	-	-	1732	
17.	गुलडिया भिन्डारा	3267	2290	5557	-	-	390	3986	2794	5780	-	-	476	
18.	बरखेडा	3841	3164	7005	-	-	275	4686	3860	8546	-	-	336	
	योग नगर	126676	110180	236856	-	-	19245	154544	134418	288962	-	-	23479	
	महायोग	692361	590742	1283103	-	-	205456	844680	720703	156583	-	-	250656	

स्रोत- जनपद पीलीभीत की सांख्यिकी पत्रिका 1997 के आधार पर

जनगणना 2001 के अनुसार जनपद पीलीभीत की कुल जनसंख्या 1643788 है। जिसमें 876006 पुरूष तथा 767762 महिलाएं हैं। 0-6 वर्ष के बच्चों की संख्या 317032 है जो कुल आबादी का 19.2 % है। महिलाओं की संख्या प्रति हजार पर 876 है। जनपद की वार्षिक वृद्धि दर 2.5% है।

अध्याय-2

जनपद का शैक्षिक परिदृश्य

इस जनपद में सितम्बर 1997 से जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी.पी.ई.पी.-।।) परियोजना चल रही है। जिसमें शिक्षा की पहुँच का विस्तार, ठहराव, गुणवत्ता में वृद्धि तथा प्रबन्ध क्षमता में विकास के विशिष्ट उद्देश्य रखे गये है। जिनका लाभ जिले में शैक्षिक प्रगति में तेजी लाने में मिल रहा है। इस परियोजना में सभी वर्गों का शत प्रतिशत नामांकन, ठहराव, व गुणवत्ता में समुचित वृद्धि का लक्ष्य रखा गया था। इस कार्य में तीव्रतर गति लाने के उद्देश्य सर्व शिक्षा अभियान का शुभारम्भ इस जिले में किया जा रहा है।

1991 की जनगणना के अनुसार जिले की साक्षरता दर 32.1 प्रतिशत है जिसमें 17.2 प्रतिशत महिलायें एवं 44.3 प्रतिशत पुरुष साक्षर है। साक्षरता सम्बन्धी विवरण सारणी 2.1 विकास खंडवार विवरण सारणी 2.2 में दिया गया है।

सारणी 2.1

कुल साक्षरता	32.1
ग्रामीण साक्षरता	27.9
नगरीय साक्षरता	50.1
कुल पुरूष साक्षरता	44.4
कुल महिला साक्षरता	17.2

	पुरूष	महिला	योग
ग्रामीण साक्षरता	41	11.8	27.9
नगरीय साक्षरता	59	39.9	30.0

नोटः- 2001 की जनगणना के अनुसार जनपद की साक्षरता दर 50.87 है। पुरूष साक्षरता दर 63.82 तथा महिला साक्षरता दर 35.84 है। विगत दशक में जनपद की साक्षरता दर में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है।

सारणी 2.2

क्रम.सं.	विकास खण्ड का नाम	साक्षरता दर		
1.	अमरिया	28	09	19
2.	बरखेड़ा	38	09	25
3.	बीसलपुर	41	12	28
4.	बिलसन्डा	35	10	24
5.	ललौरी खेड़ा	35	08	23
6.	मरौरी	31	06	19
7.	पूरनपुर	28	09	20
8.	नगर क्षेत्र बीसलपुर	58	28	47
9.	नगर क्षेत्र पीलीभीत	48	37	40

नोटः- जनगणना 2001 के अनुसार विकास खण्डवार/नगरक्षेत्रवार साक्षरता दर का विवरण उपलब्ध नहीं है। अतः 1991 की साक्षरता दर अंकित की गयी है।

स्रोत- जनपद की सांख्यिकी पत्रिका 1997

विकास खण्डों में सबसे कम साक्षरता दर वाले विकास खण्ड अमरिया और विकास खण्ड मरौरी हैं जिनमें साक्षरता दर 19 प्रतिशत है। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला विकास खण्ड बीसलपुर है जहां साक्षरता दर 28 प्रतिशत है।

जनपद की महिला साक्षरता दर 17.2 प्रतिशत है के सापेक्ष महिला साक्षरता के न्यूनतम दर वाले विकास खण्ड मरौरी, ललौरीखेड़ा, अमरिया बरखेड़ा और पूरनपुर है। सबसे अधिक महिला साक्षरता दर वाला विकास खण्ड बीसलपुर है, जहां यह दर 28 प्रतिशत है। नगर क्षेत्रों में बीसलपुर की साक्षरता दर अधिक है।

जनपद पीलीभीत में प्रत्येक एक हजार दो सौ अस्सी जनसंख्या पर 1 विद्यालय है। कुल 1002 विद्यालय हैं।

(क) प्राथमिक नामांकन - परिषदीय विद्यालयों में शैक्षिक वर्ष 2000-2001 की स्थिति ई. एम.आई.एस. के अनुसार निम्नांकित सारणी 2.7 में दी गई है।

सारणी-2.7

वर्ष	6-11 आयु वर्ग की कुल संख्या			पंजीकृत छात्र संख्या			जी.ई. आर	अनुसूचित जाति			जी.ई. आर
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग		बालक	बालिका	योग	
2000-2001	105366	89933	195299	103005	89343	192348	98.43	28132	25259	53391	27.75

सारणी 2.8

जनपद का जी.ई.आर. नामांकन निम्नांकित है

वर्ष	6-11 आयु वर्ग के कुल बच्चे			कुल छात्र नामांकन			जी.ई. आर	अनुसूचित जाति के छात्र नामांकन			जी.ई. आर
	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका		योग	बालक	बालिका	
2000-2001	195299	105366	89933	192348	103005	89343	98.48	53391	28132	25259	27.75

शैक्षिक संस्थाओं की उपलब्धता

जनपद में उपलब्ध शैक्षिक संस्थाओं का विवरण सारणी 2.3 में दिया गया है।

सारणी-2.3

क्रम	विवरण	परिषदीय/शासकीय			मान्यता प्राप्त विद्यालय			कुल योग			गैर मान्यता प्राप्त		
		ग्रामीण	नगरीय	योग	ग्रामीण	नगरीय	योग	ग्रामीण	नगरीय	योग	ग्रामीण	नगरीय	योग
1.	पाथमिक विद्यालय	960	42	1002				960	142	1002	8	6	14
2.	माध्यमिक विद्यालय सम्बद्ध प्राइमरी विद्यालय	–	–	–	–	2	2	–	2	2	–	–	–
3.	उच्च प्राथमिक विद्यालय	176	9	185	–	–	–	176	9	185	-	-	-
4.	माध्यमिक विद्यालय से सम्बद्ध उच्च प्राथमिक विद्यालय	3	7	10	23	20	43	26	27	53	-	-	-
5.	केन्दीय विद्यालय	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	नवोदय विद्यालय	01	-	01	-	-	-	01	-	01	-	-	-
7.	हाईस्कूल	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	इण्टरमीडिएट	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	डिग्री कालेज	-	02	02	-	-	-	-	02	02	-	-	-
10.	स्नातकोत्तर महाविद्यालय	-	02	02	-	-	-	-	02	02	-	-	-
11.	विश्वविद्यालय	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	तकनीकी संस्थान (आई.आई.टी./पालीटेक्निक)	-	02	02	-	-	-	-	02	02	-	-	-
13.	कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान करने वाली संस्थाएं	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

क्रम	विवरण	परिषदीय/शासकीय			मान्यता प्राप्त विद्यालय			कुल योग			गैर मान्यता प्राप्त		
		ग्रामीण	नगरीय	योग	ग्रामीण	नगरीय	योग	ग्रामीण	नगरीय	योग	ग्रामीण	नगरीय	योग
14.	आंगनवाड़ी केन्द्रो की संख्या	228	-	228	-	-	-	-	228	228	-	-	-
15.	मकतब / मदरसे	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	संस्कृत पाठशालायें	03	02	05	-	-	-	3	2	5	-	-	-
17.	अन्धे, व विकलांग विद्यालय	-	01	01	-	-	-	-	1	1	01	-	01
18.	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान	-	01	01	-	-	-	-	1	1	-	-	-
19.	बी.आर.सी.	04	03	07	-	-	-	4	3	7	-	-	-
20.	एन.पी.ए.आर.सी.	73	-	73	-	-	-	73	-	73	-	-	-

स्रोत- जनपद की सांख्यिकी पत्रिका 1997

शिक्षकों की उपलब्धता

सारणी-2.4

शिक्षकों की उपलब्धता (परिषदीय विद्यालय)

जनपद में परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के स्वीकृत पद, कार्यरत संख्या, रिक्त पद एवं शिक्षा मित्रों की संख्या निम्नांकित है:-

	सृजित पद	कार्यरत	रिक्त	शिक्षा मित्रों की संख्या
प्राथमिक विद्यालय	2508	2117	391	443
उच्च प्राथमिक विद्यालय	880	580	300	-

स्रोत- विभागीय आँकड़े

विद्यालयों की उपलब्धता

जनपद में परिषदीय तथा मान्यता प्राप्त विद्यालयों की उपलब्धता सारणी 2.5 में दर्शायी गई है:-

सारणी-2.5

परिषदीय तथा मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों की उपलब्धता

	1 कि.मी. से कम दूरी पर विद्यालय	1 कि.मी. से अधिक किन्तु 1.5 कि. मी. से कम दूरी पर विद्यालय उपलब्ध	रिक्त
ऐसे ग्रामों की संख्या जिनकी आबादी 300 से अधिक है	109	454	-
ऐसी बस्तियों की संख्या जिनकी आबादी 300 से अधिक है	271	369	-

स्रोत- विभागीय आँकड़े

परिषदीय तथा मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों की उपलब्धता-

	3 कि.मी. से कम दूरी पर उच्च प्रा0 विद्यालय	3 कि.मी. से अधिक दूरी पर उच्च प्रा0 विद्यालय उपलब्ध	उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा प्राथमिक विद्यालय अनुपात 2:1 करने हेतु आवश्यक अतिरिक्त उच्च प्रा0 विद्यालय
ऐसे ग्रामों की संख्या जिनकी आबादी 800 से अधिक है	147	174	305
ऐसी बस्तियों की संख्या जिनकी आबादी 800 से अधिक है	177	142	-

स्रोत- विभागीय आँकड़े

उच्च प्राथमिक विद्यालयों की आवश्यकता 1:2 के अनुपात पर निम्न प्रकार निकाली गई है।

	ग्रामीण	नगर
वर्तमान प्राथमिक विद्यालय (ग्रामीण)	960	42
प्रस्तावित प्राथमिक विद्यालय (ग्रामीण)	-	-
1:2 के अनुपात में प्रस्तावित उच्च प्राथमिक विद्यालय	480	21
वर्तमान में उपलब्ध उच्च प्रा0वि0	176	9
आवश्यकता	304	1 (एक उच्च प्राथमिक विद्यालय की आवश्यकता है।)

विद्यालयों में भौतिक सुविधायें

परिषदीय विद्यालयों में उपलब्ध भौतिक सुविधाओं का विवरण सारणी 2.9 में दिया गया है।

सारणी- 2.9

प्राथमिक स्तर

1-	प्राथमिक विद्यालय	- 960
	एक कक्षीय विद्यालयों की संख्या	- 08
	दो कक्षीय विद्यालयों की संख्या	- 489
	तीन कक्षीय विद्यालयों की संख्या	- 322
	चार कक्षीय विद्यालयों की संख्या	- 72
	पांच कक्षीय विद्यालयों की संख्या	- 03
	पांच से अधिक कक्षीय वाले विद्यालय	- 02

मरम्मत योग्य विद्यालय 195, लघु मरम्मत योग्य 106, वृहत मरम्मत योग्य 89

शौचालय - शौचालय युक्त विद्यालय 960

हैण्ड पम्प - हैण्ड पम्प युक्त 960

चहारदीवारी - चहारदीवारी युक्त 0, चहारदीवारी विहीन 960

उच्च प्राथमिक स्तर

7. उच्च प्राथमिक विद्यालय- कुल विद्यालयों की संख्या-176,

8. मरम्मत योग्य 50, लघु मरम्मत 28, वृहत् मरम्मत 22

9. एक कक्षीय विद्यालय - 01

दो कक्षीय विद्यालय - 05

तीन कक्षीय विद्यालय - 07

चार कक्षीय विद्यालय - 137

पांच कक्षीय विद्यालय - -

पांच से अधिक कक्ष वाले विद्यालय - -

10. शौचालय - 68

11. हैण्ड पम्प - 149

12. चहारदीवारी - 24

उपर्युक्त के अतिरिक्त दशम वित्त आयोग के अन्तर्गत जनपद पीलीभीत में 15 विद्यालय भवन, 15 शौचालय, 15 हैण्डपम्प, तथा 15 चहारदीवारी का निर्माण कराया गया।

भौतिक सुविधाओं की मांग

सारणी- 2.10

क्रम. सं.	आइटम सुविधा	प्राथमिक स्तर			उच्च प्राथमिक स्तर		
		कमी	डी.पी.ई.पी. वित्त प्राविधान	मांग	कमी	डी.पी.ई.पी. वित्त प्राविधान	मांग
1.	नवीन विद्यालय	-	-	-	305	-	305
2.	विद्यालय पुनर्निर्माण	95	-	95	41	-	41
3.	अतिरिक्त कक्षा कक्ष प्रतिशिक्षक/प्रति कक्षा कक्ष एवं नामांकन में वृद्धि	505	150	355	17	-	17
4.	पेयजल सुविधा	-	-	-	26	-	26
5.	शौचालय	-	-	-	108	-	108
6.	चहारदीवारी	960	-	960	160	-	160

स्रोत- विभागीय आँकड़े

प्राथमिक स्तर के शैक्षिक आंकड़ें व महत्वपूर्ण इण्डीकेटर्स (पीलीभीत)

यह जनपद डी0पी0ई0पी0–II से आच्छादित है तथा कम्प्यूटराइज्ड ई0एम0आई0एस0 इकाई सक्रिय रूप में 97–98 से कार्य कर रहा है। वर्ष 1997–98 से नीपा द्वारा विकसित डायस साफ्टवेयर संचालित किया गया तथा वार्षिक शैक्षिक सांख्यिकी नियमित रूप से तैयार की जा रही है। शैक्षिक सांख्यिकी का उपयोग वार्षिक कार्ययोजना के निर्माण व डी0पी0ई0पी0 कार्यक्रमों से संबंधित निर्णयों में किया गया।

ई0एम0आई0एस0 से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार विगत वर्षों में स्थिति निम्नवत् है –

प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन	1997–98	1998–99	1999–2000	2000–01
कक्षा 1	56417	46854	51096	53147
कक्षा 2	48440	49677	41599	47694
कक्षा 3	32350	39592	42271	43067
कक्षा 4	21041	24558	30559	35850
कक्षा 5	15736	17307	19736	24888
योग	173984	177988	185261	204646
जी0ई0आर0				
कुल	83.74	87.83	98.43	107.53
बालिका	74.43	83.84	92.23	105.04
एन0ई0आर0				
कुल	70.19	78.30	87.38	94.82
बालिका	61.92	74.42	82.69	92.51

जनपद के नामांकन में औसतन 6 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि हुई है। जी0ई0आर0 एवं एन0ई0आर0 में प्रतिवर्ष सुधार हुआ है। बालिकाओं का जी0ई0आर0/एन0ई0आर0 बालिकाओं के जी0ई0आर0/एन0ई0आर0 के समतुल्य हो गया है। यह महत्वपूर्ण संकेत परिलक्षित हुआ है कि कुल नामांकन के सापेक्ष कक्षा–5 के नामांकन में निरन्तर वृद्धि हुई है जिससे यह पुष्टि होती है कि अधिक से अधिक बच्चे कक्षा–5 तक की शिक्षा प्राप्त करने हेतु अग्रसर हो रहे है। उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा की मांग बढ़ रही है।

डी0पी0ई0पी0 संचालन की अवधि में प्राथमिक विद्यालयों एवं शिक्षकों की संख्या में हुई वृद्धि का विवरण निम्नवत् है :–

	1997–98	2000 –2001	प्रतिशत वृद्धि
प्राथमिक विद्यालय (परिषदीय)	847	1020	20
प्राथमिक अध्यापक (परिषदीय)	2559	2552	13

3 वर्ष की अवधि में विद्यालयों की संख्या में 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई है तथा शिक्षकों की संख्या में 13 प्रतिशत की वृद्धि हुई। औसतन रूप से विद्यालयों की संख्या में 7 प्रतिशत तथा शिक्षकों की संख्या में 4 प्रतिशत की वृद्धि हुई। विद्यालयों की उपलब्धता बढ़ी है तथा शिक्षा के सार्वजनीकरण की दिशा में सफल प्रयास हुये है।

ड्राप आउट दर

वर्ष	कुल	बालिका
1998	50.9	55.2
1999	49.3	45.4
2000	33.1	35.8

प्राथमिक स्तर पर ड्राप आउट दर में लगातार कमी आयी है। विगत तीन वर्ष में ड्राप आउट दर 51 प्रतिशत से घटकर 33 प्रतिशत हो गया है, जो महत्वपूर्ण है। यह और भी अधिक उल्लेखनीय है कि बालक व बालिकाओं की ड्राप आउट दर में अन्तर क्रमशः समाप्त हो रहा है।

रिपीटीशन दर व 5 कक्षाएं पूर्ण करने में औसत वर्षों की संख्या

वर्ष	रिपीटीशन दर	5 कक्षाएं पूर्ण करने में औसत वर्षों की संख्या
1997–1998	2.61	8.01
1998–1999	2.04	7.90
1999–2000	3.40	6.74

रिपीटीशन दर मात्र 3.4 प्रतिशत है तथा प्राथमिक स्तर की 5 कक्षाएं पूर्ण करने में बच्चों को औसत रूप से अब 6.74 वर्ष ही लग रहे हैं अर्थात् शिक्षा प्रणाली की कार्यकुशलता में वृद्धि हुई है।

अध्यापक–छात्र अनुपात वर्ष 2000–01 — **1 : 77**

एकल अध्यापिकीय विद्यालयों का प्रतिशत वर्ष 2000–01 — **21%**

छात्र कक्षा–कक्ष अनुपात (2000–01) — **1:73**

परियोजना के अन्तर्गत अतिरिक्त शिक्षकों के पद सृजित हुये है। इसके अतिरिक्त शिक्षामित्र भी तैनात किये गये। फलस्वरूप एकल अध्यापकीय विद्यालयों के प्रतिशत में कमी आयी है किन्तु अभी भी 21 प्रतिशत विद्यालय एकल अध्यापकीय है। शिक्षामित्रों की नियुक्ति के फलस्वरूप छात्र अध्यापक अनुपात में भी सुधार हुआ किन्तु नामांकन में वृद्धि के कारण अभी भी छात्र–अध्यापक अनुपात 1.77 है जिसे सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत अतिरिक्त शिक्षक/शिक्षा मित्र तैनात कर निर्धारित मानक 1:40 पर लाना होगा। यद्यपि छात्र कक्षा–कक्ष अनुपात में भी में सुधार हुआ है किन्तु अभी भी यह 1:73 है। इसे निर्धारित मानक 1:40 पर लाने के लिए अतिरिक्त कक्षाकक्षों के निर्माण की आवश्यकता है।

अध्याय-3

नियोजन प्रक्रिया

सर्व शिक्षा अभियान राज्यों की भागीदारी से समयबद्ध समेकित प्रयास द्वारा प्रारंभिक शिक्षा को जन-जन तक पहुंचाने सम्बन्धी चिर अभिलषित लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक ऐतिहासिक प्रयास है। सर्व शिक्षा अभियान जिससे देश के प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव लाने की अपेक्षा की गई है, का उद्देय 2010 तक 6-14 आयु वर्ग के सभी वच्चों को उपयोगी तथा कोटिपरक प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना है।

सर्व शिक्षा अभियान स्कूल पद्धति से कार्य निष्पादन में सुधार तथा समुदाय आधारित कोटि परक प्रारंभिक शिक्षा को मिशन के रूप में प्रदान करने सम्बन्धी जरूरत को पूरा करने सम्बन्धी एक प्रयास है। इस कार्यक्रम में स्त्री-पुरुष असमानता तथा सामाजिक अन्तर को समाप्त करने की परिकल्पना भी की गई है।

इस कार्यक्रम के माध्यम से शिक्षा सम्बन्धी इन सभी प्रयासों में एक सूत्रता लाने का प्रयास किया गया है। ऐसे प्रयास किये जायेंगे जिनसे सामुदायिक सहभागिता बढ़ाने के उद्देश्य से स्कूल स्तर से निचले स्तर तक कार्यात्मक विकेन्द्रीकरण सुनिश्चित हो सके। पंचायती राज संस्थाओं, निर्धारित क्षेत्रों में जनजातीय परिषदों जिनमें ग्राम पंचायतें भी सम्मिलित है की स्वीकृति प्रदान करने के अलावा राज्यों को प्रोत्साहित किया जायेगा कि वे गैर सरकारी संगठनों, शिक्षकों, स्वयं सेवकों, कलाकारों महिला संगठनों आदि को शामिल करके अपनी जवाबदेही के क्षेत्र का विस्तार करें।

सूक्ष्म नियोजन तथा ग्राम शिक्षा योजना

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत सूक्ष्म नियोजन की प्रक्रिया को विशेष महत्व दिया गया। इसका प्रयोजन यह था कि प्रत्येक बस्ती तथा ग्राम के प्रत्येक परिवार के 6-11 वय वर्ग के बालकों तथा बालिकाओं की शैक्षिक स्थिति का आँकलन किया जाय। सूक्ष्म नियोजन प्रारम्भ करने हेतु ग्राम शिक्षा समितियों के सदस्यों, ग्राम के उत्साही प्रबुद्ध व्यक्तियों तथा अध्यापकों के लिये इसके उद्देश्यों तथा विधियों के सम्बन्ध में प्रशिक्षण आयोजित किया गया और प्रत्येक ग्राम में बस्तियों की सूची तैयार की गई। बस्तियों की सूची परिशिष्ट में दी गयी है। इस जनपद में सर्वप्रथम 1994-95 में तथा दूसरा चरण 1998-2000 तक सभी ग्रामवासियों के सहयोग से बस्ती तथा प्रत्येक परिवार से

सम्बन्धित सभी सूचनाओं जिनकी सूची पहले से तैयार थी, का एकत्रीकरण किया गया और एकत्रित सूचनाओं/आँकड़ों का विश्लेषण करके समस्याओं/आवश्यकताओं की पहचान की गई। सूक्ष्म नियोजन से प्रत्येक ग्राम के लिये निम्नलिखित सूचनायें एकत्रित की गईं।

- ग्राम में 6–11 वय वर्ग के कुल बच्चों की संख्या
- विद्यालय/अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या
- विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या
- शिक्षा ग्रहण न करने वाले बच्चों के विद्यालय/अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र न जाने का कारण
- यदि ग्राम में विद्यालय/अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र नहीं हैं तो क्या मानक के अनुसार विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता है?
- यदि मानक के अनुसार नवीन विद्यालय खोला जाना सम्भव नहीं है तो ग्रामवासी शिक्षा की क्या व्यवस्था प्रस्तावित करते हैं?
- क्या ग्राम में स्थित प्राथमिक विद्यालय के भवन एवं उपलब्ध भौतिक संसाधन पर्याप्त हैं?
- यदि नहीं, तो इनके सुधार के लिए ग्रामवासियों के क्या सुझाव हैं?
- क्या विद्यालयों में अध्यापकों की तैनाती छात्र संख्या के अनुसार है तथा छात्र–अध्यापक अनुपात क्या है?
- क्या अध्यापक नियमित रूप से विद्यालय आते हैं?
- शिक्षण कार्य की स्थिति/शिक्षा की गुणवत्ता के विषय में ग्रामवासियों के विचार।

सूक्ष्म नियोजन द्वारा उपरोक्त सूचना एकत्र करने के पश्चात निम्न कार्य ग्रामवासियों के सहयोग से किये गये।

1. परिवार सर्वेक्षण
2. स्कूल का मानचित्रण/शैक्षिक मानचित्र
3. सूचनाओं का विश्लेषण
4. ग्राम शिक्षा योजना का निर्माण

शैक्षिक मानचित्रण, विश्लेषण, ग्राम शिक्षा योजना निर्माण की तैयारी –

ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में ग्राम शिक्षा समिति के सभी सदस्यों, उत्साही युवक–युवतियों, शिक्षकों/शिक्षिकाओं की एक सभा बुलाकर गाँव की शैक्षिक समस्याओं के साथ–साथ अन्य समस्याओं तथा आवश्यकताओं पर चर्चा की गई। इनहों द्वारा सर्वेक्षण प्रपत्रों के माध्यम से गाँव के समस्त परिवारों का सर्वेक्षण भी कराया गया।

इसके पश्चात शैक्षिक मानचित्रण के द्वारा गाँव की सम्पूर्ण स्थिति को परिलक्षित किया गया। प्राप्त सूचनाओं एवं स्कूल मानचित्रण के विश्लेषण के द्वारा ग्रामवासियों के सहयोग से गाँव की उत्तम व्यवस्था के लिये ग्राम शिक्षा योजना बनाई गई।

शैक्षिक मानचित्रण द्वारा प्रत्येक ग्राम के लिये निम्नलिखित सूचनायें एकत्र की गईं।

1. बस्ती की पूरी जनसंख्या
2. विभिन्न आयु वर्ग की जनसंख्या
3. स्त्री–पुरुष की जनसंख्या
4. पढ़ने व न पढ़ने वाले बच्चों की संख्या
5. बाल श्रमिकों के विषय में जानकारी
6. विकलांग बच्चों के विषय में जानकारी
7. बालिका शिक्षा की स्थिति

उपरोक्त सभी तथ्यों, समस्याओं आदि पर बस्ती के लोगों व समुदाय के सभी सदस्यों से विचार–विमर्श के दौरान उभरे बिन्दुओं को सम्मिलित करते हुए परिवारों/बस्तियों के विवरण को समेकित करके ग्राम शिक्षा योजना तैयार की गई। इस योजना को अद्यावधिक बनाने के उद्देश्य से वर्ष 1998–99 तथा 1999–2000 में पुनः उपरोक्त सारी प्रक्रिया दोहराई गई ताकि बस्तीवार शैक्षिक योजनायें उपलब्ध हो सकें। इन सभी योजनाओं का रिकार्ड पूर्व में विकासखण्ड स्तर पर रखा गया किन्तु इनका समुचित उपयोग नहीं किया जा सका। फलस्वरूप वर्ष 1998–99 में माइक्रोप्लानिंग डाटा को अद्यावधिक बनाने के साथ ही जो ग्राम शिक्षा योजना तैयार की गयी उन्हें ग्राम स्तर पर ही विद्यालय में रखा गया ताकि इनका उपयोग गाँव स्तर पर आसानी से हो सके। वर्ष 1998–2000 तक माइक्रोप्लानिंग के जो आँकड़े एकत्र किये गये थे उन्हें जनपद स्तर पर संकलित किया गया तथा सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रम तैयार करने हेतु इसी को आधार बनाया गया है।

माइक्रोप्लानिंग से प्राप्त परिवारवार/बस्तीवार आँकड़ों को सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत उपयोगी बनाने हेतु विकासखण्ड के सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों की सहायता से वर्गीकृत व विकासखण्डवार संकलित किया गया। 6-14 वय वर्ग के विद्यालय न जाने वाले बच्चों को दो श्रेणी में विभक्त किया गया। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रस्तावित शिक्षा गारन्टी योजना तथा वैकल्पिक शिक्षा/नवाचार शिक्षा योजना कार्यक्रमों को दृष्टिगत रखते हुए विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या 6-8 वर्ष तथा 9-14 वर्ष समूहों में आंकलित की गयी। इन बच्चों में बालकों व बालिकाओं की संख्या पृथक-पृथक ज्ञात की गयी। इसके अतिरिक्त ऐसे बच्चों की संख्या भी आंकलित की गयी जो कामकाजी है, पैतृक व्यवसाय में माता-पिता की सहायता करते हैं अथवा सड़क छाप बच्चे (स्ट्रीट चिल्ड्रेन) है।

सर्वेक्षण से प्राप्त आँकड़ों के आधार पर उन बस्तियों की सूची भी तैयार की गयी है, जो नवीन विद्यालय खोले जाने का मानक पूरा करते हैं तथा विद्यालय प्रस्तावित किये गये हैं। उन बस्तियों की सूची भी तैयार की गयी जिनमें शिक्षा गारन्टी केन्द्र/वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचार शिक्षा केन्द्र स्थापित किया जाना सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रस्तावित किया गया है। इस

प्रकार सर्व शिक्षा अभियान के प्लान की संरचना में अधिक से अधिक बस्तीवार सूचना एकत्रित कर उपयोग में लायी गयी तथा विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या का आँकलन करते हुए उनकी शिक्षा व्यवस्था हेतु कार्यक्रम रखे गये हैं। इन सूचनाओं का विस्तृत विवरण पुस्तिका के अध्याय–7 में दर्शाया गया है।

ग्राम शिक्षा समितियों द्वारा समस्त सम्दाय की सहभागिता से सूक्ष्म नियोजन का अद्यावधिक चक्र सर्व शिक्षा अभियान की दीर्घकालीन योजना की प्रथम वार्षिक योजना 2001–2002 के क्रियान्वयन के दौरान पूर्ण किया जायगा। इसके द्वारा प्राप्त आँकड़ों/सूचनाओं का उपयोग वार्षिक कार्य योजना 2002–2003 के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रम तैयार करने हेतु किया जायगा।

जहाँ तक नगरीय क्षेत्रों के सुसंगत शैक्षिक आँकड़ों का सम्बन्ध है, इन क्षेत्रों में परियोजना पूर्व गतिविधियों (प्री प्रोजेक्ट एक्टीविटीज) के अन्तर्गत सर्वेक्षण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है जो प्रगति पर है। इस सर्वेक्षण से प्राप्त आँकड़ों का सारिणीयन व संकलन किया जायगा तथा निष्कर्षों का उपयोग वर्ष 2002–2003 की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट तैयार करते समय किया जायगा।

स्कूल चलो अभियान–

जनपद में जुलाई 2000 में बालक-बालिकाओं के नामांकन वृद्धि को बढ़ाने व ड्राप आउट समाप्त करने के उद्देश्य से 2000-2001 में स्कूल चलो अभियान चलाया गया।

जिसके कारण शैक्षिक वर्ष 2000–2001 में बालक–बालिकाओं के नामांकन में आशानुकूल वृद्धि हुई है। इसके फलस्वरूप जो वातावरण सृजित हुआ है। उसका लाभ सर्व शिक्षा अभियान में उठाया जायेगा। "स्कूल चलो अभियान" का विवरण नीचे दिया गया है।

"स्कूल चलो अभियान" कार्यक्रम के तहत व्यापक प्रचार–प्रसार किया गया। जिले में शत्–प्रतिशत नामांकन कराने का शिक्षा विभाग एवं जिला प्रशासन ने संकल्प लिया। प्रथम चरण 01.07.2000 से 09.07.2000 तक आयोजित किया गया।

दिनांक 28.06.2000 को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में समस्त सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/प्रति उप विद्यालय निरीक्षक, परियोजना अधिकारी, समन्वयक (डी.पी.ई.पी.) सहित बैठक आयोजित की गई और 'स्कूल चलो अभियान" की रूप रेखा तैयार की गई।

दिनांक 05.07.2000 को जिला अधिकारी की अध्यक्षता में अभियान की समीक्षा बैठक आयोजित की गई एवं कोर ग्रुप का गठन किया गया। उक्त बैठक में "स्कूल चलो अभियान" के सम्बन्ध में निम्न निर्णय लिये गये :–

1. जनपद के समस्त विकास खण्डों पर "स्कूल चलो अभियान" के लिये खण्ड विकास अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया।
2. जनपद के 73 न्याय पंचायत पर "स्कूल चलो अभियान" चलाने के लिये समन्वयक एन.पी. आर.सी. को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया।

3. जनपद की 563 ग्राम पंचायतों पर "स्कूल चलो अभियान" के लिये ग्राम पंचायत पर वरिष्ठ अध्यापक को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया।

यह निर्देश भी दिये गये कि शिक्षा विभाग एवं अन्य प्रशासनिक अधिकारी अपने–अपने क्षेत्र का भ्रमण कर "स्कूल चलो अभियान" सफल बनायेंगे। इसके साथ–साथ जिला विकास अधिकारी, प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (बीसलपुर), जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला पंचायत राज अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी, बाल विकास जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला विकलांग कल्याण अधिकारी, सचिव साक्षरता समिति, जिला सूचना अधिकारी, तहसीलदार क्षेत्र का भ्रमण कर कार्यक्रम को सफल बनायेंगे।

दिनांक 06.07.2000 को पीलीभीत में विशाल रैली का आयोजन किया गया जिसमें नगर के समस्त बच्चों, अध्यापक एवं गणमान्य व्यक्तियों, समाजसेवी संस्थाओं, पत्रकार बन्धुओं, नगर शिक्षा अधिकारी ने भाग लिया। "स्कूल चलो अभियान" रैली का प्रारम्भ मुख्य विकास अधिकारी ने झण्डा दिखाकर किया।

दिनांक 07.07.2000 को विकास खण्ड पूरनपुर में रैली का आयोजन किया गया, जिसमें नगर व ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे, अध्यापक, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी उपस्थित रहे। रैली का शुभारम्भ उप जिला अधिकारी, पूरनपुर ने हरी झण्डी दिखाकर किया। रैली के पश्चात् जिला अधिकारी ने नव निर्वाचित ग्राम प्रधानों/बी.डी.सी. सदस्यों एवं ग्राम पंचायत सदस्यों को "स्कूल चलो अभियान" को सफल बनाने में सक्रिय योगदान देने हेतु उनका आह्वान किया।

दिनांक 07.07.2000 को विकास खण्ड मरौरी में रैली का आयोजन किया गया जिसमें खण्ड विकास अधिकारी, मरौरी एवं सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी मरौरी, समन्वयक बी.आर.सी./एन.पी.आर.सी. मरौरी क्षेत्र के बच्चे एवं अध्यापक उपस्थित रहे। रैली के बाद जिला अधिकारी द्वारा ग्राम प्रधानों को "स्कूल चलो अभियान" के सम्बन्ध में अवगत कराया गया।

दिनांक 14.07.2000 को बीसलपुर में रैली का आयोजन किया गया, जिसमें जनपद के प्रभारी मन्त्री माननीय श्री रामआसरे कुशवाहा ने रैली का शुभारम्भ हरी झण्डी दिखाकर किया। रैली के बाद प्रभारी मन्त्री महोदय द्वारा ग्राम प्रधानों बी.डी.सी. सदस्यों, ग्राम पंचायत सदस्यों एवं अन्य गणमान्य व्यक्तियों को सम्बोधित करते हुए "स्कूल चलो अभियान" को सफल बनाने का आग्रह किया। जिलाधिकारी मुख्य विकास अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने भी उक्त बैठक में सभी का सहयोग प्राप्त करने हेतु आह्वान किया।

इस प्रकार दिनांक 15 जुलाई 2000 को "स्कूल चलो अभियान" का समापन किया गया एवं अभिभावकों से सम्पर्क कर बच्चों को प्राथमिक विद्यालय/पूर्व माध्यमिक विद्यालय में नामांकित कराने हेतु प्रोत्साहित किया गया। स्कूल चलो अभियान की उपलब्धियाँ निम्न सारिणी में दी गई हैं।

स्कूल चलो अभियान

स्तर	कुल बाल गणना			उपलब्धि			अनुसूचित जाति			पिछड़ी जाति			अल्प संख्यक समुदाय		
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
परिषदीय प्रा.वि.	163350	135309	198659	05076	90416	95492	27584	25890	53474	47097	35177	32274	25506	21713	47219
गैर मान्यता प्राप्त															
मान्यता प्राप्त				54267	43812	98079									

पूर्व माध्यमिक विद्यालय की छात्र संख्या

परिषदीय पूर्व मा.वि.	49071	33930	83001	16198	7287	23485	4066	1962	6028	9781	333	10114	1170	290	1460
गैर मान्यता प्राप्त															
मान्यता प्राप्त वि0				25345	19345	44690									

सर्व शिक्षा अभियान के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए विकेन्द्रीकृत नियोजन की प्रणाली दुवारा अपनायी गई जिसमें बस्ती स्तर पर शैक्षिक योजनायें बनाने की दिशा में कार्यवाही प्रारंभ की गई।

पीलीभीत जिले में सर्व शिक्षा अभियान की परियोजना तैयार करने हेतु निम्नांकित प्रयास किये गये:-

1- नियोजन टीम का गठन - किसी भी कार्य को आरंभ करने के लिये किसी न किसी स्तर पर कोई पहल करता है, इतने बड़े सार्थक उद्देश्य (सर्व शिक्षा अभियान) के लिये छः सदस्यीय नियोजन टीम का गठन किया गया।

2- बस्ती/ग्राम स्तर पर विभिन्न स्तर के कार्यकर्त्ताओं के साथ बैठकें की गई। सर्व शिक्षा अभियान को आरम्भ करने से पूर्व समुदाय की शिक्षा के प्रति क्या सोच है, उसकी शिक्षा से क्या-क्या अपेक्षायें है, तथा वह इसमें किस प्रकार से सहयोग कर सकता है। इन विषयों पर समुदाय की राय जानना अति आवश्यक है। बिना इसके यह शिक्षा सर्व शिक्षा हो ही नहीं सकती। एफ.जी.डी. प्रक्रिया से उन क्षेत्र विशेष की समस्याओं को ध्यान में रखकर सर्व शिक्षा का पर्सपेक्टिव प्लान तैयार किया जा सके। समाज में कुछ व्यक्ति होते है जो इस तरह के कार्यो में बढ़चढ़ कर हिस्सा लेते है, जिनको कार्यक्रम चलने पर सम्पर्क व्यक्ति (कान्टैक्ट परसन) सोसल एक्टीविस्ट के रूप में सहयोग ले सकते है। सन्दर्भ व्यक्तियों की पहचान, स्वयंसेवी संस्थाओं की पहचान, पंचायती राज संस्थाओं के पदाधिकारियों की सोच, उनके सहयोग आदि की जानकारी एफ0जी0डी0 से ही हो सकी। यह कार्य एक उत्तम कोटि का पर्सपेक्टिव प्लान बनाने में सहायक सिद्ध हुआ।

परियोजना पूर्व की गतिविधियों के अन्तर्गत जिले में एफ0जी0डी0 टीम का गठन किया गया। उनमें वे अधिकारी/कर्मचारी भी सम्मिलित है जिन्होंने प्लान बनाने के लिए सीमेट इलाहाबाद के तत्वावधान में आयोजित कार्यशालाओं में प्रतिभाग किया है। इसके अतिरिक्त डी0पी0ई0पी0 के जिला समन्वयक, परियोजना अधिकारी (अनौपचारिक शिक्षा), सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, प्रति उप विद्यालय निरीक्षक बी0आर0सी0, एन0पी0आर0सी0, प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापक, स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधि, तमाम विभागों के अधिकारियों कर्मचारियों तथा जन प्रतिनिधियों से सहयोग मिला। एफ0जी0डी0

के निष्कर्षों से प्लान को आवश्यकता आधारित (नीड बेस्ड) प्लान बनाने में सहायता मिली।

प्री प्रोजेक्ट गतिविधियों के अन्तर्गत प्रत्येक ग्राम में प्रधान, पंचायत सदस्य, प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों तक यह सन्देश एन0पी0आर0सी0 के द्वारा गया। ग्राम शिक्षा समितियों को यह अवगत कराया गया कि यह कार्यक्रम पूरी तरह से समुदाय की सहभागिता पर निर्भर करता है। इसकी योजना एफ0जी0डी0 के जरिये समाज की आवश्यकताओं, प्राथमिकताओं को ध्यान में रखकर सूक्ष्म नियोजन 'ग्रास रूट लेविल प्लानिंग' के आधार पर निर्मित की जायेगी। योजना के निर्माण के पश्चात इसका क्रियान्वयन भी समाज के हर तबके के सहयोग से होगा। विशेषकर ग्राम पंचायतों को इसमें नियोजन/प्रबन्धन सम्बन्धी पर्याप्त प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार होंगे। अनुश्रवण और मूल्यांकन सम्बन्धी भी उनकी भागीदारी होगी। स्वयंसेवी स्वैच्छिक संस्थाओं की सशक्त भागीदारी होगी ताकि वास्तविक अर्थो में यह जनता का अभियान बन सके।

शैक्षिक नियोजन विभिन्न स्तर के होते हैं जैसे राष्ट्रीय स्तर पर नियोजन, क्षेत्रीय स्तर पर नियोजन तथा विविध स्तरीय नियोजन। यहां पर जनपद विशेष में स्थानीय आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं को ध्यान में रखकर ग्रास रूट प्लानिंग के बाद जनपद स्तर पर नियोजन का स्वरूप निर्धारण किया गया है।

जनपद स्तर पर नियोजन

जनपद में डी0पी0ई0पी0 कार्यक्रम विगत 3 वर्षो से संचालित है। उसी के वृहद स्वरूप में सर्वशिक्षा अभियान संचालित किया जाना है। जिन विकास एजेन्सीज से हमें डी0पी0ई0पी0 में सहयोग मिला हैं और जो विभाग मानव संसाधनों का सृजन करते हैं, उन विभागों के अधिकारियों के साथ बैठकें की गईं।

जिला पंचायत अध्यक्ष व जिला बेसिक शिक्षा समिति के सदस्यों के साथ बैठक, माननीय सांसद व माननीय विधायकगण के साथ बैठक, प्रमुख क्षेत्र पंचायत तथा समिति के सदस्यों के साथ विचार विमर्श किया गया। इसके अतिरिक्त शिक्षक संगठनों, अभिभावकों, विशिष्ट समूहों से विचार-विमर्श किया गया। इसी प्रकार अनुसूचित जाति, एवं अल्प संख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में समुदाय के सदस्यों से तथा स्वयंसेवी संगठनों से विचार-विमर्श किया गया।

नियोजन प्रक्रिया में सहभागिता हेतु कार्यवाही का विवरण:-

क्रम. सं.	जनपद स्तर/ब्लाक स्तर/ग्राम स्तर	तिथि	स्थान	प्रतिभागियों का विवरण एवं संख्या	बैठक/विचार विमर्श में जो बिन्दु उभरे उनका संक्षिप्त विवरण
1.	ग्राम स्तर	15.02.2001	ललौरी खेड़ा	अधिकारी-2 महिलाप्रधान-1 बहुउद्देशी कर्मी-1 अध्यापक-1 अभिभावक-6 कुल 11	1. बिना भेदभाव के बालिकाओं की शिक्षा पर बल 2. समाज में महिलाओं को बराबरी का दर्जा देने की आवश्यकता 3. बालिकाओं में विद्यालय में नामांकन 4. बालकों का विद्यालय में ठहराव बना रहे।
2.	ग्राम स्तर	15.02.2001	बदर बोक्ष	अधिकारी-1 टोले का सरदार-1 पंचायत के सदस्य-3 अभिभावक-4 कुल (9)	1. जनजातीय वर्ग में शिक्षा के प्रति जागरूकता में कमी है। 2. शिक्षा से अन्धविश्वास मिटाना चाहते है। 3. बालिकाओं की शिक्षा के प्रति उदासीनता है।
3	ग्राम स्तर (वि.ख. पूरनपुर)	16.02.2001	बूदी बोक्ष	अधिकारी-1 पंचायत के सदस्य-2 अभिभावक-5 कुल (8)	1. जनजातीय वर्ग मे बालिकाओं की शिक्षा पर बल दिये जाने की आवश्यकता। 2. सामाजिक रूढ़ियों, अन्ध विश्वास प्रगति में बाधक है, शिक्षा से ही इन्हें दूर किया जा सकता है।
4.	गमिया सहराई ग्राम स्तर (पूरनपुर)	16.02.2001	गमिया सहराई	अधिकारी-2 अध्यापक-3 प्रधान-1 अभिभावक-10 कुल (16)	1. बंगाली समाज में स्थान विशेष मे शिक्षा के सभी साधनों के बावजूद शिक्षा ग्रहण करने में उत्साह नही है। 2. अभिभावक बालिकाओं का नामांकन विद्यालयों में नही कराते। 3. शिक्षा के साथ-साथ कार्यानुभव सम्बन्धी कौशल सिखाना चाहते है। 4. लिंग भेद समाप्त करना चाहते है।

क्रम. सं.	जनपद स्तर/ब्लाक स्तर/ग्राम स्तर	तिथि	स्थान	प्रतिभागियों का विवरण एवं संख्या	बैठक/विचार विमर्श में जो बिन्दु उभरे उनका संक्षिप्त विवरण
5.	ग्राम स्तर (वि.ख. पूरनपुर)	16.02.2001	वनगाँव	ग्रामवासी-10 अधिकारी-02 कुल (12)	1. मेहनत मजदूरी करने के कारण शिक्षा के लिए समय नहीं मिल पाता है। 2. पूरे समय विद्यालय में रहकर शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते। 3. शिक्षा के साथ दस्तकारी सम्बन्धी शिक्षा भी दी जानी चाहिए।
6.	जनपद स्तर	16.02.2001	पीलीभीत	जिला पंचायत अध्यक्ष -1 जिला पंचायत अधिकारी-1 जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी-1 वित्त एवं लेखा अधिकारी (बेसिक)-1 कुल (04)	1. शिक्षा में गुणवत्ता परक सुधार अपेक्षित। 2. जिन बस्तियों में विद्यालय नहीं है वहाँ के बच्चों के लिए विद्यालय खोलना/वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र खोलना। 3. बंगालियों कालोनियों में शिक्षा की व्यवस्था। 4. बाढ़ ग्रस्त इलाकों में शिक्षा की पुख्ता व्यवस्था करना। 5. ईट भट्टा में कार्यरत बाल श्रमिकों के लिए वैकल्पिक शिक्षा की व्यवस्था करना। 6. बन गाँव मे रहने वाले बच्चों की शिक्षा सम्बन्धी समस्यायें।
7.	चटर्वोला (ग्राम स्तर) वि.ख. बिलसंड	18.02.2001	चरखौला	अधिकारी-3 अध्यापक-3 अभिभावक-6 ग्राम स्तर-3 कुल (15)	1. अर्थिक एवं सामाजिक पिछड़ापन 2. शिक्षा की उपदेशिता संदिग्ध है। 3. भौगोलिक कठिनाई जैसे नदी नाले जंगल आदि के कारण शिक्षा में अवरोध।
8.	ग्राम स्तर	18.02.2001	अमरा करोड़ (बीसलपुर)	प्रधान-1 बी.डी.सी. सदस्य-1 अभिभावक-10 अधिकारी-1 कुल (13)	1. विद्यालयों में भौतिक संसाधनों का अभाव जैसे- फर्नीचर बिजली आदि। 2. शौचालय पेयजल एंव चहारदीवारी की कमी।

क्रम. सं.	जनपद स्तर/ब्लाक स्तर/ग्राम स्तर	तिथि	स्थान	प्रतिभागियों का विवरण एवं संख्या	बैठक/विचार विमर्श में जो बिन्दु उभरे उनका संक्षिप्त विवरण
9.	ग्राम स्तर	18.02.2001	जोगीठेर (बरखेडा)	अध्यापक-4 अभिभावक-2 अधिकारी-1 कुल (7)	1. शिक्षा के प्रति अभिभावक बच्चों में जागरूकता का अभाव। 2. बच्चों के व्यक्तिगत रूचि में कमी। 3. शिक्षक की व्यवहार कुशलता एवं व्यक्तित्व में कमी।
10.	ग्राम स्तर	19.02.2001	सरायसुन्दरपुर (मरौरी)	अधिकारी-2 प्रधान-1 पंचायत सदस्य-2 अभि-4 कुल (9)	1. गरीबी के कारण छात्रों के पास पाठ्य पुस्तकों का न होना। 2. अध्यापकों का मानक के अनुसार संख्या में उपलब्ध न होना। 3. विद्यालय का वातावरण आकर्षक न होना। 4. अध्यापक से अन्य विभागों का काम कराना
11.	ग्राम स्तर	21.02.2001	अडरायन (अमरिया)	अधिकारी-1 प्रधान-1 पंचायत सदस्य-2 अभि-1 कुल (5)	1. अध्यापक का विद्यालय में कम ठहराव। 2. अध्यापक में शिक्षण कार्य में अरूचि।
12.	बीसलपुर	21.02.2001	बीसलपुर नगर	अध्यक्ष नगरपालिका-1 शिक्षा अधि.-1 अभिभावक-20 अधिकारी-2 कुल (24)	1. अध्यापकों/अभिभावकों एवं छात्रों में सामजस्य न होना। 2. सतत् मूल्यांकन का अभाव। 3. निरीक्षण/पर्यवेक्षण में कमी। 4. सक्रिय सामाजिक सहभागिता का अभाव।
13.	पूरनपुर	21.02.2001	पूरनपुर नगर	अध्यक्ष-1 शिक्षा अधि.-1 नागरिक-2 अधिकारी-2 अभिभावक-1 कुल (7)	1. विकलांग बच्चों की शिक्षण व्यवस्था। 2. बाल श्रमिकों के अभिभावकों में शिक्षा के प्रति जागरूकता का अभाव।

प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न एजेन्सीज/विभागों से समन्वय व सहयोग

प्रारंभिक शिक्षा के विकास व उन्नयन हेतु निम्नांकित विभागों से सुनियोजित ढंग से सहयोग प्राप्त किया जाता है–

(A) आई.सी.डी.एस. के साथ समन्वय

जिला कार्यक्रम अधिकारी व समन्वयक बालिका शिक्षा, स्वास्थ्य कर्मी, N.G.O. आदि को सम्मिलित कर जिला संदर्भ समूह तथा विकास खण्ड संदर्भ समूह का गठन किया जाता है और निम्नवत् आई.सी.डी.एस. के साथ समन्वय स्थापित किया जाता है–

1- ऑगनबाड़ी केन्द्रों का समय स्कूलों के समय के अनुसार निर्धारित किया जाता है।
2- ऑगनबाड़ी केन्द्रों की स्थापना विद्यालय प्रांगण में या उनके निकट की जाती है।
3- ऑगनबाड़ी केन्द्रों को शिक्षण सहायक सामग्री उपलब्ध करायी जाती है।
4- केन्द्रों के सुदृढ़ीकरण हेतु प्रशिक्षण क्षमता का विकास किया जाता है।
5- केन्द्रों के संचालन के अतिरिक्त समस्या हेतु आनुपालिक ढंग से अतिरिक्त मानदेय दिया जाता है।

(B) स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय

स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय स्थापित करके प्रत्येक वर्ष परिषदीय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण कराया जायेगा, जिससे चिन्हित रोगी छात्र–छात्राओं के उपचार हेतु उनके अभिभावकों को अवगत कराया जा सके तथा बच्चों के स्वास्थ्य की समुचित देख भाल हो सके। स्वास्थ्य वार्ड का रखरखाव विद्यालय स्तर पर किया जाता है। स्वास्थ्य परीक्षण हेतु राजकीय चिकित्सक अथवा पंजीकृत चिकित्सकों की सेवाएं ली जाती हैं। चिकित्सकों के आने–जाने की व्यवस्था विभाग से की जाती हैं।

(C) समाज कल्याण विभाग से समन्वय

समाज कल्याण विभाग के सहयोग से प्राथनिक विद्यालयों व उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अनु० जाति के सभी बच्चों को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने हेतु कमशः 300/– व 480/– प्रति छात्र की दर से प्रति वर्ष छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

(D) ग्राम पंचायतों से समन्वय

असेवित क्षेत्रों में नवीन विद्यालयों की स्थापना हेतु ग्राम पंचायतों के सहयोग से ग्राम पंचायत भूमि प्रबंध समितियों द्वारा निःशुल्क भूमि उपलब्ध करायी जाती है, जहाँ पर विद्यालयों का निर्माण कर संचालित किया जाता है।

(E) खाद्य एवं आपूर्ति विभाग से समन्वय

खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के समन्वय एवं सहयोग से प्रत्येक विद्यालय में 80% मासिक उपस्थिति वाले प्रत्येक छात्र–छात्रा को 3 किलोग्राम प्रति छात्र की दर से पोषाहार योजनान्तर्गत खाद्यान वितरित कराया जाता है।

Co-ordination with various deptt.

(F) विकलांग कल्याण विभाग से समन्वय

विकलांग कल्याण विभाग के सहयोग से विकलांग छात्र–छात्राओं को उपकरण (टायसाइकल, वैसाखी आदि) उपलब्ध कराने हेतु सहयोग प्राप्त किया जाता है। बच्चों के चिन्हीकरण में सहयोग किया जाता है। शासन द्वारा यह आदेश भी जारी किये गये हैं कि विकलांगों की सहायतार्थ उपकरणों/संयंत्रों के वितरण में छात्र–छात्राओं को प्राथमिकता दी जाये।

(G) उ०प्र० जल निगम/ यू.पी. एग्रो से समन्वय

इन दोनों विभागों के सहयोग से प्राथमिक विद्यालय व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में छात्र–छात्राओं के लिए पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने हेतु हैण्डपम्पों की स्थापना की जाती है।

(H) युवा कल्याण विभाग से समन्वय

युवा कल्याण विभाग से समन्वय स्थापित कर छात्रों की कीडा प्रतियोगिता सम्पादित करायी जाती है ताकि उनमें खेल भावना का विकास हो सके। नेहरू युवा केन्द्रों तथा युवक मंगल दल के कार्यकर्ताओं के सहयोग से छात्र नामांकन में वृद्धि हेतु कार्यक्रम चलाये जाते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में ग्राम शिक्षा समितियों व स्थानीय समुदाय की सामुदायिक सहभागिता विकसित की जाती है।

(I) पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से समन्वय

इन दोनों विभागों से समन्वय स्थापित कर पिछड़ी जाति एवं अल्पसंख्यक बच्चों को 300/– प्रति छात्र प्रति वर्ष की दर से छात्रवृत्ति वितरित करायी जाती है ताकि इन छात्रों को गणवेश एवं आवश्यक पठन सामग्री उपलब्ध हो सके।

(J) जिला ग्राम्य विकास अभिकरण विभाग से समन्वय

शिक्षा के उन्नयन हेतु जिला ग्राम्य विकास अभिकरण (D.R.D.A.) से समन्वय स्थापित कर विद्यालय भवनों के निर्माण हेतु 40% धनराशि शिक्षा विभाग से प्रदान कर शेष 60% धनराशि ग्राम्य विकास विभाग से प्राप्त कर विद्यालय भवनों का निर्माण कराया जाता है जिससे अधिक से अधिक विद्यालयों को आच्छादित किया जा सके।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत उपरोक्त सभी विभागों से समन्वय स्थापित कर समुचित सहयोग प्राप्त किया जायेगा। उपर्युक्त विभागों के साथ पूर्व से ही कन्वर्जेन्स स्थापित है जिसे आगे भी जारी रखा जायेगा।

Co-ordination with various deptt.

अध्याय – 4

सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य एवं लक्ष्य

भारत सरकार द्वारा कक्षा 1–8 तक की प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनीकरण हेतु राज्यों में "सर्व शिक्षा अभियान" संचालित करने का निर्णय लिया गया है। सर्व शिक्षा अभियान केन्द्र पुरोनिधानित योजना के रूप में चलाया जायेगा। नवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि तक केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के मध्य अंशदान का प्रतिशत 85:15, दसम् पंचवर्षीय योजना में अंशदान का प्रतिशत 75:25 तथा उसके आगे की अवधि के लिए केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के मध्य अंशदान का प्रतिशत 50:50 रहेगा।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा के सार्वजनीकरण हेतु राष्ट्रीय स्तर पर मुख्य रूप से निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किये गये है :–

- वर्ष 2003 तक सभी बच्चों का विद्यालय, शिक्षा गारंटी केन्द्र, वैकल्पिक स्कूल, बैक टू स्कूल शिविर आदि के माध्यम से शत प्रतिशत नामांकन।
- वर्ष 2007 तक समस्त बच्चों द्वारा कक्षा 5 तक की प्राथमिक शिक्षा पूर्ण कर लेना।
- वर्ष 2010 तक सभी बच्चों द्वारा कक्षा 8 तक की प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करना।
- गुणवत्तापरक प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना।
- बालक–बालिका तथा समाज के विभिन्न वर्गों के मध्य वर्ष 2007 तक प्राथमिक स्तर पर तथा 2010 तक उच्च प्राथमिक स्तर पर नामांकन, ठहराव व सम्प्राप्ति में अन्तर समाप्त करना।
- वर्ष 2010 तक सार्वभौमिक ठहराव।

उक्तवत अंकित राष्ट्रीय लक्ष्यों को जनपद के लिये भी मान लिया गया है। उक्त वृहद लक्ष्यों के साथ ही जनपद के लिए विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं, जिनका विवरण आगे पृष्ठों में अंकित है।

नामांकन के लक्ष्य

बाल संख्या तथा नामांकन प्रोजेक्शन हेतु अपनायी गयी विधा

जनगणना – 2001 से प्रदेश की जनपदवार जनसंख्या के आँकड़े प्राप्त हो गये हैं। जनगणना – 1991 की जनसंख्या के आँकड़ों को आधार मानते हुए विगत 10 वर्षो में जनपद की जनसंख्या में हुई वृद्धि के आधार पर नीपा, नयी दिल्ली के माड्यूल में वर्णित 'कम्पाउण्ड रेट आफ ग्रोथ मेथेड' से जनपद की वार्षिक वृद्धि दर ज्ञात की गयी। जनपद की वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदर 2.5 % है। इस वार्षिक वृद्धि दर से वर्ष 2002 से 2010 तक प्रत्येक वर्ष की जनपद की कुल जनसंख्या प्रक्षेपित की गयी है।

जनगणना 2001 की आयुवर्गवार जनसंख्या के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं। अतः जनगणना 1991 की आयु वर्गवार जनसंख्या के प्रतिशत को मानते हुए वर्ष 2001 तथा इससे आगे की प्रक्षेपित जनसंख्या में 6-11 वर्ष की बालसंख्या ज्ञात करने के लिये 14.9% तथा 11-14 वर्ष की बालसंख्या ज्ञात करने के लिये 6.2% का अनुपात लिया गया है। वर्ष 2001 की जनगणना के विभिन्न आयुवर्ग की जनसंख्या, ग्रामीण/ नगरीय, अनुसूचित जाति/ जनजाति के लिये विशिष्ट आंकड़े उपलब्ध होने पर इन आंकड़ों का पुनरावलोकन आगामी वार्षिक योजनाओं में किया जा सकता है।

नामांकन के प्रोजेक्शन हेतु वर्तमान जी०ई०आर० को आधार मानते हुए नीपा, नयी दिल्ली द्वारा प्रतिपादित 'इनरोलमेंट रेशियो मेथड' से 2002 से 2010 तक का जी०ई०आर० प्रक्षेपित किया गया। वर्ष विशेष के लिये प्रक्षेपित जी०ई०आर० तथा प्रक्षेपित बाल संख्या से उस वर्ष के लिए नामांकन प्रक्षेपित किया गया है। प्राथमिक स्तर (6-11) के लिए वर्ष 2003 तक तथा उच्च प्राथमिक स्तर (11-14) के लिये वर्ष 2007 तक शत–प्रतिशत नामांकन का लक्ष्य रखा गया है। चूँकि कुल नामांकन में कुछ ओदर ऐज तथा अण्डर ऐज बच्चे भी होंगे अतः जी०ई०आर० का लक्ष्य 100 से अधिक रखा गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि प्राथमिक स्तर पर वर्ष 2003 के बाद तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर वर्ष 2007 के बाद जी०ई०आर० में वृद्धि कम होगी क्योकि जितने बच्चे 6-11 वर्ष व 11-14 वर्ष में बढ़ेंगे उतने ही लगभग नामांकन में बढ़ेगें।

वर्ष 2001 से 2010 तक वर्षवार प्रक्षेपित जनपद की 6-11 वर्ष की बाल संख्या व नामंकन तथा 11-14 की बाल संख्या व नामांकन निम्नवत् है।

सारिणी 4.1

प्राथमिक स्तर पर नामांकन के लक्ष्य

जनपद – पीलीभीत

वर्ष	6-11 वय वर्ग के बच्चों की संख्या			नामाकंन			जी०ई०आर०
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	
2000-01	132259	112665	244924	111098	94639	205736	84
2001-02	135565	115482	251047	124720	106243	230963	92
2002-03	138955	118369	257323	138955	118369	257323	100
2003-04	142428	121328	263756	150974	128608	279582	106
2004-05	145989	124361	270350	160588	136797	297385	110
2005-06	149639	127470	277109	169092	144041	313133	113
2006-07	153380	130657	284037	176387	150255	326642	115
2007-08	157214	133923	291138	183941	156690	340631	117
2008-09	161145	137271	298416	191762	163353	355115	119
2009-10	165173	140703	305877	198208	168844	367052	120

सारिणी 4.2

उच्च प्राथमिक स्तर पर नामांकन के लक्ष्य

जनपद – पीलीभीत

वर्ष	11-14 वय वर्ग के बच्चों की संख्या			नामाकंन			जी०ई०आर०
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	
2000-01	55034	46881	101915	39624	33754	73379	72
2001-02	56410	48053	104463	43436	37001	80436	77
2002-03	57820	49254	107074	47412	40389	87801	82
2003-04	59266	50486	109751	51561	43923	95484	87
2004-05	60747	51748	112495	55887	47608	103495	92
2005-06	62266	53042	115307	59775	50920	110695	96
2006-07	63823	54368	118190	63823	54368	118190	100
2007-08	65418	55727	121145	68035	57956	125991	104
2008-09	67054	57120	124174	72418	61690	134107	108
2009-10	68730	58548	127278	75603	64403	140006	110

ठहराव के लक्ष्य

सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत जिले की प्लान संरचना में वर्ष 2007 तक प्राथमिक स्तर पर तथा वर्ष 2010 तक उच्च प्राथमिक स्तर पर शत प्रतिशत ठहराव का लक्ष्य रखा गया है। तद्नुसार प्राथमिक स्तर पर 'ड्राप आउट' कम करने के लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं, जो निम्नवत हैं-

वर्ष	प्राथमिक स्तर पर ड्राप आउट की दर
2000-01	31
2001-02	28
2002-03	24
2003-04	20
2004-05	15
2005-06	10
2006-07	5
2007-08	0
2008-09	0
2009-10	0

परियोजना कियान्वयन के दौरान जनपद में 'ड्राप आउट' के संबंध में हुयी प्रगति तथा अनुश्रवण हेतु प्रत्येक तीन वर्ष पर प्राथमिक स्तर का ड्राप आउट तथा उच्च प्राथमिक स्तर का ड्राप आउट ज्ञात करने हेतु पृथक-पृथक 'कोहोर्ट स्टडी' करायी जायेगी।

अध्याय-5

समस्याएं एवं रणनीति

जनपद में विभिन्न स्तरों पर कराये गये फोकस ग्रुप डिस्कशन में प्राप्त विचारों के विश्लेषणोपरान्त उपलब्ध संसाधनों के सापेक्ष व्यवहारिक एवं सन्तुलित रणनीति बनायी गई है इसमें छात्र नामांकन के अनुसार अध्यापक/अध्यापिकाओं की नियुक्ति नये भवनों का निर्माण जीर्ण शीर्ण भवनों की मरम्मत हैण्डपम्प एवम् शौचालयों का निर्माण, विद्यालयों का सौन्दर्यीकरण एवं विद्यालयों के सुदृढ़ीकरण का निम्नवत् प्रयास किया गया है। इसके अतिरिक्त सभी स्कूल के बाहर बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने तथा उनके ठहराव पर विशेष बल दिया जायेगा।

	समस्याएं	रणनीति
1.	आर्थिक एवं सामाजिक पिछड़ापन	बच्चों एवं उनके अभिभावकों की सोच में वदलाव लाने के लिये जन चेतना के सभी प्रयास किये जायेंगें इस कार्य में महिला मंगल दल, महिला समाख्या वाल विकास परियोजना की कार्यकत्री, ए0एन0एम0 कलाजत्था जनसम्पर्क, ग्राम शिक्षा समितियों की सहभागिता एवं जागरूक व्यक्तियों के सहयोग से अपेक्षित लक्ष्य की प्राप्ति की जायेगी।
2.	शिक्षा की उपादेयता संदिग्ध है	पूर्व माध्यमिक विद्यालयों के व्यवसायिक शिक्षा के कार्यक्रमों को जोड़ा जायेगा जिससे छात्रों को स्वावलम्बन एवं करके सीखने की आदत का विकास हो सके और आर्थिक पिछड़ापन दूर हो सके। विशेष कर ग्रामीण क्षेत्र की बालिकाओं के लिये सिलाई कढ़ाई, फलसंरक्षण, बुनाई, स्थानीय क्राफ्ट एवं नगरीय क्षेत्र एवं इससे निकट के ग्रामीण क्षेत्र में मेंहदी, फाइनआर्ट, ब्यूटीपार्लर, सिलाई कंढाई, बुनाई, चटाई, निर्माण, जूट कपड़े के बैग आदि सिखाने का प्रवन्ध किया जायेगा। सिलाई शिक्षा के लिये मशीनों की व्यवस्था प्रस्तावित है। इसके लिये जनपद में पूर्व परियोजना, प्रौढ़ शिक्षा के जन शिक्षण निलयम कार्यक्रम में उपलब्ध कराई गई है। कढ़ाई एवं बुनाई की शिक्षा परम्परागत ढंग से जनपद में पूर्व परियोजना प्रौढ़ शिक्षा के जन निलियम कार्यक्रम में उपलब्ध कराई गई है। कढ़ाई एवं बुनाई की शिक्षा परम्परागत ढंग से न करा कर निटिंग मशीनों की

		सहायता से कराई जानी प्रस्तावित है इसके लिये उक्त परियोजना में उपलब्ध निटिंग मशीनों की मरम्मत एवं रख-रखाव विद्यालय अनुदार से कराया जायेगा।
3.	असंवित एवं मलिन बस्तियों में विद्यालय सुविधा का न होना	1.5 कि0मी0 तथा 300 की आबादी वाले ग्रामों/बस्तियों में प्राथमिक विद्यालयों की व्यवस्था की जायेगी तथा 6 से 8 वर्ष के 30 बच्चों में 1 किमी0 विद्यालय से दूरी के मानक पर ई0जी0एस0 केन्द्र खोले जायेंगे तथा 9 से 14 वय वर्ग के बच्चों के लिए ए0आई0ई0 केन्द्रों की स्थापना की जायेगी। नगर क्षेत्र में द्विपाली योजना एवं किराये के भवनों में चलने वाले विद्यालय जहां छात्र संख्या कम है उन्हें असंवित मलिन बस्तियों में स्थानान्तरित कर पुनः स्थापित किया जायेगा।
4.	भौगोलिक कठिनाई जैसे नदी, नाले जंगल आदि के कारण शिक्षा में अवरोध	भौगोलिक कठिनाई को दूर करने के उद्देश्य से मानक के अनुसार शिक्षा गारन्टी योजना एवम वैकल्पिक/नवाचार शिक्षा केन्द्रों के खोले जाने तथा कालान्तर में मुख्य धारा से जोड़ा जायेगा।
5.	विद्यालयों में भौगोलिक संसाधनों का अभाव जैसे-फर्नीचर बिजली नामांकन के सापेक्ष उपस्थिति के आधार पर कक्षा-कक्षों की अनुपलब्धता शौचालय, पेयजल एवं चहारदीवारी की कमी	छात्र संख्या के आधार पर विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा कक्षों का निर्माण कराया जायेगा । जिन विद्यालयों में स्वच्छ पेयजल, शौचालय एवम् चाहरदीवारी नहीं है वहां इनका निर्माण प्रस्तावित किया जायेगा। उच्च प्राथमिक विद्यालय/प्रा0 विद्यालयों में बच्चों के बैठने के लिए काष्ठोपकरण की व्यवस्था उपलब्ध है।
6.	शिक्षा के प्रति अभिभावक बच्चों में जागरूकता का अभाव अभिभावक की यह सोच कि बच्चा शिक्षित होकर रोजगार से जुड़े	शिक्षा का मूल उद्देश्य व्यक्ति का विकास है न कि एक मात्र रोजगार उपलब्ध कराना जबकि अभिभावक की सोच है कि बच्चा पढ़ कर नौकरी करे यथा स्थिति में रोजगार के सीमित अवसर है। इस सोच में सकारात्मक सोच पर बल दिया जायेगा।
7.	बच्चों के व्यक्तिगत रुचि में कमी	बच्चों को विद्यालय बोझ न लगे इस हेतु रुचिपूर्ण पाठ्यक्रम का समावेश किया जायेगा जैसे-खेल द्वारा शिक्षा क्रियाशील आधारित पाठ्यक्रम का निर्माण करना, समय विज्ञान चक्र को अधिक उपयोगी और सार्थक बनाकर बच्चों में रूचि उत्पन्न

		करना सांस्कृतिक एवं कलात्मक किया कलापों का समायोजन एवं क्षेत्र भ्रमण आदि का समावेष्टित किया जायेगा।
8.	शिक्षक की व्यवहार कुशलता एवं व्यक्तित्व में ह्रास	शिक्षक का छात्र/छात्रा के प्रति मृदु व्यवहार हो। शिक्षक की छवि छात्र/छात्रा के मस्तिष्क में सकारात्मक, गुणवत्तापरक एवं विशिष्ट प्रभावकारी हो। इस हेतु शिक्षक को प्रेरित किया जायेगा जिससे उससे विषय वस्तु के ज्ञान में लगातार वृद्धि हो तथा वह शिक्षण कार्य को और अधिक प्रभावी बना सके। शिक्षक को सामुदायिक सहभागिता हेतु व्यवहार कुशल होना होगा। इसे प्रशिक्षण में जोड़ा जायेगा।
9.	विद्यालय के छात्र संख्या के सापेक्ष अध्यापकों की कमी	ग्राम शिक्षा समिति का सहयोग प्राप्त कर शिक्षण व्यवस्था सुचारु की जायेगी। 40:1 के अनुपात पर अध्यापकों एवं शिक्षा मित्रों की व्यवस्था की जायेगी। पूव मा0 वि0 में विषय अध्यापक की नियुक्ति की जायेगी जहां पर पूर्व मा0वि0 के साथ प्रा0वि0 संचालित हो सकें वहां पूर्व मा0वि0 का ही प्र0अ0 सम्पूर्ण प्रबन्ध तन्त्र का संचालन करेगा। कक्षा 1 से 8 तक का समय विभाजन चक्र होगा। कक्षा 1 से 8 तक के पाठ्यक्रम से भलीभांति परिचित होंगे। इस प्रकार मा0शिक्षा के साथ जुड़ने का प्रयास करेंगे
10.	अध्यापक से अपने विभाग के कार्यों के साथ-साथ अन्य विभाग के कार्यों का निष्पादन कराया जाना	किन्हीं विशेष परिस्थितियों में ही राष्ट्रीय महत्व के कार्य अध्यापकों से कराये जायें। जिससे उनके शैक्षणिक कार्य में व्यवधान न उत्पन्न हो तथा छात्र प्रत्येक दिन विद्यालय में आकर अपने कार्य को उपेक्षित महसूस न करे। अध्यापक को पठन पाठन के लिये पूर्ण उत्तरदायी बनाया जायेगा। बच्चों की प्रगति में अध्यापक की भागीदारी सुनिश्चित की जायेगी। कमजोर छात्रों को विद्यालय अवकाश के बाद शिक्षण की व्यवस्था की जायेगी। एम.एल.एल. को आधार मानकर अध्यापक की सेवा पंजिका में वार्षिक प्रविष्टि की जायेगी तथा प्रतिकूल प्रविष्टि पर वार्षिक वेतन वृद्धि को रोका जायेगा। इस प्रकार अध्यापक की जवाबदेही सुनिश्चित की जायेगी।
11.	विद्यालय का वातावरण आकर्षक होना	बच्चों को समूह में बैठाकर शिक्षण कार्य कराने तथा समूह चर्चा हेतु विद्यालय अनुदान में 6×6 की प्लास्टिक की चटाई आवश्यकता अनुसार क्रय की जायेगी। सहायक शिक्षण सामग्री बच्चों की सहायता से तैयार की जायेगी जो पाठ के अनुरूप होगी इससे करके सीखने की क्षमता का विकास होगा। इसके

		अतिरिक्त विद्यालय प्रांगण में फूलों के पौधों वृक्षारोपण कृषि एवं बागवानी सम्बन्धी कार्य छात्रों से कराये जायेंगे। प्रत्येक कक्षा के लिये खेल कूद का सामाना निर्धारित होगा। बच्चा घर पर न रहकर विद्यालय की ओर उन्मुख होगा। जब बच्चों में यह भावना जागृत होगी तो ड्राआउट की समस्या स्वत: हल हो जायेगी।
12.	गरीबी के कारण छात्रों के पास पाठ्य पुस्तकों का न होना	कक्षा 1 से 8 तक के समस्त छात्रों को पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करायी जानी प्रस्तावित है।
13.	अध्यापकों का छात्रानुपात मानक के अनुरूप न होना	विद्यालय अध्यापकों की कमी अथवा अधिक छात्रों में कम अध्यापकों के कारण पठन पाठन में गुणवत्ता का ह्रास बना रहता है। अत: 40:1 के मानक के अनुसार अध्यापकों की नियुक्ति प्रस्तावित है तथा प्राथमिक स्तर पर कम से कम दो अध्यापक प्रस्तावित हैं। पूर्व मा.वि. में विषय अध्यापकों की कमी के फलस्वरूप गणित, विज्ञान, अंग्रेज़ी एवं संस्कृत/उर्दू की शिक्षा में व्यवधान हो रहा है। बालिकाओं के लिये ग्रह विज्ञान के अध्यापकों का अभाव है। गुणवत्ता में वृद्धि हेतु उपरोक्तानुसार अध्यापकों की व्यवस्था प्रस्तावित है।
14.	अध्यापक का विद्यालय में कम ठहराव	अध्यापक सूचनाओं के संकलन में अधिक समय नष्ट न करें इसके लिए विभागीय सूचनायें विकास खण्ड स्तर पर कम्प्यूटरीकृत की जायेंगी। सूचनाओं के पुष्टीकरण हेतु सम्बन्धित विद्यालयों को उपलब्ध करायी जायेगी। इससे अध्यापकों का बार-बार सूचनायें बनाने एवं उसे पहुँचाने में लगने वाला समय एवं श्रम कम होगा तथा ठहराव बना रहेगा।
15.	अध्यापक की शिक्षण कार्य में अरुचि	अध्यापक की विषय वस्तु आधारित प्रतियोगितायें आयोजित की जायेंगी इससे प्रतिस्पर्धा की भावना का विकास होगा और वह स्वाध्याय की ओर उन्मुख होगा। समय समय पर होने वाले प्रशिक्षण के उपरान्त वस्तुनिष्ठ परीक्षा आयोजित की जायेगी जिसमें 50% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा अन्यथा की स्थिति में दक्षता रोक/वार्षिकक वेतन वृद्धि रोक दी जायेगी।
16.	छात्रों की गणवेशो को उपेक्षित करना	गणवेश के अभाव में विद्यालय परिवेश का अनुकूलन सम्भव नहीं है। साथ ही सामाजिक एकरूपता एवं विशिष्ट छवि का अभाव बना रहता है। प्रतिस्पर्धा में व्यक्तिगत / नर्सरी

		विद्यालयों के छात्रों का वाह्य व्यक्तित्व अधिक मुखर लगने से अभिभावक अनायास ही परिषदीय विद्यालयों से उदासीन हो जाते है अतः स्वच्छ गणवेश छात्र के वाह्य व्यक्तित्व को और अधिक मुखरित करेगी।
17.	अध्यापक अभिभावकों एवं छात्रों में सामंजस्य न होना	अभिभावकों का निरन्तर अध्यापक से सम्पर्क बना रहे इस हेतु त्रैमासिक अभिभावक सम्मेलन कराया जायेगा। जिसमें अधिकतर महिलाओं / विशेष कर अपवंचित/उपेक्षित वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित करायी जायेगी। इस सम्मेलन में कोटि परक शिक्षा पर वल दिया जायेगा तथा उनक विचारों / समस्याओं की जानकारी प्राप्त कर निदान की कार्यवाही की जायेगी। नियमित अभिभावक एवं अध्यापक गोष्ठी की जायेगी जिसमें शिक्षा समिति का विशेष योगदान रहेगा।
18.	सतत् मूल्यांकन का अभाव	कोटि परक शिक्षा के लिये सतत् एवं प्रभावी मूल्यांकन अति महत्वपूर्ण है। मूल्यांकन मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक एवं वार्षिक परीक्षा के रूप में कराया जायेगा। मूल्यांकन के पश्चात कमजोर छात्रों के अभिभावकों से सम्पर्क स्थापित कर निदानात्मक शिक्षण की व्यवस्था छुट्टियों में की जायेगी। प्रतिस्पर्धा को विकसित करने के लिये प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्रों को ग्राम शिक्षा समिति एवं अन्य गणमान्य व्यक्तियों द्वारा पुरस्कृत कराया जायेगा।
19.	शैक्षिक निरीक्षण/ पर्यवेक्षण की कमी	एन.टी.आर.सी. एवं वी.आर.सी. के समन्वयक, प्रति उप.वि. निरीक्षक / स.बे.शि. अधिकारी एवं डायट अभिकर्मी एवं अन्य शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा प्रभावी शिक्षण, निरीक्षण पर्यवेक्षण किया जायेगा। निम्न श्रेणी के विद्यालयों को उच्च श्रेणी में लाने के लिये आवश्यक दिशा निर्देश दिये जायेंगे।
20.	सक्रिय समाज सहभागिता का अभाव	अभिभावकों / ग्रामवासियों में यह सोच विकसित हो कि यह विद्यालय हमारा है विद्यालय में अच्छी पढ़ाई से ही हमारे बच्चों का भविष्य उज्वल होगा और इसी से आने वाले समय में गाँव की प्रगति हो सकेगी इस कार्य में ग्राम शिक्षा समिति का सहयोग लिया जायेगा। ग्राम पंचायतें स्कूलों का सतत् मूल्यांकन करेंगी साथ-साथ पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण करेगी। माइक्रोप्लानिंग एवं गुणवत्तापरक शिक्षा हेतु गाँव के जानकार लोगों की मदद ली जायेगी। विद्यालय परिवेश में सुधार हेतु गणवेश, स्वच्छता, अनुशासन, विद्यालय की

		बागवानी एवं साज सज्जा की सक्रिय सहभागिता ली जायेगी। अध्यापकों के अभाव में गाँव के पढ़े लिखे लोगों की मदद ली जायेगी। उन्हें व्यवस्था देखने हेतु गुणवत्ता के अनुश्रवण हेतु विद्यालय में आमंत्रित किया जायेगा। गरीब बच्चों को गणवेश स्लेट कॉपी पेन्सिल तथा प्रतिभावान बच्चों को पुरस्कार हेतु समुदाय को प्रेरित किया जायेगा।
21.	विशेष आवश्यकता वाले अथवा विकलांग बच्चों के शिक्षण की व्यवस्था	विकलांग बच्चों का सर्वे करा कर बस्ती वार सूचना ली जायेगी। मुख्य विकास अधिकारी के माध्यम से ए.डी.पी.आई. को बच्चों को उपकरण उपलब्ध कराने हेतु प्रस्ताव भेजना सुनिश्चित किया जायेगा। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के प्रति अध्यापक को संवेदनशील बनाने का प्रयास किया जायेगा।
22.	बाल श्रमिक तथा अभिभावकों में शिक्षा के प्रति जागरूकता का अभाव	6-14 वय वर्ग के बच्चों तथा उनके अभिभावकों को शिक्षा के महत्व की जानकारी दे कर शिक्षा के प्रति जागरूक बनाया जावेगा जिससे बच्चा व्यवसाय में न जाकर विद्यालय में प्रवेश ले तथा शिक्षा पूर्ण करे। श्रम विभाग सर्वेक्षण कार्य द्वारा संचालित विद्यालयों के अध्यापकों का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आदि की जानकारी प्राप्त कर उनके प्रोत्साहन हेतु शिक्षा द्वारा आपेक्षित सहयोग श्रम विभाग को उपलब्ध करा कर बच्चों को मुख्य धारा से उनकी योग्यता की परीक्षणोपरान्त जोड़ा जायेगा।

उपरोक्त समस्याओं के अतिरिक्त जनपद की भविष्य में आने वाली शिक्षा सम्बन्धी समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए रणनीति बनायी जायेगी।

अध्याय-6

शिक्षा की पहुँच का विस्तार (1)

1. प्राथमिक स्तर पर नवीन प्राथमिक भवनों की आवश्यकता

जनपद में पूर्व सर्वेक्षण के अनुसार 167 असेवित बस्तियाँ ऐसी चिन्हित की गई थीं, जहाँ पर प्राथमिक विद्यालय की स्थापना राजकीय मानक के अनुसार हो सकती थी। लेकिन संसाधनों के उपलब्ध न होने के कारण असेवित बस्तियों में विद्यालय नहीं खोले जा सके। 1997 से जनपद में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी0पी0ई0पी0-।।) के अन्तर्गत असेवित बस्तियों में प्राथमिक विद्यालय संचालित कर दिये गये हैं। वर्तमान में नवीन प्राथमिक विद्यालय की आवश्यकता नहीं है। वर्तमान में सभी छात्रों की पहुँच प्राथमिक विद्यालयों तक है।

2. उच्च प्राथमिक स्तर पर नवीन विद्यालय

प्रति दो प्राथमिक विद्यालयों पर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की जानी है। उच्च प्राथमिक विद्यालय में एक प्रधानाध्यापक तथा 4 सहायक अध्यापक की नियुक्ति की जायेगी।

	ग्रामीण	नगर
उच्च प्राथमिक विद्यालयों की आवश्यकता	304	1
वर्तमान प्राथमिक विद्यालय	960	42
नवीन प्राथमिक विद्यालय	0	
1:2 के अनुपात के उ0प्र0वि0 की आवश्यक	480	21
वर्तमान में उपलब्ध उ0प्र0वि0	176	9
कुल आवश्यकता	**304**	1 (एक उच्च प्राथमिक विद्यालय की आवश्यकता है)

अत: सर्वशिक्षा अभियान में कुल 305 उच्च प्राथमिक विद्यालय प्रस्तावित है। इन विद्यालयों की स्थापना के पश्चात असेवित बस्तियां स्वत: सेवित हो जायेगी।

शिक्षक की व्यवस्था -

प्रत्येक नवीन प्राथमिक विद्यालय में एक प्रधान अध्यापक तथा एक सहायक अध्यापक की व्यवस्था प्रस्तावित है जो उत्तरोत्तर छात्र संख्या के अनुपात में बढ़ाई जायेगी। प्रत्येक

नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय में एक प्रधान अध्यापक तथा 04 सहायक अध्यापकों सहित कुल 05 अध्यापकों की व्यवस्था प्रस्तावित है। चार अध्यापकों में से एक विज्ञान एवं गणित तथा बालिका शिक्षा को प्रभावित करने हेतु एक महिला शिक्षक की व्यवस्था की जायेगी।

विद्यालय साज-सज्जा -

प्रत्येक नवीन प्राथमिक विद्यालय को सुसज्जित करने के उद्देश्य से मानक के अनुसार निर्धारित धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी, जिसमें टाट पट्टी, श्यामपट, मेज़ कुर्सी, अध्यापकों के लिए अलमारी सन्दूक पंजिकायें, खेल सामग्री, पुस्तकालय हेतु पुस्तकें एवं अन्य सामग्री की व्यवस्था ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से करायी जायेगी।

नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों में काण्ठोपकरण शिक्षण सामग्री, खेल सामग्री, पुस्तकालय हेतु पुस्तकों की व्यवस्था, सामग्री की व्यवस्था ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से करायी जायेगी।

पेयजल शौचालय एवं चहारदीवारी -

नवीन प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में स्वच्छ पीने के पानी की व्यवस्था हेतु इण्डिया मार्का-II हैण्ड पम्प लगाये जायेंगे। प्रत्येक विद्यालय में बालक व बालिकाओं के लिए पृथक-पृथक शौचालय का निर्माण कराया जायेगा, बालिकाओं की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए तथा विद्यालय प्रांगण को सुसज्जित एवं सुरक्षित करने के उद्देश्य से चहारदीवारी का निर्माण कराया जायेगा।

निर्माण कार्यदायी संस्था -

सामुदायिक सहभागिता एवं विद्यालयों के प्रति स्व की भावना को जागृत करने के उद्देश्य से विद्यालय भवनों के निर्माण के उद्देश्य से ग्राम शिक्षा समितियों को दायित्व सौंपा गया है।

नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना लागत में कमी लाने की व्यवस्था

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रति दो प्राथमिक विद्यालयों पर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय की उपलब्धता बनायी गयी है। पूर्व से संचालित प्राथमिक विद्यालय में आवश्यक भूमि, भवन, हैण्डपम्प, शौचालय आदि यथा संभव उपलब्ध हैं। जनपद में नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलने की योजना 1:2 के अनुपात के आधार पर बनायी गयी है। सम्यक विचारोपरान्त यह तय किया गया है कि नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना वर्तमान प्राथमिक विद्यालयों का उच्चीकरण करते हुए प्राथमिक विद्यालय के परिसर में ही की जायेगी, जिससे प्राथमिक विद्यालय में उपलब्ध भूमि, भवन, हैण्डपम्प, शौचालय, चाहरदीवारी आदि भौतिक संसाधनों का अधिकतम उपयोग किया जा सके। फलस्वरुप नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना में हैण्डपम्प, शौचालय आदि मदों पर बचत की जा सकेगी।

शैक्षिक सुविधाओं की आवश्यकता हेतु सर्वेक्षण :

प्रथमतः नवीन प्रथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना राज्य सरकार द्वारा निर्धारित बस्ती की आबादी एवं दूरी के मानक के अनुसार की जायेगी। बस्ती में छात्र-छात्राओं की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुये जनपद में नवीन प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों की आवश्यकता एवं विद्यालयों में भौतिक सुविधाओं के आंकलन हेतु त्वरित सर्वेक्षण प्रतिवर्ष कराया जायेगा जिसके आधार पर आगामी वर्ष के बजट एवं वार्षिक कार्य योजना में नवीन विद्यालयों तथा भौतिक सुविधाओं की स्थापना का प्रस्ताव सम्मिलित किया जायेगा। सर्वेक्षण कार्य के लिये रुपये 2 लाख का वित्तीय प्रावधान प्रतिवर्ष रखा गया है। सर्वेक्षण से प्राप्त आकडों/सूचना का प्रयोग परियोजना के द्वितीय वर्ष से किया जायेगा।

विद्यालय निर्माण कार्य का तकनीकी पर्यवेक्षण

विद्यालय भवन, शौचालय, हैण्डपम्प, चाहरदीवारी आदि निर्माण कार्य ग्राम शिक्षा समिति द्वारा किये जायेंगे। निर्माण कार्यों का तकनीकी पर्यवेक्षण विकासखण्ड पर उपलब्ध ग्रामीण अभियंत्रण सेवा/लघु सिंचाई विभाग के अभियंताओं से कराया जायेगा। इस सम्बन्ध में आवश्यक व्यवस्था का विवरण अध्याय-10 परियोजना क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण में दिया गया है।

अध्याय-7

शिक्षा गारंटी योजना / वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचार शिक्षा

सर्व शिक्षा अभियान में अनौपचारिक शिक्षा के स्वरूप को परिवर्तित करते हुए शिक्षा गारंटी योजना / वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचार शिक्षा को संचालित किया जा रहा है।

अनौपचारिक शिक्षा -

प्राथमिक शिक्षा के सर्वव्यापीकरण करने के लक्ष्य को शत प्रतिशत प्राप्त करने के लिए पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने कुछ विशेष और अतिरिक्त प्रयास भी किये हैं। देश में जनसंख्या की तीव्र वृद्धि के फलस्वरूप देश में प्राथमिक शिक्षा की बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु औपचारिक प्राथमिक शिक्षा के साथ-साथ वर्ष 1979-80 से पूरे देश में अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम भी चलाया गया; इसके अन्तर्गत 6-11 आयु वर्ग के ऐसे बच्चों को जो विद्यालय नहीं जा पाये हैं, या जिनके क्षेत्रों में विद्यालय उपलब्ध नहीं है अथवा जिन्हें किन्हीं कारणोंवश विद्यालय छोड़ देना (ड्राप आउट होना) पड़ा हो, तथा कुछ बाधाओंवश स्कूल न जा सकने वाली बालिकाओं को और कामकाजी बच्चों को औपचारिक शिक्षा के समतुल्य शिक्षा उपलब्ध कराई गई। यह योजना शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े राज्यों में, शहरी मलिन बस्तियों, पर्वतीय जन-जातीय और रेगिस्तानी क्षेत्रों में विशेष रूप से चलायी गई। अनौपचारिक शिक्षा योजना सह शिक्षा वाले अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों हेतु 60:40 तथा बालिकाओं के लिए केन्द्र संचालित करने हेतु 10:10 के अनुपात में केन्द्र और सम्बन्धित राज्य द्वारा प्रदत्त आर्थिक सहायता से चलाई गई। यह योजना वर्तमान समय तक 09 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में संचालित है; जिसके अन्तर्गत पूरे देश में चलाये जा रहे 2 लाख 90 हजार अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों में 72 लाख 50 हजार बच्चे नामांकित हैं। इन केन्द्रों में 1 लाख 18 हजार केन्द्र केवल बालिकाओं के लिए शिक्षा सुलभ करा रहे हैं।

उत्तर प्रदेश में यह कार्यक्रम सभी जनपदों में संचालित किया गया। प्रदेश में कुल 591 परियोजनायें संचालित रही है। प्रत्येक परियोजना में 100 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र प्रति वर्ष संचालित किये गये। अनौपचारिक शिक्षा का पाठ्यक्रम द्विवर्षीय है जिसको पूरा करने के पश्चात् बालक कक्षा-5 की परीक्षा उत्तीर्ण करके कक्षा-6 में प्रवेश लेकर शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़ जाता है। प्रत्येक केन्द्र पर 25 बच्चे नामांकित किये गये। जिनमें बालिकाओं के पंजीकरण पर अधिक बल दिया गया।

जनपद पीलीभीत के सात विकास खण्डों में से विकास खण्ड ललौटीखेड़ा, बरखेड़ा, बीसलपुर तथा बिलसन्डा में वर्ष 88-89 से परियोजनायें संचालित हैं। शेष तीन विकास खण्डों में यह कार्यक्रम संचालित नहीं था। एक स्वैच्छिक संस्था महिला कल्याण समिति ने विकास खण्ड अमरिया और भरौरी में अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र संचालित किये।

उपलब्धि -

प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण की दृष्टि से कार्यक्रम से उपलब्धियाँ हो रही हैं परन्तु संकल्पनाओं आशा आकांक्षा से यह कार्यक्रम संचालित किया गया था उतनी परिलब्धियाँ नहीं रहीं।

विश्लेषण-

प्रति परियोजना 100 केन्द्र संचालित किये गये। प्रत्येक केन्द्र में 25 बच्चे नामांकन का लक्ष्य रखा गया। इस प्रकार एक परियोजना में 2500 छात्रों का नामांकन दो वर्षों के लिए किया गया। कक्षा-5 की परीक्षा में करीब 1000 छात्र सम्मिलित होते हैं उनमें से 800 उत्तीर्ण होते हैं। उनमें से 250 निर्गम प्रमाण-पत्र (T.C.) प्राप्त करते हैं उनमें से 200 बच्चे कक्षा-6 में प्रवेश लेकर शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़ते हैं। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ड्रापआउट बालक को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना है जो कि इतने व्यय के बाद भी संभव नहीं हो सका।

सर्वेक्षण -

सारणी

6-8 वय-वर्ग के विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या (EGS)

क्रम सं.	विकास खण्ड वार	अनुसूचित जाति			पिछड़ी जाति			अल्प संख्यक			अन्य			योग		
		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1.	ललौरीखेड़ा	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2.	अमरिया	583	349	932	722	397	1119	1255	735	1990	217	104	321	2777	1585	4362
3.	पूरनपुर	175	200	375	184	192	376	162	172	234	143	136	279	664	700	1364
4.	भरौरी	570	453	1023	1426	847	2273	192	160	352	108	96	204	2296	1556	3852
5.	बरखेड़ा	415	418	833	1030	1057	2087	160	162	322	81	59	140	1186	1696	2882
6.	बीसलपुर	1137	113	1250	411	340	751	102	85	187	35	29	64	685	567	1252
7.	बिलसज	--	--	--	217	232	449	--	--	--	196	218	414	413	450	863
	योग	2880	1533	4413	3990	3065	7055	1871	1314	3185	780	642	1422	8021	6554	14575

स्रोत - जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय

6-8 वर्ष के स्कूल न जाने वाले बालक-बालिकाओं को शिक्षा गारंटी योजना के अन्तर्गत कक्षा-1 व 2 तक की शिक्षा देकर प्राथमिक विद्यालय में कक्षा-3 में प्रवेश दिलाकर शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जायेगा। ई.जी.एस. केन्द्र का यह स्वरूप औपचारिक विद्यालय की भांति होगा।

प्रथम चरण में 106 ई.जी.एस. केन्द्र खोलने प्रस्तावित हैं। द्वितीय चरण में 133 केन्द्र प्रस्तावित हैं। जिनका विस्तृत विवरण इस अध्याय में अन्यत्र दिया गया है।

सारणी - 2

9-14 वय-वर्ग के विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या

क्रम सं.	विकास खण्ड वार	अनुसूचित जाति			पिछड़ी जाति			अल्प संख्यक			अन्य			योग		
		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1.	ललौरीखेड़ा	4		4	5		5	5	1	6	2		2	16	1	17
2.	अंमरिया	990	875	1865	1225	995	2220	2265	1995	4260	238	125	363	4718	3990	8708
3.	पूरनपुर	201	256	457	178	230	408	156	192	348	113	220	333	648	898	1546
4.	भरौरी	302	271	573	1098	724	1822	164	139	303	228	372	600	1772	1506	3278
5.	बरखेड़ा	135	155	290	525	536	1061	155	159	314	117	119	236	932	969	1901
6.	बीसलपुर	56	79	135	90	127	217	45	63	108	36	49	85	227	318	545
7.	बिलसज	96	209	305	349	209	558	103	308	411	188	217	405	736	943	1679
	योग	**1784**	**1845**	**3629**	**3470**	**2821**	**6291**	**2893**	**2857**	**5750**	**922**	**1102**	**2024**	**9049**	**8625**	**17674**

स्रोत - जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय

जनपद में शैक्षिक संस्थाओं की पर्याप्त व्यवस्था अनौपचारिक शिक्षा, डी.पी. ई.पी. के द्वारा संचालित वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के संचालन के बावजूद 9-14 वय-वर्ग के स्कूल से बाहर बच्चों की पर्याप्त संख्या है। जिनको शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों की पर्याप्त व्यवस्था करनी है।

सारणी - 3

9-14 आयु-वर्ग के विभिन्न वर्गों के स्कूल न जाने वाले बच्चों का विवरण

क्रम सं.	विकास खण्ड वार	बाल श्रमिक	घुमन्तू	कामकाजी	विकलांग	स्ट्रीट चिल्ड्रेन
1.	ललौरीखेड़ा	17	--	17	--	--
2.	अमरिया	--	3120	877	365	--
3.	पूरनपुर	42	1045	408	22	29
4.	भरौरी	--	46	2354	164	694
5.	बरखेड़ा	--	--	435	341	125
6.	बीसलपुर	--	--	--	12	--
7.	बिलसज	--	--	--	--	--
	योग	59	4211	4091	904	848

स्रोत- सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर संकलित।

स्कूल से बाहर बच्चों को वैकल्पिक शिक्षा द्वारा ब्रिज कोर्स करने के लिए श्रेणीवार नियोजन किया जा रहा है।

सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक परिदृष्य जिससे विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र विशिष्ट सामाजिक वर्गों की पहचान हो सके।

जनपद पीलीभीत का क्षेत्र विशेष के हिसाब से उन परिस्थितियों का उल्लेख किया जा रहा है जिनके आधार पर शिक्षा गारंटी योजना एवं वैकल्पिक नवाचार शिक्षा की सुविध प्राथमिकता के आधार पर देने पर विचार किया जा रहा है।

निरीक्षण की प्रभावी व्यवस्था

जनपद की पूरनपुर तहसील क्षेत्रफल और आकार के हिसाब से बहुत बड़ी है। कई बार प्रशासनिक क्षेत्र में यह आवश्यकता महसूस की गई कि इस तहसील को विभाजित करके एक और तहसील बनायी जाय। पूरी तहसील में एक ही विकास खण्ड है। यह माँग भी उठी है कि

इस तहसील में 3 विकास खण्ड और बनाये जायें जैसा कि तहसील बीसलपुर में 3 विकास खण्ड है तथा सदर (पीलीभीत) में भी तीन विकास खण्ड हैं। यह तहसील ब्लाक अन्तर्विषमताओं से भरी हुई है। इसी प्रकार बेसिक शिक्षा की समुचित देखरेख के लिए पूरनपुर विकास खण्ड में तीन प्रति उपविद्यालय निरीक्षक क्षेत्र हुआ करते थे। अब एक ही क्षेत्र बना देने से विद्यालयों की देखरेख में परेशानी होती है।

जनपद पीलीभीत में सदर तहसील तथा बीसलपुर तहसील के बाशिन्दे मूल रूप से कई पीढ़ियों से यहाँ के निवासी हैं जबकि पूरनपुर में सिख, बंगाली, थारू मूल रूप से यहाँ के निवासी नहीं हैं। वे आज़ादी के समय की घटनाओं से पीड़ित होकर यहा बसे हैं। बंगाली समुदाय 1971 के भारत-पाक युद्ध के बाद यहाँ आकर बसे है। जहाँ सिख समुदाय ने परिश्रम के बल पर अपनी अच्छी सामाजिक और आर्थिक स्थिति बना ली है; बंगाली वर्ग उतना समुन्नत नहीं है।

बाढ़ग्रस्तता

EGS/AIE

यद्यपि बड़ा विकास खण्ड होने से पूरनपुर में प्राथमिक विद्यालयों की संख्या तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या है। प्राथमिक स्तर पर अध्यापक तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर अध्यापक कार्यरत हैं। छात्र-शिक्षक अनुपात के हिसाब से अध्यापकों की वर्तमान में आवश्यकता है। विकास खण्ड की समय-समय पर ज्ञात की गई शैक्षिक समस्याओं में यह बात बार-बार आती है कि वर्षा ऋतु में आवागमन बाधित होने से विद्यालय नहीं खुल पाते हैं। एकल विद्यालयों की संख्या की सर्वाधिक पूरनपुर में रही है। बन्द रहने वाले विद्यालयों की भी संख्या पूरनपुर में सर्वाधिक रही है। यह तथ्य भी छिपा हुआ नहीं है कि पूरनपुर में छात्रों के विद्यालय के ठहराव पर ध्यान देने से पूर्व अध्यापकों के ठहराव की समस्या पर ज्यादा ध्यान देना होगा। इस क्षेत्र विशेष में यहीं के अध्यापकों को नियुक्त किया जाना चाहिये। बहुत बड़ी संख्या में शिक्षा मित्रों की भी नियुक्ति की जानी है। शिक्षा गारंटी योजना, वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा केन्द्रों की बड़ी मात्रा में यही आवश्यकता है। इस समस्या के पीछे बड़ा कारण है कि तहसील

स्थानीय अध्यापक की नियुक्ति

अध्यापकों की कारगर स्थानान्तरण नीति

LIBRARY & DOCUMENTATION CENTRE
National Institute of Educational
Planning and Administration.
17-B, Sri Aurobindo Marg,
New Delhi-110016 D-11500
DOC, No ....
Date 07-07-2002

बीसलपुर उसमें खासकर बीसलपुर नगर तथा बीसलपुर ग्रामीण साक्षरता की दृष्टि से पूरे जिले में प्रथम स्थान पर है। शिक्षा के क्षेत्र में यह क्षेत्र पूर्व से ही अग्रगण्य रहा है। इस नगर में तमाम शिक्षण संस्थायें है। 1960 से यहाँ राजकीय दीक्षा विद्यालय रहा है; अब उसके स्थान पर जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान बीसलपुर में ही स्थापित है। यह भी तथ्य ध्यान देने योग्य है कि जनपद में कार्यरत शिक्षकों में आधे से अधिक बीसलपुर के निवासी हैं। पूरनपुर में तैनाती तो ले लेते है बाद में बीसलपुर या पीलीभीत स्थानान्तरण करा लेते हैं। पूरनपुर में उनका ठहराव नहीं हो पाता जिससे शिक्षा व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

EGS/AIE
ब्रिज कोर्स
आवासीय शिविर
बालिका शिक्षा

पूरनपुर विकास खण्ड भौगोलिक विषमताओं का विकास खण्ड है। वर्षा ऋतु में शारदा नदी में बाढ़ आ जाने से विकास खण्ड का पूर्वी भाग जिसमें अधिकांश रूप से सिख और बंगाली निवास करते हैं शेष जनपद से सम्पर्क विच्छेद हो जाता है। वर्षा ऋतु में यदि चंदरिया हजारा, शास्त्री नगर, गाँधी नगर, राणा प्रताप नगर जाना पड़े तो जिला लखीमपुर (मैलानी) होकर जाना पड़ता है। शारदा नदी बाढ़ के समय प्रतिवर्ष अपना रास्ता बदलती है जिससे हजारों एकड़ कृषि योग्य भूमि, कई गाँव, शिक्षण संस्थायें तक बाढ़ में बह जाते हैं। उन स्थान विशेष का जमीन सम्बन्धी रिकार्ड रखने में राजस्व विभाग को बहुत परेशानी होती है क्योंकि भूभाग का नक्शा बदल जाता है।

इस समस्या का कोई स्थायी समाधान नहीं ढूँढा गया है। इस क्षेत्र विशेष में औपचारिक वैकल्पिक शिक्षा की पुख्ता व्यवस्था करने की आवश्यकता है।

बंगाली कालोनियों में बालिका शिक्षा

कार्यानुभव आधारित प्रशिक्षण

जनपद के गमिया सहराई, रमनगरा (वि.ख. पूरनपुर) आदि कई प्रमुख बंगाली आबादी के गाँव हैं। जो शारदा सागर बाँध से लगे हुए हैं। वर्षा ऋतु में यहाँ भी पानी भर जाता है जिससे शिक्षा की समस्या पैदा होती है। पानी का लेवल इतना ऊँचा है कि इन स्थान विशेष पर हैण्ड पम्प गाड़ देने मात्र से पानी आ जाता है। एक बार हैण्ड

पम्प चला दिया तो पानी स्वतः वहता रहता है। यहाँ के निवासी शौचालय के लिए गड्ढा नहीं खोद पाते क्योंकि पानी ऊपर निकल आता है।

जनपद का पूरनपुर क्षेत्र अधिकांश रूप से वनाच्छादित है। प्राकृतिक सुषमा, सुरम्य वन क्षेत्र, प्राकृतिक झीलें, पुरातात्विक किले बाँध, शारदा सागर, वाइफरकेशन (बाँध) देखने योग्य है।

वनगाँवों की शिक्षा

वन क्षेत्र के अन्तर्गत मफोफ, माला तथ वाराही रेंज हैं। जो कई वर्ग मि.मी. फैले है। प्रचुर मात्रा में वन्य पशु वनौषधियाँ यहाँ मिलती हैं। कुछ लोग वनों के बीच-बीच में बस गये है; जिन्हें वनगाँव कहते है। जनपद में 07 आबाद वनगाँव चिन्हित किये हैं। मफोफ वन रेंज में लग्गावग्गा एक ऐसा ही बहुत बड़ा गाँव है हालाँकि यह गाँव उत्तरांचल के उधम सिंह नगर में आता है परन्तु मफोफ वन रेंज पीलीभीत की है।

जनजाति बालिका शिक्षा

जंगली इलाकों के पास थारू जन-जाति रहती है। पूरनपुर में बूदी बोझ (बन्दर बोझ) इस जन-जाति का प्रमुख गाँव है। गाँव में साक्षरता कार्यक्रम चलाया गया था। इस गाँव में लोगों ने उत्साह से भाग लिया। विकास कार्यक्रमों को अपनाने की इनकी स्वाभाविक प्रकृति है। सामाजिक हिसाव से थारू जनजाति के परिवार मातृ सत्तात्मक (घर में माँ घर की मुखिया होती है) अतः इन पाकेट्स में बालिकाओं की शिक्षा की बहुत आवश्यकता है ताकि इस सामाजिक संरचना का लाभ आने वाली पीढ़ियों को मिल सके। शत प्रतिशत बालिका शिक्षा का लक्ष्य प्राप्त हो सके।

बंगाली समुदाय के लोग किसी न किसी उद्योग से जुड़े है- चटाई वनाना, दोने, पत्तल बनाना, दरी वनाना आदि कार्य यह लोग प्रमुखता से करते है। शिक्षा की दृष्टि से यह अंकित करना उचित तो नहीं है परन्तु बीड़ी उद्योग में यह समुदाय अग्रगण्य है। बंगाली समुदाय में बालिकाओं की शिक्षा पर विशेष कार्य किये जाने की आवश्यकता है बंगाली लोग लड़कियों को विद्यालय नहीं भेजते हैं। भेजते भी है तो

इन बालिकाओं का विद्यालय में ठहराव नहीं हो पाता।

बंगाली परिवार पूरनपुर के अलावा विकास खण्ड भरौरी व अमरिया में बड़ी संख्या में निवास करते हैं।

सर्व शिक्षा अभियान में विकास खण्ड पूरनपुर को प्राथमिकता दी गई है।

EGS स्वल्प
AIE 2 केन्द्र
बालिका शिक्षा

विकास खण्ड अमरिया सदर तहसील (पीलीभीत) के अन्तर्गत आता है। यह जनपद मुख्यालय से 24 कि.मी. दूर पीलीभीत सितारागंज रोड पर स्थित है। विकास खण्ड में स्थानीय निवासियों के अलावा बड़ी संख्या में बंगाली कालोनियाँ हैं। विकास खण्ड में मुस्लिम आबादी अन्य विकास खण्डों की तुलना में अधिक है। शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ विकास खण्ड है। यह बड़ी विडम्बना है कि इस विकास खण्ड में भी पीलीभीत शहर तथा बीसलपुर क्षेत्र के अध्यापक बड़ी संख्या में कार्यरत हैं। अध्यापकों का विकास खण्ड में ठहराव नहीं है। अत: स्थानीय अध्यापकों की नियुक्ति पर बल दिया जाना आवश्यक है।

आर्थिक रूप से यह विकास खण्ड समृद्ध है यहाँ कोई प्राकृतिक विषमता अन्तर्विषमता की स्थिति नहीं है। एक सफल शैक्षिक नियोजन के द्वारा यहाँ सर्व शिक्षा अभियान में आशातीत सफलता मिल सकती है। शिक्षा के क्षेत्र में इस विकास खण्ड में दो स्वयं सेवी संस्थायें महिला कल्याण समिति - पीलीभीत, सेन्ट पैट्रिक स्कूल पोलीगंज की समिति तरह-तरह के शैक्षिक कार्य सम्पादित करते आये हैं। सेन्ट पैट्रिक स्कूल पोलीगंज (उधम सिंह नगर) की समिति शिक्षा के साथ-साथ स्वास्थ्य, कुटीर उद्योग, व अन्य तमाम कार्यक्रमों का संचालन कर रही है। समिति का एक माना जाना चिकित्सालय भी है। जिससे क्षेत्र की जनता को तमाम सुविधायें हैं।

इस विकास खण्ड में मुस्लिम तथा बंगाली समुदाय के लिए कारगर शैक्षिक संसाधनों की आवश्यकता है। बालिका शिक्षा पर बल देने की आवश्यकता है।

बाल श्रमिक
स्ट्रीट चिल्ड्रन

विकास खण्ड बीसलपुर (तहसील बीसलपुर) का प्रमुख विकास खण्ड है जो कई दृष्टियों से जनपद में अग्रगण्य है। साक्षरता दर सर्वाधिक है। शिक्षा की व्यवस्था समुन्नत है। हर प्रकार की बेसिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा की संस्थायें है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान भी यहीं स्थित है। बीसलपुर के ही अध्यापक पूरे जनपद में कार्यरत हैं।

कृषि समुन्नत है। चीनी उद्योग प्रमुख है। व्यापार के क्षेत्र में विकास खण्ड जनपद में अग्रगण्य है!

मुस्लिम आबादी वाले क्षेत्रों में बालिकाओं की शिक्षा पर बल देने की आवश्यकता है।

नगर क्षेत्र बीसलपुर जनपद की सांस्कृतिक नगरी है। बीसलपुर में श्रीकृष्ण रामलीला कमेटी एक प्रमुख सांस्कृतिक कमेटी है। जिसने 200 वर्षों से शहर में काव्य, गीत, नाटक आदि क्षेत्रों में कार्य करके ख्याति प्राप्त की है। राधारानी ड्रामेटिक क्लब भारत भर में विख्यात रहा है। श्रीमती राधारानी ने फिल्मों में काम किया है। उनके नाम से नौटंकी टीम बहुत प्रसिद्ध है। कई अग्रगण्य स्वयं सेवी संस्थायें, समाज को समर्पित व्यक्ति यहाँ उपलब्ध है। नगर में हर प्रकार की शिक्षण संस्थायें उपलब्ध हैं। प्रमुख व्यापारिक नगर है। यहाँ का रामलीला नाटक मंचन बहुत प्रसिद्ध है।

बाल श्रमिक
EGS/AIE
औद्योगिक विकास
खण्ड है।

विकास खण्ड बिलसण्डा (तहसील बीसलपुर) एक प्रमुख विकास खण्ड है। कृषि प्रधान विकास खण्ड है। ऐतिहासिक दृष्टि से राजा मोरध्वज का महल (ग्राम भरौरी में) देवलक ऋषि का आश्रम (दियोरिया कला गांव के पास) लिलहर महादेव का मन्दिर बहुत प्रसिद्ध है। पसगवां नामक गांव में प्राकृतिक पक्षी विहार है जहाँ साइबेरियन पक्षी आते है। शिक्षा की दृष्टि से बीसलपुर के बाद द्वितीय स्थान है। अध्यापक स्थानीय है। अध्यापक उपस्थिति विद्यालयों में बनी रहती है। कोई ऐसा पाकेट इस विकास खण्ड में नहीं है जहाँ कोई विशेष समस्या हो। डा. फतेहसिंह बिलसन्डा के भदेग कंजा गांव के निवासी हैं जो देश के जाने माने (डी.लिट.) संस्कृत विद्वान हैं।

विकास खण्ड - बरखेड़ा -

विकास खण्ड बरखेड़ा (बीसलपुर तहसील) पीलीभीत से 18 कि.मी. दूर पीलीभीत बीसलपुर मार्ग पर स्थित है। प्राकृतिक हिसाब से या सामाजिक हिसाब से कोई समस्या नहीं है। प्राथमिक विद्यालय प्राय: सभी बस्तियों में संचालित है।

क़ोई आवश्यकता नहीं सब ठीक है।

विकास खण्ड मरौरी- सदर (पीलीभीत) तहसील का विकास खण्ड है। विकास खण्ड कार्यालय जनपद मुख्यालय में स्थित है। अधिकांश गांव जनपद मुख्यालय के पास है। साक्षरता दर में यह विकास खण्ड पिछड़ा हुआ है तथापि प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बालक बालिकाओं का शत प्रतिशत नामांकन ठहराव, शिक्षकों की व्यवस्था, उनकी विद्यालय में उपस्थिति के हिसाब से इस विकास खण्ड को आदर्श बनाया जा सकता है। पूर्व के अनुभवों के आधार पर भी यह कहा जा सकता है कि शिक्षा के सभी आयामों में विकास खण्ड प्रथम रहता है।

कोई ऐसी अन्तर्विषमता, भौगोलिक समस्या, इस विकास खण्ड में नहीं है।

EGS
बालिका शिक्षा

विकास खण्ड ललौटीखेड़ा का कार्यालय (सदर तहसील) पीलीभीत-बरेली मार्ग पर, पीलीभीत शहर से 8 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। अधिकांश गांव भी इसी मार्ग के आसपास हैं। विकास खण्ड शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। अध्यापक स्थानीय है। विद्यालयों में उपस्थिति अच्छी रहती है। बालिकाओं का नामांकन दर इस विकास खण्ड में कम है। बालिका शिक्षा सम्बन्ध गतिविधियाँ इस विकास खण्ड में प्राथमिकता के आधार पर संचालित की जायेंगी।

बाल श्रमिक

नगर क्षेत्र पीलीभीत- पीलीभीत नगर प्राचीन है। यह नगर बरेली मंडल का एक व्यापारिक नगर है। यहाँ पर कई राइस मिल्स, एक चीनी मिल है। यहाँ का बांसुरी उद्योग बहुत प्रसिद्ध है। दिल्ली की जामा मस्जिद की नकल पर यहाँ पर भी जामा मस्जिद बनी है जो कि कलात्मकता के हिसाब से बेजोड़ है। यहाँ का गौरीशंकर मन्दिर अति प्राचीन है।

शिक्षण संस्थाओं के अन्तर्गत दो महाविद्यालय, एक आयुर्वेदिक कॉलेज, पॉलीटेक्नीक, आई.टी.आई. हैं। माध्यमिक शिक्षण संस्थाओं के अन्तर्गत 6 इण्टर कॉलेज हैं। इसके अलावा केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अन्तर्गत 4 विद्यालय इण्टर स्तर तक के हैं। सैनिक स्कूल स्वीकृत है। नवोदय विद्यालय विगत 2 वर्षों से चल रहा है।

शिक्षा गारंटी योजना (EGS):-

इस योजना के अन्तर्गत 6-8 वय वर्ग में पंजीकृत कराया जायेगा। ऐसे ग्राम/बस्ती/मजरे/टोले/मुहल्ले जो विद्यालय से 1 कि.मी. की परिधि के बाहर हैं तथा 6-8 वय वर्ग के 30 बच्चे उपलब्ध हों। वहाँ पर इस प्रकार के केन्द्रों की स्थापना की जायेगी। इन केन्द्रों में कक्षा 01 से कक्षा 02 तक की पढ़ाई होगी।

इन केन्द्रों का संचालन "सर्वशिक्षा अभियान" के अन्दर चिन्हित "स्टेट सोसाइटी" उ.प्र. सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद निशातगंज लखनऊ द्वारा किया जायेगा। इन केन्द्रों पर 01 अनुदेश प्रति केन्द्र प्रस्तावित है।

वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा (AIE) कार्यक्रम :-

ड्राप आउट होने के फलस्वरूप तथा अधिक आयु हों जाने के कारण झेंप/मनोवैज्ञानिक दबाव के कारण प्राथमिक शिक्षा से वंचित बच्चे विशेषकर कामकाजी तथा बालश्रमिक एवं नवाचार शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा केन्द्रों की स्थापना की जायेगी। जिन ग्राम/बस्ती/मजरे/टोले/मुहल्ले में 15 बालक/बालिका शिक्षा की मुख्य धारा से वंचित होंगे वहीं पर ए.आई.ई. केन्द्रों की स्थापना की जायेगी। ये केन्द्र प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक दोनों स्तरों पर चलाये जायेंगे। प्राथमिक स्तर के केन्द्र में 01 अनुदेशक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर 02 अनुदेशकों की व्यवस्था प्रस्तावित है।

माइक्रो प्लानिंग के आधार पर नियोजन की प्राथमिकता -

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र।

ऐसे क्षेत्र जहाँ बालिकाओं के नामांकन का प्रतिशत कम हो।

ऐसे क्षेत्र जहाँ ड्राप आउट के कारण विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या अधिक हो।

ऐसे क्षेत्र जहाँ स्ट्रीट चिल्ड्रन, बाल श्रमिक, घुमन्तू एवं खतरनाक/गैर खतरनाक उद्योगों में संलग्न बच्चों की संख्या अधिक हो।

शिक्षा गारंटी केन्द्र (ई.जी.एस.), वैकल्पिक एवं नवाचार केन्द्रों का स्वरूप -

इपरोक्त असेवित बस्तियाँ एवं शालात्यागी छात्र/छात्राओं के लिए शिक्षा गारंटी केन्द्र, वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा केन्द्र चरणबद्ध रूप से खोले जाने प्रस्तावित हैं।

शिक्षा गारंटी योजना तथा वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा केन्द्रों का संचालन समय-वशेष परिस्थितियों को छोड़कर केन्द्रों के संचालन का समय देर शाम एवं रात्रि में नहीं रखा जायेगा। ये केन्द्र प्रतिदिन 04 घंटे संचालित किये जायेंगे।

अनुदेशक चयन -

अनुदेशक यथासम्भव उसी स्थान एवं समुदाय का होगा जहाँ पर शिक्षा गारंटी केन्द्र/वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र स्थापित किया जाना है। उसी ग्राम का अर्ह व्यक्ति न मिलने पर बिल्कुल निकट के गांव का व्यक्ति आवेदन कर सकता है।

अनुदेशक की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल होगी। इस हेतु महिलाओं को प्राथमिकता दी जायेगी। अनुदेशक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होगी। अनुदेशक का चयन ग्राम शिक्षा समिति द्वारा आवेदन प्राप्त करके हाईस्कूल परीक्षा के अंकों के प्रतिशत को ध्यान में रखते हुए वरिष्ठता के आधार पर किया जायेगा। तत्पश्चात् अनुदेशक को आमन्त्रण पत्र आदेश ग्राम शिक्षा समिति द्वारा निर्गत किया जायेगा। किसी अनुदेशक का कार्य संतोषजनक न होने की स्थिति में ग्राम शिक्षा समिति की 2/3 बहुमत से प्रस्ताव करके अनुदेशक को हटाया जा सकता है। ग्राम शिक्षा समिति द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम होगा।

नगर क्षेत्र में खोले जाने वाले वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों में अनुदेशक का चयन, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, विशेषज्ञ बेसिक शिक्षा अधिकारी, शिक्षा अधीक्षक नगर क्षेत्र. सभासद सम्बन्धित वार्ड, नगर क्षेत्र का वरिष्ठतम प्रधानाध्यापक/शिक्षक की संयुक्त समिति द्वारा किया जायेगा।

आवश्यकतानुसार मकतब/मदरसों में शिक्षण कार्य करने वाले मौलवी अथवा हाफिज द्वारा अनुदेशक हेतु शैक्षिक अर्हता रखने वाले तथा शिक्षण कार्य करने के इच्छुक होने की

स्थिति में मकतबों/मदरसों में संचालित होने वाले केन्द्रों को प्राथमिकता दी जायेगी अन्यथा सम्बन्धित मकतब की प्रबन्ध समिति द्वारा अर्ह व्यक्ति जिसकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष से कम न हो को मकतबों में संचालित होने वाले केन्द्रों में अनुदेशक के रूप में चयनित कर शिक्षण कार्य हेतु आमन्त्रित किया जायेगा।

ग्राम शिक्षा समितियों को यह प्रचारित करना होगा कि स्थानीय जनसमुदाय के अनुदेशक की आवश्यकता एवं उसके चयन के सम्बन्ध में जानकारी हो गयी है। ग्राम शिक्षा समिति सम्बन्धित अनुदेशक हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों का विश्लेषण कर उपयुक्त व्यक्तियों की सूची बनायी जायेगी। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार को भी यदि आवश्यक हुआ तो सम्मिलित किया जायेगा।

उच्च प्राथमिक स्तर के केन्द्रों के लिए अनुदेशक की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता स्नातक तथा न्यूनतम आयु 21 वर्ष की होगी। जहाँ पर स्नातक अभ्यर्थी उपलब्ध न हो वहाँ पर इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण महिला अभ्यर्थी का चयन किया जा सकता है।

अनुदेशक के चयन के सम्बन्ध में अनुदेशक एवं ग्राम शिक्षा समिति के मध्य एक संविदा प्रपत्र भरा जायेगा जो निर्धारित प्रारूप पर एनेक्सर के साथ संलग्न किया जायेगा।

अनुदेशक का प्रशिक्षण -

अनुदेशकों का तीस दिवसीय प्रशिक्षण जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान अथवा ब्लाक रिसोर्स सेन्टर पर आयोजित किया जायेगा। प्रत्येक चयनित अनुदेशक का एक माह का प्रशिक्षण जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान द्वारा डायट के प्रवक्ताओं, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/एस.डी.आई./ब्लाक प्रोग्राम आफीसर/ब्लाक रिसोर्स पर्सन तथा योग्य अध्यापक, सन्दर्भ व्यक्तियों के माध्यम से कराया जायेगा। प्रशिक्षण हेतु जिला स्तरीय समिति द्वारा रु.1500/- प्रति अनुदेशक की दर से धनराशि जिला शिक्षा और प्रशिक्षण को उपलब्ध कराया जायेगा। प्रशिक्षण अवधि में अनुदेशक को मानदेय के रूप में कोई धनराशि देय नहीं होगी।

अनुदेशक मानदेय वितरण -

वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के प्रारम्भ होने पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा अनुदेशक के मानदेय की धनराशि रु.1000/- प्रति अनुदेशक की दर से सम्बन्धित ग्राम शिक्षा समिति के संयुक्त खाते में स्थानान्तरित कर दी जायेगी। जिसे अध्यक्ष एवं सचिव ग्राम शिक्षा समिति द्वारा अनुदेशक को चेक के माध्यम से माह के प्रथम सप्ताह में अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दिया जायेगा। मानदेय की एक बार में छः माह की अग्रिम धनराशि ग्राम शिक्षा समिति के खातों में स्थानान्तरित कर दी जायेगी।

नगर क्षेत्र में संचालित वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के अनुदेशकों के मानदेय का भुगतान शिक्षा अधीक्षक नगर/प्रोग्राम आफीसर/प्रोग्राम पर्सन एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से अनुदेशक के संतोषजनक कार्य किये जाने पर किया जायेगा। इस प्रकार की धनराशि कार्यक्रम से सम्बन्धित अधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी। यह धनराशि नगर क्षेत्र के सम्बन्धित सभासद/प्रधानाध्यापक के संयुक्त खाते में स्थानान्तरित की जायेगी। तत्पश्चात् चेक द्वारा अनुदेशक को भुगतान किया जायेगा।

पर्यवेक्षण -

शिक्षा गारंटी एवं वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के सफल संचालन हेतु अकादमिक सहयोग एवं नियमित पर्यवेक्षण का कार्य सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/एस.डी.आई./ब्लाक रिसोर्स पर्सन/ब्लाक रिसोर्स सेक्टर/न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों के प्रभारियों द्वारा किया जायेगा। नगर क्षेत्र में यह कार्य शिक्षा अधीक्षक/नगर प्रोग्राम आफीसर/नगर रिसोर्स पर्सन/सहायक शिक्षा अधीक्षक/जनपद नगरीय अधिकारियों द्वारा किया जायेगा। न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र प्रभारी/बी.आर.सी. प्रभारी द्वारा अनुदेशकों की वार्षिक बैठकें भी ली जायेंगी। जिसमें ब्लाक आफीसर/रिसोर्स पर्सन/स.वे.शि. अधिकारी/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/उप बेसिक शिक्षा अधिकारी भी समय-समय पर इन बैठकों में अनुश्रवण करेंगे। निकटस्थ प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों एवं अध्यापकों का भी यह कर्तव्य होगा कि वे लगातार इन केन्द्रों का पर्यवेक्षण करते रहेंगे न केवल ग्राम शिक्षा समिति अपितु विकास खण्ड स्तरीय समिति के पदाधिकारियों को अपनी आख्याओं से अवगत कराते रहेंगे।

ग्राम शिक्षा समिति भी नियमित रूप से इन केन्द्रों के संचालन पर नजर रखेगी और समय-समय पर अपने सुझाव अनुदेशक/अनुदेशिका को देगी। डायट में डी.आर.यू. प्रभारी

एवं उनके अधीनस्थ सभी अभिकर्मी भी इन केन्द्रों का नियमित पर्यवेक्षण करेंगे। पर्यवेक्षण का कार्य उपरोक्त सभी अधिकारियों द्वारा एक रोस्टर प्रणाली के द्वारा किया जायेगा ताकि सार्वभौमिक पर्यवेक्षण सुनिश्चित हो सके।

नि:शुल्क शिक्षण सामग्री

प्रत्येक शिक्षा केन्द्र को साज-सज्जा एवं शिक्षण सामग्री हेतु आवश्यक धनराशि जिला ,बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा ग्राम शिक्षा समिति के खाते में सीधे स्थानान्तरित की जायेगी। ग्राम शिक्षा समिति निर्धारित सामग्री बाज़ार मूल्य पर नियमानुसार क्रय करके सीधे केन्द्र अनुदेशकों को उपलब्ध करायी जायेगी। शिक्षा केन्द्रों पर नामांकित सभी बच्चों को नि:शुल्क पाठ्य पुस्तकें भी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/ग्राम शिक्षा समिति द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी तथा इस धनराशि का समायोजन शिक्षण सामग्री मद (रु.845/- प्राथमिक तथा रु.1200/- उच्च प्राथमिक) से किया जायेगा। शिक्षण सामग्री मद का 5 प्रतिशत राज्य/जनपदीय प्रबन्धन हेतु क्रय किया जायेगा।

शिक्षा गारंटी/वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों में राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित औपचारिक शिक्षा की पाठ्य पुस्तकें ही सम्प्रति उपयोग में लाई जायेंगी।

छात्र-छात्राओं का मूल्यांकन

अनुदेशक द्वारा वैकल्पिक एवं शिक्षा गारंटी केन्द्रों में पढ़ने वाले वच्चों का सतत् एवं नियमित मूल्यांकन किया जायेगा। इसके लिए अनुदेशक द्वारा दैनिक डायरी तैयार की जायेगी। बच्चों का तिमाही, छमाही तथा वार्षिक मूल्यांकन मौखिक तथा लिखित परीक्षा के आधार पर किया जायेगा तथा यह प्रयास किया जायेगा कि वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों में पढ़ने वाला प्रत्येक बच्चा शीघ्र औपचारिक विद्यालय की मुख्य धारा की उपयुक्त कक्षा में जिसके लिए वह योग्य हो, किसी भी समय प्रवेश पा जाये। अनुदेशक का यह दायित्व होगा कि उनके केन्द्र पर पढ़ने वाले बच्चे शीघ्र अति शीघ्र एवं अधिक से अधिक संख्या में शिक्षा की मुख्य धारा की उपयुक्त कक्षा में प्रवेश पाते रहें। इसी परिप्रेक्ष्य में अनुदेशक का मूल्यांकन भी ग्राम शिक्षा समिति/विकास खण्ड स्तरीय समिति तथा जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जायेगा। अनुदेशकों द्वारा बच्चों के अध्ययनरत अवधि में उनके व्यावहारिक स्तर में आये सुधार से अभिभावकों एवं ग्राम शिक्षा समिति को लगातार अवगत कराया जायेगा।

केन्द्रों में अध्ययनरत बच्चे जो कक्षा-5 हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम पूर्ण कर लेंगे, उनकी वार्षिक परीक्षा बेसिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश द्वारा निर्धारित परीक्षा प्रणाली के आधार पर निकट के प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा करायी जायेगी।

प्रबन्धन लागत :

उक्त केन्द्रों की अधिकतम लागत में 5 प्रतिशत राज्य एवं जिला/विकास खण्ड स्तर पर प्रशासनिक/प्रबन्धन पर होने वाला व्यय भी सम्मिलित है।

विकास खण्ड स्तर पर प्रबन्धन की अधिकतम लागत निम्नवत रखी जायेगी।

80-100 केन्द्रों के मध्य	:	2.50 लाख रु. प्रति वर्ष
50-80 केन्द्रों के मध्य	:	2.00 लाख रु. प्रति वर्ष
25-50 केन्द्रों के मध्य	:	1.5 लाख रु. प्रति वर्ष
25 केन्द्रों से कम	:	रु. 100.00 प्रति छात्र/छात्रा प्रति वर्ष

ब्रिज कोर्स ग्रीष्म कालीन/क्षेत्र आधारित कोर्स :

ब्रिज कोर्स / ग्रीष्म कालीन / क्षेत्र आधारित शिविर :- सड़क/प्लेटफार्म, मलिन बस्तियों, दुकानों, घुमन्तू बच्चों, नौकरी पेशा, कुलीगिरी करने वाले बच्चों तथा ऐसे बच्चों जिनके अभिभावक जेल में हैं अथवा बाल श्रमिकों/खतरे के उद्योगों में लगे बच्चे जिनका वय वर्ग 9-14 है, के ब्रिज कोर्स/ग्रीष्म कालीन/क्षेत्र विशिष्ट आधारित शिविर संचालित किये जायेंगे। ब्लाक पूरनपुर-मरौरी के मध्य एक ब्रिज कोर्स खोला जाना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त शारदापार (पूरनपुर) क्षेत्र में भी एक ब्रिज कोर्स खोला जाना प्रस्तावित है।

इन ब्रिज कोर्स/ग्रीष्म कालीन/क्षेत्र विशिष्ट आधारित शिविरों का मुख्य उद्देश्य औपचारिक विद्यालयों से वंचित रहे इन बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जायेगा।

प्रत्येक ब्रिज कोर्स/ग्रीष्म कालीन/क्षेत्र विशिष्ट आधारित शिविरों में 9 से 14 वर्ष तक के न्यूनतम 50 बच्चे सम्मिलित किये जायेंगे तथा ये शिविर आवासीय होंगे। इन शिविरों में बच्चों के रहने, खाने पीने एवं शिक्षण आदि की व्यवस्था नि:शुल्क होगी।

निर्धारित मानकों के अन्तर्गत ब्रिज कोर्स/शिविरों के लिए एक (01) केयर टेकर, दो (02) पैरा टीचर, एक (01) कुक (रसोइया) तथा एक चौकीदार की आवश्यकता होगी और इस पर चयन मानक प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा। जिसके लिए जिला स्तरीय समिति के

माध्यम से अल्पकालीन अवधि हेतु संविदा के अन्तर्गत व्यवस्था की जायेगी। केयर टेकर/अनुदेशकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था, छात्र/छात्राओं के लिए नि:शुल्क शिक्षण सामग्री आदि के लिए वित्तीय मानक प्राइमरी एवं अपर प्राइमरी की भांति रखी जायेगी। केवल आवासीय व्यवस्था, खाने पीने की नि:शुल्क व्यवस्था एवं साज-सज्जा आदि के लिए अतिरिक्त धन की व्यवस्था की जायेगी। अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था में ग्राम पंचायत /ग्राम शिक्षा समिति/जन समुदाय का सहयोग/कुछ अंशदान प्राप्त करने का प्रयास किया जायेगा। ब्रिज कोर्स खोलने हेतु उस क्षेत्र को प्राथमिकता दी जायेगी जहाँ पर नि:शुल्क आवास व्यवस्था उपलब्ध हो सके यह भी ध्यान रखा जायेगा कि ब्रिज कोर्स विकास खण्ड/जनपद मुख्यालय में स्थापित हो।

ब्रिज कोर्स का संचालन ग्रामीण/नगर क्षेत्र के मुख्यालयों में किया जायेगा। आवासीय व्यवस्था यदि नि:शुल्क प्राप्त हो जाय तो उस क्षेत्र/स्थान को प्राथमिकता दी जायेगी।

ब्रिज कोर्स/शिविरों की अवधि 4 माह से 18 माह तक रखी जायेगी। इस हेतु रु.3,000/- प्रति छात्र/छात्रा अनुमन्य होगी और इसी मानक धनराशि से सम्पूर्ण व्यवस्था की जायेगी।

जिला प्राथमिक शिक्षा सलाहकार समिति का गठन -

जिला स्तर पर जिला प्राथमिक शिक्षा सलाहकार समिति का गठन किया जायेगा जो कालान्तर में सर्व शिक्षा अभियान को संचालित करने वाली समिति भी कही जायेगी। जिला प्राथमिक शिक्षा सलाहकार समिति का गठन जिलाधिकारी की अध्यक्षता में किया जायेगा जिसमें निम्न सदस्य होंगे -

1.	जिलाधिकारी	:	अध्यक्ष
2.	मुख्य विकास अधिकारी	:	उपाध्यक्ष
3.	विशेषज्ञ बे.शि.अ./जि.बे.शि.अ.	:	सदस्य सचिव
4.	डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम आफिसर (ई.जी.एस.)	:	सदस्य
5.	प्राचार्य जिला एवं प्रशिक्षण संस्थान	:	सदस्य
6.	जिला स्तरीय श्रम विभाग का अधिकारी	:	सदस्य
7.	जिला पंचायत राज अधिकारी	:	सदस्य
8.	वित्त एवं लेखाधिकारी (कार्यालय बे.शि.अ.)	:	सदस्य
9.	स्वैच्छिक संगठनों के दो प्रतिनिधि	:	सदस्य

(स्वैच्छिक संगठनों के प्रतिनिधियों का नामांकन जिलाधिकारी द्वारा किया जायेगा)

जनपद में योजना के अन्तर्गत प्रस्तावों को तैयार करने एवं कार्यक्रम के संचालन का पूर्ण उत्तरदायित्व उक्त समिति का होगा।

ग्राम शिक्षा समितियों की भूमिका -

प्रस्तावित शिक्षा गारंटी/वैकल्पिक शिक्षा योजना (E.G.S./A.I.E.) के लिए ग्राम शिक्षा समिति के निम्नलिखित कर्त्तव्य एवं दायित्व प्रस्तावित हैं।

6-14 वय वर्ग के विद्यालय न जाने वाले बच्चों की माइक्रोप्लानिंग के आधार पर सर्वेक्षण कर उन्हें चिन्हित करना।

* कार्यक्रमों के संचालन हेतु वातावरण सृजित करना।
* अनुदेशकों का चयन करना।
* केन्द्रों का समय निर्धारित करना।
* केन्द्रों की साज-सज्जा हेतु शिक्षण सामग्री का बाज़ार मूल्यों पर नियमानुसार क्रय कर केन्द्रों का संचालन हेतु अनुदेशकों को उपलब्ध कराना।
* अनुदेशकों को प्रशिक्षणोपरान्त ही केन्द्र का दायित्व सौंपना।
* अनुदेशकों की उपस्थिति, बच्चों की उपस्थिति एवं केन्द्र का प्रबन्धन एवं प्रतिदिन निरीक्षण करना।
* केन्द्रों में पढ़ने वाले बच्चों को औपचारिक विद्यालयों में प्रवेश कराने के लिए लगातार प्रोत्साहित करना।
* नियमित रूप से अनुदेश के मानदेय का भुगतान करना।

विकास खण्ड स्तरीय समिति की भूमिका -

कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए विकासखण्ड स्तर पर समिति की निम्न भूमिका प्रस्तावित है।

ग्राम शिक्षा समिति से प्राप्त प्रस्तावों को संकलित करना।

ग्रामीण क्षेत्रों की माइक्रोप्लानिंग कराना, समीक्षा करना तथा प्रस्तावों को तैयार करना।

कलस्टर रिसोर्स पर्सन/न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र समन्वयक की सहायता से केन्द्रों/शिविरों का भ्रमण एवं पर्याप्त पर्यवेक्षण/अनुक्षण की व्यवस्था करना।

जनपद एवं विकास खण्ड स्तर पर उपलब्ध सन्दर्भदाताओं की सहायता से प्रशिक्षण केन्द्र आयोजित कराना।

जिला प्राथमिक शिक्षा सलाहकार समिति के प्रमुख कर्तव्य एवं दायित्व :

जनपद में सफल EGS & AIE हेतु जिला शिक्षा सलाहकार समिति को निम्नांकित दायित्व प्रस्तावित हैं।

शिक्षा गारंटी/वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र एवं नवाचार शिक्षा हेतु सम्पूर्ण जनपद में माइक्रोप्लानिंग कर आवश्यकतानुसार अपवंचित वर्ग के बच्चों को शिक्षित करने हेतु विभिन्न योजनाओं के प्रस्तावों को ग्राम स्तर/विकास खण्ड स्तर से तैयार करा कर जिला स्तर पर प्रतिमाह समीक्षा करना।

केन्द्र/ब्रिज कोर्स/ग्रीष्म कालीन क्षेत्राविशिष्ट सेमिनार/शिविर के प्रस्ताव को स्टेट सोसाइटी को प्रस्तुत करना।

कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कराना।

अन्य विभागीय अधिकारियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों के साथ कर Convergence कार्यक्रमों का संचालन करना।

कार्यक्रमों का नियमित अनुश्रवण करना एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशालाओं का आयोजन करना।

स्टेट सोसाइटी द्वारा उपलब्ध करायी गयी मदवार धनराशियों को विकास खण्ड स्तरीय समितियों के माध्यम से ग्राम शिक्षा समिति अथवा स्वैच्छिक संगठनों के कार्यक्रमों से संचालनार्थ अग्रिम रूप में उपलब्ध कराना।

विकलांक बच्चों के लिए वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र -

जनपद पीलीभीत में न पढ़ने वाले विकलांग वच्चों की संख्या 10155 है इन बच्चों का विकास खण्डवार चिन्हांकन कर प्राथमिकता के आधार पर ई.जी.एस. एवं ए.आई.ई. केन्द्रों की स्थापना की जायेगी।

विकलांग बच्चों के लिए वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र पर अधिकतम 14 वर्ष के स्थान पर 18 वर्ष की आयु तक रखने का प्रावधान है। इसमें न्यूनतम छात्र संख्या को 15 से कम भी किया जाने का प्रस्ताव है। जिस ग्राम/बस्ती/मजरे/टोले/मुहल्ले में विकलांग बच्चे हैं उनकी आवश्यकता को ध्यान में रखकर छात्रा संख्या एवं उम्र में पूरी छूट दिया जाये प्रस्तावित है कोई भी विकलांग शिक्षा से वंचित न रह जाय इस वात का पूर्ण प्रयास

किया जायेगा। चलने में यदि असमर्थ है तो या तो उसके घर पर केन्द्र खोला जायेगा अथवा साइकिल अथवा वैसाखी उपकरणों की आवश्यकता के अनुसार उपलब्ध करना प्रस्तावित है।

बालिकाओं के लिए वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र -

जिन ग्रामों/बस्तियों/मजरों/टोलों/मुहल्लों में बालिका साक्षरता दर न्यूनतम है ऐसे ग्रामों में बालिका वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र खोले जायेंगे तथा महिला अनुदेशिका की व्यवस्था की जायेगी। इसमें सामुदायिक सहभागिता, कलाजत्था, महिला मंगल दल, माँ-बेटी मेला, किशोरी संघ, आदि के सहयोग से चेतन जागृति एवं बालिका शिक्षा में रुचि को बढ़ाने का प्रयास किया जायेगा। महिला साक्षरता दर में न्यूनता के आधार पर ब्लाक सढौली कदीम एवं गंगोह में बालिका शिक्षा केन्द्र प्राथमिकता के आधार पर खोले जाने प्रस्तावित हैं।

अल्पसंख्यकों के लिए वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र -

जनपद का अधिकांश 6 से 14 आयु वर्ग का निरक्षर अल्पसंख्य समुदाय से सम्बन्धित है जो केवल मकतब में धार्मिक शिक्षा ग्रहण करता है। इस कार्यक्रम में मकतबों मदरसों में वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र खोलने का प्रस्ताव फोकसग्रुप डिस्कसन के अन्दर आया तथा माननीय जिलाधिकारी की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक में निर्णय लिया गया कि इन मकतबों/मदरसों में उसी धर्म का व्यक्ति यदि हाईस्कूल उत्तीर्ण है तो उसे अनुदेशक के रूप में चिन्हित किया जाये और वहाँ पर निःशुल्क बेसिक शिक्षा की पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराकर उन्हें शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जाये।

3. रणनीति

जनपद पीलीभीत में प्रस्तावित शिक्षा गारंटी योजना केन्द्रों की संख्या

सारणी

क्र.सं.	विकास खण्ड का नाम	प्रस्तावित ई.जी.एस. केन्द्रों की संख्या
1.	मरौरी	08
2.	अमरिया	10
3.	पूरनपुर	18
4.	[illegible]	17
5.	बरखेड़ा	06

6.	बीसलपुर	09
7.	बिलसन्डा	37

योग 105+1

स्रोत- जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तावित केन्द्रों की सूची के आधार पर।

विकास खण्ड वार प्रस्तावित ई.जी.एस. केन्द्रों के स्थलों का नाम

प्रथम चरण (Phase-I)

1. **विकास खण्ड मरौरी -**
   1. भूड़ा गौटिया (बिलगवां)
   2. सैंडा गौटिया (बिलगवां)
   3. पुरवा (सुहेला कला)
   4. बांस बोझ (सुहेला कला)
   5. शाहवतगंज (न्यूरिया हुसेनपुर)
   6. मानपुर (न्यूरिया हुसेनपुर)
   7. कैम (कैम)
   8. आराजी रम्पुरिया (रम्पुरिया सिरसा)
2. **विकास खण्ड अमरिया -**
   1. हेतम डांडी (बल्लिया)
   2. फरीदपुर हसन (उडरा)
   3. इदारी (बढ़ैपुरा)
   4. दियूनी (भूड़ा)
   5. वेलापुरवा (भरतपुर)
   6. खिरका (बहरुआ)
   7. टांडा विजैसी मु. (टांडा विजैसी सहराई)
   8. हिमकरपुर (आसपुर)
   9. पस्तोर (हरहरपुर हसन)
   10. ढ़किया (उस्करी ढ़किया)

3. विकास खण्ड पूरनपुर

1. सबलपुर मु. रम्पुरा फकीरे (सबलपुर मु.)
2. मदारपुर (घुंघचाही)
3. रूपपुर नौगवां (अभयपुर ता.जगतपुर)
4. काना डांडा (भगवन्तापुर)
5. पिपरिया लाल (बंजरिया)
6. कीरतपुर (वंजरिया)
7. मगरिया खुर्द कला (मगरिया खुर्द कला)
8. कपूरपुर (कपूरपुर)
9. खानपुर मघेलिया (सिमरा ता. घुंघचाही)
10. सुआ बोझ (सुआबोझ)
11. चकलौआ फार्म (महरोला)
12. नानक नगरी केसर (वैलहा)
13. हजारा (चंदिया हजारा)
14. मजदूर बस्ती (चंदिया हजारा)
15. मजरा टोला सं.4 (वमनपुरी भागीरथ)
16. नेहरू नगर (भरतपुर)
17. अनूप नगर (सिघार उर्फ टाटरगंज)
18. गौटिया (अमरैया कला)

4. ललौरीखेड़ा

1. किशनपुरा (गौनेटा)
2. जगन्नाथ पुरी गौटिया (निलाम मंडी)
3. करैया (रम्पुरा मिश्र)
4. इस्लाम नगर गौटिया (नौगवां पकाड़िया)
5. गौटिया पौटा (पौरा कला)
6. भूड़ा विक्रमपुर (आलियापुर)
7. मछिवन गौटिया (जिरौनिया)
8. जलदेव गौटिया (जिरौनियां)

9. भैसांइ (चिनौरा)
10. सेमर गौटिया (जिरौनियां)
11. पिपरावाले नं.2 (पिपरावाले)
12. गौटिया (मधुडांडी)
13. विलहार (बजुराहा)
14. गुलड़िया सख्तपुर (अमरगंज)
15. रहपुरा (नूरपुर)
16. गौटिया लालपुर (लालपुर)
17. संडिया एतमाली (संडिया)

5. **विकास खण्ड बरखेड़ा**

1. घुरी खुर्द
2. गौटिया लखनऊ (बरखेड़ा)
3. भैसाही पर्वतपुर (जगीपुर जैतपुर)
4. वाम घाढ (बकैनिया दीक्षित)
5. गहलुइया (पचपेड़ा पुरवा)
6. कल्यानपुर पर्वत (सौंघर)

6. **विकास खण्ड बीसलपुर**

1. दुवहा (अहिर वाड़ा)
2. कैथुलिया (सफौटा)
3. मिघाई (कुमिरत्वा)
4. रिछुलिया (रिछोला सबल)
5. गुलड़िया (सुजनी)
6. मरेहना (गुलैदा गौटिया)
7. सुकरिया (जस करनापुर)
8. मरकनिया (पहाड़गंज)
9. महवा (कितनापुर)

7. **विकास खण्ड बिलसन्डा**

1. गोपालपुर (दियोरियाकला)

2. बसेंगा (दिवोरिया कला)
3. खपटिया (दियोरिया कला)
4. जसुपुरा (जमुनिया)
5. इलाहाबाद देवलर (किशनपुर)
6. नौगमिया (अकोड़ा)
7. सिमरा महीपत (नगरारता)
8. दियोरिया खुर्द (नगरारता)
9. शाहजादपुर (हरैया)
10. फिरसा चुर्रा (फिरसा चुर्रा)
11. नवदिया (रामपुर अमृत)
12. विक्रमपुर (रामपुर अमृत)
13. भीकमपुर (वकैनिया)
14. मोहम्मदपुर (वकैनिया)
15. कुरैया कला (कुरैया कला)
16. डलापुर (कुरैया कला)
17. मकरन्दपुर (कुरैया कला)
18. ढ़कवारा (भदेगकंजा)
19. लाल नगरा (भदेगकंजा)
20. जगन्नाथपुर (भदेगकंजा)
21. भरेना (भदेग कंजा)
22. हीरपुर (मीरपुर हीरपुर)
23. जादौपुर (इलाहाबाद सिमरा)
24. विल्हरा (मुड़िया सिमरा)
25. हर्रायपुर (मीरपुर हर्रायपुर)
26. ढ़किया (ढ़किया जलालपुर)
27. चढिया (विलासपुर)
28. विहारापुर खुर्द ([illegible])
29. पसियापुर (राठ)

30. पिपरिया (पिपरिया सिंगीपुर)

31. सरैया (पडरी भरौरी)

32. कौहरा (पडरी भरौरी)

33. मोहनपुर (कल्यानपुर)

34. गौटिया (सिधौरा खरगपुर)

35. पतिजिया (सिधौरा खरगपुर)

36. टेहरी (टेहरी)

37. खेड़ा (ईटगांव)

उपरोक्त केन्द्र प्रस्तावित हो जाने के बाद विकास खण्ड ललौरीखेड़ा बीसलपुर तथा बिलसन्डा में अब कोई बस्ती शेष नहीं बची है। उक्त विकास खण्ड ई.जी.एस. केन्द्रों से पूर्णतः संतृप्त हो जायेंगे। लेकिन विकास खण्ड पूरनपुर में 26, बरखेड़ा में 10, मरौरी में 49 तथा अमरिया में 48 ई.जी.एस. केन्द्रों की आवश्यकता होगी।

प्राथमिकता के आधार पर कक्षा-1 व 2 में पढ़ने योग्य छात्रों का पंजीकरण प्राथमिक विद्यालयों में कराया जायेगा। 133 ई.जी.एस. केन्द्रों की और आवश्यकता है। परन्तु 100 केन्द्र ही खोले जायेंगे। विकास खण्डवार शेष केन्द्र निम्नांकित हैं :-

सारणी

द्वितीय चरण में विकास खण्डवार प्रस्तावित ई.जी.सी. केन्द्रों की संख्या :-

क्रम सं.	विकास खण्ड का नाम	प्रस्तावित ई.जी.सी. केन्द्रों की संख्या
1.	मरौरी	49
2.	अमरिया	48
3.	पूरनपुर	26
4.	ललौरीखेड़ा	–
5.	बरखेड़ा	10
6.	बीसलपुर	–
7.	बिलसन्डा	–
	योग	133

द्वितीय चरण (Phase II)

विकास खण्ड मरौरी -

क्रम सं.	ग्राम पंचायत	असेवित बस्ती का नाम
1.	रम्पुरिया सिरसा	कुंडली दहगला
2.	चंदोई	जादौपुर
3.	मैदना	मैदनियां
4.	रामनगर खरोसा	शौकलपुर
5.	गौहरपुर	उल्हतापुर
6.	देशनगर	देशनगर
7.	"	प्रभुगंज
8.	गौहनियां	गौटिया
9.	"	पीलीभीत मुगल.
10.	"	पीलीभीत ता.
11.	चिड़ियादह	लालपुर गौटिया
12.	विलगवां	भवतापुर
13.	जानापुरी	विचपुरी
14.	"	तुर्कपुरी
15.	"	बालपुरा
16.	टाह	मानपुर किशनपुर
17.	"	पीनाताल
18.	"	खरा
19.	मरौरी	रूपपुर
20.	"	मरौरी एत.
21.	कैम	गुर्ज गौटिया
22.	"	सिकलापुर
23.	नरान्तपुर	बसन्तपुर मुगल
24.	"	पुर्दाभूड़ा एतमाली
25.	चारपुर	रम्पुरा
26.	सैजना	सैजनियां
27.	"	अनारनगर

28.	मोहनपुर	गौटिया
29.	भिलैया गांव खेड़ा	कुंवरपुर
30.	दियोनी	गौटिया
31.	खाग	पुरवा
32.	कल्यानपुर नौगवां	लालपुर
33.	जैतपुर	जैतपुर ता.
34.	ढ़ेरम मंडरिया	मिलक
35.	" "	ढेरममडरिया
36.	" "	रिछोला
37.	अजीतपुर पटपुरा	पटपुरा
38.	" "	रामनगर
39.	" "	महुवासवल
40.	सिरसा सरदाह	सिरसा सरदाह एत.
41.	कल्लिया	किशनपुर
42.	हरैया उर्फ हरकिशनापुर	हरैया
43.	हरैया उर्फ हरकिशनापुर	चौड़ाखेड़ा
44.	न्यूरिया हुसेनपुर	अलीगंज
45.	महोफ	कुआंरखेड़ा
46.	न्यूरिया खुर्द उर्फ शिवपुरिया	न्यूरिया खुर्द
47.	मैसीरो दुल्लागंज	सैजनी
48.	" "	बनकटी
49.	" "	मेवातपुरा

2. विकास खण्ड अमरिया

क्रम सं.	ग्राम पंचायत	असेवित बस्ती का नाम
1.	अडौली	तया
2.	आसपुर	श्यामपुर एतमाली
3.	"	" मुगल

4.	"	नवादा बिसेन
5.	अडरायन	अडरायन एत.
6.	वरादुनियां	वरादुनियां एत.
7.	मझलिया	मझलिया मु.
8.	विलासपुर	लोहारगंज
9.	बरातबोझ	सुस्वार एत.
10.	"	पंसोली एत.
11.	नगरिया	नगरिया एत.
12.	जगत	जगत एत.
13.	"	गजरौला
14.	उडरा	भवरा
15.	"	जमगहन
16.	"	मोहनपुर
17.	फुलैया	विल्हरा माफी
18.	बल्लिया	केसरपुर
19.	विरहनी	विरहनी
20.	"	भरापचपेड़ा
21.	"	पठरी कटैया
22.	भूड़ा	भूड़ा
23.	फरदिया	खली नवादा मु.
24.	"	" " एत.
25.	"	किशनपुर मु.
26.	"	किशनपुर एत.
27.	तुर्कपुर उर्फ बढ़वार	तुर्कपुर उर्फ बढ़वार एतमाली
28.	कटमरा	बढ़रा किसनदास
29.	"	पढरा रामदास
30.	तिरकुनिया नसीद	नवदिया जिठनियां
31.	सूरजपुर	सूरजपुर एतमाली

32.	"	मझारा
33.	टोडरपुर मुगल	मझिगवां मु.
34.	" "	" एतमाली
35.	टांडा विजैसी सहराई	विहारीपुर
36.	" "	रामपुर बेराज
37.	" "	ललपुरिया
38.	टांडा विजैसी सहराई	गुलड़िया रामचन्द्र
39.	भिण्डारा	भगतनियां
40.	गिधौर	पलैया
41.	"	गगनापुर
42.	निवाड़ऐसपुर	निवाड एसपुर एत.
43.	" "	बंजरिया कल्लू
44.	रफियापुर	आराजी दीन नगर
45.	उल्करी ढ़किया	आलमपुर
46.	धनकुनी	आराजी धनकुनी
47.	उगनपुर	लऔर एत माली
48.	"	" मुगल

3. **विकास खण्ड पूरनपुर**

क्रम सं.	ग्राम पंचायत	असेवित बस्ती का नाम
1.	शहयाजपुर जगतपुर	जमुनिया जगतपुर
3.	खीरी नौवरामद	खीरी नौवरामद
4.	आनन्दपुर उर्फ भगवन्तपुर	आनन्दपुर उर्फ भगवन्तपुर
5.	बजरिया	नौगवां
6.	"	कैसरपुर
7.	हरीपुर कला	सुन्दरपुर
8.	पिपरिया दुलई	चीनी मिल कालोनी
9.	कल्याणपुर	कल्याणपुर मजरा

10.	चंदिया हजारा	राहुल कुलवा फार्म
11.	नहरोआ	नहरोआ कुलवा घाट
12.	वैलहा	मजरा बाजार बस्ती
13.	"	मास्टर नगर बस्ती
14.	"	राजनगर
15.	"	शारदापुरी मजरा
16.	भरतपुर	अयोध्या नगर
17.	मुरैनिया गाँधी नगर	आजाद नगर
18.	राणा प्रताप नगर	चिरैया टोला
19.	रामनगर	चपरा
20.	"	रामनगर वस्ती
21.	विजय नगर	गौतम नगर
22.	सिथारा टाटरगंज	रामनगर
23.	अशोक नगर	बाबा कालोनी
24.	" "	पिपरा कालोनी
25.	जमुनिया	लक्ष्मी पुर
26.	पिपरिया करम	भोपत पुर

4. विकास खण्ड ललौरीखेड़ा - आवश्यकता नहीं।

5. **विकास खण्ड बरखेड़ा -**

क्रम सं.	ग्राम पंचायत	असेवित बस्ती का नाम
1.	कुरैया फूटा कुआं	फूटाकुआं
2.	गझाड़ा	गझाड़ी
3.	"	सुधिया
4.	सौंधा	पकड़िया ता. इमरिया
5.	भीकमपुर उर्फ परानपुर	वरवही
6.	बकैनिया	पल्लिया माधो
7.	मूसेपुर कला	दियोरा

8.	दियोहना	दियोहना
9.	"	वट्टी
10.	सिंधौरा बिन्दुआ	हसनपुर

6. विकास खण्ड बीसलपुर - आवश्यकता नहीं।
7. विकास खण्ड बिलसवा - आवश्यकता नहीं।

परिवार सर्वेक्षण आंकड़ों का वार्षिक अद्यावधिकरण

माइक्रो–प्लानिंग के अन्तर्गत परिवार सर्वेक्षण के माध्यम से 6-11 व 11-14 वर्ष के बच्चों के बारे में विवरण प्राप्त कर 'आउट ऑफ स्कूल' बच्चों को चिन्हित किया जाता है। 'अण्डर ऐज' व 'ओवर ऐज' बच्चों को चिन्हित करने तथा आयु वर्ग के स्थान पर विशिष्ट आयुवार बच्चों का विवरण प्राप्त करने हेतु वर्तमान सर्वेक्षण प्रपत्र को संशोधित किया जायेगा, ताकि वांछित अतिरिक्त सूचना प्राप्त हो सके। प्रति वर्ष हाउस होल्ड सर्वेक्षण आंकड़ों को अद्यतन किया जायेगा। इस कार्य हेतु प्रति वर्ष रू० 50,000/- की वित्तीय व्यवस्था रखी गयी है।

माइक्रो–प्लानिंग के अन्तर्गत हाउस होल्ड सर्वे के माध्यम से 11-14 वय वर्ग के बच्चों की संख्या के विवरण की व्यवस्था है। बेसिक शिक्षा परियोजना द्वारा विकसित प्रपत्र के अनुसार परियोजना नियोजन में इस विवरण का प्रयोग किया गया है। इस आधार पर जनपद में 11-14 वय वर्ग के 7674 आउट ऑफ स्कूल बच्चे चिन्हित किये गये हैं। आगामी वर्षो में आंकड़ों के वार्षिक अद्यतन के समय इस सूचना का अंकन भी किया जायेगा कि बच्चे द्वारा किस कक्षा में ड्रॉप आउट किया गया है। यह सूचना प्राप्त करने हेतु हाउस होल्ड सर्वे से सम्बन्धित वर्तमान प्रपत्र को पुनरीक्षित किया जायेगा, ताकि वांछित सूचना का समावेश हो सके। परियोजना के द्वितीय वर्ष से उपरोक्त विवरण प्राप्त करने के लिये संशोधित प्रपत्र प्रयोग किया जायेगा।

अभिनव मॉडल्स 11-14 आयु वर्ग हेतु

11-14 आयु वर्ग के ऐसे बच्चों के लिये जो औपचारिक विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करने में किन्हीं कारणों से असमर्थ रहे हैं, उनके लिये नवाचार शिक्षा योजना के अन्तर्गत स्थानीय परिवेश, बच्चों के विशिष्ट समूह की आवश्यकताओं तथा कालान्तर में औपचारिक विद्यालयों में समेकित किये जाने की संभावनाओं को दृष्टिगत रखते हुये कतिपय इन्नोवेटिव माडॅल्स विकसित किये जायेंगे। इस हेतु नवाचार शिक्षा योजना के अन्तर्गत अभिनव माडॅल्स विकसित करने के उद्देश्य से जनपद में रू० 50,000/- का इन्नोवेटिव फण्ड रखा जायेगा। पहले दो वर्ष में इस आयु वर्ग हेतु कम से कम 2-3 मॉडल विकसित किये जायेंगे। इस कार्य में वैकल्पिक शिक्षा के विशेषज्ञों, शिक्षा विदों, अनुभवी स्वयं सेवी संगठनों आदि की सहायता प्राप्त की जायेगी।

ई0जी0एस0 वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचार शिक्षा योजना में स्वयं सेवी संगठनों की सहभागिता

वैकल्पिक शिक्षा के विभिन्न मॉडल्स तथा नवाचार शिक्षा योजना के अन्तर्गत अभिनव कार्यक्रमों की रणनीति विकसित करने के लिए जनपद में उपलब्ध अनुभवी स्वयं सेवी संगठनों को शिक्षा केन्द्रों के संचालन एवं पर्यवेक्षण में योगदान लिया जायेगा। स्वयंसेवी संगठनों के चयन हेतु निर्धारित प्रक्रिया तथा पारदर्शी व्यवस्था स्थापित की जायेगी जिसके अन्तर्गत समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशित कर स्वयंसेवी संगठनों की सहभागिता आमंत्रित की जायेगी। स्वयं सेवी संगठनों से प्राप्त आवेदन पत्र/प्रस्ताव का डेस्ट टॉप अप्रेजल तथा फील्ड अप्रेजल कराया जायेगा। बेसिक शिक्षा विभाग के स्थानीय अधिकारियों एवं सन्दर्भ व्यक्तियों के सहयोग से स्वयं सेवी संगठनों के प्रस्ताव का अप्रेजल एवं चिन्हीकरण किया जायेगा। उपयुक्त पाये गये स्वयं सेवी संगठनों के कार्य क्षेत्र एवं आवश्यक बजट की संस्तुति सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत गठित जिला शिक्षा परियोजना समिति द्वारा राज्य स्तरीय ई0जी0एस0/वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचार शिक्षा योजना क्रियान्वयन समिति को प्रेषित की जायेगी। जनपद में जिला शिक्षा परियोजना समिति गठित है तथा कार्यालय ज्ञाप संख्या रा0प0नि0/466/2001–2002 दिनांक 15 जून, 2001 द्वारा उक्त समिति को ई0जी0एस0/वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचार शिक्षा योजना के क्रियान्वयन हेतु स्पष्ट अधिकार प्राप्त हो चुके है। सन्दर्भित कार्यालय ज्ञाप की प्रति परिशिष्ट में दी गई है। राज्य स्तर पर ई0जी0एस0, वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचार शिक्षा योजना के लिए उच्चाधिकार प्राप्त समिति कार्यालय ज्ञाप संख्या : रा0प0नि0/539/2001–2002 दिनांक 7 जून, 2001 द्वारा उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परिषद् के अधीन गठित की जा चुकी है। इस कार्यालय ज्ञाप की प्रति भी परिशिष्ट में दी गई है।

राज्य स्तरीय उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा संस्तुत स्वयं सेवी संगठन की सहभागिता सुनिश्चित करने तथा भारत सरकार की ई0जी0एस0/ए0आई0ई0 योजना के तहत मानक के अनुरूप बजट स्वीकृत करने के अधिकार प्राप्त हैं। उक्त समिति के अनुमोदन के पश्चात् जनपद में चयनित स्वयं सेवी संगठन द्वारा एजुकेशन गारण्टी स्कीम, वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचार शिक्षा योजना कार्यक्रमों को क्रियान्वित किया जायेगा।

इसी प्रकार जो स्वयं सेवी संगठन वैकल्पिक शिक्षा के क्षेत्र में पर्यवेक्षण अथवा अनुदेशकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम का अनुभव रखते है, उनका भी सहयोग ई0जी0एस0, एजुकेशन गारण्टी स्कीम व नवाचार शिक्षा योजना के क्षमता विकास के लिए जनपद में लिया जायेगा। इन स्वयं सेवी संगठनों/सन्दर्भ संस्थाओं के अनुमोदन की प्रक्रिया भी उपर्युक्तानुसार रखी गई है।

अध्याय 8

ठहराव में वृद्वि के कार्यक्रम

प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण की लक्ष्य प्राप्ति में अबतक के अनुभवों के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि बालक बालिकाओं का विद्यालय में पंजीकरण तो हो जाता है कतिपय कारणों से ठहराव में वृद्वि न होने के कारण ड्राप आउट की समस्या आती है। सर्व शिक्षा अभियान में ठहराव में वृद्वि करने के लिए कारगर प्रयास किये जा रहे है, जिनमें ही मुख्य प्रयास निम्नांकित है।

सारिणी 8.1

वर्तमान में भौतिक सुविधाओं की आवश्यकता (मांग)

क्रम सं0	आइटम/सुविधा का नाम	प्राथमिक स्तर	उच्च प्राथमिक स्तर
1.	विद्यालय पुनर्निर्माण	95	41
2.	अतिरिक्त कक्षा कक्ष	355	17
3.	पेयजल सुविधा	–	26
4.	शौचालय	–	108
5.	चहारदीवारी	960	160

स्रोत – विभागीय आंकड़े

प्राथमिक स्तर पर अतिरिक्त कक्षों की मांग निम्नलिखित आधार पर निकाली गई है।

1.	एक कक्षीय 8 विद्यालयों में प्रत्येक में दो अतिरिक्त कक्ष	16
2.	दो कक्षीय 489 विद्यालयों में प्रत्येक में एक अतिरिक्त कक्ष	489
	कुल कक्षो की संख्या	505

उपरोक्त में से डी0पी0ई0पी0 के अन्तर्गत 150 अतिरिक्त कक्षों के लिए वर्ष 2001–2002 में निर्माण कराने का प्रस्ताव है। अतः कुल 355 अतिरिक्त कक्षों की आवश्यकता अभी है।

उच्च प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित आधार पर अतिरिक्त कक्षों की संख्या निकाली गई है –

दो कक्षीय 5 विद्यालयों में (दो कक्ष प्रत्येक में) 10

तीन कक्षीय 7 विद्यालयों में (एक कक्ष प्रत्येक में) 07

अतिरिक्त शिक्षकों की व्यवस्था

पीलीभीत जिले में अतिरिक्त शिक्षकों की स0 निम्नांकित सारिणी में दी गई है (कृपया सारिणी 4.3 का सन्दर्भ ले)

वर्ष	परिषदीय छात्र का नामांकन	1:40 के अनुपात में शिक्षकों की आश्यकता	सृजित पद	अतिरिक्त शिक्षक
2001-02	203586	3054	2508	546
2002-03	214185	3481	3054	427
2003-04	223067	4015	3481	534
2004-05	227973	4502	4015	487
2005-06	232989	5009	4502	507
2006-07	238115	5536	5009	527
2007-08	243354	5962	5536	426
2008-09	248707	6117	5962	155
2009-10	254177	6354	6117	237
2010-11	259768	6494	6354	140

विद्यालय सुविधायें :

प्राथमिक विद्यालय/ उच्च प्राथमिक विद्यालय में विद्यालय भवन के रख रखाव हेतु प्रतिवर्ष 5000/– का अनुदान दिया जायेगा। रू0 2000 प्रतिवर्ष विद्यालय विकास अनुदान दिया जायेगा।

अतिरिक्त कक्षा कक्ष :

जनपद में प्राथमिक विद्यालयों में 355 एवं उच्च प्रा0 विद्यालयों में 17 कक्षों की आवश्यकता है। इसके उपरान्त सभी प्राथमिक विद्यालय तीन कक्षीय एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय चार कक्षीय हों जायेगे। कक्ष बनवाने हेतु 2002–2003 एवं 2004 में क्रमशः 297, एवं 75 कक्ष का लक्ष्य रखा गया है।

शौचालय :

जनपद के उच्च प्राथमिक विद्यालयों मे 108 विद्यालय ऐसे है जिनमें शौचालय उपलब्ध नही है 2001–2002 एवं 2002–2003 में क्रमशः 50 एवं 58 शौचालय बनवाने का लक्ष्य रखा गया है।

उच्च प्राथमिक विद्यालय जर्जर भवन :

जनपद में 41 उच्च प्राथमिक विद्यालय ऐसे है जिनके भवन शिक्षण कार्य हेतु सुरक्षित नही है अतः उनकों पुनः निर्माण हेतु 2002–2003 एवं 2003–2004 में क्रमशः 21 एवं 20 का पुनः निर्माण हेतु लक्ष्य रखा गया है।

पेय जल व्यवस्था :

जनपद में 26 उच्च प्राथमिक विद्यालय ऐसे है जहाँ पेयजल सुविधा नही है। 2001–2002 में इन विद्यालयों में पेयजल व्यवस्था हेतु लक्ष्य रखा गया है।

पुनः निर्माण प्राथमिक विद्यालय :

जनपद में 95 प्राथमिक विद्यालयों के भवन जर्जर अवस्था में है इनकों पुनः निर्माण हेतु 2002–2003, 2003–2004 एवं 2004–2005 में क्रमशः 30,30 एवं 35 का लक्ष्य रखा गया है।

मरम्मत एवं रख रखाव विद्यालय :–

जनपद के सभी प्राथमिक एवं उच्च विद्यालयों को 5000/– रू0 प्रति विद्यालय प्रति वर्ष विशेष अनुदान वितरण का लक्ष्य रखा गया है।

जनपद में 140 प्राथमिक विद्यालय तथा 60 उच्च प्राथमिक विद्यालय लघु मरम्मत योग्य है, जिनकी मरम्मत हेतु रु 20000 की दर से वित्तीय व्यवस्था की जायेगी। 30 प्राथमिक विद्यालय तथा 10 उच्च प्राथमिक विद्यालय वृंहद मरम्मत योग्य हैं उनकी मरम्मत हेतु रु 70000 की दर से धनराशि दी जायेगी। लघु मरम्मत की स्वीकृति का अधिकार जिला शिक्षा परियोजना समिति तथा वृहद मरम्मत की स्वीकृति का अधिकार परियोजना कार्यालय को होगा।

चहार दीवारी :

जनपद में 960 प्राथमिक विद्यालय 160 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में चहारदीवारी का लक्ष्य रखा गया है। चहारदीवारी हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक लागत रु 40000/– से अधिक लागत आने पर अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था समुदाय द्वारा की जायेगी। चहारदीवारी हेतु कम लागत के विकल्पों को भी अपनाया जायेगा।

बालिका शिक्षा :

सभी जन समुदाय के शिक्षित होने से ही राष्ट्र की उन्नति एवं विकास होता है इस तथ्य को स्वीकारते हुए भारतीय संविधान ने 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों की शिक्षा के प्राविधान के प्रति अपनी बचन बद्वता व्यक्त की है। संविधान में राज्य की निर्देश दिया गया है कि इस आयु वर्ग के बच्चो के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्राविधान किया जाये।

संविधान में दिये गये मौलिक अधिकार नागरिकों को हर प्रकार के भेदभाव, धर्म एवं जाति, लिंग एवं जन्म के स्थान पर आधारित उत्पीड़न से रक्षा करते है। पंचवर्षीय योजनाओं ने संविधान में बालिकाओं की शिक्षा के प्रति वचन बद्वता का समर्थन किया है एवं अनेक महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को आरंभ किया है। बालिका शिक्षा के प्रचलित परिवेश एवं रणनीतियों में समय के साथ बदलाव आया है।1986 में आयी सष्ट्रीय शिक्षा नीति तथा पश्चात् आरंभ की गई कार्यनीति के अन्तर्गत महिलाओं की समानता के लिए शिक्षा के अन्तर्गत शिक्षा को महिलाओं के स्तर मे बदलाव लानें के लिए एक महत्वपूर्ण यंत्र के रूप में स्थापित किया है। महिलाओं निरक्षरता को दूर करने एवं प्राथमिक शिक्षा तक उनकी पहुंच एवं धारण में आने वाली कठिनाईयों को दूर करने को प्राथमिकता दी जायेगी एवं इसके विशेष सहायक सेवाएँ, समयबद्व लक्ष्य एवं सुचारू अनुश्रवण होगा।

उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर राष्ट्रीय दर 52.2 प्रतिशत के विपरीत 41.6 प्रतिशत है। महिलाओं एवं पुरूषों की राष्ट्रीय साक्षरता दर 64.1 प्रतिशत और 25.3 प्रतिशत है। अनुसूचित जाति की महिलाओं की साक्षरता दर कई जिलों में 7 प्रतिशत से भी कम है। नामांकन आंकड़े न केवल जोडकर व सामाजिक समूहों पर आधारित भिन्नता दर्शाते है

अपितु ये पर्याप्त रूप से नगर ग्राम असमानता को भी दर्शाते हैं। यह अनुमान है कि स्कूल में प्रवेश लेने वाले छात्रों में से 56 प्रतिशत कक्षा 8 उत्तीर्ण करने से पूर्व ही शाला का त्याग कर देते हैं।

उत्तर प्रदेश में बालिकाओं के कुल नामांकन अनुपात में 1996–97 से 1999–2000 के मध्य 14.9 प्रतिशत अंकों की वृद्वि हुई है। इसका मुख्य कारण 1999–2000 में बालिकाओं के जी0ई0आर0 में 98 प्रतिशत की वृद्वि है जो 1996–97 में 80.4 प्रतिशत बेसिक शिक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश के मुताबिक राज्य का सम्पूर्ण कुल नामांकन 100 प्रतिशत है। 1999–2000 में बालकों के लिए यह 105.3 प्रतिशत एवं बालिकाओं के लिए 98.7 प्रतिशत है। (1999–2000) बालिकाओं के 1996–97 में कुल नामांकन अनुपात की तुलना में यह 24.6 प्रतिशत है।

बालिकाओं की शिक्षा के अवरोधक तत्व :–

बालिकाओं के नामांकन एवं शाला त्याग के कारण जटिल है। इनमें संरचनात्मक कारण जैसे बस्तियों में स्कूलों का अभाव, महिला शिक्षकों का अभाव, आर्थिक बाध्यता और समाज में प्रचलित सांस्कृतिक धारणायें और अन्ध विश्वास जटिल कारण है। बालिकाओं के लिए शिक्षा की मांग न होना ही उनके न्यूनतम नामांकन का मुख्य कारण है, जबकि यह दर्शाया जाता है। कि बालिकाओ के लिए शैक्षिक सुविधाए अपर्याप्त है। स्कूल का वातावरण भी ऐसा है। जो बालिकाओं को शिक्षा की ओर प्रेरित नही कर पाता है। और न ही उसकी विशेषताओं को उभारता है। कटाई, शादी, त्यौहार मेलों के अवसर पर भी इनकों घर पर ही रोक लिया जाता है। जिससे कि स्कूल की उपस्थिति में भारी कमी हो जाती है।

1. जागरूकता क्रिया कलापों के द्वारा बालिकाओ की आवश्यकताओं के अनुरूप विद्यालय वातावरण बनाये जाने पर जोर।
2. जेन्डर संवेदन बनाना जिससे समाज बालिकाओं की शिक्षा को समानता और सहजता से समझ सके।
3. महिला तथा बालिका शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालने तथा जोर देने वाली सामग्री विकसित करना।
4. शिक्षकों को कक्षा में जेण्डर भेदभाव आधारित क्रिया कलापों को रोकने हेतु प्रशिक्षित किये जाने के लिए प्रशिक्षण माड्यल विकसित करना।
5. ई0सी0सी0ई0 तथा अन्य वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र स्थापित करना।
6. महिला समाख्या कार्यक्रम, महिलाओं को शिक्षा के लिए संगठित करना।
7. प्राथमिक शिक्षा से उच्च स्तर के विद्यालयों में बालिकाओं को जोड़े रखने की रणनीति से कार्य करना। कार्यानुभव पर आधारित शिक्षा को महत्व।

अपितु ये पर्याप्त रूप से नगर ग्राम असमानता को भी दर्शाते हैं। यह अनुमान है कि स्कूल में प्रवेश लेने वाले छात्रों में से 56 प्रतिशत कक्षा 8 उत्तीर्ण करने से पूर्व ही शाला का त्याग कर देते हैं।

उत्तर प्रदेश में बालिकाओं के कुल नामांकन अनुपात में 1996–97 से 1999–2000 के मध्य 14.9 प्रतिशत अंकों की वृद्वि हुई है। इसका मुख्य कारण 1999–2000 में बालिकाओं के जी0ई0आर0 में 98 प्रतिशत की वृद्वि है जो 1996–97 में 80.4 प्रतिशत बेसिक शिक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश के मुताबिक राज्य का सम्पूर्ण कुल नामांकन 100 प्रतिशत है। 1999–2000 में बालकों के लिए यह 105.3 प्रतिशत एवं बालिकाओं के लिए 98.7 प्रतिशत है। (1999–2000) बालिकाओं के 1996–97 में कुल नामांकन अनुपात की तुलना में यह 24.6 प्रतिशत है।

बालिकाओं की शिक्षा के अवरोधक तत्व :–

बालिकाओं के नामांकन एवं शाला त्याग के कारण जटिल है। इनमें संरचनात्मक कारण जैसे बस्तियों में स्कूलों का अभाव, महिला शिक्षकों का अभाव, आर्थिक बाध्यता और समाज में प्रचलित सांस्कृतिक धारणायें और अन्ध विश्वास जटिल कारण है। बालिकाओं के लिए शिक्षा की मांग न होना ही उनके न्यूनतम नामांकन का मुख्य कारण है, जबकि यह दर्शाया जाता है। कि बालिकाओ के लिए शैक्षिक सुविधाए अपर्याप्त है। स्कूल का वातावरण भी ऐसा है। जो बालिकाओं को शिक्षा की ओर प्रेरित नही कर पाता है। और न ही उसकी विशेषताओं को उभारता है। कटाई, शादी, त्यौहार मेलों के अवसर पर भी इनकों घर पर ही रोक लिया जाता है। जिससे कि स्कूल की उपस्थिति मे भारी कमी हो जाती है।

1. जागरूकता क्रिया कलापों के द्वारा बालिकाओ की आवश्यकताओं के अनुरूप विद्यालय वातावरण बनाये जाने पर जोर।
2. जेन्डर संवेदन बनाना जिससे समाज बालिकाओं की शिक्षा को समानता और सहजता से समझ सके।
3. महिला तथा बालिका शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालने तथा जोर देने वाली सामग्री विकसित करना।
4. शिक्षकों को कक्षा में जेण्डर भेदभाव आधारित क्रिया कलापों को रोकने हेतु प्रशिक्षित किये जाने के लिए प्रशिक्षण माड्यल विकसित करना।
5. ई0सी0सी0ई0 तथा अन्य वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र स्थापित करना।
6. महिला समाख्या कार्यक्रम, महिलाओं को शिक्षा के लिए संगठित करना।
7. प्राथमिक शिक्षा से उच्च स्तर के विद्यालयों में बालिकाओं को जोड़े रखने की रणनीति से कार्य करना। कार्यानुभव पर आधारित शिक्षा को महत्व।

कार्यक्रम :

बालिकाओं की शिक्षा हेतु समुदाय के साथ कार्य करना। प्राथमिक शिक्षा की सामुदायिक स्वामित्व प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनी करण के लिए सामाजिक सहभागिता अति आवश्यक है। सामुदायिक सहभागिता को बढावा देने के लिए उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना एवं जिला प्राथमिक शिक्षा के अन्तर्गत कई संगठनात्मक नीतियों का क्रियान्वयन क्रिया है जिसका मुख्य उददेश्य सामुदायिक सहभागिताओं को बढावा देना है।

ग्राम शिक्षा समिति (वी0ई0सी0) में से कम से कम तीन महिला सदस्यों के होने का प्रविधान है। इनमें से एक ग्राम पंचायत की निर्वाचित सदस्या, एवं अनुसूचित जाति की नामांकित महिला एवं एक नामांकित मां का होना जरूरी है।

बालिकाओ की शिक्षा के लिए सामुदायिक सहभागिता निम्नांकित होगी :–

1. बालिकाओं के नामांकन, ठहराव एवं विद्यालय प्रबन्धन में स्थानीय समुदाय की भागीदारी को बढावा।
2. महिला समूहों का संगठन एवं महिला समाख्या के साथ साथ उनका समन्यवन।
3. ग्राम शिक्षा समिति माता शिक्षक संध अभिभावक शिक्षक संध।
4. ग्राम शिक्षा समितियों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना।
5. बालिकाओं की आवश्यकता के प्रति प्रशिक्षण की जागरूकता को बढाना।

मीना अभियान :–

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत बालिकाओं की शिक्षा के प्रति सामुदायिक वचनबद्वता के विकास के लिए **'मीना कैम्पेन'** नामक एक विशिष्ट योजना का आरंभ किया गया है। यह यूनीसेफ द्वारा विकसित मीना नामक बालिका पर तैयार भव्य हास्य सामग्री का प्रयोग इस योजना में किया जाता है।

माँ बेटी मेला एवं महिलाओं की संसद :–

बालिकाओं की शिक्षा के विषय में महिलाओं का संगठित होना आवश्यक है और इस उददेश्य से माँ बेटी मेलों और महिला संसदो का आयोजन किया जाता है।इसके कार्यान्वयन के एक वर्ष के अन्दर करीब 222 बाप बेटी मेलो एवं महिला संसदों का आयोजन किया है। इन मेलों का मुख्य उददेश्य है :

1. बालिकाओं की शिक्षा के विषय में जागरूकता बढाना और इसके लिए आवश्यक सामग्री बांटना।

2. बालिकाओं की शिक्षा के महत्व के बारे में माताओं को शिक्षित करना।

3. शिक्षकों अभिभावकों के बीच एक क्रियाशील सम्बन्ध की स्थापना करना।

4. बालिकाओ द्वारा अनुभव की गई समस्याओं के प्रति ध्यान आकृष्ट करना।

5. बेटे और बेटियों के प्रति लोगो के विचारों को जानने के लिए जेण्डर आधारित वार्ताओं का आयोजन।

6. वर्तमान शिक्षा प्रणाली पर कर्ताओं का आयोजन करना एवं उपस्थित समूह से इस प्रणाली को व्यक्त की गई आवश्यकताओं के प्रति अधिक उत्तरदायी और प्रभावकारी बननें पर वार्तालाप करना।

समानता के लिए शिक्षा :–

महिला के संगठनों के अतिरिक्त महिला समाख्या कार्यक्रम विभिन्न आयु वर्गो के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करता है। महिला समाख्या के कार्यक्रम में शैक्षिक एवं अन्य हस्तक्षेप समुदायों जैसे महिला संधों के साथ मिलकर विकसित किये गये है।

इन प्रयासों से (6–14 आयु वर्ग के बालिकाओं एवं बालकों के लिए) किशोरी केन्द्र, महिला शिक्षण केन्द्र खोलना सम्मिलित है, महिला समाख्या का शिक्षा के प्रति निम्न दृष्टिकोण है :–

1. महिलाओं की शैक्षिक प्राथमिकताओं का आदर।

2. व्यक्तिगत विविधता के आदर एवं सोच विचार के लिए समय।

3. समुदाय एवं ग्रामीण स्तरीय शैक्षिक कार्यक्रमों में महिला संधो की भागीदारी के लिए समर्थ बनाना।

4. शैक्षिक प्रतिमाओं में जेण्डर संवेदन शीलता।

5. बालिकाओं एवं महिलाओं की शिक्षा के लिए अनुकूल वातावरण का निर्माण।

उत्तर प्रदेश में पुरूषों एवं महिलाओं के बीच जेण्डर भेद पर आधारित शैक्षिक असमानता को ध्यान में रखते हुए महिला समाख्या की वैकल्पिक शिक्षा के आवास एवं प्रक्रिया महत्वपूर्ण है।

बाल केन्द्र :–

संध की महिलाओं ने जब अपने बच्चों की शिक्षा के महत्व को समझा तो उन्होने अपने घर के पास बच्चो की शिक्षा के लिए व्यवस्था व्यक्त की। इसके प्श्चात् बाल केन्द्रों की संकल्पना एवं स्थापना की गयी। इस विधा ने उन बच्चों विशेष रूप से उन बालिकाओं को शिक्षा के अवसर प्रदान किये जिनकी पहुँच औपचारिक शिक्षा सुविधाओं तक नही है।

किशोरी केन्द्र :

बाल केन्द्र बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने में सक्षम है, किन्तु वे ऐसी किशोरियाँ जिन्होने प्राथमिक शिक्षा के बाद स्कूल छोड़ दिया है उनकी ज्ञान की जिज्ञासा को पूर्ण नही कर सकते है। संध की महिलाओं समुदाय एवं किशोरियों से विचार विमर्श के प्शचात् इस आयु वर्ग की आवश्यकता को ध्यान मे रखते हुए किशोरी केन्द्रो की स्थापना की गई। इन किशोरी केन्द्रों ने किशोरियों को उच्च प्राथमिक शिक्षा की ओर प्रोत्साहित करने के लिए अपने यहा अन्तरिम स्तर पर प्ढने का अवसर दिया। समय का लचीलापन तथा स्थानीय महिला शिक्षिका से बालिकाओ के नामांकन में वृद्वि हुई।

किशोरी संघ :

किशोरी संध का उदय किशोरी केन्द्रो से हुआ है। यह किशोरियों के समूह है जिनका संगठन स्वास्थ्य शिक्षा प्यावरण कानूनी साक्षरता व्यवसायिक प्रशिक्षण व जीवन कल जैसे विषयों को ध्यान में रखकर किया गया है।

वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र :

प्राथमिक शिक्षा में बच्चो की भागीदारी बढाने हेतु उन बालिकाओं को वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रो मे नामांकित किया जायेगा, जो अपरिहार्य कारणों से विद्यालय में नही जा पा रही है।

ब्रिजकोर्स व ग्रीष्मकालीन स्त्र चलाये जायेगे। विद्यालयों में बालिकाओं के शत प्रतिशत नामांकन एवं ठहराव पर विशेष बल दिया जायेगा। वे सभी प्रयास किये जायेग जो ठहराव वाले अध्याय में वर्णित किये गये है।

बाल शाला :

बाल शाला का लक्ष्य छोटे बच्चों तथा उनके 11 वर्षीय भाई बहनों पर है। बडे बच्चों के दल को प्राथमिक शिक्षा और 3–6 वर्ष के बच्चों को स्कूल में उत्साही पैकेज प्रदान किया जायेगा। जिन बालिकाओं पर अपने छोटे भाई बहनों की देख्रेख का उत्तरदायित्व

है वे इसी कारण स्कूल से बाहर रहती है। इस अधिगम द्वारा दोनो आयु वर्ग के बच्चों को एक साथ जोड़ा जाता है।

प्रहर पाठशाला :–

प्रहर पाठशाला एक रणनीति है जों कि मुख्यतः 9+ बालिकाओं के लिए है, जिन्होंने विद्यालयों में जाना आरम्भ नही किया है। या जो स्कूल छोड़ चुके है 9–14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए 15 बालिकाओं के साथ एक प्रहर पाठशाला को आरम्भ किया जा सकता है।

मकतब / मदरसा :–

मुस्लिम बालिकाओं जो अधिक संख्या में स्कूल से बाहर है उनके लिए मकतब / मदरसो के सशक्तीकरण की नीति तैयार की गई है। यह स्पष्ट है कि सामुदायिक रूप से मुस्लिम बालिकाओं की शिक्षा मुख्य रूप से धार्मिक पुस्तक के अध्ययन पर ही आधारित है। इसका मुख्य कारण से बालिकाये औपचारिक स्कूलों से बाहर रही है। इस कार्यक्रम का मुख्य उदेदश्य है मदरसों वातावरण में बालिकाओं एवं शिक्षको को औपचारिक शिक्षा में भाग लेने के लिए प्रेरित करना, साथ साथ औपचारिक पाठय क्रम को भी मदरसों / मकतबों में प्रारंभ करना।

विशेष वर्ग की शिक्षा समेकित शिक्षा

भारत की लगभग 10 प्रतिशत जनसंख्या किसी न किसी विकलांगता से ग्रस्ति है शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य को तब तक प्राप्त नही किया जा सकता जब तक कि विकलांगता के विभिन्न प्रकारों से रोग ग्रसित बच्चों को विद्यालय नही लाया जाय। बच्चों की विकलांगता का प्रभाव जहां बच्चें के व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। वही परिवार एवं समुदाय को भी प्रभावित करना है। कुछ बच्चें विकलांगता के उपरान्त भी शिक्षा प्राप्त करने का प्रयास करते है। एवं उनमें शिक्षा प्राप्त करने की भावना होती है लेकिन विकलांग शिक्षा के अभाव में अशिक्षित ही रह जाते है।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विकलांग बच्चों की शिक्षा पर विशेष महत्व दिया है।

विकलांगता / अक्षमता के प्रकार :–

विकलांगता / अक्षमता मुख्य रूप से निम्न प्रकार की होती है –

1. दृष्टि विकलांगता / नेत्र विकलांगता
2. श्रवण सम्बन्धी विकलांगता

3. मानसिक मन्दता

4. अधिगम मन्दता

5. आश्रित विकार

विकलांगता/अक्षमता का कारण :–

जहां तक विकलांगता का शरीर में पाये जाने का प्रश्न है वहां यह दो प्रकार की होती है –

1. जन्म से – यह विकलांगता जन्म से होती है।

2. जन्म के बाद से – यह विकलांगता जन्म लेने के बाद से किसी भी समय से हो सकती है कुछ प्रकरणों में यह विकलांगता वातावरण/रसायनिक प्रभाव से भी हो जाती है। जैसे भोपाल गैस काण्ड के बाद वहां वातावरण के रासायनिक प्रभाव से विकलांगताा बढी है।

1991 की जनगणना के अनुसार जनपद पीलीभीत की जनसंख्या 1283103 है। राष्ट्रीय दर के अनुसार विकलांगता वाले बच्चों की सं0 8324 बालक 4491 तथा बालिका 3833 अनुमादित है। इस प्रकार 2001 में अनुमानित सं0 10155 बालक 5479 तथा बालिका 4676 है। जिनमें विकलांगता/अक्षमता निम्न प्रकार है –

	बालक	बालिका	योग
1. दृष्टि विकलांगता	503	104	607
2. श्रवण विकलांगता	1223	756	1979
3. मानसिक मन्दता	1751	1113	2864
4. अधिगम मन्दता	776	853	1629
5. आश्रित विकार	1226	1850	3076
योग	**5479**	**4676**	**10155**

विकलांगता के कारण बच्चों में आत्म निर्भरता में कमी, चलने मे कमी, समाज से उपेक्षित आदि बातों का बच्चे के मानसिक विकास में असर पड़ता है। परिवार में ऐसे बच्चों पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होती है। परिवार पर आर्थिक बोझ भी अधिक पड़ता है। ऐसे बच्चों को हर समय अकेला नही छोड़ा जाता। समाज से भी अपेक्षा रहती है कि समाज ऐसे बच्चों पर विशेष ध्यान दे। प्रोत्साहित करे।

अक्षम बच्चों को शिक्षा के सम्बन्ध में अनेक भ्रान्तियां है। अनेक शिक्षकों बुद्वि जीवियों का विश्वास है कि अक्षम व्यक्तियों की शिक्षा के लिए विशेष तकनीक की आवश्यकता है जबकि हम वास्तव में ऐसे प्रयास नही कर पा रहे है।

यदि परिवार एवं समाज इन बच्चों के शिक्षा के प्रति ध्यान दे तो विकलांग बच्चे भी शिक्षा ग्रहण कर सकते है। यदि इन बच्चों को सही मार्ग दर्शन मिले तो ये कठिन कार्य करने में भी नहीं हिचकेंगे इसके लिए हमें सबसे पहले अपना, अपने परिवार का दृष्टिकोण बदलना होगा । इन बच्चों को सहानुभूति की ही नही सहायता की भी आवश्यकता है।

जनपद पीलीभीत में विकलांग पुनर्वास केन्द्र स्थापित है जहां पर विकलांगो को निःशुल्क सहायता दी जाती है। समय समय पर स्वास्थ्य परीक्षण के शिविर आयोजित किये जाते है। सभी प्रकार की विकलांगता का सर्वेक्षण हुआ है। विभिन्न प्रकार के विकलांग स्त्री पुरूष और बालकों को चिन्हित किया गया है। माननीय केन्द्रीय सामाजिक अधिकारिता एवं न्याय मंत्री श्रीमती मेनका गांधी का पीलीभीत निर्वाचन क्षेत्र है। उन्हे र्प्यावरण पुनर्वास में व्यक्तिगत रूचि है।

प्रशिक्षण :

विकलांग बच्चों को शिक्षा देने से पहले हमें सभी शिक्षकों को प्रशिक्षण दिलाना आवश्यक है। यह प्रशिक्षण 15 दिन का होगा तथा इसमें प्रति विकास खण्ड 4–4 मास्टर ट्रेनर बनाने होगे जो बाद में अन्य शिक्षकों को प्रशिक्षण दे सके। स्वंय सेवी संगठनों से भी मास्टर ट्रेनर बनाये जायेगें।

मास्टर ट्रेनर का प्रशिक्षण

रूहेल खण्ड विश्वविद्यालय बरेली अमर ज्योति रिहैबिलेशन एण्ड रिसर्च सेन्टर, ककदुमा विकास मार्ग दिल्ली।

शैक्षिक सामग्री

जनपद में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत शिक्षण सामग्री पहले ही प्राप्त हो गई है। सामग्री को सभी विद्यालयों को उपलब्ध कराना है।

स्वंय सेवी संस्थाओ की भागीदारी –

विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बच्चो की शिक्षा हेतु तकनीकी सहायता देने हेतु ऐसी स्वंय सेवी संस्थाओ की भागीदारी ली जाती है जो विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बच्चों की शिक्षा के लिए कार्य कर रही हो और निम्नांकित पात्रता रखती हो –

1. संस्था सोसायटीज एजिस्ट्रेशन एक्ट के अन्तर्गत कम से कम 3 वर्ष पूर्व रजिस्टर्ड हो तथा नवीनीकरण हुआ है।

2. संस्था के पास विकलांगता के क्षेत्र में विशेषज्ञ की उपलब्धता।

3. विकलांगता के क्षेत्र मे काम करने का कम से कम दो वर्ष का अनुभव हो।

4. संस्था विकलांगता जन अधिनियम 1995 की धारा –5 के अधीन पंजीकृम हों।

अनुमादित बजट

क्रम	मद	अनुमादित बजट		
1.	सर्वेक्षण	-	-	
2.	चिकित्सा आंकलन	280x7	=	14,000.00
3.	मास्टर ट्रेनर ट्रेनिंग	4x5x2075	=	41,500.00
	मास्टर ट्रेनर प्रति ब्लाक	4x7x500	=	14,000.00
	प्रति मास्टर ट्रेनर	4x7x2575	=	72,100.00
	प्रति ब्लाक	7x10300	=	-
4.	प्राथमिक विद्यालय शिक्षक	17200x2508/37	=	1,65,880.00
5.	छपाई	5x8000	=	40,000.00
6.	अन्य व्यय	7x10000	=	70,000.00
7.	अभिभावक परामर्श केन्द्र	7x500	=	35,000.00
8.	स्पेशल कैम्प	7x3000	=	21,000.00
9.	वोकेशनल कैम्प	7x3000	=	21,000.00
10.	इन्फास्ट्रेक्चर कैम्प	1055x1200	=	1,21,8600.00
		योग		**1,26,80,480.00**

विकलांग बच्चों की समेकित शिक्षा में स्वयं सेवी संगठनों की सहभागिता

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विकलांग बच्चों की समोंकित शिक्षा पर विशेष बल दिया गया है। विकलांग बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने हेतु सहायता प्रदान की जायेगी तथा बेसिक शिक्षा की मुख्य धारा में सम्मिलित किये जाने के लिये सुनियोजित कार्यक्रम प्रस्तावित किये गये हैं। इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत स्वयं सेवी संगठनों का योगदान महत्वपूर्ण एवं प्रभावी रहता है। समेकित शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वयं सेवी संगठनों

द्वारा सामुदायिक जागृति, अभिभावक तथा शिक्षकों का संवेदीकरण, विकलांग बच्चों को शिक्षा प्रदान करने हेतु शिक्षकों के कौशल विकसित करने छात्रों के स्वास्थ्य परीक्षण में अध्यापकों को संसाधन एवं सहायता उपलब्ध कराने, विकास खण्ड स्तर तथा विद्यालय स्तर पर शिक्षकों को सहायता प्रदान करने में सहयोग दिया जा सकता है। स्वयं सेवी संगठनों के चयन हेतु निर्धारित प्रक्रिया तथा पारदर्शी व्यवस्था स्थापित है, जिसके तहत जनपद के अनुभवी, ख्याति प्राप्त स्वयं सेवी संगठनों से प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते है। इन प्रस्तावों का डेस्क टॉप अप्रेजल/फील्ड अप्रेजल किया जाता है तथा कुशल एव अनुभवी संगठनों को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला शिक्षा परियोजना समिति द्वारा चयनित किया जायेंगा।

जनपद में इस प्रकार की स्वंय सेवी संस्थाये निम्नांकित है –

1. राष्ट्रीय महिला कल्याण समिति, खकरा – पीलीभीत,
2. सैन्ट पैट्रिक सेकेण्डरी स्कूल समिति, पोलीगंज, (समिति का अपना बहुत बड़ा चिकित्सालय हैं)
3. राष्ट्रीय महिला उत्थान समिति, पीलीभीत,

   सैन्ट पैट्रिक स्कूल समिति पोलीगंज से प्रस्ताव मांगे जा सकते है।
4. महिला उत्थान समिति, पीलीभीत द्वारा ग्राम पिपरिया अगरू में विकलांग बच्चों के लिये एक विद्यालय संचालित किया जा रहा है।

अध्याय-9

गुणवत्ता संवर्द्धन

जनपद में शिक्षा की गुणवत्ता का परिदृश्य

पीलीभीत जनपद में प्राथमिक शिक्षा की स्थिति में बदलाव के लिये वर्ष 1997 में बेसिक शिक्षा परियोजना आरम्भ की गई थी। परियोजना के अन्तर्गत भौतिक सुविधाओं तथा संसाधनों का सृजन और संवर्धन करने के अतिरिक्त गुणवत्ता सुधार हेतु कार्यक्रमों का संचालन किया गया। जनपद स्तर पर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के अकादमिक नेतृत्व में प्रशिक्षण/अकादमिक पर्यवेक्षण, शिक्षकों को कार्यस्थल पर सहयोग - समर्थन हेतु योजनाबद्ध कार्य किया गया। इस कार्य में जनपद में स्थापित बी.आर.सी. तथा एन.पी.आर.सी. की महत्वपूर्ण भूमिका रही। बी.आर.सी. एन.पी.आर. सी. सह-समन्वयकों को उनके कार्य तथा दायित्वों के सम्बन्ध में 5 दिवसीय तथा अकादमिक पर्यवेक्षण के संदर्भ में तीन दिवसीय प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किये गये। समन्वयकों द्वारा नियमित विद्यालय भ्रमण, आदर्श पाठों का प्रस्तुतीकरण, विद्यालयों, एन.पी.आर.सी. तथा बी.आर.सी. का उनके भौतिक - अकादमिक पक्षों के आधार पर श्रेणीकरण, एन.पी.आर.सी. स्तर पर मासिक बैठकों में शिक्षकों की समस्याओं के समाधान, शिक्षण सामग्री मेलों का आयोजन आदि उपायों के माध्यम से नियमित गुणवत्ता अनुश्रवण, कार्यक्रम संचालित किया गया। यह अनुभव किया गया कि बेसिक शिक्षा परियोजना से आच्छादित प्राथमिक विद्यालयों तथा शिक्षकों की अकादमिक आवश्यकताओं की पूर्ति तो की जा सकी किन्तु कतिपय क्षेत्र अनाच्छादित रहे जिन्हें समुचित प्रकार से सहयोग और पर्यवेक्षण नही प्रदान किया जा सका यथा -

1. उच्च प्राथमिक स्तरीय विद्यालयों तथा शिक्षक की अकादमिक आवश्यकताओं पर पूरा ध्यान नही दिया जा सका।
2. अशासकीय हाईस्कूल, इण्टर कालेज के साथ संचालित कक्षा 6-8 तथा 1-5 के बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं - कठिनाइयों के निवारण, शैक्षिक सम्प्राप्ति स्तर में सुधार और शिक्षकों की कठिनाइयों को दूर करने हेतु अकादमिक पर्यवेक्षण की परिधि में नही लाया गया।
3. मकतब, मदरसों में अध्ययनरत बच्चों तथा उनके शिक्षक भी जनपद में संचालित गुणवत्ता विकास कार्यक्रम से लाभान्वित नही हो सके।

1. जनपद में प्राथमिक विद्यालयों की संख्या - 1002

2. जनपद में उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या - 185+53

3. जनपद में माध्यमिक विद्यालयों की सं0 (कक्षा 6, 7, 8 संचालित है।)- 185

4. जनपद में ई0सी0सी0ई0 केन्द्रों की संख्या - 150

2. स्कूल पूर्व शिक्षा -

प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण में स्कूल पूर्व शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए जनपद में शिशु शिक्षा केन्द्रों का संचालन किया गया। महिला एवं बाल विकास विभाग उ0प्र0 द्वारा जनपद में संचालित परियोजना के आंगनबाड़ी केन्द्रों में से 150 केन्द्रों का चयन कर इन्हें शिशु शिक्षा केन्द्रों के रूप में विकसित किया गया। इन केन्द्रों की कार्यकत्रियों तथा सहायिकों को 7 दिवसीय प्रशिक्षण डायट में दिये गये। इन पर्यवेक्षण हेतु संबंधित एन.पी.आर.सी. समन्वयकों को भी प्रशिक्षित किया गया। इन केन्द्रों तथा समीपस्थ प्राथमिक विद्यालय की समय-सारिणी में अनुरूपता लाई गयी। केन्द्र का समय दो घंटा बढ़ाकर बच्चे खासकर लड़कियों को अपने छोटे भाई-बहनों की देखभाल से मुक्त कर विद्यालय शिक्षा हेतु अवसर दिया गया।

डी.पी.ई.पी. की ओर से केन्द्रों की कार्यकर्त्रियों तथा सहायिका के अतिरिक्त मानदेय, अभिमुखीकरण, प्रशिक्षण और प्रतिवर्ष सात दिवसीय पुनश्चर्या प्रशिक्षण केन्द्रों के लिए खेल सामग्री, उपकरण, शिक्षण सामग्री हेतु रू0 5000 तथा आकस्मिक व्यय हेतु वार्षिक रू0 1500 भी प्रदान किया गया। शिशु शिक्षा केन्द्रों के पर्यावेक्षण से ग्राम शिक्षा समिति तथा प्रधानाध्यापक को भी जोड़ा गया।

इस सुविधा से काफी प्रभाव पड़ा है -

1. बच्चों का विद्यालयों में नामांकन बढा है।
2. बालिकाओं के नामांकन में भी वृद्धि हुई है।
3. बच्चों में विद्यालय में रूके रहने की आदत विकसित हुई है।
4. शिक्षा के प्रति बच्चो में रूचि बढ़ी है।
5. जो बच्चें विशेषतौर पर लड़कियां जो छोटे भाई बहनों की देखरेख की वजह से विद्यालय नहीं आतीं थीं, आने लगी हैं।

ग्राम शिक्षा समिति :

प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने की दृष्टि से **डी.पी.ई.पी.** के अन्तर्गत विद्यालय प्रबन्धन तथा क्रियान्वयन में स्थानीय समुदाय की सहभागिता बढ़ाने के लिए, स्कूलों के प्रति समुदाय के लगाव को प्रोत्साहित करने के लिए ग्राम शिक्षा समिति का गठन किया गया है। ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष ग्राम प्रधान होता है तथा इसमें महिलाओं, अनुसूचित जाति जनजाति के अभिभावकों, स्वयं सेवी संगठन के सदस्यों को भी प्रतिनिधित्व दिया गया है। समिति का सदस्य सचिव परिषदीय विद्यालय का प्रधानाध्यापक होता है। इसके अतिरिक्त समिति में विकलांग बच्चों के अभिभावकों को भी सम्मिलित करने के निर्देश हैं। विद्यालय भवन की मरम्मत, अनुरक्षण, विद्यालय की अन्य सुविधाओं, भवन निर्माण आदि का उत्तरदायित्व ग्राम शिक्षा समिति का है। इसके अतिरिक्त ग्राम शिक्षा समिति विद्यालय तथा शिक्षकों के कार्यों का भी पर्यवेक्षण करती हैं।

डी.पी.ई.पी. में जनपद पीलीभीत में डायट के नेतृत्व में ग्राम शिक्षा समितियों को तीन दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया गया तथा प्रशिक्षण के दो चक्र आयोजित किये गये हैं। ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण के लिए जिला संसाधन समूह (डी.आर.जी.) तथा ब्लाक संसाधन समूह (बी.आर.जी) का गठन किया गया। ब्लाक संसाधन समूह में नेहरू युवा केन्द्रों के स्वयं सेवकों, शिक्षकों, स्वयं सेवी संगठनों के प्रतिनिधि भी सम्मिलित हैं। बी.आर.जी. सदस्यों को प्रशिक्षण डायट स्तर पर प्रदान किया गया तथा इस अनुक्रम में बी.आर.जी. के सदस्यों ने ग्राम शिक्षा समितियों के लिए विकेन्द्रीकृत प्रशिक्षण आयोजित किया। ये प्रशिक्षण ग्राम स्तर पर आयोजित किये गये तथा ये निम्नांकित बिन्दुओं पर आधारित थे:–

1. प्रतिभागितापरक विश्लेषण और समस्या समाधान अभ्यास कार्य।
2. कौशल निर्माण अभ्यास कार्य।
3. समुदाय तथा ग्राम शिक्षा समिति के अभ्यासों का सफलतापूर्वक प्रस्तुतीकरण
4. प्रतिभागिता उपागम, रोल प्ले, केस स्टडी, क्षेत्र भ्रमण और सम्प्रेषण अभ्यास।

जनपद में ग्राम शिक्षा समितियों को अधिक क्रियाशील बनाने, विद्यालय की गतिविधियों में उनकी प्रतिभागिता को बढ़ाने तथा शैक्षिक विकास हेतु विद्यालयों में योगदान देने के लिए आयोजित इस प्रशिक्षण में स्कूल मैपिंग तथा माइक्रोप्लानिंग अभ्यास भी किये गये तथा इसके आधार पर ग्राम शिक्षा योजनायें तैयार की गई। ग्राम शिक्षा योजना विद्यालय स्तर पर संरक्षित की गई है तथा उनका क्रियान्वयन किया जाता है।

विद्यालय स्तर पर नियोजन, स्कूल न आने वाले बच्चों की पहचान तथा उनके स्कूल न आने के कारणों की पहचान के लिए सूक्ष्म नियोजन और विद्यालय मानचित्रण का कार्य किया गया है। ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण के दौरान 'ग्राम शिक्षा समिति – संकल्प एवं प्रयास' नामक माड्यूल तथा एक कार्य पुस्तिका का उपयोग किया गया है जिसमें सूक्ष्म नियोजन और विद्यालय मानचित्रण के विभिन्न प्रारूप संकलित हैं। ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण तथा विद्यालय विकास योजना के निर्माण से विद्यालय के क्रियाकलापों में समुदाय की भागीदारी बढ़ी है, स्कूल के क्रियाकलापों का स्थानीय स्तर से पर्यवेक्षण में सुविधा हुई है तथा स्कूल न आने वाले बच्चों खासकर लड़कियों के नामांकन में लक्ष्य के अनुरूप वृद्धि हुई है।

मध्य सत्रीय मूल्यांकन सर्वेक्षण के द्वारा यह निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि लगभग 50 प्रतिशत विद्यालयों में ही ग्राम शिक्षा समितियों की नियमित बैठकों का आयोजन होता है।

समुदाय की भागीदारी बढ़ाने के लिए विभिन्न राष्ट्रीय पर्व पर, विद्यालय के वार्षिक कार्यक्रम आयोजन के अवसर पर भी समुदाय के लागों को सम्मिलित किये जाने की आवश्यकता है, बच्चों की प्रगति जानने के लिए अभिभावकों को आमंत्रित किया जा सकता है। शिक्षण के समय तथा प्रशिक्षण के समय भी समुदाय के लोगों को कक्षा में शिक्षण देखने के लिए आमंत्रित किये जाने की आवश्यकता है।

प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक दोनों स्तरों पर बच्चों की शिक्षा में परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका है। अभिभावक के जागरूक होने पर बच्चों का विद्यालय में नामांकन व नियमित उपस्थिति सुनिश्चित होने में सहयोग मिलता है। यदि माता–पिता शिक्षित हैं या परिवार के अन्य सदस्य, भाई–बहन शिक्षित हैं तो बच्चों को गृहकार्य करने में मदद मिलती है। छोटी कक्षाओं के बच्चों को उच्च कक्षाओं की तुलना में अभिभावकों से अधिक सहयोग मिलता है। शिक्षित अभि भावकों में अपेक्षाकृत शिक्षा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण देखने को मिलता है।

ग्रामीण क्षेत्रो में अधिकांश अभिभावक कम पढ़े–लिखे या निरक्षर हैं और कृषि कार्य में लगे होते हैं ऐसी स्थिति में वे बच्चों की शिक्षा में सहयोग नहीं दे पाते हैं और न ही उनकी शिक्षा के प्रति ध्यान दे पाते हैं। शहरी क्षेत्रों में परिषदीय विद्यालयों में अधिकांश बच्चे गरीब परिवारों से आते हैं। इनके माता–पिता या अभिभावक अधिकांशतया मजदूरी का कार्य करते हैं तथा स्वंय भी शिक्षित नहीं होते हैं। इस लिए इन परिवारों के बच्चों को भी शिक्षा में कोई सहयोग नहीं मिल पाता है। इस प्रकार ग्रामीण एवं शहरी परिषदीय विद्यालयों में शिक्षा के लिए बच्चों को शिक्षकों का ही एक मात्र सहयोग है।

शिक्षकों को सहयोग समर्थन की व्यवस्था :

गुणवत्ता विकास खासकर बच्चों की शैक्षिक सम्प्राप्ति स्तर में वृद्धि करने और कक्षा की प्रक्रिया में बदलाव लाने में शिक्षक की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान पीलीभीत के नेतृत्व में शिक्षक की क्षमता बढ़ाने, उनके विषयवस्तु–ज्ञान में अभिवृद्धि और शिक्षण कौशलों में अपेक्षित बदलाव लाने के लिए बहुआयामी रणनीति अपनाई गई थी। डी.पी.ई.पी. के पूर्व 'एस. ओ.पी.टी.' कार्यक्रम के दौरान जो कठिनाइयां अनुभव की गई थीं वे इस प्रकार हैं –

- प्रशिक्षण कार्यक्रम की विषयवस्तु शिक्षकों की अकादमिक आवश्यकताओं से सीधे जुड़ी हुई न होकर सभी शिक्षकों, चाहे वे जिस स्तर के हों, के लिए एक समान थी तथा कक्षा की वास्तविकताओं और

प्रक्रियाओं से इसे जोड़ने में कठिनाई हुई।

- प्रशिक्षण में प्रतिवर्ष सभी शिक्षकों की शामिल नहीं किया जा सका वरन् सीमित संख्या में शिक्षकों को ही प्रशिक्षण प्रदान किया जा सका।
- प्रशिक्षण के उपरांत "फालोअप" खासकर विकासखंड और न्याय पंचायत स्तर पर शिक्षकों को सहयोग प्रदान करने की व्यवस्था नहीं की जा सकी।

इन अनुभवों के आधार पर डी.पी.ई.पी. के अंतर्गत लगातार शिक्षकों के लिए प्रतिवर्ष प्रशिक्षण आयोजित किये गये। ये प्रशिक्षण सभी शिक्षकों– परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों के सहायक तथा प्रधानाध्यापकों, नवनियुक्त शिक्षकों के लिए आयोजित किये गये। डायट स्तर पर मास्टर ट्रेनर्स तथा संदर्भ व्यक्तियों का प्रशिक्षण आयोजित किया गया। विकास खंड स्तरीय इन प्रशिक्षणों का पर्यवेक्षण और अनुश्रवण डायट सदस्यों द्वारा किया गया।

शिक्षकों को शैक्षिक सपोर्ट के लिए जिला स्तर पर डायट, ब्लाक स्तर पर बी.आर.सी समन्यवयकों की व्यवस्था है। प्रतिमाह एन.पी.आर.सी समन्यवयकों द्वारा विद्यालयों का अकादमिक पर्यवेक्षण किया जाता है। तथा शिक्षकों को शैक्षिक तथा विद्यालय परिवेश सम्बन्धी समस्याओं के लिए आवश्यक समाधान सुझाये जाते हैं। बी.आर.सी समन्यवयकों के लिए भी आवश्यक समाधान सुझाये जाते हैं। बी.आर.सी समन्यवयकों एवं डायट के मेन्टर द्वारा भी समय–समय पर विद्यालयों का अकादमिक पर्यवेक्षण कर सुधार हेतु आवश्यक निर्देश दिये जाते हैं अकादमिक पर्यवेक्षण की इस प्रकार की व्यवस्था तो है लेकिन इन सुझावों का कार्यरूप में परिणति नहीं अथवा कम हो पा रही है। इसको प्रभावी बनाये जाने के लिए उपाय किये जाने की आवश्यकता है।

शैक्षिक सपोर्ट देने के लिए डायट संकाय के सदस्यों निरीक्षक वर्ग, बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. समन्यवकों को तीन दिवसीय "शैक्षिक सपोर्ट एवं अनुश्रवण कार्यशालाओं" के माध्यम से डायट स्तर पर प्रशिक्षित किया गया है। राज्य स्तर पर तैयार किये गये पैरामीटर/इन्डीकेटर्स का प्रयोग करते हुए विद्यालयों बी.आर.सी. तथा एन.पी.आर.सी. को श्रेणी बद्ध किया जाना सुनिश्चित है। जनपद में स्कूलों की ग्रेडिंग के अनुसार स्थिति सारणी 9:1 के अनुसार निम्नवत् है –

जनपद में स्कूलो की ग्रेडिंग के अनुसार स्थिति -

सारिणी - 9: 1

विकास खण्ड	स्कूलो की सं0 जिनका निरीक्षण हुआ	श्रेणी				पर्यवेक्षक डायट मेन्टर, शिक्षक प्रशिक्षण के सुझाव बिन्दु
		ए	बी0	सी0	डी	
बिलसण्डा	123	03	26	65	29	
बीसलपुर	116	02	44	57	13	
बरखेज	85	02	09	37	37	
ललौरी खेड़ा	112	01	17	37	57	
अमरिया	116	.	14	89	13	
पूरनपुर	45	.	18	23	03	
मरौरी	122	18	33	34	17	

स्रोत: डायट, बीसलपुर, पीलीभीत.

उपरोक्त ग्रेडिग व्यवस्था अधिकांशतया भौतिक वातावरण पर आधारित है इसमें शैक्षिक वातावरण को भी समाहित करने की आवश्यकता है जिससे कक्षा में सीखने सिखाने के महौल में और प्रगति हो।

विभिन्न स्तर के पर्यवेक्षक के दौरान जो मुददे/समस्याएं चिन्हित की जाती है उनका निस्तारण मासिक बैठकों कार्यशालाओं में किया जाता है। सहयोग एवं समर्थन

की प्रक्रिया को प्रभावी वनाने की दिशा में कुछ अन्य नवाचार किये जाने की आवश्यकता अनुभव की जा रही है।

डी.पी.ई.पी. के अन्तर्गत सेवारत शिक्षक- प्रशिक्षण विवरण -

प्राथमिक स्तर -

डी0पी0ई0पी0 के अन्तर्गत शिक्षकों को पाँच चक्र प्रशिक्षण दिये जाने की व्यवस्था है। गत दो वर्षो में शिक्षकों को दो चक्र का प्रशिक्षण दिया जा चुका है। प्रथम चक्र का प्रशिक्षण डायट स्तर तथा बाद में ब्लाक स्तर पर आयोजित किये गये। ब्लाक स्तर पर ब्लाक समन्वयकों द्वारा प्रशिक्षणों की व्यवस्था की गयी। दूसरें चक्र प्रशिक्षण बी0आर0सी0 स्तर पर आयोजित किये गये इनकी व्यवस्था ब्लाक समन्वयक द्वारा की गयी थी।

प्रशिक्षण देने के लिए प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों को खुली चयन प्रतियोगिता के द्वारा चयनित किया गया और उनकों टी0ओ0टी0 प्रशिक्षण प्रदान किया गया प्रथम वर्ष में टी0ओ0टी0 प्रशिक्षण डायट स्तर पर तथा जनपद से बाहर राज्य स्तर के प्रशिक्षकों द्वारा दिया जाता है। द्वितीय चक्र प्रशिक्षण के लिए भी प्रशिक्षकों का चयन प्रतियोगिता के द्वारा किया गया तथा उनका टी0ओ0टी0 प्रशिक्षण जनपद से बाहर दिया गया। इस वर्ष तृतीय चक्र प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षकों का चयन किया गया तथा उनका प्रशिक्षण आयोजित किया जा चुका है। शिक्षकों के तृतीय चक्र प्रशिक्षण ब्लाक स्तर एर वी0आर0सी0 में माह जून 2001 तक पूर्ण कर लिये जायेगे।

प्रथम चक्र प्रशिक्षण "शिक्षक अभिप्रेरण प्रशिक्षक" दस दिवसीय आयोजित किये गये। इस प्रशिक्षण के मुख्य बिन्दु थे -

1. शिक्षकों को अभिप्रेरित कर अपने दायित्वों के प्रति जागरूक बनाना।
2. शिक्षकों में बच्चों के प्रति समझ विकसित करना। सीखने सम्बन्धी बच्चों की कठिनाईयों को समझना और उनके प्रति संवेदनशील बनाना।
3. शिक्षण में बच्चो की सक्रियता और भागीदारी वढाना।
4. कक्षा का वातावरण जिज्ञासा पूर्ण वनाना।
5. सहायक सामग्री के प्रयोग से शिक्षण में रोचकता लाना।

6. गतिविधि आधारित शिक्षण करना।

7. वंचित वर्ग विशेषकर बालिकाओं की शिक्षा में कठिनाइयों के प्रति संवेदीकरण तथा स्थानीय समुदाय से सहयोग प्राप्त करना।

द्वितीय चक्र प्रशिक्षण "सबल" प्राथमिक स्तर पर गत वर्ष प्रदान किया गया था जिसकी व्यवस्था ब्लाक स्तर पर ब्लाक समन्यवयकों द्वारा की गयी। इस प्रशिक्षण के मुख्य बिंन्दु निम्नांकित थे -

1. "विषय वस्तु" आधारित प्रशिक्षण।

2. दक्षताधारित शिक्षण पर प्रबल

3. सहायक सामग्री निर्माण एवं प्रयोग की जानकारी।

4. विभिन्न विषयों के लिए गतिविधियों का निर्माण करना एवं उनके द्वारा शिक्षण करना।

उच्च प्राथमिक स्तर -

उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षकों के लिए डी0पी0ई0पी0 योजना मे प्रशिक्षण की कोई व्यवस्था नही है। इस दृष्टि से इन शिक्षको के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की आवश्यकता है।

जनपद में कार्यरत शिक्षको की शैक्षिक योग्यता व अनुभव की स्थिति का विवरण -

सारिणी - 9-1-अ

शैक्षिक योग्यता	प्राथमिक स्तर	उच्च प्राथमिक स्तर
1. शिक्षकों की कुल संख्या	1976	570
2. हाई स्कूल से कम योग्यता धारी शिक्षक	34	-
3. केवल हाई स्कूल उतीर्ण	438	10
4. केवल इण्टर मीडिएट उतीर्ण (अप्रशिक्षित)	102	01

5. स्नातक (अप्रशिक्षित)	03	-
6. परा स्नातक (अप्रशिक्षित)	02	-
7. इण्टर मीडिएट एवं (प्रशिक्षित)	879	347
8. स्नातक एवं प्रशिक्षित	351	142
9. परा स्नातक एवं प्रशिक्षित	167	70

स्रोत - बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पीलीभीत

सारिणी से स्पष्ट होता है कि प्राथमिक विद्यालयों में 34 शिक्षक हाई स्कूल से कम योग्यता वाले है जिन्हे विभिन्न विषयों की विषय वस्तु का ज्ञान देने की विशेष आवश्यकता होगी। शिक्षकों में 107 शिक्षक अप्रशिक्षित है जिन्हे प्रशिक्षण सम्बन्धी बाल मनोविज्ञान की जानकारी, शिक्षण विधियों की जानकारी, तथा अन्य शिक्षण विधाओं की जानकारी दिये जाने की आवश्यकता होगी।

सारिणी - 9.2-ब

शिक्षण अनुभव	प्राथमिक स्तर	उच्च प्राथमिक स्तर
1. 5 वर्ष से कम	357	96
2. 5 से 10 वर्ष तक	422	68
3. 10 से 15 वर्ष तक	337	73
4. 15 से 20 वर्ष तक	277	88
5. 20 से 25 वर्ष तक	169	81
6. 25 से 30 वर्ष तक	210	112
7. 30 वर्ष से अधिक	204	52

स्रोत: बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय, पीलीभीत

सारिणी ब से स्पष्ट होता है कि जनपद में 357 शिक्षक 5 वर्ष से कम अनुभव बाले है इनको छोटे बच्चों की शिक्षण विद्याओं बहु कक्षा शिक्षण, विद्यालय, समय सारिणी, कक्षा प्रबन्धन आदि की विशेष जानकारी उपलब्ध कराने की आवश्यकता होगी। सारिणी के अनुसार 414 शिक्षक 25 वर्ष या उससे अधिक सेवा

अवधि वालें है। इनके ज्ञान को नवीन विषय वस्तु के अनुसार अद्यतन करने की आवरयकता होगी साथ ही नवीन पाठ्यक्रम के द्वारा शिक्षण करने के लिए इनकों जानकारी दिये जाने की आवश्यकता होगी।

उच्च प्राथमिक स्तर पर भी सारिणी अ को देखने से स्पष्ट होता है कि 10 शिक्षक हाई स्कूल की योग्यता वालें है। इन्हे भी पाठ्यक्रम से सम्वन्धित विषयों की नवीन जानकारी दिये जाने की आवश्यकता होगी। सारिणी व के अनुसार 357 शिक्षक 5 वर्ष या कम शिक्षक अनुभव वाले है इन्हे भी कक्षा कक्षा की प्रक्रिया ।बच्चो के व्यवहार बहुकक्षा शिक्षण सम्बन्धी विधाओं से परिचित कराने की आवश्यकता होगी। जो शिक्षक 25 वर्ष से अधिक सेवा अवधि के है इन्हे भी नवीन शिक्षण विधियों की जानकारी देने की आवश्यकता होगी।

योग्य उत्साही तथा नवाचार कार्यक्रमों को संचालित करने वाले शिक्षकों को प्रोत्साहित/पुरस्कृत करने की आवश्यकता है। विद्यालय का भवन उसके आस पास का वातावरण स्वच्छ एवं सुन्दर बनाने के लिए शिक्षकों छात्रों तथा अभिभावकों को मिलकर प्रयास करनें की आवश्यकता है। विद्यालय का शैक्षिक वातावरण प्रभावी बनाने के लिए शिक्षकों द्वारा कक्षा की दीवारों पर वर्णमाला, अंक ज्ञान सम्बन्धी चार्ट कहानी चित्रग आदि बनवाने की आवश्यकता है।

प्रशिक्षणों का कक्षा में प्रभाव -

पर्यवेक्षकों शिक्षकों से वार्ता करने तथा बच्चो से जानने पर पता चला है कि शिक्षकों में जागरूकता बढी है सहायक सामग्री का प्रयोग अपेक्षाकृत अधिक हो रहा है, वच्चो की कक्षा में भागीदारी बढ़ी है। गतिविधियों के प्रयोग से विशेषकर छोटी कक्षाओं (1,2व3) के बच्चों में रूचि बढी है और उनके लिए शिक्षा आनन्द दायी हुई है। वच्चे कक्षा में सक्रिय नजर आते है।

प्राथमिक विद्यालयों में एक ही स्थान पर दो या अधिक कक्षाए लगाई जाती है जिससे गतिविधि आधारित शिक्षण में दूसरी कक्षाओं के शिक्षण में वाधा उत्पन्न होती है साथ ही गतिविधियों के लिए कक्षा में पर्याप्त स्थान नही मिल पाता है। एकल अध्यापक विद्यालयों में सभी कक्षाओं के संचालन में भी कठिनाई होती है।

अभी बी0आर0सी0 भवन पूर्ण नही हुए थे इसलिए ब्लाक स्तर पर भी प्रशिक्षण वैकल्पिक स्थलों पर आयोजित किये गये जिसमें पर्याप्त स्थान न मिल पाने के कारण कठिनाई अनुभव हुई। प्रशिक्षण ब्लाक स्तर पर आयोजित करने से शिक्षकों को सुविधा हुई। प्रशिक्षण जिन उददेश्यों को लेकर किये गये वे ठीक थे।

प्रशिक्षणों के संचालन की व्यवस्था और अनुश्रवण –

डी.पी.ई.पी. के अंतर्गत जनपद पीलीभीत में बी.आर.सी. तथा एन.पी.आर.सी. की स्थापना की गई। बी.आर.सी. स्तर पर एक समन्वयक तथा एक सह समन्वयक और एन.पी.आर.सी. स्तर पर एक समन्वयक का चयन तथा पदस्थापन किया गया था जो कार्यरत शिक्षक ही हैं। इनको विभिन्न बिन्दुओं पर आयोजित प्रशिक्षण प्रदान किया गया–

1. बी.आर.सी. के कार्य तथा दायित्व संबंधी आधारभूत 5 दिवसीय प्रशिक्षण जो समर्थन मॉडयूल पर आधारित था।
2. अकादमिक पर्यवेक्षण एवं सहयोग संबंधी तीन दिवसीय प्रशिक्षण।
3. ये प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किये गये।

बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. समन्वयकों, सह–समन्वयकों को उनके कार्य तथा दायित्वों के सम्बंध में पांच दिवसीय तथा अकादमिक पर्यवेक्षण के संदर्भ में तीन दिवसीय प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किये गये। समन्वयकों द्वारा नियमित विद्यालय भ्रमण, आदर्श पाठों का प्रस्तुतीकरण, विद्यालयों, एन.पी.आर.सी. तथा बी.आर.सी. का उनके भौतिक–अकादमिक पक्षों के आधार पर श्रेणीकरण, एन.पी.आर.सी. स्तर पर मासिक बैठकों में शिक्षकों की समस्याओं के समाधान, शिक्षण सामग्री मेलों का आयोजन आदि उपायों के माध्यम से नियमित गुणवत्ता अनुश्रवण कार्यक्रम संचालित किया गया।

समन्वयकों की भूमिका :

बी.आर.सी. द्वारा वर्तमान में प्रमुख रूप से निम्नांकित कार्य किये जा रहे हैं–

1. बी.आर.सी. संदर्भ केन्द्र के रूप में विकसित किया गया हैं जिसका उपयोग शिक्षक अपने अकादमिक कठिनाइयों के समाधान हेतु करते हैं।
   - विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों का नियोजन, आयोजन और फालोअप
   - विद्यालय भ्रमण, मासिक बैठकों का आयोजन, कक्षाओं का अवलोकन और उन्हें फीडबैक प्रदान करते हैं।
   - वार्षिक कार्ययोजना तथा बजट का निर्माण कर उसका क्रियान्वयन करते हैं।
   - शिशु शिक्षा केन्द्रों तथा वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों का अनुश्रवण करते हैं।
   - एन.पी.आर.सी. स्तरीय क्रियाकलापों का पर्यवेक्षण करते हैं।
   - ई.एम.आई.एस. के आंकड़ों का संकलन।
   - डायट के मार्गदर्शन में विकास खंड स्तरीय गुणवत्ता विकास कार्यक्रमों, कार्यशालाओं, नियोजन तथा शाला मानचित्रण, वातावरण सृजन आदि कार्यों का आयोजन करते हैं

एन.पी.आर.सी. समन्वयकों की भूमिका–

संकुल स्तर पर शैक्षिक अकादमिक तथा पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों के केन्द्रिक बिन्दु एन.पी.आर. सी. हैं। स्थानीय समुदाय को अभिप्रेरित करना, सूक्ष्म नियोजन तथा विद्यालय मानचित्रण अभ्यास में ग्राम शिक्षा समितियों का प्रशिक्षण आयोजित करना, शिक्षकों के अनुभवों का परस्पर–विनिमय, स्कूल भ्रमण तथा शिक्षकों की सहयोग प्रदान करना आदि एन.पी.आर.सी. समन्वयकों के प्रमुख कार्य हैं। इसके अतिरिक्त सन्वयकों द्वारा किये जाने वाले मुख्य कार्य निम्नवत् हैं–

1. शिक्षकों की मासिक बैठकों तथा कार्यशालाओं का आयोजन।
2. वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों तथा शिशु शिक्षा केन्द्रों का भ्रमण तथा पर्यवेक्षण करना।
3. स्कूल चलो अभियान, बालगणना तथा ई.एम.आई.एस. आंकड़ों का संकलन तथा टेस्ट चेकिंग।
4. ग्राम शिक्षा समितियों के सहयोग से सूक्ष्म नियोजन तथा विद्यालय शिक्षण योजना का विकास करना।
5. बी.आर.सी. को सहयोग प्रदान करना, मासिक बैठकों में प्रतिभाग तथा सूचनाओं का आदान प्रदान।
6. कार्यों तथा कार्यक्रमों की रिपोर्ट तैयार कर बी.आर.सी. तथा डायट को भेजना।

प्रोत्साहन योजनाएँ :

प्राथमिक विद्यालय में छात्रों के नामांकन एवं ठहराव के लिए सरकार द्वारा अनुसूचित जाति तथा पिछड़ी जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति की व्यवस्था की गयी है। जनपद के 14 वर्ष तक के आयु के समस्त बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के बालकों तथा सभी बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करायी गई हैं। जिसके फलस्वरूप छात्रों के नामांकन में वृद्धि हुई है। बच्चों के लिए पोषाहार कार्यक्रम चलाया गया, जिससे ग्रामीण क्षेत्रो के निर्धन अभिभावकों को भी सहारा मिला।

बच्चों का विद्यालय में नामांकन एवं ठहराव बनाये रखने के लिए विद्यालयों में बच्चों के लिए छात्रवृत्ति पोषाहार योजना तथा निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों के वितरण की योजनाएं संचालित हैं। इन सुविधाओं से अभिभावकों को सहायता मिलती है। और बच्चों का नामांकन विद्यालयो में बढ़ा है तथा ह्रास की समस्या पर भी अंकुश लगा है। छात्रवृत्ति का लाभ अनुसूचित जाति अनु0 जन जाति के सभी बालक बालिकाओं के पिछड़ा वर्ग के, प्रति कक्षा कुछ बच्चों को दिया जाता है। पोषाहार योजना का लाभ विद्यालय के सभी बालक बालिकाओं की प्रतिमाह प्राप्त होता है। निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों के वितरण की व्यवस्था डी0पी0ई0पी0 योजनान्तर्गत की गयी है। जिसमें कक्षा–1 से 5 तक के अनुसूचित जाति के सभी बालक बालिकाएं तथा अन्य वर्गों की सभी बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें प्रति वर्ष वितरित की जाती हैं। तथा इससे 1.15 लाख बालक तथा बालिकाएं लाभान्वित हुए हैं।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों की शैक्षिक सम्प्राप्ति का मूल्यांकन किया गया है। इस क्रम में बेसलाइन एसेसमेन्ट स्टडी तथा मिड टर्म एसेसमेन्ट स्टडी (2000) में की गई है। इन अध्ययनों के आधार पर बच्चों की शैक्षिक सम्प्राप्ति का तुलनात्मक अध्ययन करने पर स्थिति निम्नवत् है–

बेस लाइन स्टडी तथा मध्यावधि स्टडी के अनुसार छात्रों की उपलब्धि

कक्षा 1 भाषा में छात्रों की उपलब्धि

परीक्षण	बालक मध्यमान प्रतिशत	बालिका मध्यमान प्रतिशत	अनुसूचित जाति मध्यमान प्रतिशत	अन्य पिछड़ा वर्ग मध्यमान प्रतिशत	अन्य वर्ग मध्यमान प्रतिशत
बेस लाइन सर्वे	41.95	38.35	35.00	40.30	52.9
मध्यावधि सर्वे	60.50	77.78	77.7	79.3	79.3
उपलब्धि में वृद्धि	18.55	39.53	37.7	39.0	26.4

स्रोत- विभागीय आँकड़े

कक्षा 1 गणित में छात्रों की उपलब्धि

परीक्षण	बालक मध्यमान प्रतिशत	बालिका मध्यमान प्रतिशत	अनु. मध्यमान प्रतिशत	अन्य पिछड़ा वर्ग मध्यमान प्रतिशत	अन्य वर्ग मध्यमान प्रतिशत
बेस लाइन सर्वे	47.57	37.71	35.57	45.14	51.71
मध्यावधि सर्वे	73.93	81.97	85.6	85.7	83.6
उपलब्धि में वृद्धि	26.36	44.26	50.03	40.56	31.89

स्रोत- विभागीय आँकड़े

कक्षा-5 भाषा में छात्रों की उपलब्धि

परीक्षण	बालक	बालिक	अनु.	अन्य पिछड़ा वर्ग	अन्य वर्ग
बेस लाइन सर्वे	43.98	42.26	41.58	43.29	48.07
मध्यावधि सर्वे	50.89	45.26	56.8	56.7	55.4
उपलब्धि में वृद्धि	7.00	3.00	15.22	13.41	7.33

स्रोत- विभागीय आँकड़े

कक्षा-5 गणित में छात्रों की उपलब्धि

परीक्षण	बालक	बालिका	अनु.	अन्य पिछड़ा वर्ग	अन्य वर्ग
बेस लाइन सर्वे	32.87	32.77	31.8	32.4	36.57
मध्यावधि सर्वे	45.42	41.81	49.22	45.2	41.7
उपलब्धि में वृद्धि	**12.65**	**9.04**	**17.42**	**12.8**	**5.13**

स्रोत- विभागीय आँकड़े

इन तालिकाओं से स्पष्ट है कि कक्षा-1 व कक्षा-5 में गणित एवं भाषा दोनो में वच्चों का उपलब्धि स्तर बढ़ा है। किन्तु कक्षा-5 में उपलब्धिमें वृद्धि वहुत कम हो पाई है। अत: गणित एवं भाषा हेतु विशेष शिक्षण प्रशिक्षण की आवश्यकता है।

कक्षा-1 भाषा में छात्रों की उपलब्धि

स्तर		बालक (307)		बालिका (306)		योग (613)	
न्यूनतम अधिकतम स्तर से कम	संख्या/प्र.श.	20	6.5	21	6.9	41	6.7
न्यूनतम अधिकतम स्तर	संख्या/प्र.श.	35	11.4	43	14.1	78	12.7
न्यूनतम अधिकतम कम से अधिक	संख्या/प्र.श.	252	82.1	242	79.0	494	80.6

स्रोत- विभागीय आँकड़े

कक्षा-1 गणित में छात्रों की उपलब्धि

स्तर		बालक (307)		बालिका (306)		योग (613)	
न्यूनतम अधिकतम स्तर से कम	संख्या/प्र.श.	17	5.54	14	4.58	31	5.06
न्यूनतम अधिकतम स्तर	संख्या/प्र.श.	20	6.51	19	6.21	39	6.36
न्यूनतम अधिगम स्तर से अधिक	संख्या/प्र.श.	270	87.95	273	89.21	543	88.58

स्रोत- विभागीय आँकड़े

कक्षा-4 भाषा में छात्रों की उपलब्धि का स्तर

स्तर		बालक (335)		बालिका (248)		योग (583)	
न्यूनतम अधिगम स्तर से कम	संख्या/प्र.श.	43	12.8	23	9.3	66	11.3
न्यूनतम अधिगम स्तर	संख्या/प्र.श.	161	48.1	122	49.2	283	48.5
न्यूनतम अधिगम स्तर से अधिक	संख्या/प्र.श.	161	39.1	103	41.5	234	40.2

कक्षा-4 में गणित में उपलब्धि का स्तर

स्तर		बालक (335)		बालिका (248)		योग (583)	
न्यूनतम अधिगम स्तर से कम	संख्या/प्र.श.	155	46.3	108	43.5	263	45.1
न्यूनतम अधिगम स्तर	संख्या/प्र.श.	115	34.3	96	38.7	211	36.2
न्यूनतम अधिगम स्तर से अधिक	संख्या/प्र.श.	65	19.4	44	17.8	109	18.7

मध्य सत्रीय मूल्यांकन सर्वेक्षण के आधार पर पता चलता है कि 6.5 प्रतिशत बालक, 6.9 प्रतिशत बालिकाएं कुल 6.7 प्रतिशत बच्चे न्यूनतम अधिगम स्तर प्राप्त नही कर सके कक्षा-1 गणित में 5.54 प्रतिशत बालक, 4.58 प्रतिशत बालिकाएं कुल 5.06 प्रतिशत बच्चे न्यूनतम अधिगम स्तर प्राप्त नही कर सके।

कक्षा 4 भाषा में 12.8 प्रतिशत बालक 9.3 प्रतिशत बालिकाएं कुल 11.3 प्रतिशत बच्चे न्यनूतम अधिकतम स्तर प्राप्त नही कर सके।

कक्षा 4 गणित में 46.3 प्रतिशत बालक 43.5 प्रतिशत बालिकाएं कुल योग 45.1 बच्चे न्यूनतम अधिकतम स्तर प्राप्त नही कर सके।

इस प्रकार जो बच्चे न्यूनतम अधिगम प्राप्त नही कर सके उनके लिए विशेष प्रयास करने की आवश्यकता है।

विशेष रूप से कक्षा-4 गणित में लगभग 45.1 प्रतिशत बच्चे न्यूनतम अधिगम प्राप्त नही कर सके गणित विषय के निदान में वहुत अधिक प्रयास की आवश्यकता है।

विशेष बच्चों के बारे में-

समाज में प्रत्येक बच्चे को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना हमारी प्रथम प्राथमिकता है। सभी बच्चों का शत प्रतिशत नामांकन हो, ठहराव हो और वे निर्धारित स्तर की विद्यालयी शिक्षा प्राप्त कर सकें।

समाज में कुछ बच्चें ऐसे भी हैं जो विद्यालयी शिक्षा से वंचित रह जाते है इनमें बाल श्रमिक खेतिहर बाल श्रमिक, मलिन बस्तियों में रहने वाले बच्चे, विकलांग बच्चे आते है जो अपनी कठिनाईयों/समस्याओं, परिस्थतियों के कारण विद्यालय नही आ पाते है। इनके विद्यालय से न जुड़ने के कारण शिक्षा के सार्वजनीकरण का लक्ष्य पूरा नहीं होता है।

इन बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए उनके माता पिता तथा अभिभावकों से सम्पर्क कर उनसे मानसिक रूप से जुड़कर उनकी सोंच में सकारात्मक परिवर्तन लाना होगा।

इन बच्चों में आत्मविश्वास जगाने की आवश्यकता है।

इन विशेष बच्चों की पहचान कर उनकी शिक्षा व्यवस्था के लिए शिक्षकों को डायट स्तर पर विशेष रूप से प्रशिक्षित किये जाने की आवश्यकता है।

बाल श्रमिकों तथा मलिन वस्तियों में रहने वाले ऐसे बच्चों को औपचारिक शिक्षा व्यवस्था से जोड़ना कठिन है अत: इन बच्चो के लिए वैकल्पिक शिक्षा व्यवस्था की आवश्यकता है। ये बच्चे प्राथमिक विद्यालयों की निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार शिक्षा ग्रहण करनें में असमर्थ रहते है और इनके पास समय कम होता है। साथ ही ये बच्चे औपचारिक स्कूल की कक्षा में प्रवेश लेने की उम्र (6 वर्ष) को भी प्राय: पार कर जाते है अत: इनका प्रवेश कक्षा1 के बजाय इनके स्तर के अनुरूप कक्षा में कराना ही उपयुक्त होगा। बाल श्रमिक तथा मलिन बस्तियों में रहने वाले ऐसे वच्चों को औपचारिक पाठ्यक्रम की निर्धारित अवधि 8 वर्ष पूर्ण कराने के स्थान पर कम अवधि के पाठ्यक्रम और तदनुरूप शिक्षण सामग्री विकसित करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त इन बच्चों को जीवनोपयोगी कौशलों और कार्यानुभव की शिक्षा देना भी उपयुक्त होगा।

स्कूलों की कक्षाओं की स्थिति -

परिषदीय विद्यालय	एक शिक्षक विद्यालय	दो शिक्षक विद्यालय	तीन शिक्षक विद्यालय	चार शिक्षक विद्यालय
प्राथमिक स्तर	267	328	187	106

स्रोत : बेसिक शिक्षा अधिकारी, पीलीभीत।

विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या सारणी को देखने से ज्ञात होता है कि प्राथमिक विद्यालयों में 22.5 प्रतिशत विद्यालय एक शिक्षक वाले 28.5 प्रतिशत विद्यालय दो शिक्षक वाले हैं 20.6 प्रतिशत तीन अध्यापक वाले तथा 11.2 प्रतिशत चार शिक्षक वाले विद्यालय है। इस स्थिति में अधिकांश विद्यालयों में एक अध्यापक को एक समय में एकसाथ कई कक्षाएं पढ़ानी पड़ती है। इसके लिए शिक्षकों को बहु कक्षा शिक्षण विधियों की जानकारी होनी चाहिए। अत: उन्हें बहुकक्षा शिक्षण का प्रशिक्षण दिये जाने की आवश्यकता होगी।

उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भी जनपद में बहुकक्षा शिक्षण की स्थिति बनी हुई है। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भाषा गणित विज्ञान के विषयों के लिए विशेष प्रशिक्षित अध्यापक होने चाहिए तभी वह इन विषयों का शिक्षण ठीक प्रकार से कर सकतें हैं।उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों को प्रोन्नति देकर नियुक्त किया जाता है इससे वांछित स्तर के योग्य शिक्षक नही मिल पाते हैं जिससे बहुत से विद्यालयों में एक सामान्य अध्यापक को विशिष्ट विषयों का शिक्षण करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में आवश्यक है कि उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षकों को विषयों के नवीन ज्ञान का प्रशिक्षण भी दिया जाना चाहिए। जिससे शिक्षक इन विषयों का शिक्षण उचित प्रकार से कर सकें।

प्रभावी शिक्षण में सहायक सामग्री के उपयोग का बहुत महत्व है। जहाँ तक शिक्षण सहायक सामग्री के द्वारा शिक्षण की बात है देखने में आया हैं कि इसका प्रयोग कम हो रहा है। प्राथमिक स्तर पर तो सहायक सामग्री का प्रयोग देखने को मिलता है उच्च प्राथमिक विद्यालयों में इसका प्रयोग बिल्कुल नही हो पाता है। विषय वस्तु को मौखिक या श्याम पट पर अंकित करके ही बोध कराया जाता है। अत: उच्च प्राथमिक विद्यालय में प्रयोगशाला की आवश्यकता है इसके लिए ब्लाक स्तर पर किसी केन्द्रीय उच्च प्राथमिक विद्यालय अथवा विकास खण्ड के किसी माध्यमिक विद्यालय को संकुल विद्यालय बनाकर उसमें प्रयोग शाला की सामग्री दी जायेगी और इन्ही विद्यालयों में विकास खण्ड के विद्यालयों को प्रयोगशाला की सुविधा प्रदान की जायेगी।

स्कूल भ्रमण, शिक्षकों से विचार-विमर्श के दौरान शिक्षक अपनी शैक्षिक कठिनाईयां इस प्रकार बताते है -

1. प्राथमिक/उच्च प्राथमिक स्तर पर विद्यालयों में पर्याप्त शिक्षक नही है जिससे एक समय में एक साथ एक से अधिक कक्षाएं पढ़ानी पड़ती है।
2. अन्य विभागीय कार्यो में लगा दिये जाने के कारण शिक्षण के लिए पर्याप्त समय नही मिलता है।

3. अभिभावकों में शिक्षा के प्रति जागरूकता नहीं है जिससे बच्चों को वे नियमित विद्यालय नही भेजते व उन्हें घरेलू कार्यों में अक्सर लगा दिया जाता है।
4. बच्चों को गृह कार्य पूरा करने में अभिभावकों से सहयोग नहीं मिलता जिससे वे गृहकार्य पूरा करके नहीं ला पाते हैं।
5. विभिन्न पाठों के शिक्षण के लिए शिक्षण सहायक सामग्री के बनाने व प्रयोग करने की पर्याप्त जानकारी नही है। जानकारी दी जाने की आवश्यकता है।
6. विज्ञान, गणित के कुछ कठिन स्थलों के शिक्षण में भी कठिनाई है जिसकी जानकारी दी जाने की आवश्यकता है।
7. उच्च प्राथमिक स्तर पर जो बच्चे आते है वे पूरी तरह तैयार नही होते हैं नवीन ज्ञान देने में कठिनाई होती है उन्हें समझाने में अधिक समय लगता हैं।
8. उच्च प्राथमिक स्तर पर सभी विषयों के अध्यापक नहीं है सामान्य विषयों के अध्यापकां को गणित, विज्ञान, भाषा विषय पढ़ाने पड़ते है।

प्राथमिक स्तर पर शैक्षिक सपोर्ट की व्यवस्था के अन्तर्गत न्याय पंचायत स्तर पर एन.पी.आर.सी. ब्लाक स्तर पर बी.आर.सी. है। उच्च प्राथमिक विद्यालय इस व्यवस्था से आच्छादित नही है। उनके लिए भी इस प्रकार की व्यवस्था की आवश्यकता है यह शैक्षिक सपोर्ट उच्च प्राथमिक विद्यालयों को डायट द्वारा जनपद स्तर पर तथा संकुल विद्यालयों के द्वारा ब्लाक स्तर पर किसी माध्यमिक विद्यालय या केन्द्रीय विद्यालय को संकुल विद्यालय बनाकर दी जा सकती है।

समुदाय शिक्षकों से किस तरह की अपेक्षाएं रखता है इसकी जानकारी समुदाय से सम्पर्क एवं प्रशिक्षण के दौरान तथा संस्थान द्वारा वर्ष 99-2000 में डायट द्वारा लैब एरिया के 5 विद्यालयों में प्राथमिक विद्यालयों से अभिभावकों की अपेक्षाएं विषय पर शोध/सर्वेक्षण के द्वारा यह बाते उभर कर सामने आयी।

1. अभिभावक अपने बच्चों को परिषदीय विद्यालय में पढ़ाना चाहते हैं। वह चाहतें है कि विद्यालय में बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा व्यवस्था हो।
2. शिक्षक नियमित रूप से शिक्षण कार्य करें व अन्य कार्यो में उन्हें न लगाया जाये।
3. विद्यालय में बच्चों को नैतिक शिक्षा भी दी जाये जिससे इनमें अच्छे संस्कार विकसित हों।
4. विद्यालय में बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण भी होना चाहिए।

इन निष्कर्षो के आधार पर समुदाय की आवश्यकताओं/अपेक्षाओं के अनुरूप शिक्षा व्यवस्था किये जाने की आवश्यकता है। ग्रामीण क्षेत्रों के अधिकांश क्षेत्रों में अधिकांश बच्चों के अभिभावक निरक्षर है या अपने कृषि कार्यो में लगे है जिससे वे बच्चों की शिक्षा में कोई सहयोग नही दे पाते है। इसलिए विद्यालय में ही ऐसी

व्यवस्था करने की आवश्यकता है जिससे बच्चों को सीखने के अधिक अवसर प्राप्त हो सकें।

एस. एस. ए. के अन्तर्गत प्रस्तावित आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण

सर्वशिक्षा अभीयान गुणवत्तापरक प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण का अत्यंत महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। जनपद पीलीभीत में 6–14 वयवर्ग के सभी बालक–बालिकाओं को वर्ष 2010 तक जीवनोपयोगी तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य है जिसे स्कूली शिक्षा व्यवस्था में गुणात्मक परिवर्तन करके तथा समुदाय की भागीदारी सहित प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने की रणनीति के द्वारा प्राप्त किया जायेगा। कार्यक्रम के लक्ष्य इस प्रकार हैं–

1. 6–14 वय वर्ग के सभी बच्चों को स्कूल, ई.जी.एस. केन्द्र, वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों में लाया जायेगा।
2. सभी बच्चे पांच वर्ष की प्राथमिक शिक्षा पूरी करें, यह लक्ष्य वर्ष 2007 तक प्राप्त कर लिया जायेगा।
3. सभी बच्चे आठ वर्ष की शिक्षा पूरी करें, यह लक्ष्य वर्ष 2010 तक प्राप्त किया जायेगा।
4. गुणवत्तापरक शिक्षा जो जीवनोपयोगी कौशलों पर बल देती हो, प्रदान की जायेगी।
5. प्राथमिक स्तर पर बालक–बालिकाओं, समुदायों और समूहों के मध्य अंतर को 2007 तक तथा समग्र प्रारंभिक स्तर पर 2010 तक समाप्त कर लिया जायेगा।
6. लक्ष्य समूह (6–14) के सभी बच्चों का स्कूल में ठहराव का लक्ष्य 2010 तक सुनिश्चित किया जायेगा।

इन लक्ष्यों की प्राप्ति में शिक्षक तथा बेहतर शिक्षण प्रणाली की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। सर्वप्रथम गुणात्मक परिवर्तन के लिए जनपद का एक 'विजन' विकसित किया जायेगा जिसमें जनपद– विकासखंड, न्याय पंचायत तथा स्कूल स्तरीय अभिकर्मियों की भागीदारी होगी। इस हेतु 4 दिवसीय **वीजनिंग कार्यशालाओं** का आयोजन किया जायेगा। सर्वप्रथम जनपद स्तरीय अभिकर्मियों यथा डायट के संकाय सदस्यों, जिला परियोजना कार्यालय के कर्मियों, विकासखण्ड तथा न्याय पंचायत स्तरीय अभिकर्मियों के लिए डायट स्तर पर वीजनिंग कार्यशालाएं आयोजित की जायेंगी जिनमें मुख्यतः सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्यों तथा लक्ष्यों, बच्चों की वर्तमान स्थिति तथा उसमें बदलाव के लक्ष्यों, शिक्षकों, विद्यालयों तथा कक्षा–कक्षों की प्रक्रिया की वर्तमान स्थिति तथा उसमें बदलाव के लक्ष्यों को दृष्टिगत रखते हुए सहभागिता आधारित निष्कर्ष और सहमतियाँ तय की जायेंगी। इन कार्यशालाओं का उद्देश्य होगा कि परियोजना के अंतर्गत समस्त स्तरीय अभिकर्मियों में परिवर्तन के लक्ष्यों के प्रति समान विचार–अवधारणाएं बन सकें। शिक्षकों के लिए भी वीजनिंग कार्यशालाओं का आयोजन न्याय पंचायत स्तर पर किया जायेगा।

कार्यरत शिक्षकों की दक्षता तथा उनके शिक्षण कौशल में अभिवृद्धि, उनके विषय ज्ञान को बढ़ाने के लिए शिक्षक–प्रशिक्षण आयोजित किये जायेंगे। सेवारत शिक्षण प्रशिक्षण वर्ष में एक बार आयोजित करने की रणनीति के स्थान पर सेवारत प्रशिक्षणों को सतत् प्रक्रिया के रूप में संचालित किया जायेगा। शिक्षक प्रशिक्षणों का इस प्रकार श्रृंखलाबद्ध नियोजन किया जायेगा कि प्रशिक्षण का एक प्रमुख भाग बी.आर.सी. स्तर पर 6–8 दिवसों की अवधि के लिए तथा इसके अनुक्रम में लघु अवधि के प्रशिक्षण तथा कार्यशालाएँ बी.आर.सी. और मुख्यतः एन.पी. आर.सी. स्तर पर आयोजित किये जायेंगे। प्रशिक्षण की यह कार्ययोजना शिक्षकों के लिए नियमित आधार पर अभिमुखीकरण में सहायक सिद्ध होगी।

डी.पी.ई.पी. के अंतर्गत प्रशिक्षण अनुभवों, वर्तमान में अनुभूत आवश्यकताओं यथा : बहुकक्षा–बहुस्तरीय

शिक्षण प्रविधियों की जानकारी, वास्तविक शिक्षण समय को बढ़ाना, प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए विकसित नवीन पाठ्यक्रम और पाठ्यवस्तुओं के बेहतर और प्रभावी उपयोग आदि के आलोक में ये सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण आयोजित किये जायेंगे।

प्राथमिक शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण–

प्रथम वर्ष में पाठ्यपुस्तको पर केन्द्रित 8 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। यह प्रशिक्षण प्राथमिक विद्यालयों के सभी सहायक, प्रधान अध्यापकों और शिक्षामित्रों को प्रदान किया जायेगा। इस आठ दिवसीय प्रशिक्षण के उपरांत इसी के अनुक्रम में लघु अवधि के प्रशिक्षण तथा कार्यशालाएं भी आयोजित की जायेंगी। जिनका विवरण इस प्रकार है–

1. बीजनिंग कार्यशालाएं– 3 दिवसीय – एन.पी.आर.सी. स्तर पर
2. बहुकक्षा शिक्षण की दृष्टि से पाठ्यपुस्तक आधारित शिक्षण सामग्री निर्माण हेतु एक–एक दिवसीय तीन कार्यशालाएं–एन.पी.आर.सी. स्तर पर आयोजित की जायेंगी।
3. मैटीरियल मेला – एक दिवसीय – एन.पी.आर.सी. स्तर पर
4. विकासखण्ड स्तरीय शिक्षक प्रशिक्षण के फालोअप के अंतर्गत एन.पी.आर.सी. स्तर पर मासिक प्रशिक्षण/कार्यशालाएं जो पाठ प्रस्तुतीकरण पर केन्द्रित होंगी।

ये वर्ष के 5 महीनों में आयोजित की जायेंगी। इनका प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा एजेण्डा डायट द्वारा तैयार कर उपलब्ध कराया जायेगा।

एन.पी.आर.सी. स्तर पर आयोजित इन प्रशिक्षणों, कार्यशालाओं तथा गोष्ठियों का अभिलेखन भी किया जायेगा तथा बी.आर.सी. तथा डायट द्वारा इनका नियमित पर्यवेक्षण किया जायेगा।

प्रथम वर्ष में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रु0 70 की दर से व्यय अनुमानित है तथा इस हेतु रू0 42 लाख प्रस्तावित है।

द्वितीय वर्ष में इसी प्रकार 'भाषा तथा गणित' की विषयवस्तु आधारित तथा बहुकक्षा शिक्षण विधियों पर आधारित 7 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। इरा 7 दिवसीय प्रशिक्षण के उपरांत तथा इसी तारतम्य में लघु अवधि के प्रशिक्षण तथा कार्यशालाएं भी आयोजित की जायेंगी जिनका विवरण इस प्रकार है–

1. बहुकक्षा शिक्षण तथा बहुस्तरीय शिक्षण हेतु बी.आर.सी. स्तर पर 3 दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा जिसमें मुख्यतः शिक्षण विधियों, प्रथम वर्ष के दौरान शिक्षण सामग्री निर्माण के अनुभवों के आधार पर सामग्री निर्माण, समय तथा सामग्री प्रबंधन आदि बिन्दुओं पर प्रशिक्षण दिया जायेगा।
2. एन.पी.आर.सी. स्तर पर मासिक प्रशिक्षण आयोजित किये जायेंगे जो वर्ष के 7 महीनों में आयोजित होंगे तथा इनमें बी.आर.सी. स्तरीय प्रशिक्षण के फालोअप को ध्यान में रखकर डायट द्वारा तैयार किये गये एजेण्डा का उपयोग किया जायेगा।
3. वास्तविक शिक्षण समय को बढ़ाने के लिए शिक्षण रणनीतियों सम्बंधी 3 दिवसीय प्रशिक्षण एन.पी.आर.सी स्तर पर आयोजित किया जायेगा।

द्वितीय वर्ष में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी रु0 70 प्रतिदिन की दर से अनुमानितः है।

तथा रू0 42 लाख प्रस्तावित है।

तृतीय वर्ष में 'विज्ञान तथा समाजिक विषय और मूल्यांकन' पर केन्द्रित 8 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। इस तारतम्य में बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. स्तर पर अन्य प्रशिक्षण कार्यशालाएं भी आयोजित की जायेंगी जिनका विवरण इस प्रकार है–

1. बी.आर.सी. स्तर पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला जो विज्ञान शिक्षण को रुचिकर बनाने, सामग्री निर्माण तथा पाठ प्रस्तुतियों पर आधारित होगा।
2. बी.आर.सी. स्तर पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला जो सामाजिक विषय शिक्षण को प्रभावी बनाने तथा पाठ प्रस्तुतियों पर आधारित होगा।
3. बी.आर.सी. स्तर पर सतत् तथा व्यापक छात्र मूल्यांकन हेतु प्रश्नों/टेस्ट आइटम निर्माण हेतु 3 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जायेगी।
4. प्रशिक्षणों के फालोअप के लिए एन.बी.आर.सी. स्तरीय मासिक प्रशिक्षण कार्यशालाएं 5 माह में आयोजित की जायेंगी जिनका एजेण्डा ड्राफ्ट द्वारा तैयार किया जायेगा।

तृतीय वर्ष में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रु0 70 की दर से अनुमानित: है। तथा रू0 42 लाख प्रस्तावित है।

चतुर्थ वर्ष में 'शिक्षण अधिगम प्रक्रिया तथा सामग्री निर्माण उपयोग' पर केन्द्रित 5 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। इसी तारतम्य बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. स्तर पर अन्य प्रशिक्षण कार्यशालाएं भी आयोजित की जायेंगी जिनका विवरण इस प्रकार है–

1. प्रशिक्षण के फालोअप हेतु एन.पी.आर.सी. स्तरीय मासिक प्रशिक्षण कार्यशालाएं वर्ष के 7 महीनों में आयोजित की जायेंगी जिनका एजेण्डा ड्राफ्ट द्वारा तैयार किया जायेगा।
2. एन.पी.आर.सी. स्तर पर अनुपूरक अध्ययन सामग्री विकसित करने हेतु 2 दिवसीय कार्यशालाएं आयोजित की जायेंगी जिसमें न्यायपंचायत में स्थित प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षकों को आमंत्रित किया जायेगा।
3. एन.पी.आर.सी. स्तर पर गणित शिक्षण हेतु आदर्श पाठ योजनाओं की प्रस्तुती तथा सामग्री निर्माण हेतु 3 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जायेगी।
4. कक्षा शिक्षण में दृश्य–श्रव्य उपकरणों के उपयोग सम्बंधी 2 दिवसीय कार्यशाला एन.पी.आर.सी. स्तर पर आयोजित की जायेगी।

इन प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रु0 70 की दर से अनुमानित है। तथा इस हेतु रू0 42 लाख प्रस्तावित है।

पाँचवे वर्ष में प्राथमिक शिक्षकों के लिये उपर्युक्त प्रशिक्षणों के आधार पर पुर्नबोधात्मक प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा जिसमें अभिप्रेरण एक प्रमुख बिन्दु होगा। इसके उपरांत आगामी प्रशिक्षणों की रूपरेखा तथा विषयवस्तु का निर्धारण उपर्युक्त प्रशिक्षणों के अनुभवों और फीडबैक के आधार पर किया जायेगा। इन प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रु0 70 की दर से रू0 42 लाख अनुमानित है।

प्राथमिक स्तरीय शिक्षकों के लिये उपर्युक्त प्रस्तावित प्रशिक्षणों के अतिरिक्त शिक्षकों के लिए अन्य विशेष प्रशिक्षण भी आयोजित किये जायेंगे, जिनका विवरण इस प्रकार है–

1. प्रत्येक विद्यालय से एक –एक शिक्षक को अंग्रेजी तथा संस्कृत शिक्षण हेतु 05 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा जो अंग्रेजी तथा संस्कृत विषय की पाठ्य पुस्तकों के कक्षा में उपयोग तथा सामग्री निर्माण के संबंध में होगा।

2. जिन प्राथमिक विद्यालयों में उर्दू भाषा–भाषी बच्चे तथा शिक्षक हैं ऐसे शिक्षकों के लिए उर्दू विषय शिक्षण के लिए 05 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

3. जिन अध्यापकों की शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडियट अथवा उससे कम है उनके लिये विषय वस्तु आधारित 05 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

4. जिन शिक्षकों का शैक्षिक अनुभव 15–20 वर्षों से अधिक है उनके लिए नवीन शिक्षण विधियों पर आधारित 06 ,दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा।

5. नवनियुक्त सहायक अध्यापकों के लिए 10 दिवसीय सेवा पूर्वागम प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किया जायेगा जिसमें प्रतिवर्ष नवीन नियुक्त होने वाले सहायक अध्यापक–अध्यापिकाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

6. जो शिक्षक पदोन्नति प्राप्त कर प्रधानाध्यापक बनेंगे उनके लिए तथा अन्य प्रधानाध्यापक, प्राथमिक विद्यालयों के लिए भी 05 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा जो मुख्यतः नेतृत्व, समय–प्रबंधन, विद्यालयी अभिलेखों के रखरखाव, स्कूल पर्यवेक्षण आदि बिन्दुओं पर केन्द्रित होगा।

उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षकों का प्रशिक्षण

डी.पी.ई.पी. के अधीन उच्च प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था नहीं थी, अतः उच्च प्राथमिक शिक्षकों के लिए भी प्रतिवर्ष प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। जिसमें सहायक अध्यापक, प्रधानाध्यापक, हाईस्कूल तथा इण्टर कालेजों में संचालित कक्षा 6–8 के शिक्षक–शिक्षिकाएं प्रतिभाग करेंगे। प्राथमिक कक्षाओं के विपरीत उच्च प्राथमिक स्तर पर कक्षा शिक्षण में शिक्षण विधियों की तुलना में पाठ्यवस्तु का महत्व अधिक है तथा शिक्षकों के विषय ज्ञान में अपेक्षित स्तर की वृद्धि की आवश्यकता अनुभव की गई है। इस आधार पर उच्च प्राथमिक स्तरीय शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम निम्नवत् आयोजित किये जायेंगे–

प्रथम वर्ष में शिक्षकों को विज्ञान विषय के शिक्षण, विषय वस्तु, शिक्षण विधियों तथा शिक्षण सामग्री निर्माण हेतु प्रशिक्षण दिया जायेगा जो 8 दिवसीय होगा। इस अनुक्रम में विकासखण्ड स्तर पर विज्ञान विषय के पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकों के आधार पर पाठों की प्रस्तुति, पाठ योजना तथा सम्बंधित सहायक शिक्षण सामग्री निर्माण हेतु 3 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जायेगी।

प्रशिक्षण के फालोअप हेतु डायट द्वारा तैयार किए गए एजेण्डा के आधार पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशालाएं एन.पी.आर.सी. स्तर पर आयोजित की जायेंगी तथा वर्ष के 6 माह में इनका आयोजन सुनिश्चित किया जायेगा। एन.पी.आर.सी. स्तर पर 1 दिवसीय मैटीरियल मेला का आयोजन किया जायेगा जिसमें शिक्षकों द्वारा शिक्षण सामग्री तैयार कर प्रदर्शित की जायेगी। इसी अनुक्रम में बी.आर.सी. स्तर पर भी 1 दिवसीय मैटीरियल मेला आयोजित किया जायेगा। प्रथम वर्ष में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रु0 70 की दर से अनुमानतः रु0 10 लाख प्रस्तावित है।

द्वितीय वर्ष में शिक्षकों को गणित विषय के शिक्षण हेतु विषय–वस्तु, शिक्षण विधियों, सामग्री निर्माण तथा उपयोग संबंधी 07 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। इस अनुक्रम में विकासखण्ड स्तर पर गणित विषय

के पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकों के आधार पर पाठों की प्रस्तुति, पाठ योजना तथा सम्बंधित सहायक शिक्षण सामग्री निर्माण हेतु 3 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जायेगी।

प्रशिक्षण के फालोअप हेतु डायट द्वारा तैयार किए गए एजेण्डा के आधार पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशालाएं एन.पी.आर.सी. स्तर पर आयोजित की जायेंगी तथा वर्ष के 6 माह में इनका आयोजन सुनिश्चित किया जायेगा। एन.पी.आर.सी. स्तर पर 1 दिवसीय गणित मेला का आयोजन किया जायेगा जिसमें शिक्षकों द्वारा शिक्षण सामग्री तैयार कर प्रदर्शित की जायेगी। इसी अनुक्रम में बी.आर.सी. स्तर पर भी 1 दिवसीय गणित मेला आयोजित किया जायेगा। द्वितीय वर्ष में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रु0 70 की दर से अनुमानतः रु0 10 लाख प्रस्तावित है।

तृतीय वर्ष में अंग्रेजी तथा संस्कृत विषय के शिक्षण हेतु शिक्षकों की विषय वस्तु तथा शिक्षण विधियों पर आधारित प्रशिक्षण दिया जायेगा जो 06 दिवसीय होगा। इस अनुक्रम में विकासखण्ड स्तर पर अंग्रेजी तथा संस्कृत विषय के पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकों के आधार पर पाठों की प्रस्तुति, पाठ योजना तथा सम्बंधित सहायक शिक्षण सामग्री निर्माण हेतु 3 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जायेगी।

प्रशिक्षण के फालोअप हेतु डायट द्वारा तैयार किए गए एजेण्डा के आधार पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशालाएं एन.पी.आर.सी. स्तर पर आयोजित की जायेंगी तथा वर्ष के 6 माह में इनका आयोजन सुनिश्चित किया जायेगा। उपर्युक्त के अतिरिक्त भाषा शिक्षण हेतु शिक्षकों के सहयोग से अनुपूरक अध्ययन सामग्री का विकास करने हेतु क्रमशः बी.आर.सी तथा एन.पी.आर.सी. स्तर पर 2 दिवसीय तथा 1 दिवसीय कार्यशालाएं आयोजित की जायेंगी। तृतीय वर्ष में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रु0 70 की दर से अनुमानतः रु0 10 लाख प्रस्तावित है।

चौथे वर्ष उच्च प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षकों के लिए हिन्दी भाषा शिक्षण तथा बच्चों के मूल्यांकन पर केन्द्रित प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा जो 08 दिवसीय होगा। शिक्षक प्रशिक्षण के इस क्रम में बी.आर.सी. स्तर पर हिन्दी भाषा शिक्षण हेतु अनुपूरक अध्ययन सामग्री विकास हेतु 2 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जायेगी।

भाषा शिक्षण हेतु पाठ्यपुस्तकों के आधार पर आदर्श पाठों की तैयारी तथा प्रस्तुति की जायेगी। इसके साथ–साथ भाषा शिक्षण हेतु सामग्री निर्माण हेतु 2 दिवसीय कार्यशाला एन.बी.आर.सी. स्तर पर आयोजित की जायेगी। प्रशिक्षण के फालोअप हेतु डायट द्वारा तैयार किए गए एजेण्डा के आधार पर एन.पी.आर.सी. स्तरीय मासिक बैठकें वर्ष के 6 माह में सुनिश्चित की जायेंगी जिनका पर्यवेक्षण एन.पी.आर.सी. तथा डायट के संकाय सदस्य भी करेंगे।

उच्च प्राथमिक स्तर पर छात्र–छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि के मूल्यांकन हेतु सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली सम्बंधी शिक्षकों के अभिमुखीकरण के उपरांत इस तारतम्य में "टेस्ट आइटम" बनाने हेतु 2 दिवसीय तथा 1 दिवसीय कार्यशालाएं क्रमशः एन.पी.आर.सी. तथा बी.आर.सी. स्तर पर आयोजित की जायेंगी। चौथे वर्ष में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रु0 70 की दर से अनुमानतः रु0 10 लाख प्रस्तावित है।

पाँचवें वर्ष में उपर्युक्त प्रशिक्षण के आधार पर पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा जो 06 दिवसीय होगा। इन प्रशिक्षणों के उपरान्त आगामी प्रशिक्षणों की विषय वस्तु की रूपरेखा इन प्रशिक्षणों के अनुभव तथा फीडबैक के आधार पर निर्धारित की जायेगी तथा उसी के अनुरूप प्रशिक्षण पैकेज का विकास किया जायेगा। पाँचवे वर्ष में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रु0 70 की दर से अनुमानतः रु0 10 लाख

प्रस्तावित है।

प्रशिक्षणों में दूरस्थ शिक्षा माध्यम का अधिकतम उपयोग किया जायेगा।

उपर्युक्त सभी प्रशिक्षण डायट के नेतृत्व में विकास खण्ड स्तर पर संचालित किये जायेंगे।

उपर्युक्त प्रशिक्षण के अतिरिक्त **उच्च प्राथमिक कक्षाओं** के शिक्षकों के लिए कुछ विशेष प्रशिक्षण भी आयोजित किये जायेंगे जिसका विवरण इस प्रकार है–

1. **कम्प्यूटर उपयोग सम्बंधी प्रशिक्षण** – सूचना प्रौद्योगिकी के बढ़ते हुए प्रभाव तथा भावी समय की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है कि बच्चों को कम्प्यूटर संबंधी जानकारी दी जाये। इस हेतु प्रथम वर्ष में प्रत्येक विकास खण्ड में कुल 07 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षण की व्यवस्था हेतु शिक्षकों का प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किया जायेगा। इस प्रशिक्षण के लिये डायट के सदस्यों को एक मास का आधारभूत प्रशिक्षण प्रदान कराने के उपरांत उच्च प्राथमिक शिक्षकों के लिये 1 माह का प्रशिक्षण डायट में आयोजित किया जायेगा। इस हेतु प्रशिक्षण माड्यूल का विकास डायट तथा एस.सी.ई.आर.टी के सहयोग से किया जायेगा। इस प्रकार प्रशिक्षित उच्च प्राथमिक शिक्षक अपने विद्यालयों में छात्र–छात्राओं को कम्प्यूटर उपयोग संबंधी शिक्षण प्रदान करेंगे। पाइलट आधार पर चलाये गये इस कार्यक्रम का अनुश्रवण डायट के प्रशिक्षित सदस्यों द्वारा किया जायेगा तथा कार्यक्रम की सफलता के आधार पर इसके विस्तार की कार्यवाही आगामी वर्ष में की जायेगी।

2– जेण्डर सेंसिटाइजेशन –

कक्षा में बालिकाओं के प्रति व्यवहार में संवेदनशीलता लाने हेतु बी0आर0सी0 स्तर पर दो दिवसीय कार्यशालायें आयोजित की जायेंगी जिसमें प्रत्येक उच्च प्राथमिक विद्यालय से एक शिक्षक प्रतिभाग करेंगे।

3– नेतृत्व प्रशिक्षण

सभी उ0 प्र0 वि0 के प्रधानाध्यापकों को नेतृत्व प्रशिक्षण तथा समय प्रबंधन एवं विद्यालय–प्रबंधन का प्रशिक्षण डायट स्तर पर प्रदान किया जायेगा। यह प्रशिक्षण दो दिवसीय होगा तथा इसके लिए प्रशिक्षण माडयूल का विकास सीमेट इलाहाबाद के सहयोग से डायट द्वारा किया जायेगा।

4– अन्य प्रशिक्षण

प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण के अतिरिक्त डायट के नेतृत्व में अन्य प्रशिक्षण भी आयोजित किये जायेंगे जिनका विवरण इस प्रकार है–

1. **शिक्षामित्र /आचार्य जी प्रशिक्षण**– जनपद के 443 शिक्षामित्रों तथा 106 ई.जी.एस. केन्द्रों के आचार्य जी के लिए 30 दिवसीय आधारभूत प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किया जायेगा। यह प्रशिक्षण शिक्षा मित्रों के लिए सेवारत शिक्षक प्रशिक्षणों के अतिरिक्त होगा। इसके अतिरिक्त शिक्षा मित्र आचार्य जी के लिए 15 दिवसीय रिफ्रेशर प्रशिक्षण भी प्रतिवर्ष आयोजित किया जायेगा।

2. **वैकल्पिक शिक्षा** – जनपद में प्रस्तावित वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के अनुदेशकों के लिए आधारभूत प्रशिक्षण 15 दिवसीय होगा तथा प्रतिवर्ष डायट में आयोजित किया जायेगा। इसके अतिरिक्त 10 दिवसीय रिफ्रेशर

प्रशिक्षण भी आयोजित किया जायेगा। प्रशिक्षण माड्यूल का विकास डायट द्वारा तथा एस.सी.ई.आर.टी के सहयोग से जनपद स्तर पर किया जायेगा। वैकल्पिक शिक्षा का पर्यवेक्षण एन.पी.आर.सी., बी.आर.सी. के समन्वयकों द्वारा किया जायेगा तथा पर्यवेक्षण हेतु क्षमता विकास हेतु समन्वयकों का 3 दिवसीय प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किया जायेगा। यह प्रशिक्षण प्रत्येक दो वर्ष के अंतराल पर आयोजित किया जायेगा।

3. **ई.सी.सी.ई केन्द्रों के अनुदेशकों का प्रशिक्षण** – पूर्व प्राथमिक शिक्षा की दृष्टि से 100 शिशु शिक्षा केन्द्रों की स्थापना की जायेगी तथा इनकी कार्यकत्रियों तथा सहायिकाओं के लिए 7 दिवसीय प्रशिक्षण डायट में आयोजित किया जायेगा। इस प्रशिक्षण हेतु राज्य शिक्षा संस्थान, इलाहाबाद द्वारा विकसित प्रशिक्षण माड्यूल का उपयोग किया जायेगा।

ई.सी.सी.ई. केन्द्रों की कार्यकर्त्रियों के प्रशिक्षण हेतु वर्ष 1997 में राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा प्रशिक्षण मॉड्यूल का विकास किया गया था। कालान्तर में इस मॉड्यूल को अनुभूत आवश्यकताओं के आलोक में संशोधित किया गया। राज्य शिक्षा संस्थान, इलाहाबाद तथा राज्य परियोजना कार्यालय, लखनऊ के सहयोग से इस प्रकार "आधारशिला" (भाग । व ।।) प्रशिक्षण मॉड्यूल का विकास किया गया है। अनुदेशकों का प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किया जायेगा तथा प्रशिक्षण के मुख्य बिन्दु इस प्रकार हैं : स्कूल रेडिनेस, बच्चों की देखभाल को प्रोत्साहित करने, सहयोग करने हेतु समुदाय का संवेदीकरण, 3–6 वय वर्ग के बच्चों के संज्ञानात्मक, शारीरिक विकास, भाषाई कौशलों का विकास, बच्चों में सामाजिक–संवेगात्मक और सृजनात्मक अभिव्यक्ति, सौन्दर्यानुभूति के विकास हेतु अभ्यास आदि। प्रशिक्षण सात दिवसीय है और इसका 40 प्रतिशत समय खेल सामग्री, शैक्षिक सामग्री के विकास में लगाया जाता है तथा इसके अतिरिक्त 5 केन्द्रों का भ्रमण भी कराया जाता है। इस मॉड्यूल का आगामी तीन–चार वर्षों तक उपयोग किया जायेगा; तदनंतर इसकी समीक्षा की जायेगी।

4. **बी.आर.सी / एन.पी.आर.सी समन्वयकों का प्रशिक्षण**– **डी.पी.ई.पी.** के अंतर्गत परिषदीय विद्यालयों को सहयोग तथा पर्यवेक्षण प्रदान किया जा रहा है। एस.एस.ए परियोजना में अशासकीय सहायता प्राप्त हाईस्कूल इण्टर कालेज में संचालित कक्षा 6–8 के शिक्षकों को भी अकादमिक सहयोग प्रदान किया जाना है। इस प्रकार बी.आर. सी., एन.पी.आर.सी समन्वयकों की क्षमता में अभिवृद्धि की आवश्यकता है। इस दृष्टि से बी.आर. सी., एन.पी.आर.सी समन्वयकों का उनके कार्य तथा दायित्व सम्बंधी अकादमिक पर्यवेक्षण के संदर्भ में 7 दिवसीय प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किया जायेगा। इस प्रशिक्षण माड्यूल का विकास राज्य स्तर पर किया गया है तथा इसे जनपद की आवश्यकताओं के अनुरूप संशोधित परिवर्तित कर उपयोग किया जायेगा। बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. के समन्वयक सेवारत शिक्षकों के लिए आयोजित समस्त प्रशिक्षणों को भी प्राप्त करेंगे तथा इसके अतिरिक्त समय–समय पर शिक्षामित्र, वैकल्पिक शिक्षा, शिक्षा गारंटी योजना, ई.सी.सी.ई. तथा अकादमिक पर्यवेक्षण हेतु विकसित किये गये प्रशिक्षण मॉड्यूल के आधार पर भी इनकी क्षमता का विकास किया जायेगा। जिससे बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. समन्वयक अपने–अपने क्षेत्रान्तर्गत इन कार्यक्रमों का भी बेहतर अनुश्रवण तथा सहयोग कर सकें।

5. **ए.बी.एस.ए. एस.सी.आई प्रशिक्षण**– जनपद में विकासखण्ड स्तर पर गुणवत्ता विकास कार्यक्रमों के

नियोजन तथा क्रियान्वयन में ए.बी.एस.ए एस.डी.आइ. की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस दृष्टि से इनका 5 दिवसीय ओरियेन्टेशन कार्यक्रम डायट स्तर पर आयोजित किया जायेगा। इस हेतु प्रशिक्षण मॉडयूल का विकास सीमेट द्वारा डी.पी.ई.पी. के अन्तर्गत किया गया है। ए.बी.एस.ए., एस.डी.आई. के लिए अनुबोधात्मक प्रशिक्षण का आयोजन सीमेट द्वारा डायट स्तर पर किया जायेगा। इस प्रशिक्षण के मुख्य बिन्दु इस प्रकार हैं– अपने क्षेत्रान्तर्गत प्रशासनिक नियंत्रण तथा कार्यक्रमों का अनुश्रवण, विद्यालयों, बी.आर.सी., एन.पी.आर. सी., वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों, ई.सी.सी.ई. केन्द्रों, ई.जी.एस. केन्द्रों आदि का अकादमिक पर्यवेक्षण आदि। अकादमिक पर्यवेक्षण हेतु आयोजित प्रशिक्षण, ई.एम.आई.एस., माइक्रोप्लानिंग तथा सामुदायिक सहभागिता कार्यक्रमों हेतु आयोजित प्रशिक्षणों में भी प्रतिभाग करेंगे।

6. **ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों का प्रशिक्षण** – स्कूल की गतिविधियों में समुदाय की भागीदारी बढ़ाने, स्थानीय स्तर पर पर्यवेक्षण की कारगर व्यवस्था लागू करने, बच्चों खासकर बालिकाओं का नामांकन शत प्रतिशत करने, ग्राम शिक्षा योजनाएं बनाकर उसका क्रियान्वयन करने की दृष्टि से ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों तथा जागरूक अभिनावकों के लिए तीन दिवसीय प्रशिक्षण ग्राम स्तर पर आयोजित किये जायेगें। ये प्रशिक्षण प्रत्येक दो वर्ष के अंतराल पर आयोजित किये जायेंगे तथा एस.एस. ए. के प्रथम वर्ष में इसका आरम्भ किया जायेगा। प्रशिक्षण माड्यूल का विकास राज्य स्तर पर डी.पी.ई. पी.–।।। के अन्तर्गत किया गया है जिसे वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप जनपद स्तर पर संशेधित परिवर्द्धित किया जायेगा। ग्राम शिक्षा समितियों के लिए 03 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा जिसमें निम्नांकित सदस्य प्रतिभाग करेंगे– ग्राम शिक्षा समितियों के सभी सदस्य और महिला सदस्य, युवक मंगल दल के सदस्य, मॉडल क्लस्टर एप्रोच की दृष्टि से चयनित क्षेत्रों या जिन क्षेत्रों में सामुदायिक सहभागिता में प्रयासों को और अधिक बढ़ावा देने की आवश्यकता है ऐसे क्षेत्रों में डब्ल्यू.एम.जी., एम.टी. ए., पी.टी.ए., युवक मंगल दल के सदस्यों की प्रशिक्षण में प्रतिभागिता बढ़ाने के प्रयास किये जायेंगे। ग्रान शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण के फलस्वरूप अद्यतन माइक्रोप्लानिंग और स्कूल मैपिंग अभ्यास से प्राप्त आंकड़ों और स्कूल विकास योजनाएं प्राप्त होती हैं। इसके अतिरिक्त स्कूल सुविधाओं के अधिकतम उपयोग को सुनिश्चित किया जाता है। विद्यालय में नामांकित न होने वाले बच्चों की स्थिति ज्ञात कर उनके स्कूल जाने के प्रयास किये जाते हैं। स्कूलों के कार्यों में समुदाय की भागीदारी बढ़ती है। स्कूलों की गतिविधियों में समुदाय द्वारा पर्यवेक्षण से शिक्षकों के उत्तरदायित्व का पालन सुनिश्चित होता है जिससे बच्चों की शैक्षिक सम्प्राप्ति का स्तर बढ़ता है।

7. **एस.एस.ए. परियोजना स्टाफ का प्रशिक्षण** –

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत जिला परियोजना कार्यालय के अभिकर्मियों तथा डायट स्टाफ का प्रशिक्षण सीमेट द्वारा आयोजित किया जायेगा। यह प्रशिक्षण प्रथम वर्ष में आयोजित होगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत सर्व शिक्षा अभियान के दिशा निर्देशों तथा कार्ययोजना की रणनीतियों के संबंध में जनपदीय टीम को प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। आगामी वर्षों में आवश्यकता अनुसार रिफ्रेशर प्रशिक्षण भी आयोजित किये जायेंगे। सभी प्रकार के प्रशिक्षणों के अनुभवों की विभिन्न स्तरों पर शेयरिंग की जायेगी तथा इनका डाक्यूमेन्टेशन भी किया जायेगा।

शिक्षण समय को बढ़ाना :

प्रत्येक माह डायट के प्रवक्ताओं द्वारा विद्यालय अनुश्रवण के दौरान प्राथमिक विद्यालय की समय सारिणी

का अध्ययन किया गया। प्राथमिक विद्यालय में समय सारिणी का प्रयोग अधिकांश विद्यालयों में किया जाता है। वर्ष में 200 दिन कुल कार्य दिवस के लिए खुला। निर्धारित तिथियों का अवकाश भी विद्यालय में हुआ तथा 165 दिवस शिक्षण के लिए उपलब्ध हुए।

सारणी – 1

	प्राथमिक स्तर	उच्च प्राथमिक स्तर
कुल कार्य दिवस	220	220
शिक्षण दिवस	165	165
परीक्षा	10	10
अन्य कार्य	15	15
नष्ट हो जाने वाले दिन	10	10
समुदाय से संपर्क	10	10

स्रोत – डायट, पीलीभीत

सारणी

स्कूल समय सारिणी (साप्ताहिक) के अनुसार उपलब्ध शिक्षण समय सप्ताह के अनुसार –

	प्राथमिक स्तर वादन /समय	उच्च प्राथमिक स्तर वादन/समय
भाषा–1 हिन्दी	प्रति घंटा 40 मिनट x 9	40 मिनट x 9
भाषा–2 अंग्रेजी	प्रति घंटा 40 मिनट x 3	40 मिनट x 5
भाषा–3 संस्कृत	प्रति घंटा 40 मिनट x 3.	40 मिनट x 5
विज्ञान	प्रति घंटा 40 मिनट x 4	40 मिनट x 6
गणित	प्रति घंटा 40 मिनट x 8	40 मिनट x 10
सामाजिक विषय	प्रति घंटा 40 मिनट x 4	40 मिनट x 6
समाजोपयोगी कार्य	प्रति घंटा 40 मिनट x 5	40 मिनट x 4
कला शिक्षण	प्रति घंटा 40 मिनट x 4	40 मिनट x 3
अन्य प्रशिक्षण शारीरिक शिक्षा	प्रति घंटा 40 मिनट x 8	40 मिनट x 3
कृषि शिक्षा पर्यावरणीय अध्ययन		

स्रोत – डायट, पीलीभीत

उपर्युक्त सारिणी के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षण कार्य हेतु 165 दिन तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर 165 दिन ही उपलब्ध हो पाते हैं जबकि विभाग द्वारा न्यूनतम 220 कार्यदिवस सुनिश्चित किये जाने के निर्देश हैं। अतः सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शिक्षण कार्य हेतु उपलब्ध दिवसों की संख्या कम से कम 220 दिन सुनिश्चित की जायेगी। परीक्षाओं, समुदाय से सम्पर्क तथा अन्य कार्यों में नष्ट हो जाने वाले दिनों को क्रमशः समाप्त किया जायेगा तथा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि शिक्षक शिक्षण कार्य के लिए विद्यालयों में कम से कम 220 दिन उपलब्ध रहें। इसके अतिरिक्त उपलब्ध शिक्षण सयम के अधिकतम उपयोग हेतु शिक्षकों को समय प्रबन्धन, सामग्री प्रबन्धन, स्कूल की गतिविधियों के आयोजन में बच्चों की भागीदारी बढ़ाने, समुदाय से उपलब्ध हो सकने वाले मानव संसाधनों का विद्यालय–गतिविधियों में उपयोग आदि उपायों को बढ़ावा दिया जायेगा।

पाठ्य सामग्री –

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत विकसित प्राथमिक कक्षाओं की नवीन पाठ्यपुस्तकों को जुलाई, 2000 के सत्र में प्राथमिक विद्यालयों में लागू किया गया। इन पाठ्यपुस्तकों का उपयोग सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अन्तर्गत भी वर्ष 2005 तक जारी रहेगा। तदुपरान्त एस0सी0ई0आर0टी, उ0प्र0 द्वारा प्राथमिक कक्षाओं की पाठ्यपुस्तकों का यथाआवश्यक संशोधन किये जाने पर तद्नुरूप पाठ्यपुस्तकें वितरित करने की व्यवस्था भी सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत लागू की जायेगी। निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों के वितरण से लगभग 1.20 लाख बालिकायें तथा बालक लाभान्वित होंगे और इस पर लगभग 180 लाख रु0 व्यय होगा। नवीन पाठ्यपुस्तकों के आधार पर विकसित शिक्षक–संदर्शिकाएं जो डी0पी0ई0पी0 के अन्तर्गत विकसित की गई थीं उन्हें सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सभी प्राथमिक शिक्षकों के लिए उपलब्ध कराने हेतु प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय पर एक सेट उपलब्ध कराया जायेगा तथा इस पर अनुमानतः रु0 2.25 लाख धनराशि व्यय होगी।

प्राथमिक कक्षाओं (1–5) हेतु संशोधित पाठ्यक्रम बेसिक शिक्षा परियोजना उ0प्र0 द्वारा जुलाई, 1999 में तथा उच्च प्राथमिक कक्षाओं (6–8) हेतु संशोधित पाठ्यक्रम जनवरी, 2000 में अनुमोदित किये जाने के उपरान्त मुद्रित कराकर सभी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालयों को वितरित किया गया है। यह पाठ्यक्रम आगामी पाठ्यक्रम संशोधन की कार्यवाही किये जाने तक लागू रहेगा। शिक्षकों को प्रशिक्षण तथा कार्यशालाओं आदि के माध्यम से इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा कि वे इसका अधिकतम उपयोग कक्षा शिक्षण में करें। इस हेतु बी0आर0सी0 एन0पी0आर0सी0 स्तर पर विशेष रूप से कार्यशालाओं का आयोजन तथा फालोअप किया जायेगा।

कक्षा 6–8 के लिए संशोधित पाठ्यक्रम के आधार पर नवीन पाठ्यपुस्तकों का विकास एस0सी0ई0आर0टी0 के तत्वावधान में किया जा रहा है। ये पाठ्यपुस्तकें एस0सी0ई0आर0टी0 के विशिष्ट संस्थानों, राज्य संदर्भ समूह के सदस्यों, शिक्षकों, बाह्य विशेषज्ञों आदि के सहयोग से सहभागिता आधारित प्रक्रिया के अन्तर्गत विकसित की जा रही हैं। इन पाठ्यपुस्तकों की फील्ड ट्रायलिंग वर्ष 2001–02 में की जायेगी तथा इसके उपरान्त जुलाई, 2002 से आरम्भ होने वाले शैक्षिक सत्र में इन्हें लागू किया जायेगा। इन पाठ्यपुस्तकों के आधार पर शिक्षक संदर्शिकाओं का भी विकास किया जायेगा तथा ये शिक्षक संदर्शिकाएं प्रत्येक उच्च प्राथमिक विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षकों के उपयोग हेतु एक सेट उपलब्ध करायी जायेंगी। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत सभी बालिकाओं तथा अनुसूचित जाति जनजाति के बालकों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध करायी जायेंगी जिससे 40 हजार बच्चे लाभान्वित होंगे तथा इस पर अनुमानतः धनराशि 60 लाख व्यय होगी।

किशोरी बालिकाओं के लिए पाठ्य सामग्री

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत गुणवत्ता सुधार कार्यक्रमों में उच्च प्राथमिक स्तर पर विशेष बल दिया जायेगा। उच्च प्राथमिक स्तर में अध्ययनरत बालिकाओं को ध्यान में रखकर इस प्रकार की शिक्षण अधिगम सामग्री विकसित की जायेगी जो किशोरी बालिकाओं की जीवन आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके तथा भावी जीवन के लिये अच्छी तरह तैयार कर सके। यह विशेष रूप से ध्यान दिया जायेगा कि किशोरी बालिकाएं जीवनोपयोगी कौशलों का यथेष्ठ एवं सम्यक ज्ञान प्राप्त कर सकें। इस हेतु शिक्षण अधिगम सामग्री विकसित कर उच्च प्राथमिक विद्यालयों को उपलब्ध कराई जायेगी।

7– गुणवत्ता विकास में डायट की भूमिका – .

अकादमिक नेतृत्व प्रदान करना –

डायट द्वारा प्रत्येक स्तर पर अकादमिक नेतृत्व प्रदान किया जायेगा। गुणवत्ता विकास के लिए जनपद तथा उप जनपद स्तर पर वार्षिक कार्ययोजनाएं विकसित की जायेंगी। जनपद, विकासखण्ड, न्यायपंचायत स्तरीय अभिकर्मियों के लिए प्रशिक्षणों का नियोजन तथा क्रियान्वयन, अकादमिक पर्यवेक्षण तथा श्रेणीकरण हेतु अभिमुखीकरण तथा क्रियान्वयन, विभिन्न स्तरीय अभिकर्मियों की क्षमता का विकास, शोध एवं मूल्यांकन, नवाचार

कार्यक्रमों का संचालन तथा अनुश्रवण, सामग्री विकास, ई.एम.आई.एस. आंकड़ों का विश्लेषण तथा उपयोग आदि प्रमुख दायित्वों का डायट द्वारा जनपद स्तर पर निर्वाह किया जायेगा।

इन कार्यक्रमों का समग्र लक्ष्य होगा शिक्षकों का कार्यस्थल पर सहयोग, समर्थन प्रदान करने की उपयुक्त रणनीतियों का विकास करने हेतु संस्थागत क्षमता संवर्द्धन करना। इस हेतु डायट द्वारा निम्नवत् कार्यवाही की जायेगी।

क्षमता विकास करना –

जनपद स्तर पर डायट की अकादमिक नेतृत्व प्रदान करने की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। प्राथमिक उच्च प्राथमिक शिक्षकों की विषय वस्तु तथा शिक्षण विधा आधारित प्रशिक्षण प्रदान करने, बी. आर. सी. , एन. पी. आर. सी. समन्वकों को पर्यवेक्षण के लिए प्रशिक्षित करने, वैकल्पिक शिक्षा, वी0ई0सी0 प्रशिक्षण, ई.सी.सी. प्रशिक्षण, समेकित शिक्षा हेतु प्रशिक्षण आदि मुख्य दायित्वों के निर्वहन हेतु डायट की क्षमता विकास करने के लिए "संस्थागत क्षमता विकास "कार्यक्रम" को लागू किया जायेगा। इसके अतिरिक्त विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों तथा स्वयंसेवी संगठनों से रिसोर्स नेटवर्किंग भी की जायेगी। प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में किये जा रहे नवीनतम शोध–मूल्यांकनों का उपयोग कार्यक्रमों के कियान्वयन में सुनिश्चित किया जायेगा। डायट द्वारा ए. वी.एस.ए./एस.डी.आई. प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के सहायक तथा प्रधान अध्यापक और बी.आर.सी. के समन्वयक, एन.पी.आर.सी. के संकुल प्रभारी की क्षनता विकास विभिन्न प्रशिक्षणों के माध्यम से कराया जायेगा। राज्य स्तर के प्रशिक्षण संस्थानों में डायट के सदस्यों को प्रशिक्षित करके क्षमता में वृद्धि की जायेगी। वाह्य संस्थानों के विशिष्ट तथा अनुभवी व्यक्तियों, संस्थाओं के अनुभवों से लाभ उठाकर डायट के संकाय सदस्यों हेतु वार्ता/व्याख्यान का आयोजन करके सहायक अध्यापकों में क्षनता विकास किया जायेगा। उनमें नेतृत्व की क्षमता, प्रबन्ध एवं नियोजन की क्षमता, शैक्षिक सपोर्ट की क्षनता का विकास किया जायेगा।

अकादमिक संदर्भ समूह का सुदृढ़ीकरण :

जनपद स्तर पर गुणवत्ता विकास के लिए कार्यक्रमों का नियोजन, क्रियान्वयन तथा अनुश्रवण करने, गुणवत्ता विकास के लिए विभिन्न कार्यक्रमों यथा प्रशिक्षण आदि से प्राप्त फीडबैक का विश्लेषण कर उनका समाधान प्रस्तुत करने हेतु अकादमिक संसाधन समूह गठित किया गया है जिसमें डायट स्टाफ के अतिरिक्त बाह्य विशेषज्ञ शिक्षा विद, योग्य शिक्षक आदि सदस्य हैं। अकादमिक संसाधन समूह के क्षमता विकास के पूर्व इसमें उच्च प्राथमिक स्तर पर भी अकादमिक सहयोग प्रदान करने की दृष्टि से हाईस्कूल तथा इण्टर कालेज स्तर के शिक्षकों को जोड़ा जायेगा तथा इनकी क्षमता संवर्द्धन हेतु एस0सी0ई0आर0टी0 के सहयोग से 'क्षमता विकास कार्यशाला' डायट स्तर पर आयोजित की जायेगी। ये कार्यशालाएं मुख्यतः अकादमिक पर्यवेक्षण, विषय शिक्षण तथा स्कूलों का प्रबन्ध, शिक्षकों की समस्याओं का निवारण आदि बिन्दुओं पर केद्रित होंगी तथा प्रत्येक वर्ष 05 दिवसीय कार्यशालाएं आयोजित की जायेंगी।

गुणवत्ता सुधार में स्वयं सेवी संगठनों की सहभागिता

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रस्तावित गुणवत्ता सुधार कार्यक्रमों में प्रदेश के अन्तर्गत स्थापित शासकीय संस्थाओं अथवा स्वैच्छिक संगठनों में जो अकादमिक संसाधन उपलब्ध हैं, उनका सहयोग जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की क्षमता की विकास, अकादमिक सन्दर्भ रामूह को सक्रिय बनाने, जिला तथा विकास खण्ड स्तर पर विकास खण्ड संसाधन केन्द्र समन्वयकों तथा मास्टर ट्रेनर्स की क्षमताओं के विकास में लिया जायेगा। इसके अतिरिक्त अकादमिक पर्यवेक्षण एवं समर्थन प्रणाली के अन्तर्गत विभिन्न स्तर पर क्षमता विकास करने में भी उक्त संस्थाओं की सहभागिता प्राप्त की जायेगी। इस सम्बन्ध में जनपद स्तर पर अनुभवी व ख्याति प्राप्त स्वैच्छिक संगठनों से प्रस्ताव प्राप्त किया जायेगा तथा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जिला शिक्षा परियोजना समिति द्वारा स्वैच्छिक संगठनों का चयन किया जायेगा।

कम्प्यूटर प्रशिक्षण –

डायट में प्रवक्ताओं को भी कम्प्यूटर सिस्टन के उपयोग की जानकारी अवश्य रखनी है। अतः इनके प्रशिक्षण की व्यवस्था की जायेगी। संस्थान स्तर पर नियोजन तथा अनुश्रवण में कम्प्यूटर की सहायता से कार्य

करने की व्यवस्था को बढ़ाया जायेगा। इसके अतिरिक्त उच्च प्राथमिक कक्षाओं में भी बच्चों की कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य है, जैसा कि ऊपर वर्णित है, इस हेतु भी कम्प्यूटर शिक्षण हेतु शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जायेगा।

शिक्षण सामग्री का विकास करना –

शिक्षण सामग्री तथा अनुपूरक अध्ययन सामग्री विकास का प्रशिक्षण डायट स्तर पर प्रदान कर एन.पी.आर.सी. पर संकुल प्रभारी द्वारा कुशल अध्यापक की सहभागिता से शिक्षण सामग्री का विकास किया जायेगा तथा इसी प्रकार क्रमशः विकास खण्ड एवं जनपद स्तर पर अनुपूरक अध्ययन सामग्री का विकास किया जायेगा। इस कार्य में डी.पी.ई.पी. के अन्तर्गत पूर्व में की गयी सामग्री विकास की प्रकिया के अनुभवों से लाभ उठाया जायेगा।

डी.पी.ई.पी. के अन्तर्गत शिक्षकों को रु0 500/– अनुदान के रूप में दिया गया था तथा इसका उद्देश्य यह था कि शिक्षक कक्षा में आवश्यकतानुसार शिक्षण सामग्री के निर्माण में इसे व्यय करेंगे। शिक्षक इससे चार्ट, पोस्टर, अन्य पठन सामग्री सहायक सामग्रियों विशेषकर विज्ञान और गणित शिक्षण में उपयोगी सामग्री तथा उपकरण आदि का क्रय कर सकते हैं। विषय आधारित तथा पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तक आधारित शिक्षण सामग्री के निर्माण तथा उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु इस अनुदान की महत्वपूर्ण भूमिका हैं। इस दृष्टि से सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शिक्षक अनुदान की योजना को जारी रखा जायेगा तथा सभी शिक्षकों को प्रतिवर्ष रु0 500/– शिक्षक अनुदान के रूप में प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना में प्रदत्त विज्ञान किट का उपयोग भी सुनिश्चित किया जायेगा। इस हेतु पूर्व की भांति विभिन्न स्तरों पर मेटिरियल मेले भी आयोजित किये जायेंगे।

न्याय पंचायत स्तर पर शिक्षण सामग्री की प्रदर्शनी लगायी जायेगी। तत्पश्चात इनकी प्रदर्शनी जिला स्तर पर डायट में करायी जायेगी। जिससे अध्यापकों के अन्तर्गत निहित क्षमता का विकास हो सकेगा।

कार्यशाला, गोष्ठियों का आयोजन –

प्राथमिक विद्यालय की विभिन्न समस्याओ के निराकरण हेतु कार्यशालायें एवं गोष्ठियाँ डायट पर की जायेगी। वर्तमान में डी.पी.ई.पी. के अन्तर्गत न्याय पंचायत स्तर पर शिक्षकों की मासिक गोष्ठी का आयोजन किया जाता है जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर मुख्यतः केन्द्रित है। इस बैठक में शिक्षकों की अकादमिक समस्याओं का समाधान करने के अतिरिक्त आदर्श पाठ का प्रस्तुतीकरण, सामग्री निर्माण आदि का कार्य किया जाता है। इस प्रकार सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत भी मासिक स्तरीय इन गोष्ठियों को और अधिक उत्पादक बनाने हेतु डायट स्तर से वार्षिक कार्ययोजना बनाने में एन.पी.आर.सी, बी.आर.सी. की सहायता की जायेगी तथा तैयार की गई वार्षिक कार्ययोजना के आधार पर गोष्ठियों और कार्यशालाओं का आयोजन किया जायेगा। यह कार्यक्रम मुख्यतः उपर्युक्तवत् शिक्षण सामग्री निर्माण, शिक्षकों की कक्षा में अनुभूत कठिनाइयों के निवारण, आदर्श पाठ के प्रस्तुतीकरण आदि बिन्दुओं पर आधारित होगा। निम्नांकित विषयों पर कार्यशालाएं तथा गोष्ठियाँ आयोजित की जायेंगी–

1. बच्चों की संप्राप्ति स्तर के आंकड़ों को शेयरिंग।
2. अनुपूरक अध्ययन सामग्री निर्माण।

3. विज्ञान शिक्षण हेतु शिक्षकों के लिए अनुपूरक अध्ययन सामग्री विकास।
4. छात्र–छात्राओं की अधिगम सम्प्राप्ति के मूल्यांकन हेतु टेस्ट आइटम का निर्माण।
5. स्कूल पूर्व शिक्षा की तैयारी के लिए कथा–कविता का संकलन।

शोध एवं मूल्यांकन –

जनपदीय परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा एवं शैक्षिक कार्यक्रमों को प्रभावी बनाने के लिए शोध कार्यों का महत्व निर्विवाद है। अतः निर्धारित कार्यक्रमों के अनुसार संस्थान विभिन्न विषयों जैसे पाठ्यक्रम, कक्षा शिक्षण, निरीक्षण, विद्यालय प्रबन्ध, मूल्यांकन आदि क्षेत्रों में वास्तविक स्थिति का आंकलन कर व्यावहारिक कठिनाइयों के परिप्रेक्ष्य में उनके निवारणार्थ क्रियात्मक शोध करके प्राप्त निष्कर्षों को क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं, शिक्षक, प्रशिक्षक, निरीक्षक तक पहुँचाकर उनके द्वारा आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। शिक्षकों, समन्वयकों को एक्शन रिसर्च सम्बन्धी प्रशिक्षण सीमेट के सहयोग से प्रदान किया जायेगा। एक्शन रिसर्च के लिए शिक्षकों को धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी। शिक्षक डायट के नेतृत्व में एक्शन रिसर्च हेतु अपनी परियोजना का निर्माण कर इसे क्रियान्वित करेंगे। डायट की भूमिका मुख्यतः एक्शन रिसर्च हेतु शिक्षकों की क्षमता का विकास करने तथा इन शोध परियोजनाओं का सुचारू रूप से क्रियान्वयन कर पूर्ण कराना है।

डायट द्वारा शिक्षकों की शिक्षण क्षमता का भी अध्ययन तथा मूल्यांकन किया जायेगा। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत बच्चों की सम्प्राप्ति स्तर का अध्ययन किया जायेगा। डायट द्वारा एस.सी.ई.आर.टी. के सहयोग से जनपद स्तर पर "क्लास रूम ऑब्जर्वेशन स्टडी" भी की जायेगी।

एक्शन रिसर्च :–

जनपद में विभिन्न स्तरों पर शिक्षकों द्वारा एक्शन रिसर्च का कार्य किये जाने की दृष्टि से 05 दिवसीय कार्यशालाएं आयोजित की जायेंगी तथा इन कार्यशालाओं के आयोजन में मुख्यतः सीमेट, इलाहाबाद और एस0सी0ई0आर0टी0, लखनऊ का सहयोग प्राप्त किया जायेगा। बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. को इस दृष्टि से सक्षम बनाया जायेगा कि शिक्षक अपनी अनुभूत समस्याओं के निदान के लिए स्वयं अपनी कार्ययोजना बनाएं और समाधान ढूँढने में कामयाब हो सकें। इस प्रकार क्रियात्मक शोध की प्रक्रिया को संकुल स्तर तक तथा अनंतर विद्यालय स्तर तक ले जायेंगे। क्रियात्मक शोध हेतु प्रस्तावित क्षेत्र इस प्रकार हैं–

1. शिक्षक अनुदान का सार्थक उपयोग किस प्रकार संभव है ?
2. बहुकक्षा शिक्षण परिस्थितियों में विभिन्न विषयों का शिक्षण किस प्रकार हो ?
3. बच्चों के सतत् व्यापक मूल्यांकन में कक्षा के बच्चों का सहयोग।
4. कक्षा की प्रक्रिया में जनभागीदारी बढ़ाने के तरीके।
5. शिक्षक प्रशिक्षण का कक्षा में क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु संकेतों का विकास।
6. कार्य–निष्पादन के आधार पर चिह्नित कमजोर विद्यालयों में 'प्रबंधन' के मुद्दे।
7. 'विद्यालय विकास योजना' के प्रभावी क्रियान्वयन के उपाय।
8. महिला शिक्षिकाओं का रोल–परसेप्शन परिवर्तित करने के लिए रणनीतियाँ
9. कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले बच्चों के लिए कारगर शिक्षण तकनीक।
10. जहां बच्चों की शैक्षिक सम्प्राप्ति का स्तर कम है उसके कारणों की पहचान।

11. विद्यालयों के सन्दर्भ में समुदाय के सहयोग के अभाव के कारण का अध्ययन ।
12. बच्चों की विद्यालय में अनियमित उपस्थिति के कारणों का अध्ययन
13. मध्यान्तर के पश्चात विद्यालय से छात्रों के पलायन के कारणों का विश्लेषणात्मक निरूपण
14. अध्यापकों के पठन् पाठन के स्तर में वृद्धि हेतु प्रत्येक 6 माह बाद मूल्यांकन ।

ऑकड़ों का विश्लेषण, नियोजन तथा प्रशिक्षण में उपयोग –

ई.एम.आई.एस. के द्वारा प्राप्त ऑकड़ों के विश्लेषण से प्रत्येक ब्लाक/प्रत्येक गाँव/प्रत्येक विद्यालय की मूलभूत समस्या/आवश्यकताओं की जानकारी मिलती है, इसके द्वारा ब्लाकवार, ग्रामवार, विद्यालयवार, लिंगवार तथा श्रेणीवार छात्रों की जानकारी कर सकते हैं। किस स्थान पर ड्राप आउट की अधिकता है। इसकी समस्या का अध्ययन कर सकते हैं। विद्यालय न जाने वाली बालिकाओं के विषय में अध्ययन कर उन्हें विद्यालय में नामांकित किया जा सकेगा।

ई.एम.आई.एस. आंकड़े के विश्लेषण से क्वालिटी इन्डीकेटर्स के संदर्भ में बच्चों की स्थिति का विश्लेषण प्रस्तुत किया जायेगा। उदाहरण के लिए रेपिटिशन रेट, कम्प्लीशन रेट, बच्चों द्वारा शिक्षण चक्र को पूरा करने में लगा समय इत्यादि।

डायट द्वारा ई.एम.आई.एस. से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण किया जायेगा। जिससे उनका उपयोग नियोजन तथा कियान्वयन में हो सकेगा।

मूल्यांकन प्रणाली

छात्रों के मासिक, वार्षिक, मूल्यांकन की प्रणाली को जो व्यवस्था वर्तमान में है, उचित हैं किन्तु सुधार के लिए आवश्यक है कि कक्षा 5 की परीक्षा एन.पी.आर.सी. स्तर पर तथा कक्षा 8 की परीक्षा बी.आर.सी. स्तर पर की जायेगी तथा मूल्यांकन की व्यवस्था डायट पर हो, साथ ही प्रश्न पत्र भी डायट पर कुशल अध्यापकों के सहयोग से बनाये जायेगे। छात्रों के उपलब्धि के मूल्यांकन और उन्हें फीड बैक प्रदान करने के लिए सतत–व्यापक मूल्यांकन प्रणाली विकसित की जायेगी।

एस.सी.ई.आर.टी., उ0प्र0 द्वारा जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत बच्चों में शैक्षिक सम्प्राप्ति के मूल्यांकन हेतु 'सतत एवं व्यापक मूल्यांकन' संबंधी एक प्रणाली का विकास किया गया है। इसका वर्तमान में फील्ड ट्रायल किया जा रहा है। इस 'सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली' को अंतिम स्वरूप प्रदान कर सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत भी उपयोग किया जायेगा तथा इस पर आधारित प्रशिक्षण और अभिमुखीकरण जुलाई, 2001 से आरम्भ होने वाले शैक्षिक सत्र में आयोजित किया जायेगा। यह उल्लेखनीय है कि सतत् व्यापक मूल्यांकन संबंधी प्रशिक्षण हेतु शिक्षकों के प्रशिक्षण मॉड्यूल का विकास नहीं किया जायेगा वरन् इसे सर्व शिक्षा अभियान में नियमित शिक्षक–प्रशिक्षण मॉड्यूल में एक अंश के रूप में ही रखा जायेगा तथा मुख्यतः एतद्–विषयक प्रशिक्षण डायट, बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. स्तरीय अभिकर्मियों को प्रदान किया जायेगा जिससे वे इस प्रणाली का क्रियान्वयन विद्यालय स्तर पर सुनिश्चित करा सकें।

डायट स्तर पर आयोजित होने वाले विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण/कार्यशाला तथा उनके प्रतिभागी निम्नवत् सारिणी द्वारा प्रदर्शित है–

क्र.सं.	कार्यक्रम	प्रतिभागी	अवधि
1.	विजनिंग कार्यशाला	डायट के संकाय सदस्य, डी.पी.ओ. स्टाफ, ए.बी.एस.ए., एस.डी.आई. बी.आर.सी. समन्वयक	04 दिन
2.	शिक्षक प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	चुने हुए प्रशिक्षक	10 दिन
3.	शिक्षामित्र / आचार्य जी का प्रशिक्षण	शिक्षामित्र, आचार्यजी	
	1. आधारभूत प्रशिक्षण		30 दिन
	2. रिफ्रेशर प्रशिक्षण		15 दिन
4.	वैकल्पिक शिक्षा के अनुदेशकों का प्रशिक्षण	अनुदेशक	
	1. आधारभूत प्रशिक्षण		15 दिन
	2. रिफ्रेशर प्रशिक्षण		10 दिन
5.	वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के पर्यवेक्षण हेतु प्रशिक्षण	बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. समन्वयक	03 दिन
6.	ई.सी.सी.ई. केन्द्रों के अनुदेशकों का प्रशिक्षण	ई.सी.सी.ई. केन्द्रों की कार्यकर्त्रियाँ तथा सहायिकाएं	07 दिन
7.	बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. समन्वयकों का प्रशिक्षण	बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. समन्वयक	07 दिन
8.	ए.बी.एस.ए., एस.डी.आई. का प्रशिक्षण	ए.बी.एस.ए., एस.डी.आई.	05 दिन
9.	ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण हेतु बी.आर.जी. का प्रशिक्षण	बी.आर.जी. के सदस्य	03 दिन
10.	कम्प्यूटर शिक्षण हेतु प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	डायट स्टाफ, उच्च प्राथमिक विद्यालयों के चयनित शिक्षक	01 माह
11.	अंग्रेजी तथा संस्कृत विषयों के शिक्षण हेतु प्रशिक्षण	चुने हुए शिक्षक प्रशिक्षण	05 दिन
12.	उर्दू शिक्षकों का प्रशिक्षण	उर्दू शिक्षक	05 दिन
13.	सेवा पूर्वागम प्रशिक्षण	नवनियुक्त सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय	10 दिन
14.	नेतृत्व प्रशिक्षण	प्रधानाध्यापक पद पर पदोन्नति प्राप्त करने वाले शिक्षक	05 दिन
15.	एक्शन रिसर्च हेतु प्रशिक्षण	डायट स्टाफ, बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. के चुने हुए समन्वयक तथा चयनित शिक्षक	05 दिन
16.	मेटीरियल मेला	चुने हुए शिक्षक	03 दिन
17.	सतत् व्यापक मूल्यांकन हेतु प्रशिक्षण	बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. सम0 डायट स्टाफ, चुने हुए शिक्षक	03 दिन
18.	अकादमिक पर्यवेक्षण तथा श्रेणीकरण हेतु प्रशिक्षण	डायट स्टाफ, बी.आर.सी. एन.पी.आर.सी. समन्वयक	03 दिन
19.	कार्यानुभव प्रशिक्षण	बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. के चुने हुए सम0 तथा चयनित उच्च प्रा0वि0 के शिक्षक	05 दिन
20.	अनुपूरक अध्ययन सामग्री विकास हेतु कार्यशाला (हिन्दी / स्थानीय बोली)	चिन्हित शिक्षक शिक्षिकाएं	03 दिन
21.	प्राथमिक / उच्च प्राथमिक कक्षाओं में विज्ञान शिक्षण हेतु सामग्री विकास	प्राथमिक / उच्च प्राथमिक, हाईस्कूल इण्टर कालेज के चुने हुए शिक्षक	03 दिन
22.	गणित शिक्षण हेतु सामग्री विकास कार्यशाला	प्राथमिक / उच्च प्राथमिक, हाईस्कूल इण्टर कालेज के चुने हुए शिक्षक	03 दिन
23.	अकादमिक संदर्भ समूह की क्षमता	अकादमिक संदर्भ समूह के सदस्य	05 दिन

	विकास कार्यशाला		
24.	कक्षा शिक्षण में श्रव्य–दृश्य माध्यम से उपयोग संबंधी कार्यशाला	बी.आर.सी. समन्वयक, चुने हुए विद्यालयों के शिक्षक	02 दिन
25.	बहुश्रेणी शिक्षण हेतु 'सेल्फ लर्निंग मेटीरियल' का विकास संबंधी कार्यशाला	चुने हुए शिक्षक	05 दिन
26.	वास्तविक शिक्षण समय को बढ़ाने हेतु प्रशिक्षण कार्यशाला	बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. समन्वयक	02 दिन
27.	संस्थागत क्षमता विकास कार्यशाला	डायट के संकाय सदस्य	03 दिन
28.	बाल श्रमिकों हेतु संचालित वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों हेतु शिक्षण सामग्री का विकास	डायट संकाय सदस्य तथा शिक्षक	05 दिन

अकादमिक सुपरविजन में डायट, बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. की समेकित भूमिका

अकादमिक सुपरविजन में डायट बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. की समेकित भूमिका रहेगी। एन.पी.आर.सी. अनुश्रवण का प्रतिवेदन बी.आर.सी. को देगा, तथा समीक्षा करके बी.आर.सी. प्रतिवेदन डायट में प्रस्तुत करेगा। डायट में ए.आर.जी. के सदस्यों द्वारा मुख्य समस्याओं पर चर्चा करके भविष्य का एजेन्डा तैयार करेगे। डायट जनपद स्तर पर अकादमिक नेतृत्व प्रदान करेगा तथा इसके निर्देशन में बी.आर.सी, एन.पी.आर.सी. कार्य करेंगे। प्रत्येक स्तर पर मासिक बैठकों का आयोजन, भ्रमण, कार्यों का अनुश्रवण तथा "श्रेणीकरण" के माध्यम से प्रभावी कार्य संस्कृति का विकास किया जायेगा। अकादमिक पर्यवेक्षण की परिधि में अशासकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों, हाईस्कूल, इन्टर कालेज में 6–8 कक्षाओं को पढ़ाने वाले शिक्षकों, वैकल्पिक शिक्षा, ई.सी.सी.ई., ई.जी.एस. केन्द्रों को भी लाया जायेगा।

बी.आर.सी. तथा एन.पी.आर.सी. में गुणवत्ता विकास में प्रस्तावित भूमिका के संदर्भ में इनका प्रशिक्षण तथा अभिमुखीकरण डायट स्तर पर किया जायेगा। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का बल इस बात पर होगा कि डी.पी.ई.पी. के अन्तर्गत चलायी गई अकादमिक पर्यवेक्षण प्रणाली को अधिक सुदृढ़ तथा सक्षम बनाया जा सके। विद्यालयों, एन.पी.आर.सी., बी.आर.सी. का उनके कार्य निष्पादन के आधार पर श्रेणीकरण किया जायेगा तथा अपेक्षित स्तर का प्रदर्शन न करने वाले विद्यालयों, संसाधन केन्द्रों को चिन्हित कर उन पर विशेष बल दिया जायेगा।

बी.आर.सी. की भूमिका :

ब्लॉक स्तर पर स्थापित ये संसाधन केन्द्र डायट के नेतृत्व में गुणवत्ता विकास हेतु अपनी वार्षिक कार्ययोजना विकसित करेंगे।

- सेवारत शिक्षकों का प्रशिक्षण– आयोजन करेंगे।
- विद्यालयों में प्रशिक्षणों के प्रभाव का पर्यवेक्षण करेंगे।
- वैकल्पिक शिक्षा, ई.जी.एस., शिशु शिक्षा केन्द्रों का पर्यवेक्षण करेंगे।
- समुदाय के सदस्यों का बी.आर.सी. के माध्यम से प्रशिक्षण तथा समुदाय की भागीदारी बढ़ाने के लिए पंचायतराज संस्थाओं तथा अन्य विभागों से समन्वय स्थापित करेंगे।
- ई.एम.आई.एस. आंकड़ों का संकलन तथा विश्लेषण करेंगे।
- अकादमिक समस्याओं के निवारण हेतु एन.पी.आर.सी. तथा डायट के मध्य सक्रिय कड़ी का कार्य करेंगे।
- बी.आर.सी. स्तर पर गुणवत्ता विकास हेतु 'संदर्भ समूह' विकसित करेंगे।
- शोध एवं मूल्यांकन अध्ययन के लिए शिक्षकों को सहयोग प्रदान करेंगे।
- 'स्कूल डेवलपमेन्ट प्लान' का विकास कराने तथा अकादमिक अनुश्रवण का कार्य करेंगे।
- बी.आर.सी. स्तर पर सामग्री निर्माण कार्यशालाओं का आयोजन करेंगे।

- प्राथमिक शिक्षा के प्रति समुदाय, अभिभावकों तथा संचार माध्यमों को अभिप्रेरित कर संवेदनशील बनायेंगे।

एन.पी.आर.सी. की भूमिका–

न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र अपनी वार्षिक कार्ययोजना विकसित करेंगे।

- शिक्षकों के लिए मासिक प्रशिक्षणों, कार्यशालाओं का आयोजन करेंगे।
- विद्यालयों, वैकल्पिक शिक्षा, ई.सी.सी.ई. तथा ई.जी.एस. केन्द्रों का अकादमिक पर्यवेक्षण करेंगे।
- वी.ई.सी. के सदस्यों, डब्लू. एम.जी./पी.टी.ए./एम.टी.ए. सदस्यों का प्रशिक्षण आयोजित करेंगे।
- ई.एम.आई.एस. आंकड़ों का संकलन तथा विश्लेषण करेंगे।
- स्कूल भ्रमण तथा आदर्श पाठों का प्रस्तुतीकरण करेंगे।
- शोध एवं मूल्यांकन अध्ययन के लिए शिक्षकों को सहयोग प्रदान करेंगे।
- 'स्कूल डेवलपमेन्ट प्लान' का विकास कराकर इसका अनुश्रवण करेंगे।
- एन.पी.आर.सी., अभिभावकों, शिक्षकों तथा बच्चों के लिए एक स्रोत केन्द्र के रूप में अपने आपको विकसित करेंगे।

12. नवाचार कार्यक्रम –

1. डायट द्वारा विभिन्न ग्रामों के जन–समुदाय जिसमें ग्राम शिक्षा समिति, स्कूल न जाने वाले बच्चों के अभिभावक, व्यवसाय करने वाले बच्चों के अभिभावक, ग्राम प्रधान, सम्मिलित थे तथा न्याय पंचायत संकुल प्रभारी, उच्च प्रा. वि. के प्रधानाध्यापक के साथ एफ.जी.डी. के दौरान यह तथ्य संज्ञान में आया कि जो बच्चे अपने व्यवसाय में संलग्न होने के कारण विद्यालय में नहीं जाते हैं या जिन्होंने प्रथमिक स्तर की पढ़ाई पूर्ण कर विद्यालय जाना बंद कर दिया है, उन्हें पुनः विद्यालय में लाने के लिए ठहराव बनाए रखने के लिए तथा उन्हें स्वावलंबी बनाने हेतु कौशल विकास में दक्ष करने के लिए कार्यानुभव, प्रशिक्षण बहुत प्रभावी होगा। इसी प्रकार यदि लड़कियों को उनकी इच्छानुसार, फैशन डिजाइनिंग, स्क्रीन प्रिंटिंग, फूड प्रजर्वेशन आदि का प्रशिक्षण देने से उनका उ.प्रा. स्तर पर विद्यालय में ठहराव बनाए रखने के लिए सहायता मिलेगी।

इससे पूर्व बी0 ई0 पी0 जनपदों में उ0प्रा0वि0 में बालिकाओं के लिए इसका पाइलट प्रोजेक्ट चलाया जा चुका है, जिसके परिणाम बहुत सकारात्मक रहे हैं। इससे न केवल बालिकाओं के नामांकन में वृद्धि हुई है, अपितु उनका ठहराव भी बना रहा है।

बालिकाओं केलिये कार्यानुभव कार्यक्रम उनके ठहराव में अत्यन्त सहायक होता है। ठहराव पर प्रभाव की दृष्टि से किये गये अध्ययन के अनुसार (Evaluation of the Pilot Project of work experience for girls of upper primary schools in UP, 1998 C.K. Misra) जिन स्थानों पर यह योजना संचालित की गई वहाँ कोई भी छात्रा विद्यालय से 'ड्राप आउट' नही हुई। यह निष्कर्ष इस धारणा की पुष्टि करता है कि कौशल विकास के कार्यक्रम उच्च प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं के धारण में मदद करते हैं।

इस आधार पर बालिकाओं के लिए कार्यानुभव शिक्षण को जनपद में नवाचार कार्यक्रम के रूप में संचालित किया जायेगा। इस हेतु सर्वप्रथम जनपद के सभी विकासखण्डों में तीन तीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों /कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालयों को चिन्हित किया जायेगा। इस कार्य में यह योजना है कि प्रत्येक उ0प्रा0वि0 की स्थानीय आवश्यकता के आधार पर वहां बच्चों को ऐसे कौशल में प्रशिक्षित किया जाए ।

कार्यानुभव प्रशिक्षण इस प्रकार नियोजित किया जायेगा कि एक बार विद्यालय में कच्चा माल उपलब्ध कर दिया जाएगा। उस कच्चे माल से जो सामान तैयार होगा उसका विक्रय करके प्राप्त बचत धनराशि में से कुछ अंश बालक–बालिकाओं को पारिश्रिम के रूप में प्रदान किया जाएगा तथा मूल धनराशि से पुनः कच्चा माल लिया जाएगा। इस प्रकार से यह प्रक्रिया निरंतर बिना किसी अतिरिक्त बोझ के चलती रहेगी। उक्त कार्यानुभव प्रशिक्षण ब्लाक संसाधन केन्द्र की आवश्यकता के आधार पर सभी उ0प्रा0 विद्यालय में लागू किया जाएगा।

2. बच्चों के लिए सामग्री विकास :

पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर पूरक शिक्षण सामग्री विकसित की जायेगी। जिसमें स्थानीय उपलब्ध विशेषज्ञों जनपद स्तर की विभूतियों, भौगोलिक ऐतिहासिक स्थलों की जानकारी आदि हो सकती है। इनको प्रचलित पाठ्यक्रम के साथ साथ रखा जायेगा जिससे बच्चे अपने स्थानीय महत्व के स्थानों महान व्यक्तियों आदि के बारे में जान सके एवं उनसे प्रेरणा ले सके इस मैटेरियल के विकास के लिए स्थानीय स्तर पर प्रयास किये जायेगे। विषय वस्तु के विकास के लिए विभिन्न स्तरों प्राथमिक/उच्च प्राथमिक/माध्यमिक के शिक्षकों स्थानीय शिक्षा विदों समाज सेवी व्यक्तियों की कार्यशालाए आयोजित की जायेगी। उपलब्ध स्थानीय साहित्य से भी योगदान लिया जायेगा।

3. कक्षा की प्रक्रिया में समुदाय की भागीदारी बढाना -

ग्राम शिक्षा समितियों के गठन के माध्यम से समुदाय को विद्यालय से जोडनें का प्रयास किया गया है। ग्रामशिक्षा समितियों की बैठकें प्रतिमाह आयोजित किये जाने की व्यवस्था है लेकिन व्यवहारिक रूप में यह देखने में आता है।कि बैठकें नियमित रूप से आयोजित नहीं होती है और जब आयोजित होती है तो इनका मुख्य केन्द्र विद्यालय परिसर की समस्याओ तक ही रहता है। बच्चों की उपलब्धि पर कोई चर्चा नही होती है समुदाय की भागीदारी को इस ओर भी बढाया जायेगा। इसके लिए समुदाय के लोगा अभिभावकों को कक्षा शिक्षण की प्रक्रिया देखने के लिए आमंत्रित करेगे जिससे उनमें बच्चों की शिक्षा के प्रति जागरूकता पैदा हो और बच्चों की शिक्षा पर विद्यालय के साथ साथ घर पर भी ध्यान दिया जाये। समय समय पर अभिभावकों को उनके बच्चो की उपलब्धि से भी अवगत कराया जायेगा। विद्यालय के वार्षिक समारोह में अच्छी उपलब्धि के लिए बच्चो को सम्मानित किया जायेगा। ऐसा करके स्थानीय अच्छे कार्यकताओं का विद्यालय शिक्षण में सहयोग भी मिल सकेगा। विद्यालय से जुडकर समुदाय इसे अपना ही अभिन्न अंग स्वीकार कर सकेगा। यह सोच विद्यालय की प्रगति/विकास में महत्वपूर्ण होगी।

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान का सुदृढीकरण -

डायट बीसलपुर पीलीभीत में डायट भवन तथा छात्रावास पूर्व निर्मित है। डायट भवन दो मंजिला है ऊपरी मंजिल पर एक कक्षा कक्ष तथा प्रसाधन कक्ष का निर्माण कार्य अपर्ण है इसे पूर्ण करने की आवश्यकता है जिससे पर्याप्त कक्षों की व्यवस्था हो

डायट भवन वर्ष 1991 में निर्मित हुआ है भवन की छत तथा छात्रावास की छतों की मरम्मत की आवश्यकता है। खिडकियों की मरम्मत की आवश्यकता है। छात्रावास में भी खिड़कियों की मरम्मत की आवश्यकता है।

डायट के लिए 200 मेज तथा 200 कुर्सी कक्षा कक्ष के लिए आवश्यकता है। छात्रावास के लिए 50 तखत, 100 गददा, 100 कम्बल, 100 तकिया, 100 बेड़ शीट की आवश्यकता है।

संस्थान के लिए 5 किलोवाट के एक जनरेटर की आवश्यकता है एक फोटोकापियर की भी आवश्यकता है। एक बडे 53 सेमी. रंगीन टी0वी0 क्रय करने की आवश्यकता है।

संस्थान के पास कम्पयूटर लैब नही है एक कम्प्यूटर लैब की आवश्यकता है एक कम्प्यूटर तथा एक प्रिन्टर भी क्रय किये जाने की आवश्यकता है।

संस्थान पुस्ताकलय के लिए फर्नीचर/अलमारियो की आवश्यकता है।

सारिणी 9.25

मद	आवश्यकता		
नवीन भवन	कम्प्यूटर लैव रीडिंग रूम शौचालय	-	-
मरम्मत/रखरखाव	डायट भवन एवं छात्रावास भवन की छत खिड़कियों की मरम्मत डायट भवन की ऊपरी मंजिल के अपूर्ण कक्षा कक्ष व प्रसाधन कक्ष का निर्माण।	-	-
उपकरण/साज- सज्जा जनरेटर फोटो कापी पर टेलीविजन VCD/ACD प्लेयर कम्प्यूटर फर्नीचर	जनरेटर-1 5 कि.मी. वाट फोटो कापीयर एक रंगीन टी.वी. 53 से.मी. एक कम्प्यूटर-1, प्रिन्टर-1 200 कुर्सी 200 मेज, छात्रावास में 50 तख्त, 100 गद्दा, 100 चादर, 100 कम्बल, 100 तकिया।	-	-
पुस्तकालय	फर्नीचर-1, अलमारी 50 कुर्सी, 50 मेज, 10 अलमारी।		

सारिणी 9.26

जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान की क्षमता का सम्वर्द्धन -

मद	सृजित	कार्यरत	रिक्त
प्राचार्य	01	01	-
उप प्राचार्य	01	01	-
वरिष्ठ प्रवक्ता	06	01	05
प्रवक्ता	17	03	14
कार्यानुभव शिक्षक	01	01	-
तकनीकी सहायक	01	01	-
सांख्यिकीकार	01	01	-
प्रतिनियुक्ति पर तैनात प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों की संख्या	04	-	04

संकाय के सदस्यों के कौशल विकास सम्बन्धी विवरण -

संकाय के सदस्यों को कुछ क्षेत्रों में प्रशिक्षित किये जाने की आवश्यकता है जिससे प्रशिक्षणों आदि के आयोजन तथा दैनिक कार्यों के सम्पादन में सुविधा हो सके।

1. समेकित शिक्षा हेतु संकाय सदस्यों को प्रशिक्षण दिया जाना आवश्यक है।
2. कम्प्यूटर प्रशिक्षण दिया जाना।
3. लाइब्रेरी संचालन व्यवस्था हेतु एक सदस्य को प्रशिक्षित किया जाना।
4. शैक्षिक तकनीकी उपकरणों को संचालित किये जाने हेतु प्रशिक्षण।
5. मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला के उपकरणों/टेस्ट के प्रयोग हेतु प्रशिक्षण।
6. क्रियात्मक शोध सम्बन्धी प्रशिक्षण।

उत्कृष्ट कार्य हेतु पुरस्कार/ प्रोत्साहन की व्यवस्था –

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कार्यक्रमों का क्रियान्वयन जनपद में विभिन्न स्तरों पर किया जायेगा। कार्यक्रम के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन में विकास खण्ड, न्याय पंचायत तथा ग्राम स्तरीय अभिकर्मियों एवं शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। सर्व शिक्षा अभियान हेतु प्रस्तावित कार्ययोजना के क्रियान्वयन विशेषकर गुणवत्ता विकास हेतु कार्यक्रमों का सुचारू संचालन एवं प्रत्येक स्तर पर उपयुक्त कार्य संस्कृति को स्थापित तथा प्रोत्साहित करने की दृष्टि से उप–जनपद तथा अन्य स्तरों पर कार्यरत अभिकर्मियों एवं शिक्षकों में स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा विकसित करने और उत्कृष्ट कार्य करने वालों को प्रोत्साहन दिया जायेगा और पुरस्कृत भी किया जायेगा।

जनपद में प्रति वर्ष उत्कृष्ट कार्य–निष्पादन वाले 2 बी.आर.सी. को रू. 10,000 की दर से तथा प्रत्येक विकास खण्ड में 1 एन.पी.आर.सी. को रू. 7,000 की दर से पुरस्कार प्रदान किया जायेगा। इसी प्रकार प्रत्येक विकास खण्ड में से कार्य निष्पादन के आधार पर चयनित दो ग्राम शिक्षा समितियों को क्रमशः रू.15,000 तथा रू.10,000 की दर से पुरस्कार प्रदान किया जायेगा। इस धनराशि का उपयोग ग्राम शिक्षा समिति अपने निर्णयानुसार विद्यालय को समृद्ध बनाने में कर सकेगी। शिक्षकों को नवाचार के लिये प्रेरित करने के लिये, पठन–पाठन के उत्कृष्ट मानदण्ड स्थापित करने की दृष्टि से प्रतिभाशाली एवं योग्य शिक्षकों को चुनकर प्रत्येक विकास खण्ड में से एक–एक अध्यापक को पुरस्कृत किया जायेगा तथा इस हेतु उन्हें रू. 5,000 प्रदान किया जायेगा। पुरस्कार की धनराशि का उपयोग बी.आर.सी, एन.पी.आर.सी. समन्वयकों व शिक्षकों के ज्ञान अभिवृद्धि व अन्तर्राज्यीय भ्रमण/ एक्सपोजर विजिट पर किया जायेगा।

गुणवत्ता सुधार में सामुदायिक सहभागिता

शैक्षिक सत्र में दो बार छमाही परीक्षा के बाद, (दिसम्बर) एवं वार्षिक परीक्षा के बाद, (मई) में विद्यालय समारोह आयोजित किये जायेंगे, जिसमें ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य एवं अभिभावक प्रतिभाग करेंगे। इस अवसर पर छात्र– छात्राओं के रिपोर्ट कार्ड वितरित किये जायेंगे तथा बच्चों की शैक्षिक सम्प्राप्ति पर समुदाय के सदस्यों से चर्चा की जायेगी।

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान का सुदृढ़ीकरण

भवन का विस्तार

		अनुमानित लागत (रू०लाख में)
1.	कार्यालय भवन के एक अतिरिक्त तल (द्वितीय तल) का निर्माण	40.00
2.	एक सभाकक्ष का निर्माण	8.00
3.	एक अतिरिक्त प्रशिक्षण कक्ष का निर्माण	2.00
	योग	**50.00 लाख**

उपकरण / साज सज्जा

1.	कम्प्यूटर,(4) प्रिंटर्स, यू.पी.एस.	6.00
2.	फोटोकापियर	1.50
3.	पुस्तकालय हेतु पुस्तकें रैक, कुर्सी–मेज	1.00
4.	जनरेटर, वाटर कूलर, डुपलिकेटिंग मशीन, फैक्स मशीन	1.50
	योग	10.00 लाख

आवर्तक (प्रतिवर्ष)

1.	क्रियात्मक शोध / अध्ययन	2.00
2.	कार्यशालाएं / सेमीनार	2.00
3.	प्रकाशन एवं मुद्रण	4.00
4.	कंटिन्जेन्सी	1.00
5.	वाहन रख–रखाव / पी.ओ.एल.	0.50
	योग	**10.00 लाख**

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों के लिए कम्प्यूटर का प्रावधान किया गया है। ये कम्प्यूटर जनपद में संचालित शिक्षक प्रशिक्षणों के लिये सामग्री विकास के लिये उपयोगी सिद्ध होंगे। सूचना तकनीक पर आधारित शिक्षक प्रशिक्षण सामग्री के विकास में भी ये कम्प्यूटर उपयोगी सिद्ध होंगे।

अध्याय-10

परियोजना क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण

सर्व शिक्षा अभियान की परियोजना वर्तमान व्यवस्था की सम्पूरक व्यवस्था के रूप में संचालित की जायेगी। इसकी अवधि वर्ष 2001 से वर्ष 2010 तक की होगी। इस अवधि में 6-14 आयु के सभी बालक/ बालिकाओं को गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान की जायेगी तथा सभी कार्यक्रम एंव उनका प्रबंधन उ0 प्र0 सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा किया जायेगा। इस अवधि में पर्याप्त क्षमता एंव प्रबंधन कौशल विकसित कर लिये जाने का लक्ष्य है।

परियोजना का प्रबंधन टीम भावना पर आधारित होगा और इसमें व्यक्तिगत पहल के लिये पर्याप्त अवसर उपलब्ध होगें। प्रबंधन लोकतांत्रिक होगा और इससे यह अपेक्षा होगी कि यह अधिकतम जन सहभागिता सुनिश्चित कर सके। समय-समय पर समीक्षा और रणनीतियों के परिवर्तन के लिये इसे तत्पर रहना होगा और यह परिवर्तन भी सहभागिता पर आधारित होगें। इससे सबसे निचले स्तर पर जबावदेही, दिन-प्रतिदिन कार्यक्रमों का अनुश्रवण किया जायेगा। अध्यापकों व छात्रों की उपस्थिति सुनिश्चित की जायेगी।

प्रबंध तन्त्र : संवेदनशील और लचीली प्रणालीः-

सर्व शिक्षा अभियान की समस्त प्रक्रियाओं में सामुदायिक सहभागिता प्राप्त करते हुये विकेन्द्रीकृत शैक्षिक प्रबंधन प्रणाली स्थापित कर प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनिकरण के लक्ष्य को प्राप्त किया जाना है। इस व्यापक कार्य के सम्पादन के लिये प्रशासनिक कार्यों के निष्पादन में उच्च कोटि का लचीलापन लाने, जवाबदेही सुनिश्चित करने की प्रणाली स्थापित करने, वित्तीय निवेशों को अवाध प्रवाह प्रदान करने और नवाचारात्मक विधियों के साथ प्रयोग की सुविधा निर्मित करने के साथ उ0 प्र0 सर्व शिक्षा अभियान ने एक प्रबंध तन्त्र तैयार किया है, जो निम्नवत् दर्शाया जा सकता है-

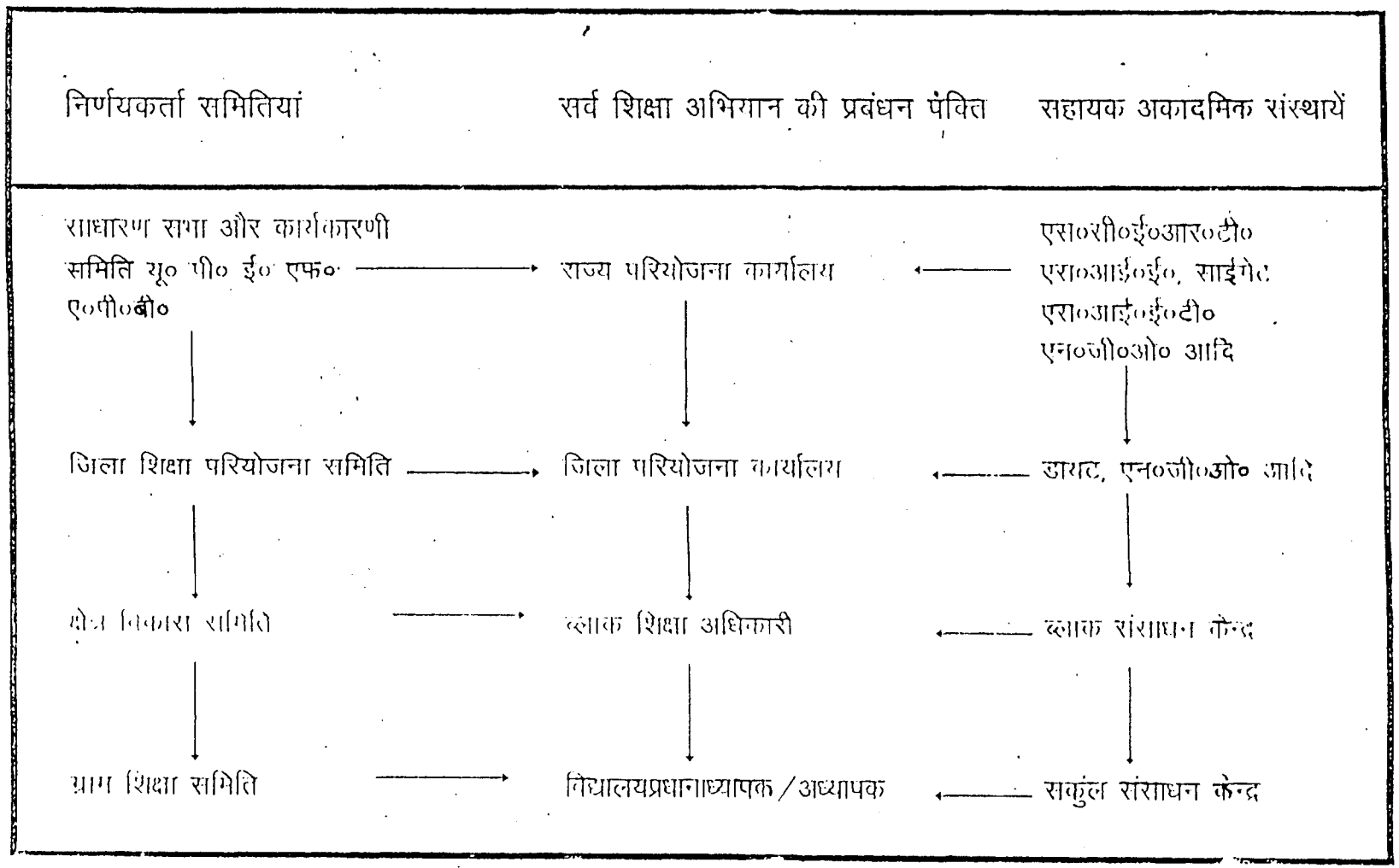
निर्णयकर्ता समितियां
सर्व शिक्षा अभियान की प्रबंधन पंक्ति
सहायक अकादमिक संस्थायें
साधारण सभा और कार्यकारणी
समिति यू० पी० ई० एफ०
ए०पी०बी०
राज्य परियोजना कार्यालय
एस०सी०ई०आर०टी०
एस०आई०ई०, साईंगेट
एस०आई०ई०टी०
एन०जी०ओ० आदि
जिला शिक्षा परियोजना समिति
जिला परियोजना कार्यालय
डायट, एन०जी०ओ० आदि
ब्लाक शिक्षा अधिकारी
ब्लाक संसाधन केन्द्र
ग्राम शिक्षा समिति
विद्यालयप्रधानाध्यापक/अध्यापक
सकुंल संसाधन केन्द्र

संगठनात्मक ढांचा- नीति निर्धारण

ग्राम शिक्षा समिति :

ग्राम स्तर पर बेसिक शिक्षा सम्बन्धी समस्त कृत्यों के सम्पादन हेतु बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 यथा संशोधित वर्ष 2000 के अर्न्तगत ग्राम शिक्षा समिति का गठन किया गया। जिसमें निम्नलिखित सदस्य है:-

समिति का स्वरूप निम्नवत है :-

1. ग्राम पंचायत का प्रधान : अध्यक्ष
2. ग्राम पंचायत में स्थित बेसिक स्कूल का प्रधान अध्यापक और यदि वंहा एक से अधिक स्कूल हों तो उनके प्रधान अध्यापकों में से ज्येष्ठतम सदस्य ग्राम शिक्षा समिति का सचिव होगा।।
3. बेसिक स्कूलों के छात्रों के तीन संरक्षक (जिसमें एक संरक्षक महिला होगी) जो सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेगें। : सदस्य

अधिकार एवं दायित्व :

ग्राम शिक्षा समिति निम्नलिखित कार्यो का सम्पादन करेगी-

(क) पंचायत क्षेत्र में बेसिक स्कूलों के निष्पादन हेतु प्रशासन, नियन्त्रण और प्रबंधन करना।

(ख) ऐसे बेसिक स्कूलों के विकास, प्रसार और सुधार के लिये योजनाऐं तैयार करना।

(ग) पंचायत क्षेत्र में बेसिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और प्रौढ शिक्षा की अभिवृद्धि और विकास करना।

(घ) बेसिक स्कूलों, उनके भवनों और उपकरणों के सुधार के लिये जिला पंचायत को सुझाव देना।

(ड़) ऐसे समस्त आवश्यक कदम उठाना जो बेसिक स्कूलों के अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के समय पालन और उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक समझें जायें।

(च) पंचायत क्षेत्र की सीमाओं के भीतर स्थित किसी बेसिक स्कूल के किसी अध्यापक या अन्य कर्मचारी पर ऐसी रीति से जैसे निहित की जाये लघु दण्ड देने की सिफारिश करना।

(छ) बेसिक शिक्षा से सम्बन्धित ऐसे अन्य कृत्यों को करना, जिन्हे राज्य सरकार द्वारा उसे सौंपे जायें।

उ0 प्र0 बेसिक शिक्षा परियोजना के अर्न्तगत यह समिति नीति निर्धारण के साथ-साथ मुख्य कार्यदायी संस्था के रूप में कार्य करती रही है, जिसमें विद्यालय भवनों का निर्माण, परीषद में सुधार, शैक्षिक उपकरणों की आपूर्ति आदि सम्मिलित है। ग्राम शिक्षा समिति बेसिक शिक्षा सम्बन्धी कार्यों में जनता की सहभागिता हासिल करने में सफल हुई है। सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत भी ग्राम शिक्षा समिति द्वारा विद्यालय प्रबंधन एंव शैक्षिक नियोजन सम्बन्धी सारे कृत्यों का सम्पादन किया जायेगा। इसे अधिक प्रभावी बनाने एंव सक्रिय सामुदायिक भागीदारी के साथ-साथ बस्ती/ ग्राम स्तर पर शैक्षिक योजना तैयार करने और इसका समयबद्ध क्रियान्वयन करने हेतु इसके सदस्यों को माइक्रोप्लानिंग आदि विधाओं में सक्षम बनाया जायेगा ताकि बुनियादी स्तर से प्रारभिक शिक्षा का लक्षित विकास हो सके।

उपर्युक्त के अतिरिक्त शिक्षा गारंटी योजना केन्द्र/वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों की मांग तथा शिक्षा के लिये परिवेश का निर्माण एंव अन्य समस्त संसाधनों का संकेन्द्रण (Convergence) इसी समिति का अधिकार एंव दायित्व है। शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों, आचार्यों, आंगनवाडी केन्द्रों के स्टाफ के वेतन/ मानदेय का भुगतान ग्राम शिक्षा समिति द्वारा किया जायेगा। छात्रवृत्तियों का वितरण,

पोषाहार वितरण का नियन्त्रण, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण ग्राम शिक्षा समिति के पर्यवेक्षण में किया जायेगा।

न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र (एन0पी0आर0सी0):-

इस जनपद में सभी न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों का निर्माण उ0 प्र0 बेसिक शिक्षा परियोजना के अर्न्तगत कराया जा चुका है। इसे सुसज्जित किये जाने के साथ-साथ संकुल प्रभारियों की नियुक्ति कर, उन्हें प्रशिक्षित किया जा चुका है। इनको प्रशिक्षण के माध्यम से और अधिक सक्रिय एवं क्रियाशील बनाया जायेगा।

कार्य एवं दायित्व :

1. न्याय पंचायत क्षेत्र के विद्यालयों का एकेडमिक निरीक्षण करना।
2. अध्यापकों की साप्ताहिक बैठक करना उनकी व्यक्तिगत कठिनाइयों पर विचार-विमर्श एवं उसका निराकरण करना।
3. ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों को प्रशिक्षित कराना।
4. ग्राम शिक्षा समितियों के सहायोग से न्याय पंचायत क्षेत्र के विद्यालयों में गुणवत्ता के सुधार परिवेश निर्माण आदि की योजना तैयार करना।
5. न्याय पंचायत स्तरीय शैक्षिक सूचनाओं का संकलन एवं सूक्ष्म नियोजन।

क्षेत्र पंचायत स्तरीय समिति :

जिले की भॉति ही प्रत्येक क्षेत्र पंचायत स्तर पर एक ब्लाक शिक्षा सलाहकार समिति गठित हैं जो सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत विकास खण्ड स्तर पर कार्यक्रम निर्धारण अनुश्रवण आदि के लिये उत्तरदायी होगी।

क्षेत्र पंचायत स्तर पर गठित समिति में निम्नलिखित पदाधिकारी सम्मिलित है-

1.	ब्लाक प्रमुख	अध्यक्ष
2.	सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/प्रति उप विद्यालय निरीक्षक	सदस्य - सचिव

3. विकास खण्ड का एक ग्राम प्रधान सदस्य

4. विकास खण्ड का एक वरिष्ठतम प्रधानाध्यापक सदस्य

अधिकार एवं दायित्व :

इस समिति का मुख्य कार्य ब्लाक संसाधन केन्द्र एवं न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों के कार्यो में समन्वय स्थापित करना। जिला परियोजना समिति के निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित करना तथा क्षेत्र पंचायत के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियावन्न एवं अनुश्रवण करना इसका मुख्य दायित्व होगा। ।यह समिति ग्राम शिक्षा समितियों एवं जिला शिक्षा परियोजना समिति के बीच सम्पर्क सूत्र का कार्य करेगी तथा सुनिश्चित रोजगार योजना/ जे0जी0एस0वाई0 के लिये आवंटित धनराशि में से प्राथमिकता के आधार पर धन उपलब्ध कराने में यह विशेष सहायक होगी। इस समिति की प्रत्येक महीने में एक बैठक अनिवार्य होगी।

प्रशासनिक संगठन - ब्लाक स्तर :

प्रत्येक क्षेत्र पंचायत स्तर पर एक सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी /प्रति उप विद्यालय निरीक्षक कार्यरत हैं जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के नियन्त्रण में परियोजना के कार्यक्रमों को क्रियान्वित करायेंगे तथा नियमित रूप से पर्यवेक्षण व अनुश्रवण करेंगे। सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/ प्रति उप विद्यालय निरीक्षक, परियोजना क्रियान्वयन एवं प्रगति हेतु उत्तरादायी होंगे। विकास खण्ड के अन्तर्गत ग्राम शिक्षा समितियों, ब्लाक संसाधन केन्द्र, न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों के मध्य समन्वय स्थापित करना उनका दायित्व होगा और इसके लिये उन्हें आवश्यक अधिकार एवं सुविधायें प्रदान की जायेंगी। विकास खण्ड के विद्यालय सांख्यिकी को समय से एकत्रित करना तथा जिला परियोजना समिति को उपलब्ध कराया जाना एवं सांख्यिकी की शुद्धता को बनाये रखने में विकास खण्ड स्तरीय अधिकारी की विशेष भूमिका एवं उत्तरादायित्व होगा। सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी पदेन विकास खण्ड परियोजना अधिकारी होंगे। साररूप में विकास खण्ड स्तरीय अधिकारी के प्रमुख उत्तरादायित्व निम्नलिखित होंगे:-

1. सर्व शिक्षा अभियान की नीतियों एंव कार्यक्रमों का क्रियान्वयन।

2. विद्यालय भवनों के निर्माण का पर्यवेक्षण करना।

3. ग्राम शिक्षा समितियों को प्रभावी बनाना।

4. ब्लाक परियोजना समिति की बैठक कराना एवं उसके निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित कराना।

5. ब्लाक स्तर पर शैक्षिक ऑकड़े एकत्रित कर संकलित करना।

6. सभी प्रकार की छात्रवृत्तियों का वितरण सुनिश्चित कराना तथा सूचना एकत्र करना।

7. खाद्यान्न वितरण तथा उससे सम्बन्धित सूचना संकलित कराना।

8. विद्यालयों में अध्ययनरत सभी बालिकाओं एवं अनु0जा0/जन0जा0 के सभी बालक/ बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का समय से वितरण सुनिश्चित कराना।

9. विद्यालयों का निरीक्षण करना तथा गुणवत्ता में सुधार लाना।

10. विद्यालयों में मानक के अनुसार अध्यापक-छात्र अनुपात बनाये रखना और आवश्यकतानुसार शिक्षा मित्रों की नियुक्तियां सुनिश्चित कराना।

11. ग्राम शिक्षा समितियों तथा ब्लाक शिक्षा समिति के बीच समन्वय स्थापित करना।

12. अध्यापकों के वेतन विल प्रस्तुत करना तथा वेतन भुगतान सुनिश्चित करना।

ई.जी.एस. तथा ए.आई.ई. के संचालन का अनुश्रवण सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/ प्रति उप विद्यालय निरीक्षक करेगें तथा ई0जी0एस0 एंव ए0आई0ई0 केन्द्रों पर अध्ययनरत छात्र एंव छात्राओं का विवरण एंव कार्यक्रम की प्रगति नियमित रूप से जिला परियोजना कार्यक्रम अधिकारी को उपलब्ध करायेगें।

सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय हेतु बेसिक शिक्षा परियोजना के अर्न्तगत पूर्व में ही निर्मित ब्लाक संसाधन केन्द्र में आवश्यक स्थान की व्यवस्था की जायेगी। वे सर्व शिक्षा अभियान

में विकास खण्ड परियोजना अधिकारी की भुमिका में समस्त दायित्वों का निर्वहन करेगें। इस हेतु उनकी क्षमता में वृद्धि तथा गतिशीलता बढ़ाने के उद्देश्य से एक मोटर साइकिल के साथ यात्रा भत्ता तथा रख-रखाव हेतु नियत धनराशि (18000/- प्रति वर्ष प्रति विकास खण्ड) उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। उन्हे ई0जी0एस0/ ए0आई0ई0 योजना के कार्य सम्पादन हेतु प्रशिक्षण दिया जायेगा। तथा उनके शासकीय दायित्वों के निष्पादन में सहायता हेतु एक बी0आर0सी0 सह समन्वयक प्रत्येक विकास खण्ड संसाधन केन्द्र में नियुक्त किया जायेगा।

ब्लाक संसाधन केन्द्र (बी0आर0सी0)

इस जनपद में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना से संचालित हो चुकी है और सभी विकास खण्डों ब्लाक संसाधन केन्द्रों के भवनों का निर्माण कराया जा चुका है। परियोजना के अर्न्तगत सभी ब्लाक संसाधन केन्द्र विद्युतीकृत एवं सुसज्जित है। यहां समन्वयक भी नियुक्त किये जा चुके है और वे प्रशिक्षण भी प्राप्त कर चुके है। सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत कार्यक्रम की व्यापकता तथा उच्च प्राथमिक स्तर तक विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए प्रत्येक ब्लाक संसाधन केन्द्र में एक अतिरिक्त सह समन्वयक का पद सृजित किया जायेगा, जो सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी के परियोजना कार्यो के पर्यवेक्षण, सूचना को एकत्रित करना, संकलन, विद्यालय सांख्यिकी के संकलन एवं सभी प्रकार की बैठकों के आयोजन तथा कार्यक्रमों के अनुश्रवण मे सहायता करेगे।

शैक्षिक, गुणवत्ता सम्वर्द्धन व समर्थन हेतु देखा गया है कि बी0आर0सी0 समन्वयक का अधिकाधिक समय सूचना के एकत्रीकरण एंव विश्लेषण में व्यय होता है। अतः प्रत्येक बी0आर0सी0 को एक कम्प्यूटर व एक कम्प्यूटर आपरेटर के साथ सुदृढ़ीकृत करने की योजना है। जिसके लिये प्रत्येक बी0आर0सी0 एक लाख रूपये का प्राविधान किया जा रहा है। किसी एक अध्यापक/समन्वयक को प्रशिक्षण देकर कम्प्यूटर का संचालन कराया जायेगा।

कार्य एंव दायित्व :

1. अध्यापकों को अभिनवीकरण प्रशिक्षण प्रदान करना।
2. विद्यालयों का एकेडमिक निरीक्षण कर यह सुनिशित करना कि नवीन विधियों के अनुसार शिक्षण कार्य किया जा रहा है अथवा नहीं।
3. विकास खण्डों की एकेडमिक आवश्यकताओं का आंकलन एवं संकलन करना, शैक्षणिक आवश्यकताओं का सूक्ष्म नियोजन करना।
4. ब्लाक स्तर पर एकेडमिक संसाधन समूह का गठन करना।
5. न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र तथा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण के बीच सम्पर्क सूत्र के रूप में कार्य करना।
6. ब्लाक स्तर के अधिकारियों एवं अन्य विभाग के अधिकारियों से समन्वय स्थापित करना एवं शिक्षा के हित में उसका नियोजन करना।
7. विकास खण्ड़ के अर्न्तगत स्कूल से बाहर बच्चों के संबंध में बस्तीवार तथा बच्चों का नामवार कम्प्यूअराईज्ड विवरण तैयार करना।
8. ब्लाक में विद्यालय सांख्यिकी का समय-समय पर एक एकत्रीकरण व सेम्पल चैकिंग का अनुश्रवण करना।

जनपद स्तरीय समितिः-

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तंगत नीति निर्धारण एंव रणनीतियों के निर्धारण के लिये जिला स्तर पर जिला शिक्षा परियोजना समिति, उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परियोजना के अर्न्तगत पूर्व से ही गठित है जिसके अध्यक्ष जनपद के जिलाधिकारी, उपाध्यक्ष मुख्य विकास अधिकारी एंव सचिव जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी है।

समिति का गठन निम्नवत है -

- ❖ जिलाधिकारी - अध्यक्ष
- ❖ मुख्य विकास अधिकारी - उपाध्यक्ष
- ❖ जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी - सदस्य-सचिव
- ❖ प्राचार्य डायट - सदस्य
- ❖ जिला श्रम अधिकारी - सदस्य
- ❖ जिला समाज कल्याण अधिकारी - सदस्य
- ❖ वित्त एंव लेखाधिकारी(बेसिक शिक्षा) - सदस्य
- ❖ अधिशासी अभियंता(आर.ई.एस.) - सदस्य
- ❖ अधिशासी अभियंता(पी0डब्ल्यू0डी0) - सदस्य
- ❖ जिला विद्यालय निरीक्षक - सदस्य
- ❖ दो शिक्षा विद् (विश्वविद्यालय एंव महाविद्यालय से) - सदस्य

जिलाधिकारी द्वारा नामित

- ❖ दो क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष वर्णमाला क्रम-से (एक वर्ष के लिये)
- ❖ दो शिक्षक (राष्ट्रीय/राज्य पुरस्कार प्राप्त)
- ❖ स्वैच्छिक संगठन के दो प्रतिनिधि (जिलाधिकारी द्वारा नामित)

जिला शिक्षा परियोजना समिति के अधिकार एंव दायित्वः-

यह समिति सर्व शिक्षा अभियान हेतु जिले की सर्वोच्च नीति नियामक समिति है। जिले स्तर पर उ0 प्र0 बेसिक शिक्षा परियोजना के द्वारा निर्धारित सीमाओं के अन्तर्गत रहते हुये इसे जनपद स्तर पर आवश्यक निर्णय लेने का अधिकार है। रणनीतियों में परिवर्तन से लेकर निर्माण कार्य, गुणवत्ता में सुधार एवं जनसहभागिता सुनिश्चित करने, रणनीति निर्धारण के संबंध में इसके

निर्णय प्रभावी होगें। प्रवेश, धारण, गुणवत्ता संर्वधन, निर्माण के लिये तकनीकि पर्यवेक्षण के लिये सस्थाओं का निर्धारण एंव प्रचार-प्रसार के लिये सभी कार्य इसी समिति द्वारा निर्धारित किये जायेगें। यह समिति जिले के अर्न्तगत सर्व शिक्षा अभियान के संरचना संचालन एंव निर्देश के लिये जनपद स्तर की सर्वोच्च समिति होगी। जनपद में ई0जी0एस0/ ए0आई0ई0 से सम्बन्धित प्रस्तावों का अनुमोदन तथा कार्यक्रम के संचालन का पूर्ण दायित्व भी इसी समिति का होगा।

जिला बेसिक शिक्षा समिति :

उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परियोजना परिषद अधिनियम 1972 के अर्न्तगत प्रत्येक जिले में ग्रामीण क्षेत्र के लिये जिला बेसिक शिक्षा समिति गठित की गयी है जिसकी सदस्यता निम्न प्रकार है:-

1.	जिला पंचायत अध्यक्ष	अध्यक्ष
2.	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	सदस्य - सचिव
3.	अपर जिला मजिस्ट्रेट (नियोजन)	पदेन सदस्य
4.	जिला समाज कल्याण अधिकारी	पदेन सदस्य
5.	जिला विद्यालय निरीक्षक	पदेन सदस्य
6.	अपर बेसिक शिक्षा अधिकारी(महिला)यदि कोई हो और उनकी अनुपस्थिति में विद्यालय उप निरीक्षक	पदेन सदस्य
7.	तीन व्यक्ति, जो जिला पंचायत के सदस्यों में से राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेगें।	सदस्य
8.	विद्यालय उप निरीक्षक (पदेन) जो समिति का सहायक सचिव होगा।	सदस्य

जिला बेसिक शिक्षा समिति, परिषद अधीक्षण और निर्देशो के अधीन रहते हुये निम्नलिखित कृत्यों का सम्पादन करेगी।

(क) जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित बेसिक स्कूलों का प्रशासन करना।

(ख) नये बेसिक स्कूल स्थापित करना।

(ग) ऐसे बेसिक स्कूलों के विकास, प्रसार-सुधार के लिये योजनाऐं तैयार करना।

अतः उपरोक्त समिति नये स्कूलों तथा असेवित क्षेत्रों में स्कूली शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु विद्यालय के लिये स्थल चयन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाहन करेगी।

प्रशासनिक तन्त्र - जिला परियोजना कार्यालय :

जिला स्तर पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जनपदीय परियोजना अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे। राज्य परियोजना समिति तथा जिला परियोजना समिति द्वारा निर्धारित नीति एवं कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियावन्यन, उसका दायित्व होगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद स्तर पर जिला शिक्षा परियोजना समिति के निर्देशन व मार्ग दर्शन में कार्यक्रमों का क्रियावनयन करेंगे। इस कार्य में जिला वेसिक शिक्षा अधिकारी की सहायता हेतु जिला परियोजना कार्यालय की स्थापना की जायेगी। जिसमें आवश्यक स्टाफ के पद उ0प्र0 सर्भा के लिये शिक्षा परियोजना परिषद के नियमों के अनुसार सृजित कर उसमे तैनाती की जायेगी।

जिला परियोजना कार्यालय में निम्नलिखित अधिकारी एवं कर्मचारी होंगे-

1.	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	पदेन	जिला परियोजना अधिकारी
2.	उप बेसिक शिक्षा अधिकारी (ई0जी0एस0/ए0आई0ई0)	1	प्रतिनियुक्ति पर
3.	समन्वयक	4	प्रतिनियुक्ति अथवा नियत वेतन पर
4.	सलाहकार	2	रू. 10,000/- नियत वेतन प्रति पद
5.	ई.एम.आई.एस अधिकारी	1	रू. 10,000/- नियत वेतन प्रति पद
6.	कम्प्यूटर आपरेटर/ सांख्यिकी सहायक	3	रू. 7,000/- नियत वेतन प्रति पद
7.	सहायक लेखाधिकारी	1	प्रतिनियुक्ति पर
8.	लिपिक	1	नियत मानदेय के आधार पर
9.	परिचारक	1	नियत मानदेय के आधार पर

उपरोक्त में से उ0प्र0 सभी के लिये शिक्षा परियोजना के सस्टेनिबिलिटी प्लान के अर्न्तगत कोई भी पद सृजित नही है। उपर्युक्त सभी अधिकारी एवं कर्मचारी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी /जिला परियोजना अधिकारी के नियन्त्रण एवं पर्यवेक्षण में कार्य करेगें तथा परियोजना कार्यक्रमों के क्रियावयन में उसके प्रति उत्तरदायी होगें। जनपद के कार्यरत सभी उप बेसिक शिक्षा अधिकारी पदेन उप जिला परियोजना अधिकारी होगें तथा अपने क्षेत्र से सम्बन्धित सभी प्रकार के परियोजना कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु उत्तरदार्या होगें।

उपरोक्त स्टाफ के अतिरिक्त, अन्य उप बेसिक शिक्षा अधिकारी/ सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी /प्रति-उप विद्यालय निरिक्षक तथा बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय के सहायक स्टाफ का यह दायित्व होगा कि वे सर्व शिक्षा अभियान का कार्य अपने सरकारी कर्त्वय की तरह करेगें। परियोजना के क्रियान्वयन हेतु पूर्ण लिपिकीय समर्थन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध कर्मियों द्वारा प्रदान किया जायेगा।

निमार्ण कार्य के तकनीकी पर्यवेक्षण की व्यवस्थाः-

सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत होने वाले विद्यालय निर्माण कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उददे्श्य से तकनीकी पर्यवेक्षण की व्यवस्था जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की भांति रखी जायेगी। निमार्ण कार्य का तकनीकी पर्यवेक्षण ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा अथवा लघु सिंचाई विभाग के अभियन्ताओं से कराया जायेगा, जिसके लिये उन्हे मानदेय सर्व शिक्षा अभियान से दिया जायेगा। ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा व लघु सिंचाई विभाग में पूर्व से ही विकास खण्ड स्तर पर अभियन्ता उपलब्ध हैं। मानदेय की जो दर जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अर्न्तगत निर्धारित है प्रथमतः उसी दर से भुगतान किया जायेगा। वर्तमान में प्रति प्राथमिक विद्यालय भवन हेतु रू 1,000, प्रति अतिरिक्त कक्षा कक्ष /न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र हेतु रू0 500 तथा प्रति शौचालय हेतु रू0 200 की दर अनुमन्य है। प्राथमिक विद्यालय के भवन के साथ शौचालय के

निमार्ण के तकनीकी पर्यवेक्षण हेतु अलग से मानदेय नहीं दिया जायेगा। यह विद्यालय भवन में सम्मिलित माना जायेगा। तीन वर्ष बाद मानदेय की दर में संशोधन का प्रावधान रखा जायेगा। 'अभियन्ताओं को मानदेय की धनराशि का भुगतान कार्य संतोषजनक होने पर जिलाधिकारी की अनुमति से जिला परियोजना कार्यालय द्वारा दिया जायेगा।

एजूकेशनल मेनेजमेन्ट इन्फोरमेशन सिस्ट्म (ई0एम0आई0एस0):-

सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत संचालित कार्यक्रमों के प्रभावी अनुश्रवण हेतु जिला परियोजना कार्यालय में एक सुदृढ़ एंव क्रियाशील एम0आई0एस0 स्थापित किया जायेगा। बेसिक शिक्षा परियोजना जनपद में पूर्व से ही एम0आई0एस0 डाटा केप्चर प्रणाली व प्राथमिक स्तर का डायस साफटवेयर स्थापित है तथा कम्प्यूटर हार्डवेयर भी उपलब्ध है। वर्ष 1997-98 से वर्ष 2000-2001 तक के शैक्षिक आकंडे उपलब्ध हैं। उच्च प्राथमिक स्तर के लिये साफटवेयर डाटाबेस तथा आवश्यकतानुसार कम्प्यूटर हार्डवेयर को उच्चीकृत कराने की व्यवस्था की जायेगी। इसके अतिरिक्त जनपद में अनौपचारिक शिक्षा के अर्न्तगत एक कम्प्यूटर उपलब्ध है। उससे शिक्षा गारंटी योजना, वैकल्पिक शिक्षा योजना तथा नवाचार शिक्षा योजना सम्बन्धी गतिविधियों का अनुश्रवण, आंकडों का संकलन एवं विश्लेषण किया जायेगा। इन दोनों कम्प्यूटर सिस्टम को संकलित कर एक अध्यावधिक एंव उपयुक्त ई0एम0आई0एस0 तथा प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट उपलब्ध हो सकेगा।

प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की औपचारिक शिक्षा एंव वैकल्पिक/ नवाचार शिक्षा योजना की प्रतिवर्ष शैक्षिक सांख्यिकी के व्यापक कार्य को संपादित करने के लिये स्थापित कम्प्यूटराइज्ड ई0एम0आई0एस0 के संचालनार्थ एक ई0एम0आई0एस0 अधिकारी एंव तीन कम्प्यूटर आपरेटर्स/ सांख्यिकी सहायक रखे जायेगें जिससे इस प्रकार की व्यवस्था स्थापित हो सके कि विभिन्न प्रकार के शैक्षिक डाटा की रिपार्ट व विश्लेषण तत्परता से उपलब्ध हो सके और जिला परियोजना कार्यालय, अपने स्तर पर ही ई0एम0आई0एस0 के विभिन्न महत्वपूर्ण इण्डीकेटर्स पर रिर्पोट तैयार

कर सके। वस्तुतः जिला परियोजना कार्यालय विभिन्न शैक्षिक आंकडों के एक संसाधन के रूप में विकसित हो सकेगा, जिसका उपयोग शैक्षिक नियोजन एंव अनुश्रवण में अधिक से अधिक किया जायेगा।

ई0एम0आई0एस0 अधिकारी के कार्य एवं दायित्व

जिला परियोजना कार्यालय में स्थापित कम्प्यूटराइज्ड सूचना प्रबन्ध प्रणाली में तैनात ई0एम0आई0एस0 अधिकारी के निम्नलिखित कार्य एवं दायित्व होंगे-

- विद्यालयें हेतु सांख्यिकी प्रपत्रों का मुद्रण व वितरण कराना।
- समय से फील्ड स्टाफ (बी0आर0सी0 समन्वयक, एन0पी0आर0सी0 समन्वयक, प्रधानाध्यापकों) का प्रशिक्षण आयोजित कराना।
- माह अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में विद्यालय से भरे हुए प्रपत्रों का एकत्रीकरण कराना।
- भरे हुए प्रपत्रों की सैम्पुल चैकिंग संपादित कराना तथा परिवर्तन यदि कोई हो, अभिलिखित करना।
- समयबद्ध रूप में दिसम्बर, 2001 के अन्त तक डाटा एन्ट्री पूर्ण कराना तथा रिपोर्ट तैयार कराकर राज्य परियोजना कार्यालय को भेजना।
- संकुलवार व विकासखण्डवार जनपद की ई0एम0आई0एस0 रिपोर्ट का विश्लेषण तैयार कराना तथा बेसिक शिक्षा अधिकारी, प्राचार्य, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान, जिला समन्वयकों तथा सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों को उपलब्ध कराना।
- सर्व शिक्षा अभियान के जिला परियोजना कार्यालय में सभी प्रकार की शैक्षिक सांख्यिकी के लिए नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करना तथा राज्य स्तरीय बैठकों/ कार्यशालाओं में प्रतिभाग करना।

- माइक्रोप्लानिंग डाटा का कम्प्यूटरीकरण, विश्लेषण तथा रिपोर्ट तैयार कर सभी संबंधित को प्रस्तुत /प्रेषित करना।

ई0एम0आई0एस0 अधिकारी की शैक्षिक योग्यता, कम्प्यूटर आपरेटर की शैक्षिक योग्यता के समतुल्य होने के साथ ही सांख्यिकी विश्लेषण, प्रक्षेपण तकर्नाक आदि में अभीष्ट जानकारी व अनुभव रखना आवश्यक होगा।

प्रशिक्षणः-

विद्यालय सांख्यिकी सम्बन्धी कार्य हेतु कम्प्यूटर आपरेटर, प्रधानाध्यापक, सकुल प्रभारी, बी0आर0सी0 समन्वयक, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों का जनपद स्तर पर प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा और उन्हे ई0एम0आई0एस0 सम्वन्धी प्रपत्र तथा उन्हे भरने, संकलन, विश्लेषण आदि की जानकारी दी जायेगी। इसके अतिरिक्त विद्यालय सम्बन्धी आंकडों के दो प्रतिशत सेम्पल चेकिंग के लिये भी फील्ड स्टाफ को प्रशिक्षण दिया जायेगा जिससे आकडों की शुद्धता की जांच हो सके।

1. **ई.एम.आई.एस. का प्रशिक्षण (जिला स्तर पर)**

यह प्रशिक्षण दो दिवसीय होगा और इसमें जिला परियोजना अधिकारी, सभी समन्वयक, स्टाफ, कम्प्यूटर आपरेटर, लेखा स्टाफ प्रशिक्षण प्राप्त करेगें।

2. **ई.एम.आई.एस. का प्रशिक्षण (ब्लाक स्तर पर)**

यह प्रशिक्षण दो दिवसीय होगा और इसमें सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी / प्रति उप विद्यालय निरीक्षक एंव बी0आर0सी0 समन्वयक/सह समन्वयक आदि प्रतिभाग करेगें।

3. **ई.एम.आई.एस. का प्रशिक्षण (न्याय पंचायत स्तर पर)**

यह प्रशिक्षण दो दिवसीय होगा और इसमें एन0पी0आर0सी0 समन्वयक/ सह समन्वयक तथा सभी विद्यालयों के प्रधानाध्यापक प्रतिभाग करेगें।

4. ई.एम.आई.एस. का प्रशिक्षण (प्रोजेक्ट मेनेजमेंन्ट स्तर पर)

एस0पी0ओ0/सीमेट द्वारा आयोजित यह प्रशिक्षण एक सप्ताह का होगा इसमें डी0पी0ओ0 एंव बी0आर0सी0 के कम्प्यूटर आपरेटर भाग लेंगे।प्रथम तीन दिन ई0एम0आई0एस0 प्रबंधन एंव दूसरे तीन दिन में प्रोजेक्ट मेंनेजमेंन्ट इन्फारमेशन सिस्टम का प्रशिक्षण दिया जायेगा।

आंकडों का एकत्रीकरण तथा शुद्धता की जांचः-

प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर दोनों के लिये नीपा, नई दिल्ली द्वारा तैयार किया गया विद्यालय सांख्यिकी प्रपत्र उपलब्ध हो गया है जिस पर प्रतिवर्ष विद्यालय स्तर से 30 सिमम्बर की स्थिति के अनुसार आकडों को एकत्रित किया जायेगा एंव कम्प्यूटर पर डाटा एन्ट्री के पश्चात ई0एम0आई0एस0 रिपोर्ट तैयार की जायेगी। प्रतिवर्ष विद्यालयों से प्राप्त भरें हुये प्रपत्रों का कम्प्यूटर प्रिन्ट-आउट जिला परियोजना कार्यालय द्वारा विद्यालय के प्रधानाध्यापक को भेजा जायेगा ताकि प्रधानाध्यापक को यह जानकारी हो सके कि उनके द्वारा जो सूचना भरकर भेजी गयी थी वह सही है। अप्रत्यक्ष रूप से यह सूचना की पुष्टि स्वरूप होगा और यदि कोई त्रुटि हो गयी हो तो उसे शुद्ध करने का अवसर प्राप्त हो सकेगा।

आंकडों का उपयोगः-

ई0एम0आई0एस0 आंकडों के विश्लेषण से महत्वपूर्ण इन्डीकेटर्स जैसे- जी0ई0आर0, एन0ई0आर0, ड्राप-आउट दर, रिपीटीशन दर छात्र-अध्यापक अनुपात, कक्षा-कक्ष अनुपात, एकल अध्यापकीय विद्यालय आदि प्रतिवर्ष प्राप्त होगें। इन इन्डीकेटर्स का उपयोग डिसिजन सपोर्ट सिस्टम्स में किया जायेगा ताकि बार-बार सूचनाओं के एकत्रीकरण में समय की बचत हो सके और कार्य योजना की संरचना में तदनुसार कार्यक्रमों का समावेश/ संशोधन किया जा सके। 'डायस' के अन्तर्गत ई0एम0आई0एस0 से प्राप्त आंकडों से स्कूल के बाहर के वच्चों की संख्या ज्ञात नही हो पाती है और स्कूल में अध्ययनरत तथा स्कूलों के बाहर बच्चों की संख्या का विश्लेषण एक ही स्रोत

से प्राप्त आंकडों के आधार पर नही हो पाता है। अतः यह व्यवस्था प्रस्तावित है कि माईक्रोप्लानिंग से प्राप्त ग्राम स्तरीय आंकडों तथा ई0एम0आई0एस0 से प्राप्त आंकडों का मिलान व विश्लेषण किया जायेगा तथा तदानुसार कार्य योजना में वांछित कार्यक्रमों का समावेश/ संशोधन अभीष्ठ होगा। ई0एम0आई0एस0 एंव माईक्रोप्लानिंग के आंकडों का उपयोग निम्न कार्यो हेतु भी किया जायेगाः-

1. नवीन विद्यालयों हेतु असेवित वस्तियों की पहचान।
2. शिक्षा गारंटी केन्द्र हेतु वस्तियों की पहचान तथा जनसंख्या के आधार पर बस्तियों की प्राथमिकता का निर्धारण।
3. छात्र संख्या में वृद्धि के फलस्वरूप अतिरिक्त कक्षा कक्षों की आवश्यकता की पहचान।
4. एकल अध्यापकीय विद्यालयों का चिन्हीकरण।
5. छात्र अध्यापक अनुपात के आधार पर शिक्षा मित्रों की नियुक्ति की आवश्यकता वाले विद्यालयों की पहचान।
6. बालिकाओं के कम नामांकन वाले विद्यालयों व न्याय पंचायतों का चिन्हीकरण।
7. निःशुल्क पाठयपुस्तकों के वितरण हेतु लाभार्थी समूहों की संख्या का आंकलन।
8. अवस्थापना सम्बन्धी मांग का आंकलन व निर्धारण।
9. शिक्षकों का विवरण।
10. विभिन्न स्तरों पर विद्यालय निरीक्षण का रोस्टर।
11. विकलांगतावार आंकडों के अनुसार उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित कराना।

ई0एम0आई0एस0 से प्राप्त महत्वपूर्ण निष्कर्षों एंव सूचनाओं का उपयोग सम्बन्धित विषय/क्षेत्र के अधिकारी द्वारा जनपद स्तर पर अपने से सम्बन्धित कार्यक्रमों के आयोजन की प्राथमिकताओं के निर्धारण में किया जायेगा, जिसके लिये उन्हे प्रशिक्षण दिया जायेगा और उत्तरदायी बनाया जायेगा।

कोहॉर्ट स्टडीः-

छात्र-छात्राओं के ठहराव में वृद्धि की प्रगति के अनुश्रवण हेतु जनपद में ड्राप-आऊट दर ज्ञात करने हेतु तीन वर्ष में एक बार कोहर्ट स्टडी करायी जायेगी। स्टडी बाह्य एजेन्सी द्वारा कराई जायेगी जिसका अनुश्रवण सीमेट द्वारा कराया जायेगा। यह स्टडी प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तर के लिये पृथक-पृथक से की जायेगी। एक स्टडी की अनुमानित लागत रु.2 लाख रखी गयी है।

प्रोजेक्ट मेनेजमेंट इन्फोरमेशन सिस्टमः-

एम0आई0एस0 के द्वारा जनपद में परियोजना कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की भौतिक एंव वित्तीय प्रगति की रिपोर्ट प्रतिमाह तैयार कर राज्य परियोजना कार्यालय को भेजी जायेगी और जिन कार्यक्रमों में प्रगति धीमी है उनकी ओर जनपद के सम्बन्धित कार्यक्रम अधिकारी का ध्यान आर्कषित किया जायेगा तथा प्रगति को वढाने की प्रभावी कार्यवाही की व्यवस्था की जायेगी।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अर्न्तगत एल0ऐ0सी0आई0 (LACI) के अर्न्तगत कम्प्यूटराईज्ड वित्तीय प्रबंधन प्रणाली विकसित की जा रही है, जिसे सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत उपयोग किया जायेगा, जिसके लिये भी एम0आई0एस0 प्रयोग में लाया जायेगा।

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान :

गुणवत्ता में सुधार के लिए जिला स्तर पर पूर्व से ही जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान स्थापित है। जनपद का प्रशिक्षण संस्थान उ०प्र० वेसिक शिक्षा परियोजना के अर्न्तगत सुदृढ़ किया गया है। सर्व शिक्षा अभियान के व्यापक कार्यक्रम को दृष्टिगत रखते हुए इसको ओर अधिक सुदृढ़ किया जायेगा। परियोजना के अर्न्तगत इसके निम्नलिखित कार्य होंगेः-

1. विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों के आयोजन हेतु मास्टर ट्रेनर/ सन्दर्भ व्यक्तियों को चयनित कर प्रशिक्षित कराना।

2. राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर के प्रमुख संस्थानों से सम्पर्क स्थापित करना तथा शिक्षा के अभिनव कार्यक्रमों और अनुसंधानों तथा अल्पकालिक शोध कार्यो के लिये डायट स्टाफ की क्षमता का विकास करना।

3. ब्लाक स्तर के सन्दर्भ व्यक्तियों को प्रशिक्षित करना तथा परियोजना द्वारा निर्धारित शैक्षिक कार्यक्रमों, शिक्षण विधियों और लक्ष्यों से अवगत करना।

4. जिले स्तर की शिक्षा की समस्याओं के निदान एव उपचार के लिए शोध कार्य करना और उसके परिणामों/ निष्कर्षो की जानकारी सर्व संबंधित को उपलब्ध कराना ताकि आवश्यक उपाय किया जा सके।

5. जिले के समस्त स्कूलों का गुणवत्तामूलक निरीक्षण करना, उनके परिणामों का विश्लेषण करना तथा आवश्यकतानुसार अध्यापकों को मार्गदर्शन देना।

6. ब्लाक संसाधन केन्द्रों के समस्त शौक्षिक क्रिया-कलापों का निर्देशन एवं नियन्त्रण करना।

7. जिले स्तर पर अन्य विभागो एवं अधिकारियों से समन्वय स्थापित करना तथा शैक्षिक कार्यो में नियोजन करना।

8. जिले स्तर पर एकाडमिक संसाधन समूह का गठन करना।

9. न्यूनतम अधिगम स्तर सुनिश्चित करना और इसके लिए बेस लाइन सर्वे कराना।

10. शिक्षा के लिए नवाचार कार्यक्रम विकसित करना।

11. शैक्षिक आकडों (ई0एम0आई0एस0 के माध्यम से संकलित) का विश्लेषण करना तथा नियोजन में उनके उपयोग करने हेतु जिला स्तर के अभिकर्मियों को प्रशिक्षण देना।

12- शिक्षकों, समन्वयकों, ई0सी0सी0ई0 तथा वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के अनुदेशकों, ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों, निरीक्षण अधिकारियों का प्रशिक्षण आयोजित कराना ।

निधि का हस्तांतरण (फ्लो ऑफ फण्ड):-

प्रत्येक वर्ष जनपद अपनी वार्षिक कार्ययोजना एंव बजट तैयार कर राज्य परियोजना कार्यालय को प्रस्तुत करेगा। सीमेट के अप्रेजल के पश्चात एंव उ0 प्र0 सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद के अनुमोदन के उपरान्त जिले की वार्षिक कार्ययोजना एंव बजट के आधार पर राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा धनराशि जिला परियोजना कार्यालय एंव जिला शिक्षा एंव प्रशिक्षण संस्थान के लिये अवमुक्त की जायेगी। प्रशिक्षण, आकादमिक पर्यवेक्षण आदि गुणवत्ता कार्यक्रम हेतु धनराशि जिला शिक्षा एंव प्रशिक्षण संस्थान द्वारा बी0आर0सी0 एंव एन0पी0आर0सी0 को उपलब्ध करायी जायेगी। निर्माण, वैकल्पिक शिक्षा आदि अन्य कार्यक्रमों के लिये धनराशि जिला परियोजना कार्यालय द्वारा सम्बन्धित कार्यदायी संस्था जैसे- ग्राम शिक्षा समिति, स्वंम सेवी सस्थाओं, अध्यापकों आदि के सीधे खातों के माध्यम से हस्तान्तरित की जायेगी।

सर्व शिक्षा अभियान के नाम से अलग बैंक खाता होगा जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी तथा लेखाधिकारी द्वारा सयुंक्त रूप से परिचालित किया जायेगा। सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद की वित्तीय सन्दर्शिका पहले से ही प्रख्यापित है जिसके अनुसार जिलाधिकारी को विभागाध्यक्ष के सभी अधिकार प्रतिनिधानित है। अतः रू0 5000 मूल्य से अधिक के सभी वित्तीय मामलों पर जिलाधिकारी की अनुमति आवश्यक है। इसी प्रकार की व्यवस्था जिला शिक्षा एंव प्रशिक्षण संस्थान पर भी लागू है। डायट का खाता भी डायट प्राचार्य एंव उसी के लेखा सम्बन्धित अधिकारी/ कर्मचारी द्वारा संयुक्त रूप से संचालित होगा। ब्लाक संसाधन केन्द्र/ न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों पर भी सयुंक्त खाता खुला है। जिसका परिचालन उ0प्र0 सभी के लिय शिक्षा परियोजना के नियमों के अनुसार किया जा रहा है। वित्तीय संदर्शिका में लेखा जोखा रखने के वित्तीय नियम

स्पष्ट निर्धारित हैं। परचेज एंव प्रोक्योरमेंट के नियम भी इसी सन्दर्शिका में निर्धारित किये गये हैं, जो परियोजना में भी अपनायें जायेगें तथापि सर्व शिक्षा अभियान की रूप रेखा में यदि संशोधन की कोई आवश्यकता होगी तो उ0प्र0 सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा की जायेगी। समस्त लेखा सम्बन्धित स्टाफ को सर्व शिक्षा अभियान के नियमों तथा वित्तीय प्रबंधन प्रणाली में प्रथम वर्ष में ही प्रशिक्षण दिया जायेगा तथा समय-समय पर रिफ्रेशर कोर्स भी आयोजित किये जायेगें। परियोजना कार्यक्रमों की अधिकांश धनराशि ग्राम शिक्षा समितियों को भेजी जाती है, जिनके बैंक में खातें पूर्व से ही संचालित हैं। जिला परियोजना कार्यालय एंव जिला शिक्षा एंव प्रशिक्षण संस्थान द्वारा राज्य परियोजना कार्यालय को प्राप्त एंव व्यय धनराशि का संकलित विवरण प्रतिमाह उपलब्ध कराया जायेगा। सामान्यतः राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा त्रैमासिक आधार पर धनराशि जिलों को अवमुक्त की जायेगी।

फन्ड फ्लो डॉयग्राम

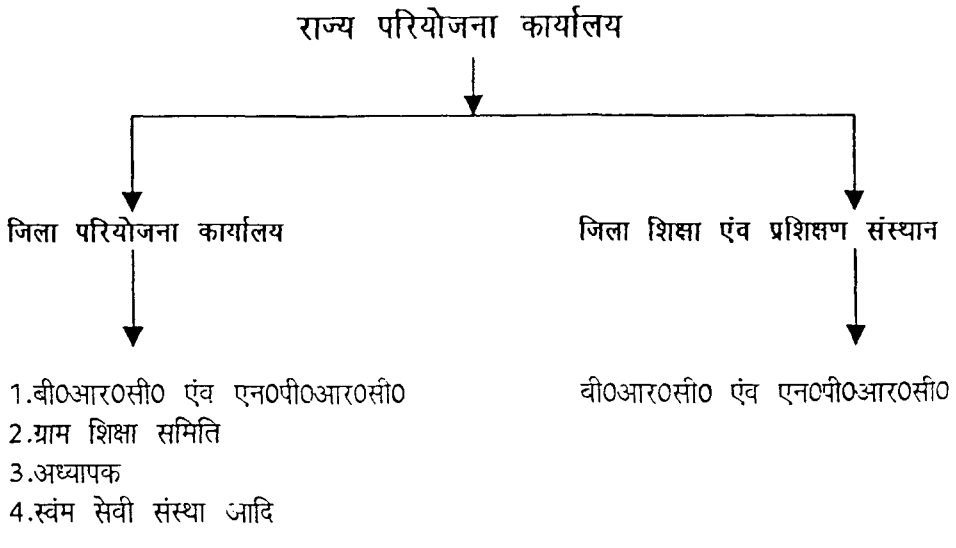

सम्प्रेक्षण व्यवस्थाः-

उ0 प्र0 सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद के अन्तर्गत प्रतिवर्ष सर्व शिक्षा अभियान के सभी जनपदों में लेखे जोखे का स्वतंत्र सम्प्रेक्षण (इन्डिपैन्डैन्ट आडिट) चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट के माध्यम से

किया जायेगा। यह कार्य वित्तिय वर्ष समाप्ति के तुरन्त बाद प्रारम्भ कर दिया जायेगा। चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट का चयन व टर्म्स आफ रिफरैन्स फार आडिट का निर्धारण सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा किया जायेगा। राज्य सरकार/ भारत सरकार के नियमों के अनुसार सर्व शिक्षा अभियान के समस्त जनपदों के लेखे जोखे का सम्प्रेक्षण (आडिट) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा भी प्रतिवर्ष किया जायेगा।

राज्य परियोजना कार्यालय, लखनऊ द्वारा भी समय-समय पर आंतरिक सम्प्रेक्षण (इन्टरनल आडिट) की व्यवस्था रहेगी।

मध्य सत्रीय उपचारात्मक प्रणाली की स्थापनाः-

परियोजना का क्रियान्वयन निर्धारित लक्ष्य व उद्देश्यों के अनुरूप सुनिश्चित करने हेतु जिला स्तर पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा उप बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला समन्वयकों, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों, प्रति उप विद्यालय निरिक्षकों, बी0आर0सी0 समन्वयकों की पाक्षिक समीक्षा बैठकें आयोजित की जायेगी जिसमें योजना कार्यो को सम्पादित करने में आने वाली समस्याओं के विषय में चर्चा की जायेगी एवं उसके स्थानीय समाधान हेतु प्रयास किया जायेगा। इसी प्रकार प्रचार्य डायट द्वारा संकाय सदस्यों व बी0आर0सी0 समन्वयकों की मासिक बैठक आयोजित की जायेगी औ कार्यक्रमों के क्रियान्वयन तथा अनुभूति कठिनाईयों पर फीड बैक प्राप्त किया जायेगा। राज्य स्तरीय निर्देश की आवश्यकता वाली समस्याओं को राज्य परियोजना कार्यालय में होने वाली मासिक बैठक में अवगत कराया जायेगा तथा मार्ग दर्शन व निर्देश प्राप्त कर आवश्यक उपाय किये जायेंगें। साथ ही समय-समय पर पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण कार्यशालाओं के माध्यम से भी योजना को सशक्त किया जाता रहेगा औ कमियों का निराकरण करते हुए सुधार लाया जायेगा।

प्रत्येक माह जनपद में कम्प्यूटराईज्ड पी.एम.आई.एस. रिपार्ट तैयार की जायेगी, जिसका विश्लेषण किया जायेगा एवं निष्कर्षो के आधार पर कार्य-योजना के क्रियान्वयन व अनुश्रवण में आवश्यक संशोधन किया जायेगा। वार्षिक ई.एम.आई.एस. डाटा के विश्लेषण से प्राप्त इण्डीकेटर्स का उपयोग भी परियोजना कार्यक्रमों के क्रियान्वयन व नियोजन में किया जायेगा तथा यथाआवश्यक उपचारात्मक प्रयास अपनायें जायेंगें।

आगामी वर्ष की वार्षिक कार्य योजना व बजट की संरचना के समय विगत वर्ष में प्राप्त अनुभव, अनुभूत कठिनाइयों, प्राप्त विभिन्न इण्डीकेटर्स को ध्यान में रखते हुए आगे के वर्ष में कार्य प्रस्तावित किये जायेंगें।

अध्याय - 11

PROJECT COST
SERVE SHIKSHA ABHIYAN
PILIBHIT

31.07.2001

(Rs. In Thousands)

S. No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	2001-2002		2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		2007-2008		2008-2009		2009-2010		Total	
			Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
(A)	ACCESS																					
A1.	New Primary SchoolsUnserved	259 (191+10+18+40)																			0	0
1	New Upper Primary Schools	338 (270+10+18+40)	50	16900	100	33800	100	33800	55	18590											305	103090
2	Salary of PS Asstt. Teacher/New School) 7+2.2×12=9.2	9.2																			0	0
3	Salary of Teacher in UPS (4No.) In new school 4A.M./school	7	200	8400	600	50400	1000	84000	1220	102480	1220	102480	1220	102480	1220	102480	1220	102480	1220	102480	9120	757680
4	HT of New UPS 1 HT/UPS	7.5×12	50	4500	150	13500	250	22500	305	27450	305	27450	305	27450	305	27450	305	27450	305	27450	2280	205200
5	Furniture / Fixture & Equipment																					
	PS	15																			0	0
	UPS	50			150	7500	100	5000	55	2750											305	15250
	Assessment of New UPS	200	1	200	1	200	1	200	1	200	1	200	1	200	1	200	1	200	1	200	9	1800
	Total		**301**	**30000**	**1001**	**105400**	**1451**	**145500**	**1636**	**151470**	**1526**	**130130**	**1526**	**130130**	**1526**	**130130**	**1526**	**130130**	**1526**	**130130**	**12019**	**1083020**
A2	Upgradatgion of Egs (TLE) to PS	10																			0	0
	Cohart Study	200			1	200					1	200					1	200				
	Total		**0**	**0**	**1**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**200**	**0**	**0**	**3**	**600**
A3	Interventions for out of school children																					
	Alternative School (EGS + AIE)																					
	EGS																					

142

PROJECT COST
SERVE SHIKSHA ABHIYAN
PILIBHIT

31.07.2001

(Rs. In Thousands)

S. No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	2001-2002		2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		2007-2008		2008-2009		2009-2010		Total	
			Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
	Primary including all models of DPEP	0.705 per child					1500	1058	3000	2115	3990	2813	3000	2115	1500	1058					12990	9159
	Upgradation of Micro Planning Data	50	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	9	450
	Upper Primary	1.0 per child					1500	1500	3000	3000	3750	3750	2250	2250	2250	2250					12750	12750
	Total		1	50	1	50	3001	2608	6001	5165	7741	6613	5251	4415	3751	3358	1	50	1	50	25749	22359
A4	Back to school campaign	1.5 per child					60	90	60	90	40	60	40	60							200	300
	Innovation for EGS	50			1	50															1	50
A5	Bridge/Remedial courses	1.5 per child	50	75			50	75													100	150
A6	Strengthening Maqtab/Madarsa																				0	0
	SubTotal (A)		352	30125	1004	105700	4562	148273	7697	156725	9308	137003	6817	134605	5277	133488	1528	130380	1527	130180	38072	1106479
(R)	RETENTION																					
	Additional Classrooms	70			297	20790	75	5250													372	26040
	Additional Teachers Primary School	7.7	273	12613	487	44998	754	69669	997	92123	1251	115592	1514	139894	1727	159575	1805	166782	1923	177685	10731	978931
	Additional Teachers Upper Primary School	6.5																			0	0
R1	Toilets (PS + UPS)	10	50	500	58	580															108	1080
	Rec. of Old PS	191			30	5730	30	5730	35	6685											95	18145
	Rec of Old UPS	270			21	5670	20	5400													41	11070
R2	Drinking Water (PS + UPS)	18	26	468																	26	468
	Repairs																					
	Minor	20			140	2800	60	1200													200	4000
	Major	70			30	2100	10	700													40	2800

PROJECT COST
SERVE SHIKSHA ABHIYAN
PILIBHIT

31.07.2001

(Rs. In Thousands)

S. No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	2001-2002		2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		2007-2008		2008-2009		2009-2010		Total	
			Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
R3	Repair and Maintenance of School (PS)	5PA/per schools	833	5090	833	5090	833	5090	1002	5935	1002	5935	1002	5935	1002	6185	1002	6685	1002	7185	8511	53130
	Repair and Maintenance of School (UPS)		185		185		185		185		185		185		235		335		435		2115	
R3	Boundary Walls (PS+UPS) Girls School	40	400	16000	400	16000	320	12800													1120	44800
R4	School Improvement Grant (PS)	2 pa per school																			0	0
	School Improvement Grant (UPS)	2 pa per school			50	100	150	300	250	500	305	610	305	610	305	610	305	610	305	610	1975	3950
R5	Innovative Programmes upto max. Rs. 50 lacs	5000 per district																				
	Promoting Girls Education																					
	Summer Camps	10 per camp	5	50	10	100	10	100	5	50	5	50									35	350
R6	MCDA including	75 per cluster					3	225	3	225	3	225	2	150	2	150	1	75	1	75	15	1125
	Gender Sensitization																					
R7	SUPW for girls	25 per school	10	250	15	375	15	375	15	375	15	375	10	250	10	250	10	250			100	2500
R9	Opening of ECCE centre in nonICDs block	18 per centre																			0	0
1	Strengthening ICDs Centres																					
2	Development & Distribution of ECCE Materials	100 per district					1	100													1	100
4	Civil Works (one additional room)	70																			0	0
5	TLM	5 per centre					20	100	30	150	30	150									80	400
6	Additional Honoranum (InstructorWorker)	0.375 per centre					20	90	50	225	80	360	80	360	80	360	80	360	80	360	470	2115
7	Contingency/Recurrent grant	1.5 per centre							20	30	50	75	80	120	80	120	80	120	80	120	390	585

PROJECT COST
SERVE SHIKSHA ABHIYAN
PILIBHIT

31.07.2001

(Rs. In Thousands)

S. No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	2001-2002		2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		2007-2008		2008-2009		2009-2010		Total	
			Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
8	Training of ECCE Instructor (at BRC)																					
	Induction	3					20	60	30	90	30	90									80	240
	Recurring	1.2							20	24	50	60	80	96	80	96	80	96	80	96	390	468
R10	Community Mobolisation																					
1	MTA/PTA training	0.007					1000	7	1000	7	1000	7	1000	7	1000	7	630	5			5630	40
2	Kala Jatha (VEC, Blick Level & Dist. Level)	8 per NPRC											50	400	23	184					73	584
3	Development of Awareness Material	5 per block					7	35			7	35			7	35			7	35	28	140
4	Bal Mela at NPRC	5 pa/per NPRC					73	365	73	365	73	365	73	365	73	365	73	365	73	365	511	2555
5	Production of Audio Tapes	10 per district									1	10							1	10	2	20
6	Production of Video Tapes	10 per district							1	10			1	10							2	20
8	Assistance to NGOs for Community Mobilisation	50 per district							1	50					1	50					2	100
R11	Award of Best VEC (2 No.)	25					2	50	2	50	2	50	2	50	2	50	2	50	2	50	14	350
R12	Award of Best Shiksh Mitras	5	3	15	3	15	3	15	3	15	3	15	3	15	3	15	3	15	3	15	27	135
R12a	Award for Best BRC	10 Per Block	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	9	90
R12b	Award for Best NPRC	7 Per Block	7	49	7	49	7	49	7	49	7	49	7	49	7	49	7	49	7	49	63	441
R12c	Award for Best Teacher	5 Per Block	7	35	7	35	7	35	7	35	7	35	7	35	7	35	7	35	7	35	63	315
R13	Remedioal Teaching of SC/ST Education	0.705 per child																			0	0
R14	Assistance of NGOs, For SC/ST Education	0.705 per child																			0	0
R15	Provision For disabled children	1.20 (per child)	2000	2400	2000	2400	2000	2400	2155	2586	2000	2400	500	600	500	600	500	600	500	600	12155	14586

PROJECT COST
SERVE SHIKSHA ABHIYAN
PILIBHIT

31.07.2001

(Rs. in Thousands)

S. No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	2001-2002		2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		2007-2008		2008-2009		2009-2010		Total	
			Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
1	Assistance ot NGOs, For integrated/ Inclusive education	1.20 (per child)																			0	0
R16	Computer Education for UPS composite school	100	10	1000	10	1000	10	1000	10	1000	10	1000	10	1000	10	1000	10	1000	10	1000	90	9000
	School Health Check Up (PS+UPS)	0.500 per school	185	93	235	118	1337	669	1437	718	1492	746	1492	746	1492	746	1492	746	1492	746	10654	5328
																					0	0
	Book Bank & School Library PS+UPS	5.0 per school	185	925					1437	7185							1437	7185			3059	15295
																					0	0
	Sub Total (B)		**4180**	**39498**	**4819**	**107960**	**6973**	**111824**	**8776**	**118492**	**7609**	**128244**	**6404**	**150702**	**6647**	**170492**	**7860**	**185038**	**6009**	**189046**	**59277**	**1201296**
	(Q) Quality Improvement																					
Q1	Training Programmes																					
1	Induction Training for Shiksha Mitra (30 days)	0.07 per person per day	273	573	214	449	194	407	243	510	253	531	264	554	213	447	77	162	118	248	1849	3881
2	Induction Traning for Assistant Teachet (6 days)	0.07 per person per day	273	115	213	90	194	81	244	102	254	107	263	110	213	89	78	33	119	50	1851	777
3	Induction Traning of Head Teacher (PS)	0.07 per person per day																			0	0
4	Induction Traning of Head Teacher (UPS) (6 days)	0.07 per person per day	50	21	100	42	100	42	55	23											305	128
5	In service teachers training (10 days)	0.07 per person per day	273	191	486	340	4936	3455	5180	3626	5434	3804	5697	3988	5910	4137	5988	4192	6107	4275	40011	28008

PROJECT COST
SERVE SHIKSHA ABHIYAN
PILIBHIT

31.07.2001

(Rs. in Thousands)

S. No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	2001-2002		2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		2007-2008		2008-2009		2009-2010		Total	
			Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
6	Refresher training of Shiksha Mitra (15 days)	0.07 per person per day			273	287	487	511	1197	1256	1440	1512	1693	1778	1957	2054	2035	2136	2247	2359	11329	11893
7	Induction training of EGS/AIE worker (30 Days)	0.07 per person per day					100	210	100	210	58	122									258	542
9	Refresher course of EGS/AIE workerds (15 days)	0.07 per person per day							100	105	200	210	258	271	258	271					816	857
10	Training for BRC Coordinator (10 days)	0.07 per person per day																			0	0
11	NPRC Coordinator's training (10 days)	0.07 per person per day																			0	0
12	Refresher Training for BRC Coordinator (5 days)	0.07 per person per day							7	3	7	3	7	3	7	3	7	3	7	3	42	18
13	Refresher training for NPRC Coordinators (5 days)	0.07 per person per day							73	26	73	26	73	26	73	26	73	26	73	26	438	156
14	Training of resources person at (DIET) (20 days)	0.07 per person per day	20	28	20	28	20	28	20	28	20	28	20	28	20	28	20	28	20	28	180	252
15	Staff Development training for DIETs (7 days)	0.300 per person per day	25	53	25	52	25	53	25	52	25	53	25	52	25	53	25	52	25	53	225	473
16	BEC/NPRC Coordinators management training by SIEMAT (5 days)	0.300 per person per day					80	120	80	120	80	120	80	120	80	120	80	120	80	120	560	840

PROJECT COST
SERVE SHIKSHA ABHIYAN
PILIBHIT

31.07.2001

(Rs. in Thousands)

S. No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	2001-2002		2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		2007-2008		2008-2009		2009-2010		Total	
			Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
17	ABSA/SDI Training (5 days)	0.07 per person per day					14	5	14	5	14	5	14	5	14	5	14	5	14	5	98	35
18	Training for AE & JE (5 days)	0.07 person per day																			0	0
19	Teacher Training Computer (UPS)/DIET Faculty (20 days)	1.50 per person	20	30	20	30	20	30	20	30	20	30	20	30	20	30	20	30	20	30	180	270
20	Orientation of VECs/Ward Committee (3 days)	0.03 per person per day																			0	0
21	Training of RCI(IED)	70.00 (45 days)	10	700	10	700	10	700													30	2100
22	Teachers Orientation in IED (5 days)	0.07							50	18	100	35	150	53							300	106
23	AWPB Review and Training of Core Planning Teams by SIEMAT (7 days)	0.500 per person per day	7	25	7	25	7	25	7	25	7	25	7	25	7	25	7	25	7	25	03	225
24	Training on EMIF by SIEMAT (5 days)	0.500 per person per day					10	25	10	25	10	25	10	25	10	25	10	25	10	25	70	175
25	Teahcers ABSA/BRC/NPRC Staff training for Gender Sensillsation (3 days)	0.07 per participant per day	925	194	250	53	500	105	500	105	275	58									2450	515
	Total		1876	1930	1618	2096	6697	5797	7925	6269	8270	6694	8581	7068	8807	7313	8434	6837	8847	7247	61055	51251
Q2	Teaching Learning Material																					
1	Teacher Grant (PT+SM)	0.5	546	273	973	487	5130	2565	5373	2687	5626	2813	5890	2945	6103	3052	6180	3090	6298	3149	42119	21061
2	Teacher Grant (UPS)	0.5	925	463	1175	587	1675	838	2175	1087	2450	1225	2450	1225	2450	1225	2450	1225	2450	1225	18200	9100

PROJECT COST
SERVE SHIKSHA ABHIYAN
PILIBHIT

31.07.2001

(Rs. In Thouaands)

S. No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	2001-2002		2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		2007-2008		2008-2009		2009-2010		Total	
			Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
3	Free text book to SC/ST children & Girls (PS)	0150 per Child per year					133158	19974	124520	18678	127260	19089	130060	19509	132921	19938	135845	20377	138833	20825	922597	138390
	Free text book to SC/ST children & Girls (UPS)		43479	6522	48834	7325	54397	8160	59771	8966	65170	9776	70777	10617	71868	10780	73328	10999	74820	11223	562444	84368
4	Supplementary Reading Material (PS)	0 5					1002	501			1002	501			1002	501	1002	501			4008	2004
5	Supplementary Reading Material (UPS)	1			470	470			470	470			470	470							1410	1410
6	Printing & Distribution of Syllabus (PS + UPS) + Teachers Guide	LS	1	1000							1	1000					1	1000			3	3000
7	Printing & Distribution of Training Modules (PS + UPS)	160					1	160	1	160	1	160	1	160	1	160	1	160	1	160	7	1120
8	Printing & Distribution of Trainers Guides (PS + UPS)	160					1	160	1	160	1	160					1	160			4	640
9	Development Printing and Distribution of AS Training Modules	10	1	10	1	10	1	10													3	30
10	Children learing Evaluation (PS) (3 Times in 10 years)	400 each						400								400					0	800
11	Children learning Evaluation (UPS) 3 times	400 each						400								400					0	800
12	School Awards	25	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	9	225
	Total		44953	8293	51454	8904	195366	33193	192312	32233	201512	34749	209649	34951	214346	36481	218809	37537	222403	36607	1550804	262948
	Subtotal (C)		46829	10223	53072	11000	202063	38990	200237	38502	209782	41443	218230	42019	223153	43794	227243	44374	231250	43854	1611859	314199
C1	DIET																					
	Civil Work	5000			1	5000																
1	Furniture	100			1	100															1	100
2	Equipments (including audio visual)	300			1	300															1	300
3	Computers Work Station	600			1	600															1	600

PROJECT COST
SERVE SHIKSHA ABHIYAN
PILIBHIT

31.07.2001

(Rs. In Thousands)

S. No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	2001-2002		2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		2007-2008		2008-2009		2009-2010		Total	
			Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
4	Vehicle (where appkicable)	350																			0	0
5	Hiring	5					1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	7	35
6	POL	30					1	30	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30	7	210
7	Maintenance of Vehicle	20					1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	7	140
8	Research/Action Research	200	1	100	1	200	1	200	1	200	1	200	1	200	1	200	1	200	1	200	9	1700
	Seminars	200	1	100	1	200	1	200	1	200	1	200	1	200	1	200	1	200	1	200	9	1700
9	Faculty Development	30	1	30			1	30					1	30							3	90
10	Exposure visits	50					1	50			1	50			1	50			1	50	4	200
11	Library	25					1	25			1	25			1	25					3	75
12	Salary of Computer Operator	7	12	42	12	84	12	84	12	84	12	84	12	84	12	84	12	84	12	84	108	714
13	Salary of Driver (where applicable)	4					12	48	12	48	12	48	12	48	12	48	12	48	12	48	84	336
14	Consumable/Computer Stationary	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	9	90
	Total		16	282	18	1494	33	702	30	597	32	672	31	627	32	672	30	597	31	647	253	6290
C2	Block Resource Centre																					
1	Civil Construction	800																			0	0
2	Salary Coordinator	6.5																			0	0
3	Asstt. Coordinator	5.5	7	231	7	462	7	462	7	462	7	462	7	462	7	462	7	462	7	462	63	3927
4	Chowkidar	3																			0	0
5	Equipment/Furniture	100																			0	0
6	Travelling Allowance	5					7	35	7	35	7	35	7	35	7	35	7	35	7	35	49	245
7	Maint of Equipment	1					7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	49	49
8	Maint of building	6					7	42	7	42	7	42	7	42	7	42	7	42	7	42	49	294
9	Books	10					7	70					7	70					7	70	21	210

150

PROJECT COST
SERVE SHIKSHA ABHIYAN
PILIBHIT

31.07.2001

(Rs. in Thousands)

S. No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	2001-2002		2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		2007-2008		2008-2009		2009-2010		Total	
			Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
10	Monitoring & Supervision (PS+UPS)	0300 per school	1187	356	1237	371	1337	401	1437	431	1492	448	1492	448	1492	448	1492	448	1492	448	12658	3799
																					0	0
11	Consumables	5					7	35	7	35	7	35	7	35	7	35	7	35	7	35	49	245
12	Contingency	12					7	84	7	84	7	84	7	84	7	84	7	84	7	84	49	588
13	Monthly Review Meeting of CRC Co ordinators	0.300 per meeting					84	25	84	25	84	25	84	25	84	25	84	25	84	25	588	175
	Total		**1194**	**587**	**1244**	**833**	**1470**	**1161**	**1563**	**1121**	**1618**	**1138**	**1625**	**1208**	**1618**	**1138**	**1618**	**1138**	**1625**	**1208**	**13575**	**9532**
C3	School Complex (NPRC)																					
1	Construction	200																			0	0
2	Salary Coordinator	6.5																			0	0
3	Equipment/Furniture	10																			0	0
4	Books for Library/Book Bank	5					73	365					73	365					73	305	219	1095
5	Contingency	2.5					73	183	73	183	73	183	73	183	73	183	73	183	73	183	511	1281
6	Monthly Review meeting at CRC	0.200 x12 per meeting					876	175	876	175	876	175	876	175	876	175	876	175	876	175	6132	1225
7	Monitoring & Supervision (PS+UPS)	0.200 per school	1187	237	1237	247	1337	267	1437	287	1492	298	1492	298	1492	298	1492	298	1492	298	12658	2528
																					0	0
	Total		1187	237	1237	247	2359	990	2386	645	2441	656	2514	1021	2441	656	2441	656	2514	1021	19520	6129

PROJECT COST
SERVE SHIKSHA ABHIYAN
PILIBHIT

31.07.2001

(Rs. In Thousands)

S. No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	2001-2002		2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		2007-2008		2008-2009		2009-2010		Total	
			Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
C4	District Project Office																					
	Staffing Coordinators4																					
	Consultants2																					
	AAO																					
	Driver1																					
	(if vehicle is purchases)	71×12					1	852	1	852	1	852	1	852	1	852	1	852	1	852	7	5964
	Equipment	50																			0	0
	Furniture & Fixture	50																			0	0
	Books	10							1	10					1	10					2	20
	Purchase of Vehicle (Only Kanpur city, Lucknow) new distt.	350																			0	0
	Motorcycle	50	11	550																	11	550
	Travelling Allowances	20					1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	7	140
	Consumables	25					1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	7	175
	Telephone/fax	30					1	30	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30	7	210
	Vehicle Maintenance & POL	50					1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	7	350
	Salary of Driver	4					6	24	12	48	12	48	12	48	12	48	12	48	12	48	78	312
	Honorarium of AE/JE	6 per block	84	504	84	504	84	504	84	504											336	2016
	Maintenance of equipment	10					1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	7	70
	Hiring of Vehicles	5					1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	7	35
	Supervision & Monitoring	0.158 per school	1187	188	1237	195	1337	211	1437	227	1492	236	1492	236	1492	236	1492	236	1492	236	12658	2001
	Contingency	10					1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	7	70
	Research & Evaluation	0.300 per scholl	1187	356	1237	371	1337	401	1437	431	1492	448	1492	448	1492	448	1492	448	1492	448	12658	3799
	Total		2469	1598	2558	1070	2772	2142	2979	2222	3004	1734	3004	1734	3005	1744	3004	1734	3004	1734	25799	15712

152

PROJECT COST
SERVE SHIKSHA ABHIYAN
PILIBHIT

31.07.2001

(Rs. In Thousands)

S. No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	2001-2002		2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		2007-2008		2008-2009		2009-2010		Total	
			Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
C4 1	MIS																					
1	MIS Call Furnisning	50		50																	0	50
2	Salary of Computer Operator 3 Nos.	7 p.m. ×12	3	126	3	252	3	252	3	252	3	252	3	252	3	252	3	252	3	252	27	2142
	Salary of MIS Officer	10 x 12	1	60	1	120	1	120	1	120	1	120	1	120	1	120	1	120	1	120	9	1020
3	MIS Equipments (where applicable)	460																			0	0
4	Printing & Distribution of Data Formats	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	9	180
5	Maintenance of equipments	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	9	180
6	Computer Consumables	25					1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	7	175
	Total		**6**	**276**	**6**	**412**	**7**	**437**	**7**	**437**	**7**	**437**	**7**	**437**	**7**	**437**	**7**	**437**	**7**	**437**	**61**	**3747**
	Sub Total (D)		**4872**	**2980**	**5063**	**4056**	**6641**	**5432**	**6965**	**5022**	**7102**	**4637**	**7181**	**5027**	**7103**	**4647**	**7100**	**4562**	**7181**	**5047**	**59208**	**41410**
	Grand Total		**56233**	**82826**	**63958**	**228716**	**220239**	**304519**	**223675**	**318741**	**233801**	**311327**	**238632**	**332353**	**242180**	**352421**	**243731**	**364354**	**245967**	**368127**	**1768416**	**2663384**

Note : Salary of Teachers in the 1st Year provided for Six Months.

153

SUMMARY OF PROJECT COST - I

PILIBHIT

(Rs. in Thousands)

YEAR	CIVIL WORK	MANAGEMENT COST	PROGRAMME	TOTAL COST
2001-2002				
Amount	38958	1874	41994	**82826**
2002-2003				
Amount	97550	1482	129684	**228716**
2003-2004				
Amount	69960	2579	231980	**304519**
2004-2005				
Amount	31200	2659	284882	**318741**
2005-2006				
Amount	5935	2171	303221	**311327**
2006-2007				
Amount	5935	2171	324247	**332353**
2007-2008				
Amount	6185	2181	344055	**352421**
2008-2009				
Amount	6685	2171	355498	**364354**
2009-2010				
Amount	7185	2171	358771	**368127**
TOTAL	**269593**	**19459**	**2374332**	**2663384**
As % of Total Cost	**10.12**	**0.73**	**89.15**	**100.00**

SUMMARY OF PROJECT COST - II
PILIBHIT

(Rs. in Thousands)

YEAR	ACCESS	RETENTION	QUALITY	CAP. BUILDING	TOTAL COST
2001-2002					
Amount	30125.00	39498.00	10223.00	2980.00	82826.00
As % of Total Project Cost	36.37	47.69	12.34	3.60	100.00
2002-2003					
Amount	105700.00	107960.00	11000.00	4056.00	228716.00
As % of Total Project Cost	46.21	47.20	4.81	1.77	100.00
2003-2004					
Amount	148273.00	111824.00	38990.00	5432.00	304519.00
As % of Total Project Cost	48.69	36.72	12.80	1.78	100.00
2004-2005					
Amount	156725.00	118492.00	38502.00	5022.00	318741.00
As % of Total Project Cost	49.17	37.18	12.08	1.58	100.00
2005-2006					
Amount	137003.00	128244.00	41443.00	4637.00	311327.00
As % of Total Project Cost	44.01	41.19	13.31	1.49	100.00
2006-2007					
Amount	134605.00	150702.00	42019.00	5027.00	332353.00
As % of Total Project Cost	40.50	45.34	12.64	1.51	100.00
2007-2008					
Amount	133488.00	170492.00	43794.00	4647.00	352421.00
As % of Total Project Cost	37.88	48.38	12.43	1.32	100.00
2008-2009					
Amount	130380.00	185038.00	44374.00	4562.00	364354.00
As % of Total Project Cost	35.78	50.79	12.18	1.25	100.00
2009-2010					
Amount	130180.00	189046.00	43854.00	5047.00	368127.00
As % of Total Project Cost	35.36	51.35	11.91	1.37	100.00
GRAND TOTAL	1106479.00	1201296.00	314199.00	41410.00	2663384.00
As % of Total Cost	41.54	45.10	11.80	1.55	100.00

अध्याय - 12

ANNUAL WORK PLAN BUDGET
PILIBHIT

31.07.2001 (Rs. in Thousands)

S.No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	1st Year as per		Estimate for 1st Year	
			Phy	Fin	Phy	Fin
(A)	ACCESS					
A1.	New Primary SchoolsUnserved	259 (191+10+18+40)				
1	New Upper Primary Schools	338 (270+10+18+40)	50	16900	50	16900
2	Salary of PS Asstt. Teacher/New School) 7+2.2×12=9.2	9.2				
3	Salary of Teacher in UPS (4No.) in new school 4A.M./school	7	200	8400	200	8400
4	HT of New UPS 1 HT/UPS	7.5×12	50	4500	50	4500
5	Furniture / Fixture & Equipment					
	PS	15				
	UPS	50				
	Assessment of New UPS	200	1	200	1	200
	Total		**301**	**30000**	**301**	**30000**
A2	Upgradatgion of Egs (TLE) to PS	10				
	Cohart Study	200				
	Total					
	Interventions for out of school children					
A3	Alternative School (EGS + AIE)					
	EGS					
	Primary including all models of DPEP	0.705 per child				
	Upgradation of Micro Planning Data	50	1	50	1	25
	Upper Primary	1.0 per child				

ANNUAL WORK PLAN BUDGET
PILIBHIT

31.07.2001 **(Rs. in Thousands)**

S.No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	1st Year as per		Estimate for 1st Year	
			Phy	Fin	Phy	Fin
	Total		**1**	**50**	**1**	**25**
A4	Back to school campaign	1.5 per child				
	Innovation for EGS	50				
A5	Bridge/Remedial courses	1.5 per child	50	75	25	38
A6	Strengthening Maqtab/Madarsa					
	SubTotal (A)		**352**	**30125**	**327**	**30063**
(R)	**RETENTION**					
	Additional Classrooms	70				
	Additional Teachers Primary School	7.7	273	12613	273	12613
	Additional Teachers Upper Primary School	6.5				
R1	Toilets (PS + UPS)	10	50	500	50	500
	Rec. of Old PS	191				
	Rec of Old UPS	270				
R2	Drinking Water (PS + UPS)	18	26	468	26	468
	Repairs					
	Minor	20				
	Major	70				
R3	Repair and Maintenance of School (PS)	5PA/per schools	833	5090	833	5090
	Repair and Maintenance of School (UPS)		185		185	
R3	Boundary Walls (PS+UPS) Girls School	40	400	16000	400	16000
R4	School Improvement Grant (PS)	2 pa per school				
	School Improvement Grant (UPS)	2 pa per school				
R5	Innovative Programmes upto max. Rs. 50 lacs	5000 per district				
	Promoting Girls Education					

ANNUAL WORK PLAN BUDGET
PILIBHIT

31.07.2001 (Rs. in Thousands)

S.No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	1st Year as per		Estimate for 1st Year	
			Phy	Fin	Phy	Fin
	Summer Camps	10 per camp	5	50	3	25
R6	MCDA including	75 per cluster				
	Gender Sensitization					
R7	SUPW for girls	25 per school	10	250	5	125
R9	Opening of ECCE centre in nonICDs block	18 per centre				
1	Strengthening ICDs Centres					
2	Development & Distribution of ECCE Materials	100 per district				
4	Civil Works (one additional room)	70				
5	TLM	5 per centre				
6	Additional Honoranum (InstructorWorker)	0.375 per centre				
7	Contingency/Recurrent grant	1.5 per centre				
8	Training of ECCE Instructor (at BRC)					
	Induction	3				
	Recurring	1.2				
R10	Community Mobolisation					
1	MTA/PTA training	0.007				
2	Kala Jatha (VEC, Blick Level & Dist. Level)	8 per NPRC				
3	Development of Awareness Material	5 per block				
4	Bal Mela at NPRC	5 pa/per NPRC				
5	Production of Audio Tapes	10 per district				
6	Production of Video Tapes	10 per district				

ANNUAL WORK PLAN BUDGET
PILIBHIT

31.07.2001 (Rs. in Thousands)

S.No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	1st Year as per		Estimate for 1st Year	
			Phy	Fin	Phy	Fin
8	Assistance to NGOs for Community Mobilisation	50 per district				
R11	Award of Best VEC (2 No.)	25				
R12	Award of Best Shiksh Mitras	5	3	15	3	15
R12a	Award for Best BRC	10 Per Block	1	10	1	10
R12b	Award for Best NPRC	7 Per Block	7	49	7	49
R12c	Award for Best Teacher	5 Per Block	7	35	7	35
R13	Remedioal Teaching of SC/ST Education	0.705 per child				
R14	Assistance ot NGOs, For SC/ST Education	0.705 per child				
R15	Provision For disabled children	1.20 (per child)	2000	2400	1000	1200
1	Assistance ot NGOs, For integrated/ inclusive education	1.20 (per child)				
R16	Computer Education for UPS composite school	100	10	1000	5	500
	School Health Check Up (PS+UPS)	0.500 per school	185	93	93	47
	Book Bank & School Library PS+UPS	5.0 per school	185	925	93	463
	Sub Total (B)		**4180**	**39498**	**2983**	**37139**
	(Q) Quality Improvement					
Q1	Training Programmes					
1	Induction Training for Shiksha Mitra (30 days)	0.07 per person per day	273	573	137	287
2	Induction Traning for Assistant Teachet (6 days)	0.07 per person per day	273	115	137	58

ANNUAL WORK PLAN BUDGET
PILIBHIT

31.07.2001 (Rs. in Thousands)

S.No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	1st Year as per		Estimate for 1st Year	
			Phy	Fin	Phy	Fin
3	Induction Traning of Head Teacher (PS)	0.07 per person per day				
4	Induction Traning of Head Teacher (UPS) (6 days)	0.07 per person per day	50	21	25	11
5	In service teachers training (10 days)	0.07 per person per day	273	191	137	96
6	Refresher training of Shiksha Mitra (15 days)	0.07 per person per day				
7	Induction training of EGS/AIE worker (30 Days)	0.07 per person per day				
9	Refresher course of EGS/AIE workerds (15 days)	0.07 per person per day				
10	Training for BRC Coordinator (10 days)	0.07 per person per day				
11	NPRC Coordinator's training (10 days)	0.07 per person per day				
12	Refresher Training for BRC Coordinator (5 days)	0.07 per person per day				
13	Refresher training for NPRC Coordinators (5 days)	0.07 per person per day				
14	Training of resources person at (DIET) (20 days)	0.07 per person per day	20	28	10	14
15	Staff Development training for DIETs (7 days)	0.300 per person per day	25	53	13	27
16	BEC/NPRC Coordinators management training by SIEMAT (5 days)	0.300 per person per day				
17	ABSA/SDI Training (5 days)	0.07 per person per day				
18	Training for AE & JE (5 days)	0.07 person per day				

ANNUAL WORK PLAN BUDGET
PILIBHIT

31.07.2001 (Rs. in Thousands)

S.No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	1st Year as per		Estimate for 1st Year	
			Phy	Fin	Phy	Fin
19	Teacher Training Computer (UPS)/DIETE Faculty (20 days)	1.50 per person	20	30	10	15
20	Orientation of VECs/Ward Committee (3 days)	0.03 per person per day				
21	Training of RCI(IED)	70.00 (45 days)	10	700	5	350
22	Teachers Orientation in IED (5 days)	0.07				
23	AWPB Review and Training of Core Planning Teams by SIEMAT (7 days)	0.500 per person per day	7	25	4	13
24	Training on EMIF by SIEMAT (5 days)	0.500 per person per day				
25	Teahcers ABSA/BRC/NPRC Staff training for Gender Sensitisation (3 days)	0.07 per participant per day	925	194	463	97
	Total		**1876**	**1930**	**938**	**965**
Q2	Teaching Learning Material					
1	Teacher Grant (PT+SM)	0.5	546	273	546	273
2	Teacher Grant (UPS)	0.5	925	463	925	463
3	Free text book to SC/ST children & Girls (PS)	0150 per Child per year				
	Free text book to SC/ST children & Girls (UPS)		43479	6522	43479	6522
4	Supplementary Reading Material (PS)	0.5				
5	Supplementary Reading Material (UPS)	1				
6	Printing & Distribution of Syllabus (PS + UPS) + Teachers Guide	LS	1	1000	1	1000
7	Printing & Distribution of Training Modules (PS + UPS)	160				

ANNUAL WORK PLAN BUDGET
PILIBHIT

31.07.2001 (Rs. in Thousands)

S.No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	1st Year as per		Estimate for 1st Year	
			Phy	Fin	Phy	Fin
8	Printing & Distribution of Trainers Guides (PS + UPS)	160				
9	Development Printing and Distribution of AS Training Modules	10	1	10	1	5
10	Children learing Evaluation (PS) (3 Times in 10 years)	400 each				
11	Children learning Evaluation (UPS) 3 times	400 each				
12	School Awards	25	1	25	1	13
	Total		**44953**	**8293**	**44952**	**8276**
	Subtotal (C)		**46829**	**10223**	**45890**	**9241**
C1	**DIET**					
	Civil Work	5000				
1	Furniture	100				
2	Equipments (including audio visual)	300				
3	Computers Work Station	600				
4	Vehicle (where appkicable)	350				
5	Hiring	5				
6	POL	30				
7	Maintenance of Vehicle	20				
8	Research/Action Research	200	1	100	1	50
	Seminars	200	1	100	1	50
9	Faculty Development	30	1	30	1	15
10	Exposure visits	50				
11	Library	25				
12	Salary of Computer Operator	7	12	42	12	42

ANNUAL WORK PLAN BUDGET
PILIBHIT

31.07.2001 (Rs. in Thousands)

S.No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	1st Year as per		Estimate for 1st Year	
			Phy	Fin	Phy	Fin
13	Salary of Driver (where applicable)	4				
14	Consumable/Computer Stationary	10	1	10	1	10
	Total		**16**	**282**	**15**	**167**
C2	Block Resource Centre					
1	Civil Construction	800				
2	Salary Coordinator	6.5				
3	Asstt. Coordinator	5.5	7	231	7	231
4	Chowkidar	3				
5	Equipment/Furniture	100				
6	Travelling Allowance	5				
7	Maint of Equipment	1				
8	Maint of building	6				
9	Books	10				
10	Monitoring & Supervision (PS+UPS)	0300 per school	1187	356	594	178
11	Consumables	5				
12	Contingency	12				
13	Monthly Review Meeting of CRC Co ordinators	0.300 per meeting				
	Total		**1194**	**587**	**601**	**409**
C3	School Complex (NPRC)					
1	Construction	200				
2	Salary Coordinator	6.5				

ANNUAL WORK PLAN BUDGET
PILIBHIT

31.07.2001 (Rs. in Thousands)

S.No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	1st Year as per		Estimate for 1st Year	
			Phy	Fin	Phy	Fin
3	Equipment/Furniture	10				
4	Books for Library/Book Bank	5				
5	Contingency	2.5				
6	Monthly Review meeting at CRC	0.200 x12 per meeting				
7	Monitoring & Supervision (PS+UPS)	0.200 per school	1187	237	594	119
	Total		**1187**	**237**	**594**	**119**
C4	District Project Office					
	Staffing Coordinators4					
	Consultants2					
	AAO					
	Driver1					
	(if vehicle is purchases)	71×12				
	Equipment	50				
	Furniture & Fixture	50				
	Books	10				
	Purchase of Vehicle (Only Kanpur city, Lucknow) new distt.	350				
	Motorcycle	50	11	550	11	550
	Travelling Allowances	20				
	Consumables	25				
	Telephone/fax	30				
	Vehicle Maintemance & POL	50				
	Salary of Driver	4				
	Honorarium of AE/JE	6 per block	84	504	84	504
	Maintenance of equipment	10				

ANNUAL WORK PLAN BUDGET
PILIBHIT

31.07.2001 **(Rs. in Thousands)**

S.No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	1st Year as per		Estimate for 1st Year	
			Phy	Fin	Phy	Fin
	Hiring of Vehicles	5				
	Supervision & Monitoring	0.158 per school	1187	188	1187	188
	Contingency	10				
	Research & Evaluation	0.300 per scholl	1187	356	1187	356
	Total		**2469**	**1598**	**2469**	**1598**
C4 1	MIS					
1	MIS Call Furnisning	50		50		50
2	Salary of Computer Operator 3 Nos.	7 p.m. ×12	3	126	3	126
	Salary of MIS Officer	10 x 12	1	60	1	60
3	MIS Equipments (where applicable)	460				
4	Printing & Distribution of Data Formats	20	1	20	1	20
5	Maintenance of equipments	20	1	20	1	20
6	Computer Consumables	25				
	Total		**6**	**276**	**6**	**276**
	Sub Total (D)		4872	2980	3684	2569
	Grand Total		56233	82826	52882	79011

LIBRARY & DOCUMENTATION CENTRE
National Institute of Educational
Planning and Administration.
17-B, Sri Aurobindo Marg,
New Delhi-110016
DOC, No .... D - 11500
Date 09-07-2002

165

परिशिष्ट

रजिस्ट्री संख्या—177

रजि० नं० एस०एस०पी०/एन०पी० 890

लाइसेन्स नं० डब्लू० पी०—41

लाइसेन्स टू पोस्ट एट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 5 मई, 2000

वैशाख 15, 1922 शक संवत

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग–1

संख्या 1245/सत्रह-वि0-1—1 (क)-29-1999

लखनऊ, 5 मई, 2000

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 2000 पर दिनांक 5 मई, 2000 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18 सन् 2000 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 2000

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18 सन् 2000)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के इक्यावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

1- (1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 2000 कहा जायेगा। संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह 21 जून, 1999 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 34 सन् 1972 की धारा 2 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 की उपधारा (1) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जायगा; और—

(क) इस प्रकार से पुनः संख्यांकित उपधारा (1) में,—

(एक) खण्ड (ङ) में शब्द "जिला परिषद्, अन्तरिम जिला परिषद्, नगर महापालिका, नगरपालिका बोर्ड, टाउन एरिया कमेटी या नोटीफाइड एरिया कमेटी" के स्थान पर शब्द "जिला पंचायत या नगरपालिका" रख दिये जायेंगे;

(2) खण्ड (झ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :—

"(ञ) 'नगरपालिका' का तात्पर्य, यथास्थिति, किसी नगर पंचायत, नगरपालिका परिषद् या नगर निगम से है।"

(ख) इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात् :—

"(2) इस अधिनियम में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो यथास्थिति, संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947, उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 या उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 में उनके लिये दिये गये हैं।"

धारा 3 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 3 में, उपधारा (3) में,—

(क) खण्ड (ङ) में शब्द और अंक "उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, 1961 की धारा 17 के अधीन स्थापित जिला परिषदों" के स्थान पर शब्द और अंक "उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 17 के अधीन स्थापित जिला पंचायतों" रख दिये जायेंगे;

(ख) खण्ड (ग) में शब्द और अंक "उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 की धारा 9 के अधीन संघटित महापालिकाओं" के स्थान पर शब्द और अंक "उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 9 के अधीन संघटित निगमों" रख दिये जायेंगे;

(ग) खण्ड (घ) में शब्द और अंक "यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, 1916 के अधीन स्थापित नगरपालिका बोर्डों" के स्थान पर शब्द और अंक "उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 के अधीन स्थापित नगरपालिका परिषदों और नगर पंचायतों" रख दिये जायेंगे।

धारा 4 का संशोधन

4—मूल अधिनियम की धारा 4 में, उपधारा (2) में,—

(क) खण्ड (ग) में शब्द "जिला बेसिक शिक्षा समितियों अथवा नगर बेसिक शिक्षा समितियों" के स्थान पर शब्द "ग्राम शिक्षा समितियों या नगरपालिकाओं" और शब्द "उनके प्रशासन पर अधीक्षण रखना" के स्थान पर शब्द "ग्राम शिक्षा समितियों, ग्राम पंचायतों और नगरपालिकाओं के प्रशासन पर अधीक्षण रखना" रख दिये जायेंगे;

(ख) खण्ड (घ) में शब्द "नार्मल स्कूलों" के स्थान पर शब्द "जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान" रख दिये जायेंगे;

(ग) खण्ड (ङ) में शब्द "जिला बेसिक शिक्षा समिति या नगर जिला समिति" के स्थान पर शब्द "ग्राम शिक्षा समितियों, जिला पंचायतों या नगरपालिकाओं" रख दिये जायेंगे;

(घ) खण्ड (च) में शब्द "और विशेषतया किसी बेसिक स्कूल या नार्मल स्कूल के लिए किसी भवन अथवा उपस्कर का दान ऐसी शर्तों पर जिन्हें वह उचित समझे, स्वीकार करना" निकाल दिये जायेंगे;

(ङ) खण्ड (छ-1) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :—

"(छ-1) राज्य सरकार के सामान्य नियंत्रण के अधीन रहते हुए इस अधिनियम के अधीन ग्राम शिक्षा समितियों, ग्राम पंचायतों, जिला पंचायतों या

नगरपालिकाओं को उनके कृत्यों के संपादन में ऐसे निर्देश जारी करना, जो इस अधिनियम से असंगत न हो।"

(च) खण्ड (छ-2) निकाल दिया जायगा।

धारा 5 का संशोधन

5—मूल अधिनियम की धारा 5 में,—

(क) उपधारा (1) में शब्द और अंक "धारा 10 में" निर्दिष्ट प्रत्येक जिला बेसिक शिक्षा समिति तथा" निकाल दिये जायेंगे।

(ख) उपधारा (2) में,—

(एक) खण्ड (क) में शब्द "किसी समिति" के स्थान पर शब्द "समिति" रख दिया जायगा;

(दो) खण्ड (ग) में शब्द "किसी समिति" के स्थान पर शब्द "समिति" रख दिया जायगा।

नई धारा 9-क का बढ़ाया जाना

6—मूल अधिनियम की धारा 9 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात् :—

"9—क (1) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी और उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 2000 के प्रारम्भ के दिनांक को और से,—

बेसिक स्कूल के अध्यापकों और सम्पत्तियों का नियंत्रण

(क) बेसिक स्कूल का ऐसा प्रत्येक अध्यापक जो ऐसे प्रारम्भ के ठीक पूर्व परिषद् के अधीन सेवारत रहा हो, यथास्थिति, ऐसी ग्राम पंचायत या नगरपालिका के, जिसके प्रादेशिक क्षेत्र की सीमा के भीतर बेसिक स्कूल अवस्थित है, प्रशासनिक नियंत्रण में होगा;

(ख) जिले बेसिक स्कूल के संबंध में परिषद् के सभी भवन, सम्पत्तियां और परिसम्पत्तियां यथास्थिति, ऐसी ग्राम पंचायत या नगरपालिका को, जिसके प्रादेशिक क्षेत्र की सीमा के भीतर बेसिक स्कूल अवस्थित हो, अन्तरित और उसमें निहित हो जायगी।

(ग) जहां ऐसे प्रारम्भ के ठीक पूर्व किसी भवन या उसके किसी भाग पर किसी बेसिक स्कूल के प्रयोजन के लिए परिषद् किरायेदार के रूप में अध्यासित रहा हो वहां ऐसे भवन या उसके भाग के संबंध में किरायेदारी किसी संविदा, पट्टा या अन्य लिखत में किसी बात के होते हुए भी, यथास्थिति ग्राम पंचायत या नगरपालिका के पक्ष में अन्तरित हो जायगी;

(घ) धारा 18-क की उपधारा (2) में निर्दिष्ट भवन या उसके भाग के संबंध में परिषद्, लाइसेन्सदारी नहीं रह जायेगा और, यथास्थिति, ऐसी ग्राम पंचायत या नगरपालिका को जिसके प्रादेशिक क्षेत्र की सीमा के भीतर ऐसा भवन अवस्थित हो, यदि वह पहले से उसका स्वामी न हो तो ऐसे भवन या उसके भाग के संबंध में ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर जैसी राज्य सरकार द्वारा अवधारित की जाय, लाइसेन्सदारी समझा जायेगा।

(2) किसी ग्राम पंचायत या नगरपालिका को, यथास्थिति, ऐसी ग्राम पंचायत या नगरपालिका को उपधारा (1) के अधीन अन्तरित या उसमें निहित किसी भवन, सम्पत्ति या आस्तियों को विक्रय, दान, विनिमय, बंधक, पट्टा द्वारा या अन्यथा अन्तरित करने की शक्ति नहीं होगी।"

धारा 10, 10-क और 11 का प्रतिस्थापन

7—मूल अधिनियम की धारा 10, 10-क और 11 के स्थान पर निम्नलिखित धाराएं रख दी जायेंगी, अर्थात् :—

"10—उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत अधिनियम, 1961 के अधीन जिला पंचायतों के अधिकारों और कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्रत्येक जिला पंचायत, परिषद् या राज्य सरकार के अधीक्षण और निदेशन

जिला पंचायत के कृत्य

के अध्यधीन रहते हुए, निम्नलिखित समस्त या उनमें से किन्हीं कृत्यों का सम्पादन करेगी, अर्थात् :—

(क) जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में बेसिक स्कूलों के विकास, प्रसार और सुधार के लिए योजनायें तैयार करना;

(ख) जिले में बेसिक शिक्षा के संबंध में ग्राम पंचायतों के क्रियाकलाप का, सामान्यतया ऐसी रीति से जैसी विहित की जाये, पर्यवेक्षण करना;

(ग) बेसिक शिक्षा से सम्बन्धित ऐसे अन्य कृत्यों का सम्पादन करना जिन्हें राज्य सरकार द्वारा उसे सौंपा जाय ।

नगरपालिकाओं के कृत्य

10-क—यथास्थिति, उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 या उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 के अधीन नगरपालिकाओं के अधिकारों और कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना प्रत्येक नगरपालिका, परिषद् या राज्य सरकार के अधीक्षण और नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए, निम्नलिखित समस्त या उनमें से किन्हीं कृत्यों का सम्पादन करेगी, अर्थात् :—

(क) नगरपालिका क्षेत्र में बेसिक स्कूलों की स्थापना, उनका प्रशासन, निदेशन और प्रबंध करना;

(ख) ऐसे समस्त आवश्यक कदम उठाना जो बेसिक स्कूलों के अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के समय-पालन और उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक समझे जायं;

(ग) ऐसे बेसिक स्कूलों के विकास, प्रसार और सुधार के लिए योजनायें तैयार करना;

(घ) नगरपालिका क्षेत्र में बेसिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा की अभिवृद्धि और विकास करना;

(ङ) नगरपालिका क्षेत्र की सीमाओं के भीतर स्थित किसी बेसिक स्कूल के किसी अध्यापक या अन्य कर्मचारी पर ऐसी रीति से जैसी विहित की जाय, लघु दण्ड देने की सिफारिश करना;

ग्राम शिक्षा समिति और उसके कृत्य

11-(1) प्रत्येक गांव या गांव समूह के निमित्त, जिसके लिए संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 के अधीन ग्राम पंचायत स्थापित हो, एक समिति स्थापित की जायेगी जो ग्राम शिक्षा समिति कहलायेगी, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :—

(क) ग्राम पंचायत का प्रधान, जो अध्यक्ष होगा;

(ख) बेसिक स्कूलों के छात्रों के तीन संरक्षक (जिसमें एक संरक्षक महिला होगी) जो सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जायेंगे;

(ग) ग्राम पंचायत में स्थित बेसिक स्कूल का मुख्य अध्यापक और यदि वहां एक से अधिक स्कूल हों तो उनके मुख्य अध्यापकों में से, ज्येष्ठतम जो सदस्य-सचिव होगा;

(2) इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबन्धों में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय और ग्राम पंचायत के अधीक्षण और निदेशन के अध्यधीन रहते हुए, गांव शिक्षा समिति निम्नलिखित कृत्यों का सम्पादन करेगी, अर्थात् :—

(क) पंचायत क्षेत्र में बेसिक स्कूलों की स्थापना, उनका प्रशासन, नियंत्रण और प्रबन्धन करना;

(ख) ऐसे बेसिक स्कूलों के विकास, प्रसार और सुधार के लिए योजनायें तैयार करना;

(ग) पंचायत क्षेत्र में बेसिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा की अभिवृद्धि और विकास करना;

(घ) बेसिक स्कूलों, उनके भवनों और उपस्करों के सुधार के लिए जिला पंचायत को सुझाव देना ;

(ङ) ऐसे समस्त आवश्यक कदम उठाना जो बेसिक स्कूलों के अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के समय-पालन और उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक समझे जायं;

(च) पंचायत क्षेत्र की सीमाओं के भीतर स्थित किसी बेसिक स्कूल के किसी अध्यापक या अन्य कर्मचारी पर ऐसी रीति से जैसी विहित की जाय, लघु दण्ड देने की सिफारिश करना;

(छ) बेसिक शिक्षा से सम्बन्धित ऐसे अन्य कृत्यों को करना, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा उसे सौंपे जायं।"

8—मूल अधिनियम की धारा 12-क निकाल दी जायगी। धारा 12-क का निकाला जाना

9—मूल अधिनियम की धारा 13 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायगी; अर्थात् :— नई धारा 13-क का बढ़ाया जाना

"13-क—संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947, उत्तर प्रदेश नगर-पालिका अधिनियम, 1916 और उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के उपबन्ध प्रभावी होंगे।"

अध्यारोही प्रभाव

10—मूल अधिनियम की धारा 14 में, उपधारा (1) में शब्द "शक्ति" के स्थान पर शब्द "शक्ति, नियम बनाने की शक्ति के सिवाय" रख दिये जायेंगे। धारा 14 का संशोधन

11—मूल अधिनियम की धारा 17 में, उपधारा (2) में शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1977 के पश्चात्" के स्थान पर शब्द और अंक "उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 2000 के प्रारम्भ के दिनांक से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात्" रख दिये जायेंगे। धारा 17 का संशोधन

र प्रदेश आदेश ख्या 4 2000 र प्रदेश यादेश या 13 1999 र प्रदेश देश ा 16 1999

12—(1) उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (संशोधन) अध्यादेश, 2000 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। निरसन और अपवाद

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा या उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (संशोधन) अध्यादेश, 1999 द्वारा या उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, 1999 द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी, मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से,
योगेन्द्र राम त्रिपाठी,
प्रमुख सचिव।

No. 1245 (2)/XVII-V-1—1 (KA)-[illegible]-1999

Dated Lucknow, May 5, 2000

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Basic Shiksha (Sanshodhan) Adhiniyam, 2000 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 18 of 2000) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on May 5, 2000.

THE UTTAR PRADESH BASIC EDUCATION (AMENDMENT) ACT, 2000

(U. P. Act No. 18 of 2000)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Basic Education Act, 1972.

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-first Year of the Republic of India as follows :—

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Basic Education (Amendment) Act, 2000.

(2) It shall be deemed to have come into force on June 21, 1999.

Amendment of section 2 of U.P. Act no. 34 of 1972

2. Section 2 of the Uttar Pradesh Basic Education Act, 1972, hereinafter referred to as the principal Act, shall be renumbered as sub-section (1) thereof and,

(a) in sub-section (1) as so renumbered,—

(i) in clause (*e*) *for* the words "Zila Parishad, Antarim Zila Parishad, Nagar Mahapalika, Municipal Board, Town Area Committee or Notified Area Committee" the words, "Zila Panchayat or Municipality" shall be *substituted*;

(ii) *after* clause (*e*) the following clause shall be *inserted*, namely :—

"(*f*) "Municipality" means a Nagar Panchayat, Municipal Council or Municipal Corporation, as the case may be."

(b) *after* sub-section (1) as so renumbered, the following sub-section shall be *inserted*, namely :—

"(2) Words and expressions used in this Act but not defined shall have the meaning assigned to them in the United Provinces Panchayat Raj Act, 1947, the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916 or the Uttar Pradesh Municipal Corporation Act, 1959, as the case may be."

Amendment of section 3

3. In section 3 of the principal Act, in sub-section (3),—

(a) in clause (*b*) *for* the words and figures "Zila Parishads established under section 17 of the Uttar Pradesh Kshettra Samitis and Zila Parishads Adhiniyam, 1961," the words and figures "Zila Panchayats established under section 17 of the Uttar Pradesh Kshettra Panchayats and Zila Panchayats Adhiniyam, 1961" shall be *substituted*;

(b) in clause (*c*) *for* the words and figures "Mahapalikas constituted under section 9 of the Uttar Pradesh Nagar Mahapalika Adhiniyam, 1959", the words and figures "Corporations constituted under section 9 of the Uttar Pradesh Municipal Corporation Act, 1959" shall be *substituted*;

(c) in clause (*d*) *for* the words and figures "Municipal Boards established under the U. P. Municipalities Act, 1916," the words and figures "Municipal Council and Nagar Panchayats established under the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916" shall be *substituted*.

Amendment of section 4

4. In section 4 of the principal Act, in sub-section (2),—

(a) in clause (*c*) *for* the words "Zila Basic Shiksha Samitis or Nagar Basic Shiksha Samitis and to superintend the said Samitis", the words, "the Gaon Shiksha Samitis, or Municipalities and to superintend Gaon Shiksha Samitis, Gaon Panchayats and Municipalities" shall be *substituted*;

(b) in clause (*d*) *for* the words "normal schools" the words "District Institute of Education and Training" shall be *substituted*;

(c) in clause (*e*) *for* the words "the Zila Basic Shiksha Samiti or the Nagar Shiksha Samiti", the words "Gaon Shiksha Samitis, Zila Panchyats or Municipalities" shall be *substituted* ;

(d) in clause (*f*) the words "and in particular, to ac- any [illegible] equipment of any [illegible] such conditions as it thinks fit" shall be *omitted*;

(e) *for* clause (g-1) the following clause shall be *substituted*, namely:—

"(g-1) subject to the general control of the State Government to issue directions not inconsistant with this Act, to Gaon Shiksha Samitis, Gram Panchayats, Zila Panchayats or Municipalities in the performance of their functions under this Act;"

(*f*) clause (g-2) shall be *omitted*.

5. In section 5 of the principal Act,— Amendment of section 5

(*a*) in sub-section (1) the words and figures "each Zila Basic Shiksha Samiti referred to in section 10 and" shall be *omitted*,

(*b*) in sub-section (2),—

(*i*) in clause (*a*) *for* the words "any Samiti" the words "the Samiti" shall be *substituted*.

(*ii*) in clause (*d*) *for* the words "any Samiti" the words "the Samiti" shall be *substituted*.

6. *After* section 9 of the principal Act, the following section shall be *inserted*, namely:— Insertion of new section 9-A

9-A(1) Notwithstanding anything contained to the contrary in any other provisions of this Act, on and from the date of commencement of the Uttar Pradesh Basic Education (Amendment) Act, 2000,—

Control of teacher and properties of basic schools

(*a*) every teacher of the basic school serving under the Board immediately before such commencement shall be under the administrative control of the Gram Panchayat or the Municipality, as the case may be, within whose territorial limits the basic school, is situated ;

(*b*) all buildings, properties and assets of the Board in respect of a basic School shall stand transferred to, and vest in, the Gram Panchayat or the Municipality, as the case may be, within whose territorial limits the basic school is situated;

(*c*) where any building or part thereof is occupied as a tenant by the Board for the purpose of a basic school immediately before such commencement, the tenancy in respect of such building or part thereof shall, notwithstanding anything contained in any contract, lease or other instrument, stand transferred in favour of the Gram Panchayat, or the Municipality, as the case may be ;

(*d*) the Board shall cease to be the licensee in respect of the building or part thereof referred to in sub-section (1) of section 18-A and the Gram Panchayat or the Municipality, as the case may be, within whose territorial limits such building is situated, shall, if it is not already owner thereof, be deemed to have become licensee in respect of such building or part thereof on such terms and conditions as may be determined by the State Government.

(2) No Gram Panchayat or Municipality shall have power to transfer by sale, gift, exchange, mortgage, lease or otherwise any building, property or assets transferred to, and vested in, such Gram Panchayat or Municipality, as the case may be, under sub-section (1).

Substitution of sections 10, 10-A and 11

7. *For* section 10, 10-A and 11 of the principal Act, the following sections shall be *substituted*, namely :—

Functions of Zila Panchayats

"10. Without prejudice to the powers and functions of Zila Panchayats under the Uttar Pradesh Zila Panchayats and Kshettra Panchayats Adhiniyam, 1961, every Zila Panchayat shall, subject to superintendence and directions of the Board or the State Government perform all or any of the following functions, namely :—

(*a*) to prepare schemes for the development, expansion and improvement of basic schools in the rural areas of the district ;

(*b*) to supervise generally in such manner as may be prescribed the activities of Gram Panchayats in the district with regard to basic education ;

(*c*) to perform such other functions pertaining to basic education as may be entrusted to it by the State Government.

Functions of Municipalities

10-A Without prejudice to the powers and functions of Municipalities under the Uttar Pradesh Municipal Corporation Act, 1959 or the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916, as the case may be, every Municipality shall, subject to superintendence and control of the Board or the State Government, perform all or any of the following functions, namely:—

(*a*) to establish, administer, control and manage basic schools in the Municipal area;

(*b*) to take all such necessary steps as may be considered necessary to ensure punctuality and attendance of teachers and other employees of basic schools;

(*c*) to prepare schemes for the development, expansion and improvement of such basic schools;

(*d*) to promote and develop basic education, non-formal education and adult education in the Municipal area;

(*e*) to make recommendation for minor punishment in such manner as may be prescribed on a teacher or other employee of a basic school situate within the limits of the municipal area.

Gaon Shiksha Samiti and its function

11. (i) For each village or group of villages for which a Gram Panchayat is established under the United Provinces Panchayat Raj Act, 1947, there shall be established a committee to be known as Gaon Shiksha Samiti which shall consist of the following members, namely:—

(*a*) the Pradhan of the Gram Panchayat who shall be the Chairman;

(*b*) three guardians of students of basic schools (of whom one guardian must a woman) to be nominated by the Assistant Basic Education Officer;

(*c*) the head master of the basic school situated in the Gram Panchayat and if there are more than one such schools, the senior-most of the head masters thereof, who shall be the Member-Secretary;

(2) except as otherwise provided in any other provisions of this Act and subject to the supervision and control of the Gram Panchayat, the Gaon Shiksha Samiti shall perform the following functions, namely :—

(*a*) to establish, administer, control and manage basic schools in the panchayat area;

(*b*) to prepare schemes for the development, expansion and improvement of such basic schools;

(c) to promote and develop basic education, non-formal education and adult education in the panchayat area;

(d) to make suggestions to the Zila Panchayat for the improvement of basic schools, buildings and the equipment thereof;

(e) to take all such necessary steps as may be considered necessary to ensure punctuality and attendance of teachers and other employees of basic schools;

(f) to make recommendation for minor punishment in such manner as may be prescribed on a teacher or other employee of a basic school situate within limits of the panchayat area.

(g) such other functions pertaining to basic education as may be entrusted to it by the State Government.".

8. Section 12-A of the principal Act shall be *omitted*. Omission of section 12-A

9. *After* section 12 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely :— Insertion of new section 13-A

"13-A. Over riding effect — Notwithstanding anything contained in the United Provinces Panchayat Raj Act, 1947, the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916 and the Uttar Pradesh Municipal Corporation Act, 1959, the provisions of this Act shall have effect."

10. In section 14 of the principal Act, in sub-section (1) *for* the words "powers" the words "powers, except the power to make rules" shall be *substituted*; Amendment of section 14

11. In section 17 of the principal Act, in sub-section (2) *for* the words and figures "after December 31, 1977" the words and figures "after the expiration of the period of two years from the date of commencement of the Uttar Pradesh Basic Education (Amendment) Act, 2000" shall be *substituted*. Amendment of section 17

12. (1) The Uttar Pradesh Basic Education (Amendment) Ordinance, 2000 is hereby repealed. Repeal and savings

(2) Notwithstanding such repeal anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) or by the Uttar Pradesh Basic Education (Amendment), Ordinance, 1999, or by the Uttar Pradesh Basic Education (Amendment) (Second) Ordinance, 1999 shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By order,
Y. R. TRIPATHI,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी० 255 राजपत्र (हि०)—(463)—2000—597 (मैक०)।

संख्या:2604/15-5-99-282/98

प्रेषक,

श्री राजेन्द्र भौनवाल,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) शिक्षा निदेशक (बे0)
उ0प्र0 लखनऊ।

(2) राज्य परियोजना निदेशक,
उ0प्र0सभी के लिए शिक्षा परियोजना,
निशातगंज, लखनऊ।

शिक्षा (5) अनुभाग लखनऊ: दिनांक: 26 मई, 1999

विषय:- उ0प्र0 के प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु "शिक्षा मित्र योजना" लागू किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के संदर्भ में प्राथमिक विद्यालयों में निर्धारित मानकानुसार अध्यापक-छात्र अनुपात को बनाये रखने हेतु राज्यपाल महोदय वर्तमान शिक्षा सत्र 1999-2000 से प्रदेश में संलग्न "शिक्षा मित्र योजना" लागू करने की स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- शिक्षा मित्र योजना का कार्यान्वयन मुख्यत: निर्धारित अध्यापक-छात्र अनुपात को बनाये रखने हेतु उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित ऐसे प्राथमिक विद्यालयों में किया जायेगा जिनमें निर्धारित मानक के अनुसार अध्यापकों की व्यवस्था नहीं हो सकी है। शिक्षा सत्र 1999-2000 में पूरे प्रदेश में 10,000 की सीमा तक शिक्षा मित्रों को अनुबंधित किया जायेगा।

योजना के संचालनार्थ जिला स्तर पर एक समिति का गठन निम्नवत् किया है:-

1-जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2- जिला पंचायत राज अधिकारी	सदस्य
3- लेखाधिकारी, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	सदस्य
4- जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	सदस्य-सचिव

...2...

4- जनपद में उपर्युक्त योजनान्तर्गत कार्यक्रम को संचालित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व उपर्युक्त समिति का होगा।

5- योजनान्तर्गत " शिक्षा मित्रों " के चुनाव हेतु विस्तृत निर्देश संलग्न योजना में दिये गये हैं, जिनका अक्षरशः पालन किया जायेगा।

6- योजना के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रत्येक शिक्षा मित्र को प्रतिमाह रूपये 1450/- का मानदेय देय होगा। इसके अतिरिक्त एक माह की प्रशिक्षण अवधि के लिए उन्हें रूपये 450/- की दर से मानदेय देय होगा। शिक्षा मित्रों के प्रशिक्षण हेतु जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान को निर्धारित दरों पर धनराशि देय होगी ।

7- कृपया तद्नुसार योजना के संचालनार्थ वित्तीय आवश्यकताओं का आंगणन कर प्रस्ताव शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राजेन्द्र भौनवाल)
सचिव।

संख्या: व दिनांक: तदैव:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- समस्त मण्डलायुक्त उ0प्र0।
2- समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
3- समस्त अध्यक्ष, जिला पंचायत उ0प्र0।
4- निदेशक, एस0सी0ई0आर0टी0, निशातगंज लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे संलग्न योजना के प्राविधानों के अनुसार चयनित शिक्षा मित्रों के एक माह के प्रशिक्षण हेतु आवश्यक धनराशि का आंगणन कर शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
5- सचिव, उ0प्र0शासन पंचायती राज विभाग।
6- निदेशक, पंचायती राज विभाग उ0प्र0लखनऊ।
7- समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बे0) उ0प्र0
8- समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
9- शिक्षा निदेशक (मा0/प्रौढ़ एवं अनौपचारिक शिक्षा / उर्दू एवं प्राच्य भाषायें) उ0प्र0लखनऊ।
10- पंचायती राज अनुभाग -1
11- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव /कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0शासन।
12- शिक्षा ~~xxxx~~ विभाग के समस्त अधिकारी/अनुभाग

आज्ञा से,

(दिनेश चन्द्र शर्मा मिश्रा)
विशेष सचिव।

शासनादेश संख्या: 2604/15-5-99-282/98 दिनांक 26 मई 1999 का संलग्नक।

शिक्षा मित्र योजना

प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के संदर्भ में निर्धारित मानक के अनुसार अध्यापक -छात्र अनुपात को बनाये रखने हेतु कम लागत पर शिक्षण की व्यवस्था के लिए शिक्षा मित्र नामक योजना की रूप रेखा निम्नवत् है । यह योजना शैक्षिक सत्र 1999-2000 से लागू होगी ।

शिक्षा मित्र की संकल्पना

1- स्थानीय आवश्यकता और मांग के संदर्भ में ग्राम सभा स्तर पर उपलब्ध इण्टरमीडिएट तक शिक्षित व्यक्तियों में से निश्चित मानदेय पर पंचायत राज अधिनियम के अन्तर्गत गठित ग्राम पंचायत की शिक्षा समिति द्वारा शिक्षण कार्य हेतु संविदा पर आमंत्रित किये जाने वाला व्यक्ति "शिक्षा मित्र " होगा।

2- ।।। शिक्षा मित्र योजना का कार्यान्वयन मुख्यतः निर्धारित अध्यापक छात्र अनुपात को बनाये रखने हेतु उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित ऐसे प्राथमिक विद्यालयों में किया जायेगा जिनमें निर्धारित मानक के अनुसार अध्यापकों की व्यवस्था नहीं हो सकी है।

।।।।ग्राम पंचायत की ग्राम शिक्षा समिति में "शिक्षा मित्र" की आवश्यकता का प्रस्ताव पारित कर यह निर्णय लेगी कि शिक्षा समिति विद्यालय में "शिक्षा मित्र" की व्यवस्था हेतु सहमत एवं तैयार है ।

शिक्षा मित्र की शैक्षिक योग्यता एवं अर्हता

3- ।।। शिक्षा मित्र (पुरूष /महिला) की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण अथवा राज्य सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य अर्हता होगी।

।।।। उक्त ग्राम शिक्षा समिति प्रस्ताव पारित कर निर्णय लेने से पूर्व जिस गाँव में विद्यालय स्थित है, उसमें निर्धारित अर्हताधारी महिला अथवा पुरूष अभ्यर्थी को चिन्हित करेगी। विशेष परिस्थिति में किसी गाँव में निर्धारित अर्हताधारी अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर संबंधित न्याय पंचायत में से जहाँ ऐसे अर्हताधारी महिला /पुरूष अभ्यर्थी उपलब्ध हैं, अर्हताधारी महिला अथवा पुरूष को चिन्हित किया जावेगा।

.....2.....

।।।।। किसी भी विद्यालय में पूर्णकालिक अध्यापक तथा "शिक्षा मित्र" का अनुपात अधिकतम 3:2 होगा।

शिक्षा मित्र की संख्या का निर्धारण

4- निदेशक परियोजना द्वारा बी0ई0पी0/डी0पी0ई0पी0/एस0पी0ई0पी0 परियोजना से आच्छादित जनपदों में तथा गैर परियोजना जनपदों में शिक्षा निदेशक । बे0। द्वारा शिक्षा मित्रों की संख्या का निर्धारण सर्वेक्षण में प्राप्त आँकड़ों के अनुसार तथा अध्यापक छात्र के 1:40 के अनुपात को ध्यान में रखते हुए किया जायेगा । निर्धारित संख्या के अन्तर्गत ही जनपदों में शिक्षा मित्र रखे जायेंगे ।

आयु

5- शिक्षा मित्र की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु 30 वर्ष होगी। ग्राम शिक्षा समिति द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि शिक्षण कार्य करने योग्य सक्षम स्थानीय / निकटवर्ती गाँव के अर्ह व्यक्ति । महिला/ पुरूष।का चयन किया जा रहा है।

शिक्षा मित्र का चयन

6- ।क। ग्राम शिक्षा समिति शिक्षा मित्र / मित्रों के चयन हेतु बैठक आहूत करेगी जिसमें समिति के सदस्यों की कुल संख्या के दो तिहाई सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

।ख। समिति के द्वारा सदस्यों के सम्मुख उपलब्ध अर्ह व्यक्तियों की सूची प्रस्तुत की जायेगी। यह सूची उनके द्वारा हाई स्कूल तथा इण्टरमीडिएट परीक्षा के प्राप्त कुल अंकों के प्रतिशत के क्रमित अंकों के आधार पर निर्मित की जायेगी तथा सूची में अधिक अंक प्राप्त करने वाले का नाम पहले रखा जायेगा।

।ग। समिति आवश्यकतानुसार शिक्षा मित्रों की संख्या का आँकलन करेगी। यह संख्या 1:40 के आधार पर शिक्षकों की कुल संख्या में से कार्यरत शिक्षकों की संख्या को घटाकर निकाली जायेगी । तदनुसार 10। छात्र संख्या पर 3 तथा इसके उपरान्त 40 छात्रों की पूर्ण संख्या पर एक अतिरिक्त शिक्षक की आवश्यकता का आँकलन किया जायेगा।

।घ। विद्यालय में कुल रखे जाने वाले शिक्षा मित्रों में 50/ महिलायें होगी। इनका भी चयन बिन्दु ।ख। में इंगित आधार पर किया जायेगा।

।ङ। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों एवं अन्य श्रेणियों के आरक्षण हेतु प्रचलित नियमों/ निर्देशों का पालन यथावत् सुनिश्चित किया जायेगा।

....3...

(घ) ग्राम शिक्षा समिति के सभापति व सचिव के निकट संबंधी का चयन शिक्षा मित्र के रूप में नहीं किया जायेगा।

संविदा की अवधि

7- शिक्षा मित्र ग्राम शिक्षा समिति द्वारा प्रस्ताव पारित कर चालू शैक्षिक सत्र के लिए संविदा पर रखा जायेगा जो मई माह के अन्तिम दिवस को स्वतः समाप्त हो जायेगी।

संविदा अवधि का मानदेय

8- शिक्षा मित्र को संविदा पर रुपया 1450/- प्रतिमाह निश्चित मानदेय पर रखा जायेगा।

संविदा समाप्त करने की प्रक्रिया

9- (1) किसी भी शिक्षा मित्र का कार्य संतोषजनक न होने की दशा में ग्राम शिक्षा समिति, समिति के दो तिहाई बहुमत से लिखित प्रस्ताव पारित कर संविदा समाप्त कर सकती है। ग्राम शिक्षा समिति द्वारा इस संबंध में लिया गया निर्णय अन्तिम होगा।

(2) संबंधित शिक्षा मित्र को उस माह का मानदेय देय होगा जिस माह में उसके विरुद्ध ग्राम शिक्षा समिति द्वारा संविदा समाप्त करने के आशय का प्रस्ताव पारित कर निर्णय लिया जायेगा तथा इस प्रकार हटाये गये शिक्षा मित्र को पुनः सेवा का अवसर प्रदान नहीं किया जायेगा।

शिक्षा मित्र के मानदेय की स्वीकृति

10- (1) उपर्युक्त अनुच्छेद-6 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ग्राम शिक्षा समिति द्वारा शिक्षा मित्र का चयन करने के उपरान्त एतदर्थ अनुदान प्राप्त करने हेतु औपचारिक प्रस्ताव निर्धारित प्रारूप पर पूर्ण सूचनाओं सहित संबंधित सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अपेक्षित परीक्षण एवं पुष्टि के उपरान्त प्रस्तावों पर शासन द्वारा नामित समिति का अनुमोदन प्राप्त करेंगे एवं अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त अनुदान की स्वीकृति अथवा अस्वीकृत करने, निर्णय संबंधित ग्राम शिक्षा समिति को सूचित करेंगे।

(2) अनुदान स्वीकृत किये जाने की सूचना प्राप्त होने पर संबंधित ग्राम शिक्षा समिति संबंधित शिक्षा मित्र को इस आशय की सूचना देगी कि वह जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान में प्रारम्भिक प्रशिक्षण हेतु अपनी उपस्थिति दें। उनके द्वारा संतोषजनक ढंग से एक माह का प्रशिक्षण पूर्ण कर लिये जाने पर निर्धारित प्राथमिक स्कूल में शिक्षा मित्र को अध्यापन कार्य हेतु मानदेय रुपये 1450/-

प्रतिमाह पर संविदा के आधार पर नियुक्त किया जायेगा। यह संविदा आगामी 31 मई को स्वतः समाप्त हो जायेगी।

प्रशिक्षण
=====

11- शिक्षा मित्र के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था निम्न प्रकार होगी :-

111 प्रशिक्षण- प्रत्येक चयनित शिक्षा मित्र को जनपद के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में एक माह का प्रारम्भिक प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करना होगा। इसके बाद ही ग्राम शिक्षा समिति द्वारा पारित प्रस्तावानुसार शिक्षा मित्र कार्य आरम्भ करेगा। प्रशिक्षण अवधि में प्रत्येक शिक्षा मित्र को रू0 400/- का मानदेय देय होगा। संबंधित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान को निर्धारित मानकों के अनुसार प्रति शिक्षा मित्र की दर से धनराशि प्रशिक्षण के आयोजन तथा प्रशिक्षण अवधि में भोजन, आवास आदि पर व्यय हेतु उपलब्ध करायी जायेगी।

1111 पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण- प्रत्येक वर्ष आगामी शिक्षा सत्र में पूर्व 15 दिन के पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण में प्रत्येक ऐसे शिक्षा मित्र को प्रतिभाग करना अनिवार्य होगा, जो आगामी शैक्षिक सत्र में शिक्षा मित्र के दायित्व का निर्वहन करने को तैयार हो; किन्तु ऐसे शिक्षा मित्रों के लिए अप्रैल माह में ग्राम शिक्षा समिति द्वारा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर इसकी सूचना संबंधित सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं प्राचार्य जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान को देनी अनिवार्य होगी। पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण की अवधि में शिक्षा मित्र को रू0 200/- का मानदेय दिया जायेगा। तथा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान को निर्धारित मानकों की दर से आवास भोजन तथा प्रशिक्षण के आयोजन हेतु धनराशि दी जायेगी।

पर्यवेक्षण
=====

12- 111 शिक्षा मित्र को अकादमिक सहायता न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र/ विकास खण्ड संसाधन केन्द्र द्वारा प्रदान की जायेगी तथा उनका शैक्षिक पर्यवेक्षण प्रमुखतः इन केन्द्रों के समन्वयकों द्वारा किया जायेगा। न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र / सरगना स्कूल पर प्रत्येक माह आयोजित होने वाली एक दिवसीय कार्यशाला / बैठक में शिक्षा मित्र का प्रतिभाग करना अनिवार्य होगा। इस एक दिवसीय कार्यशाला में विकास खण्ड संसाधन केन्द्र /न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र समन्वयक द्वारा प्रत्येक शिक्षा मित्र से शिक्षण कार्य में उनके अनुभव, समस्याओं तथा आवश्यकताओं की जानकारी प्राप्त कर उसकी समस्याओं का समाधान

...5..

किया जावेगा तथा उसे पृथक पंजिका में अभिलिखित भी किया जावेगा। यदि कोई समस्या होती है जिसका समाधान समन्वयक के स्तर से संभव नहीं हो तो उसकी जानकारी संबंधित सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा की जावेगी एवं इस संबंध में वरीयता से कार्यवाही कर उसका निदान जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान/विकास खण्ड संसाधन केन्द्र / न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र से कराया जावेगा।

।।।। शिक्षा मित्र पर पूर्ण नियंत्रण ग्राम शिक्षा समिति का होगा तथा वे उसके प्रति उत्तरदायी होंगे, किन्तु शिक्षा मित्र अपने शिक्षण दायित्वों का निर्वहन विद्यालय के प्रधान अध्यापक / प्रभारी प्रधान अध्यापक के नियंत्रण एवं निर्देशन में करेंगे ।

।।।।। ग्राम शिक्षा समिति के पदाधिकारी / सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी / प्रति उप विद्यालय निरीक्षक अथवा किसी अन्य अधिकारी द्वारा स्कूल के निरीक्षण / पर्यवेक्षण के समय स्कूल के अन्य अध्यापकों की भाँति "शिक्षा मित्र" भी पूर्ण रूप से जवाबदेह होंगे।

।\V। विकास खण्ड संसाधन केन्द्र / न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र समन्वयक तथा सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी / प्रति उप विद्यालय निरीक्षक द्वारा शिक्षा मित्र के शिक्षण कार्य के संबंध में पर्यवेक्षण टिप्पणी प्रस्तुत की जावेगी जिस पर ग्राम शिक्षा समिति विचार करेगी। यदि शिक्षा मित्र के विरुद्ध लगातार टिप्पणी आती है तब ग्राम शिक्षा समिति उक्त शिक्षा मित्र की निर्धारित प्रक्रियानुसार संविदा समाप्त करती है और अन्य शिक्षा मित्र का निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार चयन कर सकती

अनुदान की व्यवस्था

13- ।।। इस योजना के अधीन " शिक्षा मित्र" के मानदेय तथा प्रशिक्षण पर होने वाले व्यय की धनराशि को एक मुश्त संबंधित जनपद के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को निदेशक, सभी के लिए शिक्षा परियोजना तथा गैर परियोजना जनपदों में शिक्षा निदेशक । बेसिक । द्वारा अनुदान के रूप में उपलब्ध कराया जावेगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति की स्वीकृति से उपरान्त धनराशि का आगमन निर्धारित दर पर आगामी मई 31 तक के लिए किया जावेगा तथा एक वित्त स्वीकृत कर दिये जाने पर आगामी वित्त पूर्व स्वीकृत वित्त के उपभोग प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही स्वीकृत की जावेगी। धनराशि दो समान किस्तों में संबंधित ग्राम शिक्षा समिति को उपलब्ध कराई जावेगी।

14- प्रस्तर -13 में उल्लिखित नामित समिति को यह अधिकार होगा कि किसी ग्राम शिक्षा समिति द्वारा " शिक्षा मित्र " योजना के अधीन स्वीकृत अनुदान की धनराशि के दुरुपयोग की शिकायत प्राप्त होने पर अनुदान की दूसरी किस्त की धनराशि के हस्तान्तरण को रोक दें अथवा पूर्व में स्वीकृत धनराशि की नियमानुसार वसूली करायें।

15- उपरोक्त नियमों में प्रयुक्त ग्राम शिक्षा समिति का तात्पर्य ग्राम पंचायत की शिक्षा समिति से है।

(दिनेश चन्द्र कनौजिया)
विशेष सचिव।

संख्या-129(1)/15-5-2000-282/98

प्रेषक,

श्री एन0 रविशंकर
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) शिक्षा निदेशक(बे)
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(2) राज्य परियोजना निदेशक;
उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना परिषद,
निशातगंज, लखनऊ।

शिक्षा अनंभाग-5 लखनऊ: दिनांक: 1 जुलाई, 2000

विषय:- प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य की ओर अग्रसर होने के लिए शिक्षित युवाओं की सहभागिता हेतु शिक्षा मित्र योजना का कार्यान्वयन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर शासनादेश संख्या- 2604/15-5-99-282/98, दिनांक 26.5.1999 एवं शा0 सं0-4386/15-5-99-282/98 टीसी, दिनांक 11.08.1999 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य की ओर अग्रसर होने के प्रयासों के अन्तर्गत शासन ने ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षित युवा पीढ़ी को शिक्षा के प्रसार में स्वेच्छा उनकी सहभागिता सामुदायिक सेवा के क्षेत्र में ग्राम पंचायतों द्वारा प्राप्त करने के लिए शिक्षा मित्र योजना की रचना की है। वस्तुत: यह योजना मुख्य रूप से ग्रामीण शिक्षित युवा शक्ति को अपने ही ग्राम में शिक्षा के आलोक को सामुदायिक सेवा के रूप में प्रज्वलित करने हेतु उन्हें उत्प्रेरित करने के लक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए प्रारम्भ की गयी है। यहां यह भी स्पष्ट रूप से इंगित कर दिया जाना आवश्यक है कि शिक्षा मित्र योजना सेवायोजन परक योजना नहीं है, प्रत्युत इसका उद्देश्य ग्रामीण शिक्षित युवाओं को प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में उनकी सामुदायिक सेवा हेतु उत्प्रेरित करना मात्र है।

शासन ने उपर्युक्त योजना के अंतर्गत शिक्षा मित्रों की आवश्यकता के आंकलन, चयन तथा योजना के कार्यान्वयन से सम्बन्धित अन्य महत्वपूर्ण बिन्दुओं के संबंध में कार्यवाही निम्नलिखित मार्ग निर्देशों के अनुसार प्रशस्त करने का निर्णय लिया है:-

1. शिक्षा मित्र की आवश्यकता का आंकलन:

प्रदेश में विभिन्न जनपदों में शिक्षा मित्र की आवश्यकता का आंकलन एवं संख्या का निर्धारण विश्व बैंक वित्त पोषित परियोजनाओं से आच्छादित जनपदों में राज्य परियोजना निदेशक द्वारा तथा

शेष जनपदों में शिक्षा निदेशक(बे) द्वारा शासन द्वारा पूरे प्रदेश के लिए निर्धारित संख्या के अंतर्गत किया जायेगा तथा साथ ही यह भी ध्यान में रखा जायेगा कि प्रत्येक विद्यालय में अध्यापक छात्र अनुपात 1:40 का अनुसरण हो।

प्रत्येक विद्यालय में पृथकीकृत अध्यापक तथा शिक्षा मित्र का अनुपात अधिकतम 3:2 का होगा। शिक्षा मित्र की तैनाती उन्हीं विद्यालयों में होगी जहां पहले से न्यूनतम एक नियमित अध्यापक कार्यरत हो। दूसरा शिक्षा मित्र सम्बन्धित विद्यालय में तभी तैनात किया जा सकेगा जब विद्यालय में पहले से दो नियमित अध्यापक कार्यरत हों और अध्यापक छात्र के 1:40 के अनुपातिक आधार पर शिक्षा मित्र की आवश्यकता हो। दो से अधिक शिक्षा मित्रों को एक विद्यालय में नहीं रखा जायेगा।

उपर्युक्त प्रक्रिया एवं रोस्टर का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2. <u>योजना के आच्छादन हेतु विद्यालयों का चिन्हांकन:</u>

योजनान्तर्गत शिक्षा मित्रों की जनपदवार आवश्यकता का निर्धारण शिक्षा निदेशक(बे) एवं राज्य परियोजना निदेशक, बेसिक शिक्षा परियोजना द्वारा करा लिये जाने के उपरान्त विद्यालयों का चिन्हांकन शासनादेश दिनांक 26 मई, 1999 द्वारा गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जायेगा। जिला स्तरीय समिति द्वारा शिक्षा मित्रों की व्यवस्था करने हेतु शिक्षा निदेशक(बे)/परियोजना निदेशक द्वारा संबंधित जनपद के लिए निर्धारित शिक्षा मित्रों की संख्या के आधार पर ग्राम पंचायतों, जहां प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा मित्र की व्यवस्था अपेक्षित हो, का चिन्हांकन ऐसे एकल अध्यापकीय विद्यालयों जो जनपद के दुर्गम क्षेत्रों में स्थित हों और अध्यापकों की कमी के कारण जहां पठन-पाठन में समस्या रही हो, को वरीयता प्रदान करते हुए विद्यालयों के चयन हेतु संस्तुति की जायेगी।

3. <u>ग्राम शिक्षा समिति द्वारा शिक्षा मित्र के चिन्हांकन की प्रक्रिया:</u>

जिला स्तरीय समिति द्वारा योजना के आच्छादन हेतु विद्यालयों का चिन्हांकन हो जाने के उपरान्त सम्बन्धित ग्राम शिक्षा समिति अपनी ग्राम पंचायत की प्रादेशिक सीमा के अंतर्गत अवस्थित विद्यालय हेतु शिक्षा मित्र की व्यवस्था हेतु प्रस्ताव पारित कर यह निर्णय लेगी कि समिति सम्बन्धित विद्यालय में शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अंतर्गत शिक्षा मित्र की व्यवस्था हेतु सहमत है।

उपर्युक्त प्रस्ताव के पारित हो जाने के उपरान्त ग्राम शिक्षा समिति शिक्षा मित्र की व्यवस्था के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र आमंत्रित करने की सार्वजनिक सूचना ग्राम पंचायत के सूचना पटल तथा ग्राम पंचायत क्षेत्र में अन्य उपयुक्त माध्यमों से प्रसारित करेगी।

सूचना के प्रकाशन/प्रसारण की तिथि से 10 दिन की समयावधि में इच्छुक अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र ग्राम पंचायत द्वारा प्राप्त किये जा सकेंगे।

ग्राम शिक्षा समिति द्वारा उस ग्राम पंचायत में जिसकी प्रादेशिक सीमा में विद्यालय अवस्थित है के निर्धारित अर्हता धारी अभ्यर्थियों के ही आवेदन पत्र आमंत्रित करेगी। विशेष परिस्थिति में यदि किसी गांव में अर्ह अभ्यर्थी उपलब्ध न हों तो सम्बन्धित न्याय पंचायत में से अर्ह अभ्यर्थी चिन्हांकित किये जा सकेंगे।

4. शिक्षा मित्र की अर्हतायें:

शिक्षा मित्र (पुरूष/महिला) की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण अथवा राज्य सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य अर्हता होगी किन्तु प्रतिबंध यह है कि प्रदेश में संचालित मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालयों तथा राज्य सरकार द्वारा संचालित महाविद्यालयों/प्रशिक्षण महाविद्यालयों में संस्थागत छात्र के रूप में बी0एड0/एल0टी0 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को अधिमान्यता प्रदान की जायेगी। शिक्षा मित्र की न्यूनतम आयु चयन वर्ष की 1 जुलाई को 18 वर्ष व अधिकतम 30 वर्ष होगी।

5. शिक्षा मित्र का कार्यकाल:

शिक्षा मित्र का कार्यकाल सामान्यतया किसी शिक्षा सत्र में माह मई के अंतिम दिवस को स्वत: समाप्त हो जायेगा। शिक्षा मित्र के शिक्षण कार्य एवं आचरण से संतुष्ट होने की स्थिति में समिति द्वारा अगले शिक्षा सत्र के लिए भी उसे चिन्हित किया जा सकता है।

किसी भी शिक्षा मित्र का कार्य व आचरणसंतोषजनक न होने की दशा में शिक्षा समिति के दो तिहाई बहुमत से लिखित प्रस्ताव पारित कर सत्र के मध्य में भी समिति शिक्षा मित्र को किसी भी समय हटा सकती है। इस संबंध में शिक्षा समिति का निर्णय अंतिम होगा और इस प्रकार हटाये गये शिक्षा मित्र को पुन: इस रूप में कार्य करनेका अवसर नहीं दिया जायेगा।

6. शिक्षा मित्र का मानदेय:

शिक्षा मित्र को रू0 2250/- प्रति माह का नियत मानदेय ग्राम शिक्षा समिति द्वारा भुगतान किया जायेगा। मानदेय का भुगतान ग्राम शिक्षा निधि के माध्यम से किया जायेगा। मानदेय की धनराशि ग्राम शिक्षा निधि के खाते में रखी जायेगी। जिला स्तरीय समिति के अनुमोदन के उपरान्त मानदेय हेतु अपेक्षित धनराशि हस्तांतरित होगी।

शिक्षा सत्र के मध्य में हटाये जाने वाले शिक्षामित्र को उस माह का मानदेय देय होगा जिस माह उसके विरूद्ध शिक्षा समिति द्वाराउसे हटाये जाने के संबंध में निर्णय लिया जाता है।

7. शिक्षा मित्र का प्रशिक्षण:

ग्राम पंचायत द्वारा चयनित एवं जिला समिति द्वारा अनुमोदित शिक्षा मित्र को जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में एक माह का प्रशिक्षण प्रदान कियाजायेगा। यह प्रशिक्षण शिक्षा मित्र को सफलता पूर्वक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इसके पश्चात ही ग्राम शिक्षा समिति द्वारा पारित प्रस्तावानुसार शिक्षा मित्र को शिक्षा कार्य करने की अनुमति प्रदान की जायेगी। इस प्रशिक्षण अवधि के लिए उसे रू0 2250/- के स्थान पर रू0 450/- का मानदेय देय होगा।

यदि शिक्षा मित्र का अगले शिक्षा सत्र के लिये चयन शिक्षा समिति द्वारा कर लिया जाता है तो उसे आगामी सत्र में 15 दिन का पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण सफलता पूर्वक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण अवधि में उसे रू0 300/- का मानदेय दिया जायेगा।

उपयुक्त प्रशिक्षण अवधियों में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा उन्हें निःशुल्क आवास एवं भोजन की सुविधा दी जायेगी।

निर्दिष्ट अर्हता/अधिमानी अर्हता एवं आयु सीमा के अंतर्गत आने वाले अभ्यर्थी शिक्षा मित्र के रूप में शिक्षण से सम्बन्धित सामाजिक कार्य के लिए अपनी सेवायें सुलभ कराये जाने हेतु निर्दिष्ट-प्रारूप एक में आवेदन पत्र अपनी शैक्षिक/प्रशिक्षण अर्हता, आयु एवं जाति सम्बन्धी प्रमाण-पत्र के साथ प्रस्तुत करेंगे। शैक्षिक/प्रशिक्षण योग्यता के प्रमाण पत्रों के साथ उनके द्वारा हाई स्कूल, इण्टरमीडिएट तथा बी0एड0/एल0टी0 परीक्षा की अंक तालिकायें तथा प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप में प्रस्तुत किये जायेंगे।

ग्राम शिक्षा समिति द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के लिए निर्दिष्ट समयावधि पूरी हो जाने के (10 दिन) तुरन्त बाद आवेदन पत्रों का सम्यक रूप से परीक्षण एवं उन पर विचार हेतु अपनी बैठक आहूत की जायेगी। शिक्षा समिति सम्बन्धित अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्रों से उनकी अर्हता/अधिमानी अर्हता तथा आयु के संबंध में सत्यापन सुनिश्चित करेंगे।

शिक्षा मित्र को चिन्हित करने हेतु ग्राम शिक्षा समिति की बैठक में सदस्यों की दो तिहाई उपस्थिति अनिवार्य होगी।

समिति हाई स्कूल, इण्टरमीडिएट तथा बी0एड0/एल0टी0 परीक्षा के प्राप्तांकों के प्रतिशत के औसत अंकों के आधार पर शिक्षा मित्र के चयन हेतु पात्रता सूची तैयार करेगी तथा सूची में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का नाम पहले क्रम पर और उससे कम अंक वाले अभ्यर्थियों को अवरोही क्रम में सूचीबद्ध किया जायेगा।

विद्यालय में कुल रखे जाने वाले शिक्षा मित्रों में 50 प्रतिशत महिला होंगी। ग्राम पंचायत अधिनियम के अन्तर्गत जो ग्राम पंचायत शिक्षा मित्र के चिन्हांकन के समय परिसीमन के अनुसार जिस रूप में वर्गीकृत हो अर्थात- सामान्य/अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग, उस पंचायत की प्रादेशिक सीमा में अवस्थित प्राथमिक विद्यालय में 'शिक्षा मित्र' के रूप में प्रथम रिक्ति पर परिसीमन के अनुसार यथास्थिति उसी वर्ग के अभ्यर्थी अर्थात सामान्य/अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी के लिए आरक्षित होगी। निर्दिष्ट मानके के अनुसार सम्बन्धित प्राथमिक विद्यालय में यदि शिक्षा मित्र के रूप में दो अभ्यर्थी चिन्हित होते है तो दूसरी रिक्ति अनारक्षित होगी।

शिक्षा समिति के सभापति व सचिव के निकट सम्बन्धी का चयन शिक्षा मित्र के रूप में नहीं कियाजायेगा। सम्बन्धियों का तात्पर्य पिता, दादा, स्वसुर (पित्र एवं मात्र सम्बन्धी) पुत्र, पौत्र,दामाद, भाई, बहन, पति, पत्नी, पुत्री तथा मां से है।

ऐसे व्यक्ति को शिक्षा मित्र के रूप में नही रखा जायेगा जिसे केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा किसी स्थानीय प्राधिकारी अथवा किसी शैक्षिक संस्थान जो कि राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त एवं सहायतित है, की सेवा से पृथक अथवा सेवाच्युत करने का दण्ड दिया गया हो अथवा किसी अनैतिक कार्यों में लिप्त होने के कारण जेल की सजा काट चुका हो।

शिक्षा समिति उपर्युक्त सभी बिन्दुओं के संबंध में अपना समाधान करने एवं संबंधित व्यक्ति जिसे शिक्षा मित्र के रूप में समिति द्वारा रखा जाना प्रस्तावित हो, के चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन सुनिश्चित करेगी।

शिक्षा समिति द्वारा उपर्युक्त प्रक्रिया को अनुसरण करते हुए चिन्हित शिक्षा मित्र को सम्बन्धित विद्यालय में प्रारूप-दो के अनुसार उनकी सहमति प्राप्त कर शिक्षण कार्य की अनुमति प्रदान की जायेगी।

प्रारूप-एक

शिक्षा मित्र के रूप में सामुदायिक सेवा का अवसर दिये जाने हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप ।

सेवा में,

अध्यक्ष,
ग्राम शिक्षा समिति,
ग्राम पंचायत -.....
जिला -.....

महोदय,

ग्राम पंचायत-.....द्वारा प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के परिप्रेक्ष्य में शिक्षित युवाओं की सामुदायिक सेवा में सहभागिता के लिए शिक्षा मित्र योजना के अंतर्गत आवेदन करने हेतु दिनांक.....का प्रसारित विज्ञापन के संदर्भ में मै शिक्षा मित्र के रूप में सामुदायिक सेवा किये जाने हेतु अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत करता हूँ।

मेरे अभ्यर्थन के संबंध में वांछित सूचनायें निम्नवत् है:-

1. नाम
2. पिता/पति का नाम
3. निवास स्थान, ग्राम- ग्राम पंचायत जिला
4. शैक्षिक योग्यता -
   (क) हाई स्कूल श्रेणी प्राप्तांक
   (ख) इण्टरमीडिएट श्रेणी प्राप्तांक
   (ग) अधिमानी अर्हता-बी0एड0/एल0टी0 श्रेणी प्राप्तांक
5. जन्म तिथि

[(क)(ख)(ग) तथा 5. के संबंध में प्रमाण पत्र/अंक तालिकायें संलग्न है।]

6. जाति-(यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का हो) प्रमाण पत्र सहित उल्लेख।

शिक्षा मित्र योजना के अंतर्गत सामुदायिक सेवा करने हेतु मुझे अवसर प्रदान किया जाता है तो मुझे योजना के सभी नियम व शर्तें मान्य होंगी।

दिनांक- भवदीय,

(

नाम/पता:

8. <u>शिक्षा मित्र के कर्तव्य व दायित्व:</u>

शिक्षा मित्र पर पूर्ण नियंत्रण ग्राम शिक्षा समिति का होगा और वह समिति के प्रति पूर्णतया उत्तरदायी होगा। किन्तु वह अपने शिक्षण दायित्वों का निर्वहन सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रभारी अध्यापक के नियंत्रण एवं मार्ग निर्देशन में करेंगे। बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा विद्यालय के निरीक्षण/पर्यवेक्षण के समय शिक्षा मित्र अपने कर्तव्य एवं दायित्वों के प्रति पूर्ण रूपेण जवाबदेह होंगे।

शिक्षा मित्र को अकादमिक सहायता न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र/विकास खण्ड संसाधन केन्द्र द्वारा प्रदान की जायेगी और उनका शैक्षिक पर्यवेक्षण प्रमुखत: इन केन्द्रों के प्रभारी/समन्वयकों द्वारा किया जायेगा। शैक्षणिक गतिविधियों के संबंध में अन्य व्यवस्थायें शासनादेश दिनांक 26 मई, 1999 से संलग्न शिक्षा मित्र योजना के अनुरूप प्रभावी होंगी। संदर्भगत शासनादेश दिनांक 26 मई, 1999 को उक्त सीमा तथा संशोधित/परिवर्तित समझा जाय।

कृपया तदनुसार शिक्षा मित्र योजना के कार्यान्वयन के संबंध में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने तथा कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

N. Ravi Shankar

(एन0 रविशंकर)
सचिव ।

<u>संख्या: व दिनांक तदैव:</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
2. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
3. समस्त अध्यक्ष, जिला पंचायत, उ0प्र0।
4. निदेशक, एस0सी0ई0आर0टी0 निशातगंज, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे संलग्न योजना के प्राविधानों के अनुसार आचार्यों के एक माह के प्रशिक्षण हेतु आवश्यक धनराशि का आगणन कर प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
5. सचिव, उ0प्र0 शासन पंचायती राज विभाग।
6. निदेशक, पंचायत राज विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
7. समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बे0) उ0प्र0।
8. समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
9. शिक्षा निदेशक, माध्यमिक/प्रौढ़ एवं अनौपचारिक शिक्षा/उर्दू एवं प्राच्य भाषायें, उ0प्र0, लखनऊ।
10. पंचायती राज अनुभाग-1
11. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
12. शिक्षा सचिव शाखा के समस्त अधिकारी/अनुभाग

आज्ञा से,

(जे0 डी0 त्रिपाठी)
विशेष सचिव।

शिक्षा मित्र द्वारा दिया जाने वाला सहमति पत्र ।

मैं.....आत्मज/पत्नि.....

ग्राम.....पंचायत समिति.....

जिला.....स्वेच्छा से समाजसेवी की हैसियत से शिक्षा मित्र के रूप में कार्य करने के आधार पर निम्नलिखित शर्तें स्वीकार करता/करती हूँ:

1. मैं गांव के विद्यालय में एक समाज सेवी की हैसियत से शिक्षण कार्य करूँगा/करूँगी। मैं एक स्वैच्छिक कार्यकर्ता हूँ एवं अपने आपको राजकीय/परिषदीय कर्मचारी नहीं समझूंगा/समझूंगी। मैं इस समाज सेवा के लिए कोई वेतन नहीं लूंगा/लूंगी, केवल इस निमित्त नियमानुसार देय मानदेय ही प्रतिमाह प्राप्त करूँगा/करूँगी।
2. यदि मेरे द्वारा ग्राम पंचायत की अपेक्षाओं के अनुसार कार्य नहीं किया जावे अथवा योजना के निर्धारित मानदण्डों पर मैं खरा न उतरूँ तो मेरी कार्य करने की दी गयी स्वीकृति रद्द कर दी जावे।
3. मेरा यह समाधान है कि शिक्षा मित्र के रूप में मेरा यह चयन केवल प्रशिक्षण के लिए किया गया है। प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने के बाद मुझे सर्वथा योग्य पाये जाने पर मुझे शिक्षा मित्र के रूप में सामुदायिक सेवा करने का अवसर मिल सकेगा।
4. मैं ग्राम पंचायत शिक्षा समिति को यह अधिकार देता हूँ कि शिक्षा मित्र के प्रशिक्षण के दौरान या बाद में विरुद्ध कोई शिकायत या प्रतिकूल तथ्य प्रमाणित होते हैं तो मैं शिक्षा मित्र के रूप में कार्य करने के लिए अयोग्य समझा जाऊँगा।
5. योजना नियमांतर्गत अथवा जनहित में पंचायत द्वारा दिये गये निर्णयों का सम्मान करूँगा/करूँगी और स्वार्थवश कोई उज्रदारी नहीं करूँगा/करूँगी।
6. मेरे द्वारा दी गयी सूचना/सूचनायें तथ्यहीन या असत्य पायी जायें तो उनकी तथ्यता प्रकाश में आने के तुरन्त बाद बिना नोटिस के शिक्षा मित्र के रूप में कार्य करने की दी गयी अनुज्ञा रद्द कर दी जावे।
7. यदि मेरे प्रति ग्राम समुदाय में विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं तो मुझे हटा दिया जावे।
8. शिक्षा सत्र के मध्य अथवा अंत में मेरे कार्य के मूल्यांकन में, यदि मैं सफल नहीं हुआ/हुई तो मुझे कार्य करने की दी गयी अनुज्ञा निरस्त कर दी जावे।

दिनांक

हस्ताक्षर शिक्षा मित्र

हस्ताक्षर ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यगण।

1. .....
2. .....
3. .....
4. .....
5. .....

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी०पी०ई०पी०)

राज्य परियोजना कार्यालय, विद्या भवन,
उ०प्र० सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद
विद्या भवन, निशातगंज, लखनऊ -226 007
☎ 780995, 781315, फैक्स : 0522 - 781128, 781123
E -Mail : updpep@lw1.vsnl.net.in

पत्रांक:रा0प0नि0/ 539 /2001–2002

लखनऊ, दिनांक 7 जून, 2001

कार्यालय–ज्ञाप

उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद की कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक16.05.2001 में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में भारत सरकार की केन्द्र पुरोनिधानित एजूकेशन गारण्टी स्कीम तथा वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा योजना के क्रियान्वयन व निर्देशन हेतु उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद के अधीन उच्चाधिकार प्राप्त समिति का निम्नवत् गठन किया जाता है :–

(1)	प्रमुख सचिव, शिक्षा	अध्यक्ष
(2)	सचिव, बेसिक शिक्षा	उपाध्यक्ष
(3)	प्रमुख सचिव, नियोजन अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी	सदस्य
(4)	प्रमुख सचिव, वित्त अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी	सदस्य
(5)	राज्य परियोजना निदेशक	सदस्य
(6)	निदेशक, साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा	सदस्य–सचिव
(7)	निदेशक, बेसिक शिक्षा	सदस्य
(8)	निदेशक, एस0सी0ई0आर0टी0	सदस्य
(9)	भारत सरकार द्वारा नामित एक सरकारी प्रतिनिधि	सदस्य
(10)	भारत सरकार द्वारा नानित एक गैर सरकारी प्रतिनिधि	सदस्य
(11)	सचिव, श्रम विभाग अथवा उनके प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव से कम स्तर के न हो	सदस्य
(12)	राज्य नगरीय विकास अभिकरण का निदेशक	सदस्य
(13)	सचिव, स्वास्थ्य विभाग अथवा उनके प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव से कम स्तर के न हो	सदस्य
(14)	निदेशक, समन्वित बाल विकास परियोजना	सदस्य
(15)	निदेशक, साइमेट, इलाहाबाद	सदस्य
(16)	निदेशक, एस0आई0ई0टी0, लखनऊ	सदस्य

(17)	निदेशक, महिला समाख्या	सदस्य
(18)	सचिव, महिला एवं बाल कल्याण विभाग या उनके प्रतिनिधि, जो संयुक्त सचिव के स्तर से कम के न हो।	सदस्य
(19)	प्रमुख सचिव (शिक्षा) द्वारा नामांकित चार गैर सरकारी प्रतिनिधि, जिसमें से एक महिला, एक अनुसूचित जाति, एक पिछड़ी जाति तथा एक अल्प संख्यक वर्ग का प्रतिनिधि अवश्य हो।	सदस्य

शिक्षा गारण्टी योजना/वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचार शिक्षा योजना के कार्यक्रमों के सम्बन्ध में उक्त समिति निम्न कर्तव्यों एवं दायित्वों का वहन करेगी :-

* शिक्षा गारण्टी योजना तथा वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा कार्यक्रमों की क्रियान्वयन एवं अनुदान समिति यथापेक्षा अध्यक्ष की अनुमति से अन्य व्यक्तियों को समिति के सदस्य के रूप में नामित करने के लिए अधिकृत होगी।
* इस समिति को अपने सदस्यों के मध्य में समितियों/उपसमितियों के गठन तथा किसी व्यक्ति विशेष को समितियों/उपसमितियों पर कार्य करने के लिए "कोआप्ट" करने के लिए अधिकृत होगी।
* यह समिति ई0जी0एस0/ए0आई0ई0 कार्यक्रमों के लिए राज्य स्तर पर चिन्हित स्टेट सोसाइटी- "सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद" के लिए प्रदेश में योजना बनाने और उसे लागू करने प्रबन्धकीय और वित्तीय दृष्टिकोण से प्रदेश में योजना का मूल्यांकन एवं अनुश्रवण करने के लिए उत्तरदायी होगी।
* इस समिति में "शिक्षा गारण्टी योजना एवं वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा कार्यक्रमों" के उद्देश्यों की प्राप्ति, प्रगति और कार्यक्रमों को सुदृढ करने हेतु आवश्यक एवं समीचीन कार्यों के निष्पादन की शक्ति निहित होगी और समिति इन कार्यों को करेगी अथवा सदस्यों के माध्यम से करायेगी।
* योजना से सम्बन्धित कार्यों के निष्पादन हेतु आवश्यकतानुसार कर्मियों की व्यवस्था नियुक्ति/प्रतिनियुक्ति या सेकेन्डमेन्ट के आधार पर "स्टेट सोसाइटी" के निर्देशन में व्यवस्था करायेगी।
* राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से यह समिति योजना से सम्बन्धित नियमों/विनियमों तथा यथासंभव उसके आवश्यक संशोधन प्रस्तावित कर सकेगी।
* स्टेट सोसाइटी के लिए योजना के कुल व्यय का 25 प्रतिशत अंशदान राज्य सरकार से तथा 75 प्रतिशत अंशदान भारत सरकार से प्राप्त करेगी तथा उसे सम्बन्धित व्यक्तियों अथवा एजेन्सियों को आवश्यकतानुसार उपलब्ध करायेगी।
* समिति का अलग से लेखा होगा और बैंक में अलग से खाता खोला जायेगा, जिसके लेखे का प्रत्येक वर्ष चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा अंकेक्षण कराया जायेगा।

.....3/-

* योजना की शुरूआत में प्रदेश के जनपदों में स्कूल मैपिंग/माइक्रो-प्लानिंग/कैपेसिटी बिल्डिंग के अभ्यास के बाद योजना से सम्बन्धित प्रस्तावों को जनपदों से प्राप्त करेगी। इन प्रस्तावों को तैयार किये जाने के सम्बन्ध में समय-समय पर विस्तृत दिशा-निर्देश जारी करेगी।
* वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा तथा ब्रिज कोर्स के संचालन सम्बन्धी संकलित प्रस्तावों को साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा निदेशालय के माध्यम से प्राप्त करेगी।
* समिति शिक्षा गारण्टी योजना, वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा से सम्बन्धित उन्हीं प्रस्तावों को विचार-विमर्श हेतु स्वीकार करेगी, जिन प्रस्तावों के साथ समुदाय की ओर से मांग की स्पष्ट अभिव्यक्ति परिलक्षित हो रही हो।
* स्वैच्छिक संगठनों का योजना में सहयोग प्राप्त करने हेतु गैर सरकारी संस्थाओं से आवेदन पत्र प्राप्त करने और उन आवेदन पत्रों का वास्तविक मूल्यांकन कर उपयुक्त स्वयं सेवी संगठनों का अनुदान जारी करने हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश तैयार करेगी तथा अनुदान स्वीकृति प्रदान करेगी।।
* समिति प्रदेश में सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा लागू किये गये शिक्षा गारण्टी योजना एवं वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा के कार्यक्रमों हेतु एक मॉनीटरिंग सिस्टम विकसित कर कार्यक्रमों का नियमित अनुश्रवण करेगी।
* कार्यक्रमों के अनुश्रवण में विभिन्न समितियों के साथ-साथ सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों से भी सहयोग प्राप्त करेगी।।
* अपेक्षित स्तर तक कार्य करने में स्वयं सेवी संगठन यदि चेतावनी के बाद भी अपने कार्य में सुधार नहीं लाते हैं, तो उन्हें "काली सूची" में दर्ज करते हुये ऐसे संगठनों के विरूद्ध समिति विस्तृत अनुसंशाएं प्रस्तावित करेगी।

* समिति योजनान्तर्गत कार्यक्रमों के संचालन हेत अनुदेशक मनोनयन, उनके प्रशिक्षण, केन्द्र/कोर्स हेतु पाठ्य-पुस्तक की व्यवस्था, पर्यवेक्षण एवं मूल्यांकन हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत करेगी।
* इस योजना में विभिन्न स्तरों पर संलग्न अधिकारियों/कर्मचारियों/कार्यकर्ताओं के लिए समय-समय पर अभिनवीकरण प्रशिक्षण/कार्यशालाएं भी आयोजित करायेगी।
* यह समिति विभिन्न विभागों एवं संस्थाओं (बेसिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा) का ग्राम स्तर से लेकर राज्य स्तर तक कनवर्जेन्स एवं कोऑर्डिनेशन का लगातार अनुश्रवण करेगी।

.....4/-

* यह समिति प्रदेश में संचालन किये जाने वाले शिक्षा गारण्टी योजना एवं वैकल्पिक तथा नवाचार शिक्षा के लिए वार्षिक कार्ययोजना तैयार करायेगी। समिति वार्षिक कार्ययोजना को स्वीकृति प्रदान करेगी तथा उसके बजट को भी अनुमोदित करेगी।

(वृन्दा सरूप)
राज्य परियोजना निदेशक
उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद
विद्याभवन, निशातगंज
लखनऊ।

पृ0सं0:- रा0प0नि0/ 539 /2001-2002 तद्दिनांक

प्रतिलिपि:-

(1) प्रमुख सचिव, शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन।
(2) सचिव, बेसिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन।
(3) प्रमुख सचिव, नियोजन, उत्तर प्रदेश शासन।
(4) प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तर प्रदेश शासन।
(5) निदेशक, साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा।
(6) शिक्षा निदेशक, बेसिक शिक्षा, बेसिक शिक्षा निदेशालय, निशातगंज, लखनऊ।
(7) निदेशक, एस0सी0ई0आर0टी0, निशातगंज, लखनऊ।
(8) संयुक्त सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन नई दिल्ली।
(9) सचिव, श्रम विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(10) निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, लखनऊ।
(11) निदेशक, समन्वित बाल विकास परियोजना, लखनऊ।
(12) निदेशक, साइमेट, एलेनगंज, इलाहाबाद।
(13) निदेशक, एस0आई0ई0टी0, निशातगंज, लखनऊ।
(14) निदेशक, महिला समाख्या, पत्रकारपुरम, गोमतीनगर, लखनऊ।
(15) सचिव, महिला एवं बाल कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

(वृन्दा सरूप)
राज्य परियोजना निदेशक
उ0प्र0-सभी के लिए शिक्षा परियोजना परि
विद्याभवन, निशातगंज
लखनऊ।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी०पी०ई०पी०)

राज्य परियोजना कार्यालय, विद्या भवन,
उ०प्र० सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद
विद्या भवन, निशातगंज, लखनऊ -226 007
☎ 780995, 781315, फैक्स : 0522 - 781128, 781123
E -Mail : updpep@lw1.vsnl.net.in

पत्रांक:-रा0प0नि0/ 466 /2001-2002
लखनऊ, दिनांक: 15 जून, 2001

कार्यालय-ज्ञाप

उ0प्र0-सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद की कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 16.05.2001 में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में भारत सरकार की केन्द्र पुरोनिधानित एजूकेशन गारण्टी स्कीम तथा वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा योजना के क्रियान्वयन व निर्देशन हेतु उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद के अधीन राज्य स्तर पर उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया है। जनपद सतर पर एजूकेशन गारण्टी स्कीम तथा वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा योजना के क्रियान्वयन, अनुश्रवण एवं निर्देशन का कार्य उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद के अधीन कार्यालय ज्ञाप सं0:542/1996-97 दिनांक 17.06.96 द्वारा पूर्व से गठित जिला शिक्षा परियोजना समिति द्वारा किये जाने का निर्णय लिया गया है। जिला शिक्षा परियोजना समिति का गठन निम्नवत है :

1.	जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2.	मुख्य विकास अधिकारी	उपाध्यक्ष
3.	अध्यक्ष, जिला परिषद का एक नामित प्रतिनिधि	सदस्य
4.	अनु0 जाति/अनु0जनजाति के दो ब्लॉक प्रमुख	सदस्य
5.	दो महिला ब्लॉक प्रमुख	सदस्य
6.	महापालिका अध्यक्ष का एक नामित प्रतिनिधि	सदस्य
7.	जिलाधिकारी द्वारा नामित दो शिक्षाविद्	सदस्य
8.	शिक्षण संस्थाओं से एक सदस्य	सदस्य
9.	एक शिक्षक प्रतिनिधि	सदस्य
10.	जिला विद्यालय निरीक्षक	सदस्य
11.	जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी	सदस्य
12.	जिला कार्यक्रम अधिकारी (आई0सी0डी0एस0)	सदस्य
13.	प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान	सदस्य
14.	लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अधिशासी अभियन्ता	सदस्य
14.	समन्वयक महिला समाख्या	सदस्य
15.	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	सदस्य-सचिव

.....2/-

परियोजना कार्यक्रमों से सम्बन्धित कर्तव्यों एवं दायित्वों के निर्वहन के अतिरिक्त एजूकेशन गारण्टी स्कीम/वैकल्पिक एवं नावचार शिक्षा योजना के क्रियान्वयन, अनुश्रवण एवं निर्देशन के सम्बन्ध में जिला शिक्षा परियोजना समिति निम्न कर्तव्यों एवं दायित्वों को वहन करेंगी :-

(1) जनपद में संचालित शिक्षा गारण्टी योजना तथा वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा के कार्यक्रमों के क्रियान्वयन, मार्गदर्शन एवं समीक्षा का कार्य यह समिति करेगी।

(2) योजना हेतु माइक्रोप्लानिंग के आधार पर तैयार किये गये प्रस्तावों को प्राप्त करेगी। उपयुक्त स्वैच्छिक संगठनों से भी प्रस्ताव प्राप्त किये जायेंगे।

(3) शिक्षा गारण्टी योजना तथा वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा तथा ब्रिजकोर्स से सम्बन्धित प्राप्त प्रस्तावों की समीक्षा कर उसे साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा निदेशालय के माध्यम से शिक्षा गारण्टी योजना तथा वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा की राज्य स्तरीय क्रियान्वयन एवं अनुदान समिति को विचारार्थ प्रस्तुत करेगी।

(4) राज्य स्तरीय समिति/साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा निदेशालय से जारी दिशा-निर्देशों के क्रम में जनपद में कार्यक्रमों का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण सुनिश्चित करायेगी।

(5) यह समिति जनपद के लिए प्राप्त प्रस्तावों को संकलित करते हुए वार्षिक कार्ययोजना बजट प्रस्तावों के साथ तैयार करेंगी और उसे राज्य स्तरीय क्रियान्वयन एवं अनुमोदन समिति को अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करेगी।

(6) समिति जनपद स्तर पर सभी सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों के साथ कनवर्जेन्स कर कार्यक्रमों को संचालित करेगी।

(7) समिति जनपद से निम्न स्तरों (विकास खण्ड स्तर/ग्राम स्तर) पर विभिन्न विभागों के साथ-साथ ही स्वयं सेवी संगठनों के साथ समन्वयन सुनिश्चित करेगी।

(8) समिति सभी स्तरों पर गुणवत्ता बनाये रखने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण एवं कार्यशालाओं के आयोजन की व्यवस्था करायेगी।

(9) समिति शिक्षा गारण्टी योजना तथा वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा कार्यक्रमों के लिए एक अलग से लेखा रखेगी, जिसका राष्ट्रीयकृत बैंक में अलग से खाता रखा जायेगा, जिसका प्रत्येक वर्ष चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से अंकेक्षण कराया जायेगा।

(वृन्दा सरूप)
राज्य परियोजना निदेशक
उ0प्र0-सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद
राज्य परियोजना कार्यालय
विद्याभवन, निशातगंज
लखनऊ।

.....3/-

पृ0सं0:- रा0प0नि0/ 466 /2001-2002 तद्दिनांक

प्रतिलिपि:-

(1) प्रमुख सचिव, शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन।
(2) सचिव, बेसिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन।
(3) निदेशक, साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा।
(4) जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष, जिला शिक्षा परियोजना समिति, उत्तर प्रदेश।
(5) मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(6) अध्यक्ष, जिला परिषद, उत्तर प्रदेश।
(7) अध्यक्ष, महापालिका, उत्तर प्रदेश।
(8) जिला विद्यालय निरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
(9) जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(10) जिला कार्यक्रमअधिकारी, आई0सी0डी0एस0, उत्तर प्रदेश।
(11) प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं पशिक्षण संस्थान, उत्तर प्रदेश।
(12) अधीक्षण/अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश।
(13) समन्वयक, महिला समाख्या।
(14) जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(15) शिक्षा निदेशक (बेसिक/माध्यमिक) एवं निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ।

(वृन्दा स्वरूप)
राज्य परियोजना निदेशक
उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद
राज्य परियाजना कार्यालय
विद्याभवन, निशातगंज,
लखनऊ।

उत्तर प्रदेश शासन
बेसिक शिक्षा अनुभाग-2
संख्या-2000/एच-2-2000-2/13(91)/93
लखनऊ: दिनांक 29 जून, 2000

कार्यालय ज्ञाप

राज्य सहायतित परियोजना की सहायता से संचालित "जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम" (डी०पी०ई०पी०) के द्वारा अर्ली चाईल्ड केयर एण्ड एजूकेशन (ई०सी०सी०ई०) केन्द्रों को बाल विकास परियोजना के अन्तर्गत संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से संचालित करने के उद्देश्य से प्रदेश में, संलग्नक-1 में उल्लिखित जनपदों में एक प्रशासनिक समिति का गठन निम्नवत् किया जाता है :-

(1)	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	अध्यक्ष
(2)	जिला कार्यक्रम अधिकारी, आई०सी०डी०एस०	सदस्य
(3)	सम्बन्धित विकास खण्ड के प्रति उपविद्यालय निरीक्षक	सदस्य
(4)	सम्बन्धित विकासखण्ड के बाल विकास परियोजना अधिकारी, आई०सी०डी०एस०	सदस्य/सचिव
(5)	सम्बन्धित न्याय पंचायत केन्द्रों के प्रभारी	सदस्य
(6)	जिला समन्वयक, बालिका शिक्षा	सदस्य

2. उपरोक्त योजना का मूल उद्देश्य यह है कि अपने घर पर छोटे भाई/बहनों की देखभाल करने के कारण स्कूल शिक्षा से वंचित रहने वाली बालिकाओं को स्कूल शिक्षा प्रदान की जाए। ऐसी बालिकाएं समीपवर्ती स्कूलों में दाखिला लें तथा उनके छोटे भाई/बहनों की देखरेख, स्थापित किए जाने वाले ई०सी०सी०ई० केन्द्रों में की जाए। जिन आंगनबाड़ी केन्द्रों में यह योजना संचालित की जायेगी, उनके खुलने तथा बन्द होने का समय वही होगा जो वहां के स्कूल खुलने और बन्द होने का समय होगा।

3. आंगनबाड़ी कार्यकत्री, ई०सी०सी०ई० केन्द्र का संचालन करेंगी और उनकी केन्द्र सहायिका, ई०सी०सी०ई० केन्द्र में भी सहायिका का कार्य करेंगी। अर्थात् दोनों केन्द्र समन्वित रूप से संचालित होंगे। चूंकि उपरोक्त व्यवस्था के अन्तर्गत आंगनबाड़ी केन्द्र पर कार्यरत कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं को अतिरिक्त समय तक कार्य करना पड़ेगा अतः उन्हें इस बढ़े हुए कार्य के सम्पादन हेतु निम्नवत् धनराशि अतिरिक्त मानदेय के रूप में स्वीकृत की जायेगी :-

1- आंगनबाड़ी कार्यकत्री रु०250/-

2- [illegible] रु०125/-

4- जिन आंगनबाड़ी केन्द्रों पर [illegible] प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम [illegible]

(डी०पी०ई०पी०) के अन्तर्गत चलाये जा रहे ई०सी०सी०ई० केन्द्रों का संचालन होगा, वहां की कार्यकत्रियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी०पी०ई०पी०) के अन्तर्गत राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा की जायेगी। उपरोक्तवत् आवंटित मानदेय सम्बन्धित ग्राम पंचायत के ग्राम शिक्षा निधि में हस्तान्तरित की जायेगी। प्रस्तर-1 में गठित समिति यह सुनिश्चित करेगी कि प्रतिमाह मानदेय नियमित रूप से ग्राम निधि के माध्यम से ई०सी०सी०ई० कार्यकत्रियों को प्राप्त हो रहा है अथवा नहीं।

5- परियोजना के अन्तर्गत प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्र को रु०5000/- की धनराशि अनावर्तक अनुदान के रूप में तथा रु०1500/- की धनराशि आवर्तक अनुदान के रूप में प्रतिवर्ष प्रदान की जायेगी। जिन आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन का निर्माण प्रस्तावित / निर्माणाधीन है, वहां यदि शैक्षिक उपकरण पूर्व में ही पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं तो अनावर्तक अनुदान के रूप में प्राप्त रु०5000/= की धनराशि बच्चों हेतु स्थानीय रूप से निर्माण में व्यय की जा सकती है। शेष आंगनबाड़ी केन्द्रों के अनावर्तक अनुदान से क्रय की जाने वाली सामग्री की सूची से स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार दरी, बच्चों के खिलौने, शैक्षिक उपकरण व साज-सज्जा आदि पर प्रस्तर-1 में वर्णित समिति के अनुमोदन से व्यय की जायेगी। आवर्तक अनुदान का व्यय स्थानीय आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए उपरोक्त सामग्री ग्राम शिक्षा समिति के अनुमोदन से क्रय की जायेगी। अतः रु० 5000/= की धनराशि अनावर्तक अनुदान की ग्राम निधि में स्थानान्तरण की जायेगी।

6- आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों का यह दायित्व होगा कि उनके आंगनबाड़ी केन्द्र पर संचालित किए जाने वाले ई०सी०सी०ई० केन्द्रों का संचालन समुचित तरीके से हो तथा ई०सी०सी०ई० केन्द्र में आने वाले बच्चों का नाम से लेखा-जोखा रखा जाए।

7- प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्र पर फलदार पेड़ जैसे [illegible] नीबू, अमरूद तथा पपीता के पेड़ लगाना अनिवार्य होगा। इन पेड़ों की पौध क्रय करने पर आने वाला व्यय, प्रस्तर-5 में वर्णित अनुदान से वहन किया जायेगा। प्रत्येक
का यह दायित्व होगा कि वह आंगनबाड़ी
आंगनबाड़ी केन्द्र की नाप के आधार पर अधिक से अधिक इन पेड़ों को लगाए क्योंकि इन पेड़ों के फलों से बालक-बालिकाओं को प्राकृतिक रूप में अनुपूरक पुष्टाहार उपलब्ध हो सकेगा।

.........3

8- प्रत्येक जिला कार्यक्रम अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह अपने जिले में इस योजना के संचालन हेतु समुचित पर्यवेक्षण करें और अपेक्षित सहयोग प्रदान करें। योजना के पर्यवेक्षण हेतु सम्बन्धित विकास खण्ड की बाल विकास परियोजना अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

उपरोक्त निर्देश राज्य परियोजना निदेशक, उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद/ जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

ललित श्रीवास्तव
सचिव।

संख्या-2000(1)/60-2-2000, तद्दिनांक :

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1- निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2- राज्य परियोजना निदेशक, उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना/ जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, निशातगंज, लखनऊ।
3- सम्बन्धित जिलाधिकारी।
4- सम्बन्धित जिला कार्यक्रम अधिकारी।
5- सम्बन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारी/प्रति उप विद्यालय निरीक्षक।

आज्ञा से,

(लाल बहादुर सिंह)
उपसचिव।

क्र0सं0 जनपद का नाम	विकास खण्ड का नाम	ग्रामों की संख्या	
1 2	3	4	5
1- देवरिया	बरहज	35	लवकुशी, टीला, मंझिल, नकटा भाग, बैता, रामपुर, बरहजत, सयावार, करजहाँ, लालाछपरा, बासदार, हरकोटा, छोटवा, परसिया, ममोलर, हरिहरपुर, कुलापरास, तरीक उपाध्याय, लवकशी गंगा, हरकडी, गंगापार, करायलपुर, बहेरा, जयनगर, दरियाबा, हुंडा, सिसैदुर, बहुवाछपरा, होरी, महेश, माधिवा [illegible], पतौहा, देवपार, कोहुआ, शाखिया बुजुर्ग, डवरामोहा, सिसौदुर, लक्ष्मीपुर, ईश्वर लवकशी।
	रुद्रपुर	18	महुआ, दोआरिया, मतिहरपुर, बहुआगार, रामगढ़, करहोली, केवटलिया, गरोलिया, कुम्हिटा, महेआ तिवारी, बनकुल, बगहाझाल, मझियारी, सरांघपुर, रसईपुर, शीतलगढ़ा, तारासाता, महरहाँ।
	सलेमपुर	10	बरा [illegible], बलतुर, मेहीपुर, देवरियाखुर्द रामपुर, हरवकोर, अतरौली, नकरा मोहाई, चांदपालिया, शिवडासगाली, मलकौली।
	बैतालपुर	12	सुकरवपुर, जगदीशपुर, बेलडारिया, गोविन्दपुर, पाण्डेयपुर, करमैल बजरही, बहुआपुर, पटरी परवारा, बोकहाझाला, बेलई, अमवा, महराजगंज, ईटवा।
2- बोअमग्र	चौरापल	67	लहरारी, परसौना, फरहोता, पुरवा, मच्छा, लोगई, रमवा, देवगढ़, माधिकुण्डा, सिमुतार, हरडर, पिसरेकी-1, डिबौली, पडवलिया, मरदहा, सुरेह, अहरौरा, अविरडार, मझोली, पिपरवार, चौरावल, सिद्दरवी-1, रहेठी-1, चनौती, केवली-, डिरहाई, बकरदेवा, बोगिनी, रामपोखर, दुरकही, सिसहाट, दुरबास-1, सिसैरो, गजरवाड़ा, पुटनोमा, फुलवारी, सिधि, केवटा, महुआ, पाण्डेय, कुरसीघर, सिलौली, ओदार, बरहोता, पिडरिया, सीतामहार, कोइलरिया, बैरा-1, बुडलारवा-1, दाण्डेयपोखर, कुवा, बरहेर [illegible]

	दुद्वी	44	सीकर, रजखड़, दुम्हाल, महुवरया, गुलालझरिया, दमोरा, सारोफ्ता, स्टोली, शारोकुई, पिपराही, मझौली, रजखु, महेवा, पदाड़, नघुरी, टेहा, दीदृग, हमर्या, झखवार, सिगिताडीह, पिपरडीह, तालुपुर, हरपुरा, महुली, दुहरिहा, मकीसेमर, सतैयाडीह, टरती, डोलदा, गुल्वेहवा, कोतिलडुया, जालागुजा, देवार्श रज रजखड़-।।, दुम्हाल-।।, दमारी, वरसा दमोर । अपला, स्टोली, दमोरा, महुआरिया, डुमरडीहा, अंपर, दीदृग । डुमरडीहा ।
3-. ललितपुर	मडावरा	16	रहमांव, गुरयांआ, वैरपारा, मड़ावरा, सुर्जनशिरिया, मोजा, मोजा, रजपारा, झकोजा, ललंटर, पहड़ीकला, दोलदा, वीरीसागर, यमरावा, उत्तरवाकुई, डोमरा वालावेहट, कुलीरा, पटलेमरा, वारी ।
	पिरधा	04	
	पुरा	25	पारोज, टोडी, केलगवां, जरावती, गोगाल, वार, वगर,, देवराल, चिंगलोआ, नालदुर, डमराहा, कारीटोरल, केलोलीतोल, गैदोरा, दलवारा, ददवा, खहरारा, मारोली, ललारा, हीरापुर, सिरला, करवई, हिसरा, कैलवारा, सावली ।
	बलोरा	03	चितरा, सिवलीकुई, वमरोआ ।
	महरौनी	03	पठा, कम्हेड़ी, कैलवारा ।
	तालबेहट	24	करेगा, वजुगंवकला, सिवरोठा । वोलाई । , स्यांव, मऊ कोटरा, उदगुवा, विजयपुरा, पुराकला, पुरायती, झेरा, कडेसरकलां, तेरवांसकला, सिवरोठा, सिहारीपुरा, रातीपुरा, भावो, मऊरैबरा, कुटरा, कड़ारी, रमपुरा, बलौरी, दांसा, रजायल ।
4-. बदायूं	वजीरगंज	25	रोठा, जोगीसरा, ससोई-मोठा, कलिसरा-वामापुर, सिलइया, देवल, ददरैल, आगी हरवतपुर, सईमपुर, सिसौली गंज, रहेडिया, उरैला, हरबतपुर, पीरमपुर, खड़ुआ, मीरापुर, चिकवरी, नाहरपुर, कनेर, ह दलोटा, खखेड़ी, डारा, गतिसकोटिया, सिहरा, दलोटा हरदनगर ।

		[illegible]	25	मुन्दरनगर, [illegible], [illegible], [illegible]पुर, [illegible]पुर, [illegible]-[illegible], [illegible], [illegible]पुर, [illegible]-[illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], रफानगपुर, [illegible]पुर, [illegible], [illegible], [illegible]पुर, [illegible] [illegible], [illegible]पुरा, उदमपुर, [illegible], [illegible] ।
5-	महराजगंज	[illegible]रा	11	[illegible], [illegible]-2, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], देवीपर, मुबथा, [illegible], [illegible]तिवारी, [illegible] ।
		महराजगंज	15	रमुरथा, [illegible]रिया, [illegible], [illegible], [illegible], मुबथा, [illegible], [illegible], [illegible]तिवारी, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] तिवारी, [illegible], [illegible], [illegible] ।
		[illegible]	10	[illegible]पुरा, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]
		फरेन्दा	40	[illegible], [illegible]-[illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]नगर, [illegible]नगर, [illegible], [illegible], [illegible], गणेशपुर, [illegible], [illegible], फरेन्दा[illegible], [illegible]तिवारी, गोपालपुर, पिपरा [illegible]पुर, [illegible] [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] महराज, [illegible], [illegible], [illegible] [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] [illegible], [illegible]नगर, [illegible], [illegible]पुर, [illegible], [illegible]पुर, [illegible] [illegible] देवीपाटन, [illegible], [illegible] । पंचरुखी, हरपुर, फरेन्दा[illegible], रामनगर, [illegible] ।
6-	शाहजहाँपुर [illegible]		21	[illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] पाण्डेपुर, [illegible], [illegible], [illegible], रतनपुर[illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] द्वितीय, [illegible], [illegible], [illegible]पुर, [illegible], [illegible]पुर, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]पुर, [illegible], [illegible]पुर [illegible] ।
		[illegible]खेड़ा	21	[illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]पुर, [illegible], देवराय, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]कोठी, [illegible], [illegible]खेड़ा, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]पुर [illegible] ।

........4

7- फिरोजाबाद फिरोजाबाद 49 रजिावरा, रहटी, नगला, सिरसगंज, सहजपुर, अरांव, हटौली, पिलखुर, मोहम्मदाबाद, डाहिनी, कादरी, पुरौहनपुर, हरगपुर, अब्दालपुर, हैबतपुर -उर्फ, हरियार, शुकरा, मुबारकपुर, नगला-धाकड़, नसरतपुर, अंदरा, मानिकपुरौली, हजरतपुर, मोहनी पुर, अतिहरा, कोटरा, अर्जुनपाल, चितलानी, उम्मरा मिरार, अर्जुनपुर, बड़ा धरहरा, जगरा, बगदपुर, नगरहो, मेंडा, सलाई, धरमपुर-उर्फ, फरखरा खुर्द, धामीरपुर, नीम-गोरियाबाद कहीं, गांवरी, नसीरपुर, नागपुर, आलीपुर, मुबारकपुर, खुरा, करहरा, गरहार, अकबरपुर।

टूण्डला मोहम्मदपुर, टूण्डला गांव, टूण्डला गांव, राई, मोहम्मदाबाद, उजरानपुर, टूण्डली, कर रता, ठगिनी, खाई, इस्तुबा, नौरंगुर, नौरंगपुर, धारनपुर, ठारहोरा, कुलपुर, मरोली, नगई, गढ़ी मोपाल, बुरहाबकी, पुरहार्की, नांगीपुर, कोटली, देवडेरा, पचरारी, पुर्व सटरू, पारिर, गढ़ी मसंत, पुनानगर, हमरापुर, मासिम, पोखर, गढ़ीओरी, हटर, हिम्मतपुर, मठहरा, मठूरन, गढ़ी, सिरसा, हिरनहिरपुर, सटोआ, छितरा।

8- लखीमपुर खीरी निघासन 25 सरपतहा, सिरसापुरवा, मोहनलालपुर, महोरी, हैदरा, हैदरा, हैदरा-2, कट परसोला, मोतीपुर, मोतीपुर, सिंगाही भजा, सिंगाही बमरौला, परसोला, बुढ़वा परसोला, कुंडा परसोला करीमाबाद, दपतलगंज, गंगापुरवा, सिंगाही कलाँ, सिंगाही, सिंगाही, सिंगाहा, [illegible] पुरवा, रघुनाथपुरगांजी सिंगाही कलाँ।

मिहुआ 28 मोहेड़ा, छितराज, खोखा, रायगढ़, [illegible], नैतपुर, कड़िकिया, देवरिया, अलीगंज, खड़ा देवरिया, अब्दुलपुरवा, मेहवी, मुकरिया, [illegible], [illegible]

				[illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], अचुरी, कोलिया, असफहिया । अमेठी ।
[illegible]-	मुरादाबाद	मुरादाबाद	16	मनोहरपुर, [illegible], पाकबाड़ा, [illegible], [illegible], सोनीपुर, रामपुर, [illegible], देवापुर, [illegible], हैदराबादपुर, [illegible], रघुनाथपुर, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] ।
		बिलारी	09	[illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], राजा का सहसपुर, कुढ़, [illegible], [illegible] ।
		ठाकुरद्वारा	15	[illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] ।
10-	गोण्डा	तरबगंज	25	[illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] द्वितीय, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] द्वितीय, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] ।
11-	हरदोई	सण्डीला	25	[illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]-।।, [illegible], [illegible]-।, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]-।, [illegible], [illegible]-।, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]-।, [illegible], [illegible] ।
		[illegible]	22	[illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]-।।, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] ।

12-	बरेली	बरेलीशहर	124	इज्जतनगर, बाकरगंज, इंद्रानगर, सिविल लाईन, राजेन्द्रनगर, [illegible], प्रेमनगर, [illegible], कुतुबखाना, कोहाड़ापीर, किला, शाहदाना, [illegible], [illegible], आलमगिरीगंज, [illegible], सुभाषनगर, रबड़ी टोला, बारादरी, जीनसहार, [illegible], [illegible], बिहारीपुर, [illegible], मलूकपुर, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], कुंवरपुर, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], मढ़ीनाथ, [illegible]-II, [illegible], [illegible]-II, [illegible]-II, [illegible]-II, [illegible]-II, [illegible]-II, [illegible]-II, [illegible]-II, [illegible]-II, [illegible]-II, [illegible]-II, [illegible]-II, [illegible]-II, [illegible]-II, [illegible]-II, [illegible]-II, [illegible]-III, [illegible], [illegible]-II, [illegible]-II, [illegible]-II, [illegible]-II, [illegible]-II, किला-II, [illegible]-II, [illegible]-II, [illegible]-II, [illegible]-II, [illegible]-II, [illegible]-II, मढ़ीनाथ-II, [illegible]-II, [illegible]-III, [illegible]-III, मढ़ीनाथ-III, [illegible]-III, [illegible]-III, [illegible]-III, [illegible]-III, [illegible]-II, [illegible], [illegible]-4, [illegible]-5, [illegible]-6, [illegible]-4, [illegible]-5, [illegible]-6, [illegible]-7, [illegible]-4, [illegible]-5, [illegible]-6, [illegible]-7, [illegible]-4, [illegible]-II, [illegible]-III, मढ़ीनाथ-4, [illegible]-4, [illegible]-5, [illegible]-4 ।
13-	पीलीभीत	[illegible]	25	[illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]-2, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] ।

		बीठपुर	25	[illegible], [illegible], [illegible], [illegible], मीठाम[illegible]पुर, अब्दुल्लापुर, [illegible], [illegible]पुर, [illegible]कौली, रामपुर [illegible], [illegible], दरेवा, [illegible], गुवड़ी, दुर्गिकलापुर, [illegible], गजेहरा, अहदेवा, बलारा, [illegible], लिहुवारी, पुर [illegible], शिवदत्तपुरवा, [illegible], [illegible], अलीपुर [illegible], रसूलाबाद
		नियावडा	25	[illegible] [illegible]पुर, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], मरेवा, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] मरौरी, [illegible] [illegible] ।
14-	[illegible]	[illegible]	25	[illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]-2, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], रामपुर-शिवदासनगर, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]-2, [illegible]-1, [illegible]-2, [illegible], [illegible] ।
		[illegible]गंज	25	[illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] [illegible], [illegible] [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], रेहरा, [illegible]पुर, [illegible], [illegible], [illegible] ।
		[illegible]	25	[illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]-[illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], रखवापुर ।
15-	[illegible]	[illegible]	22	[illegible], [illegible]पुर, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]पुर, [illegible], [illegible], [illegible] ।

......

संख्या-3274 /5-11-2000- ई-42/

प्रेषक,

डा. जे.डी. माहेश्वरी
सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

1. राज्य परियोजना निदेशक,
उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना
निशातगंज लखनऊ।

2. शिक्षा निदेशक (बे०)
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

3. समस्त जिलाधिकारी
उत्तर प्रदेश।

4. महानिदेशक
रा.शै.अ. एवं मूल्यांकन
उ०प्र०, लखनऊ।

शिक्षा अनुभाग-11 लखनऊ: दिनांक: 09 अक्तूबर, 20

विषय:- उ०प्र० बेसिक शिक्षा परिषदीय प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत बालक/बालिकाओं का स्वास्थ्य परीक्षण

:------:

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-एम.एल. 17/5-11-99 ई-42/98, दिनांक 21 जुलाई, 1999, जिसके द्वारा गत वर्ष प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (यू.पी.पी.ई.पी./डी.पी.ई.पी.) के अन्तर्गत 35 जनपदों में प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किये जाने के निर्देश दिये गये थे, का सन्दर्भ ग्रहण करें।

2. उक्त कार्यक्रम की गत वर्ष की सफलता को दृष्टिगत रखते हुये शासन ने वर्तमान शिक्षा सत्र में इस कार्यक्रम को प्रदेश के 78 जनपदों जिसकी सूची संलग्न है, जनपद लखनऊ को छोड़कर जी.ओ.आई. यू.एन. के अन्तर्गत लिया गया है, इसमें जारी रखने का निर्णय लिया गया है। उक्त कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य चिकित्सकों की देख-रेख में सुनियोजित ढंग से बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण, हेल्थ कार्ड बनाना, रेफरल कार्ड बनाना, बीमार बच्चों का चिकित्सा करना व उन्हें स्वास्थ्य-शिक्षा देना तथा कृमिनाशक (डी-वार्मिंग)

अभियान चलाया जाना है ताकि बच्चों का नियमित रूप से स्वास्थ्य परीक्षण एवं उनका उपचार समयानुसार हो सके ।

3. उक्त कार्यक्रम के कुशल संचालन हेतु शासन स्तर पर निम्न निर्णय लिये गये हैं :-

(1) इस कार्यक्रम को तीन चरणों में माह 15 अगस्त, 2000 से दिसम्बर, 2000 तक पूरा किया जाये । इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी से विचार-विमर्श करके सभी विद्यालयों को तद्नुसार सूचित करायेंगे ।

(2) स्वास्थ्य विभाग के अधीन कार्यरत स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) अपने क्षेत्र में एक माह में आठ विद्यालयों को आच्छादित करेंगी व हेल्थ कार्ड तथा संदर्श कार्ड बनवाने की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगी । स्वास्थ्य विभाग सुनिश्चित करेगा कि वजन मापने की मशीन व हाईट स्केल उपलब्ध हों ।

(3) आवश्यकतानुसार बेसिक शिक्षा विभाग स्वास्थ्य विभाग को परिवहन की सुविधा उपलब्ध करायेगा ताकि आवश्यकता पड़ने पर दूरस्थ क्षेत्रों के बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा सके ।

(4) बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण सम्बन्धी कार्ड व सन्दर्श कार्ड राज्य परियोजना निदेशक, डी0पी0 ई0 पी0 के लिये बेसिक शिक्षा परियोजना, लखनऊ द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा । इस संदर्श में जो कार्ड बनाये जायेंगे वह निम्न तीन प्रकार के होंगे :-

1.	लाल संदर्श कार्ड	गम्भीर रोगों के लिये
2.	पीला संदर्श कार्ड	कम गम्भीर रोगों के लिए
3.	हरा संदर्श कार्ड	साधारण रोगों के लिए

स्वास्थ्य कार्ड व संदर्श कार्ड में प्रविष्टियाँ अंकित करने एवं उनके रख-रखाव का कार्य सम्बन्धित विद्यालयों के प्रधानाध्यापक द्वारा किया जायेगा इस कार्य में स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) आवश्यकतानुसार प्रधानाध्यापक की सहायता करेंगी ।

5- जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाये जिसमें मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं शिक्षा विभाग तथा बाल विकास परियोजना के अधिकारी सदस्य होंगे। यह समिति समय-समय पर बैठकें करके इस परियोजना की समीक्षा करेगी और आने वाली समस्याओं का जिला स्तर पर समाधान करने का प्रयास करेगी। समिति के गठन की कार्यवाही सम्बन्धित जिलाधिकारी अपने स्तर से सुनिश्चित करेंगे। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी इस समिति के सदस्य सचिव होंगे।

6- जिलाधिकारी इस कार्य हेतु रेडक्रास सोसाइटी एवं अन्य स्वयंसेवी/स्वैच्छिक/धर्मार्थी संस्थाओं का सहयोग भी लेने का पूरा प्रयास करेंगे एवं उनके सहयोग से विशेषकर पर्याप्त मात्रा में समय से कृमिनाशक (डी-वार्मिंग) औषधियों की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

7- विकलांग बच्चों के सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक तीन माह में सी.एच.सी. स्तर पर परीक्षण किये जाने तथा उन्हें प्रमाण-पत्र दिये जाने की कार्यवाही की जाये। इसके लिये सी.एच.सी. पर प्रत्येक त्रैमास के अन्तिम सप्ताह कोई एक दिन/तिथि निर्धारित की जाय और उस दिन मुख्य चिकित्सा अधिकारी अथवा उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी उपस्थित रहें। यथा सम्भव सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर उस दिन ई.एन.टी. सर्जन, आर्थोपेडिक्स सर्जन तथा नेत्र विशेषज्ञ उपलब्ध रहेंगे। दिवस/तिथि के निर्धारण की कार्यवाही सम्बन्धित जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा की जायेगी तथा जनपद में इसका विशेष प्रचार-प्रसार भी सुनिश्चित किया जायेगा। बेसिक शिक्षा विभाग के क्षेत्रीय अधिकारी भी इसकी सूचना प्रत्येक गाँव पंचायत व विद्यालय को पहुँचायेंगे।

आपसे अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही समयानुसार सम्पन्न कराने तथा प्रगति प्रत्येक माह/त्रैमास प्रारम्भ पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, राज्य परियोजना निदेशक, सभी के लिये शिक्षा परियोजना एवं जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, शिक्षा भवन, लखनऊ को तथा इसकी एक प्रति महानिदेशक, परिवार कल्याण को अवगत करायेंगे।

संलग्नक: उपरोक्त।

भवदीय,

(डा० पी.डी. माहेश्वरी)
सचिव।

संख्या-3274(1)/5-11-2000, दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के निजी सचिव को मुख्य सचिव ~~श्रीमान~~ महोदय के सूचनार्थ।

2- प्रमुख सचिव, शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन।

3- सचिव, चिकित्सा शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन।

4- महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य/महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उत्तराखण्ड।

5- समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।

6- समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

7- समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।

6-8-2000

आज्ञा से,

कमलिनी श्रीवास्तव
अपर सचिव।

उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना {बेसिक शिक्षा परियोजना जनपद}

1. वाराणसी
2. भदोही
3. गोरखपुर
4. इलाहाबाद
5. बांदा
6. इटावा
7. सीतापुर
8. अलीगढ़
9. सहारनपुर
10. पौड़ी
11. नैनीताल
12. ऊधम सिंह नगर
13. कौशाम्बी
14 औरैया
15. हाथरस
16. चन्दौली
17. चित्रकूट

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम {डी0पी0ई0पी0 जनपद}

1. महाराजगंज
2. सिद्धार्थनगर
3. गोण्डा
4. बदायूं
5. लखीमपुरखीरी
6. ललितपुर
7. पीलीभीत
8. बस्ती
9. मुरादाबाद
10. शाहजहाँपुर
11. सोनभद्र
12. देवरिया
13. हरदोई
14. बरेली
15. फिरोजाबाद
16. बलरामपुर
17. ज्योतिबाफुले नगर
18. संत कबीर नगर

डी०पी०ई०पी० - [illegible] जनपदों की सूची

क्रमांक	जनपद का नाम
1.	उन्नाव
2.	रायबरेली
3.	कानपुर देहात
4.	फर्रुखाबाद
5.	कन्नौज
6.	मैनपुरी
7.	एटा
8.	आगरा
9.	मथुरा
10.	मेरठ
11.	बागपत
12.	बुलन्दशहर
13.	गाजियाबाद
14.	गौतमबुद्ध नगर
15.	कुशीनगर
16.	झांसी
16.	जालौन
18.	फैजाबाद
19.	अम्बेडकर नगर
20.	सुल्तानपुर
21.	आजमगढ़
22.	बलिया
23.	मऊ
24.	जौनपुर
25.	गाजीपुर
26.	मिर्जापुर
27.	प्रतापगढ़
28.	फतेहपुर
29.	हमीरपुर
30.	महोबा
31.	मुजफ्फरनगर
32.	हरिद्वार
33.	बिजनौर
34.	बागेश्वर
35.	पिथौरागढ़
36.	चम्पावत
37.	उत्तरकाशी
38.	टिहरी
39.	रामपुर
40.	बाराबंकी
41.	बहराइच
42.	श्रावस्ती
43.	[illegible]

विद्यालयों में बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण की प्रगति रिपोर्ट

जनपद का नाम:............

रिपोर्टिंग माह ....

क्र0 सं0	प्राथमिक स्वा0 केन्द्र का नाम	विद्यालय का नाम	स्वास्थ्य परीक्षण की तिथि	कुल छात्रों की संख्या जिनका परीक्षण किया गया	छात्रों की संख्या जिनको विद्यालय में ही उपचार दिया गया	छात्रों की संख्या जिन्हें संदर्भित किया गया			सा0स्वा0 केन्द्रों में विकलांगों की परीक्षण तिथि	प्रदत्त विकलांग प्रमाण पत्रों की संख्या			अन्य विवरण
						गंभीर	कम गंभीर	साधारण		मूक	श्रव्य दोष	दृष्टिदोष	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

विद्यालय गुणवत्ता निष्पादन (परफारमेन्स) के आधार पर विद्यालय श्रेणीकरण हेतु

चेक बिन्दु

कुल अंक – 50

विद्यालय एवं कक्षा–कक्षों का भौतिक तथा शैक्षिक वातावरण

भाग – एक

कुल अंक – 9

क्र०सं०	चेक बिन्दु	अंक	टिप्पणी
1	विद्यालय भवन / कक्षा–कक्षों की रंगाई, पुताई, सफाई	1	. वर्षवार प्राप्त विद्यालय अनुदान का प्रयोग – रंगाई, पुताई, टाट पट्टियाँ, प्लास्टिक की चटाई, अध्यापक की कुर्सियाँ, सनमाइका टाप टेबल, विकलांग बच्चों के लिए रेम्प, खेल–कूद का सामान तथा अन्य कार्य
2	शौचालय का रखरखाव / प्रयोग	1	. क्या शौचालय का प्रयोग हो रहा है? . क्या शौचालय स्वच्छ हैं?

क्र०सं०	चेक बिन्दु	अंक	टिप्पणी
3	पीने के पानी की व्यवस्था / हैण्ड पम्प का रखरखाव	1	• क्या हैण्ड पम्प सही स्थिति में है? • हैण्ड पम्प प्रयोग हो रहा है? • उसके चारों ओर स्वच्छता है? सीमेन्ट का चबूतरा बना है? पानी निकास की व्यवस्था है?
4	विद्यालय अभिलेख का रखरखाव	1	• बालगणना पंजिका • उपस्थिति पंजिका • पुस्तक वितरण / बुक बैंक पंजिका • अन्य प्रोत्साहन, छात्रवृत्ति, खाद्यान्न वितरण • ग्राम शिक्षा योजना अद्यतन स्थिति • स्वास्थ्य कार्ड एवं स्वास्थ्य परीक्षण की अद्यतन स्थिति • छात्रों के मूल्यांकन कार्ड एवं अद्यतन स्थिति • ग्राम शिक्षा समिति बैठक / कार्यवाही पंजिका • माता शिक्षक / अभिभावक शिक्षक बैठक / कार्यवाही पंजिका

क्र०सं०	चेक बिन्दु	अंक	टिप्पणी
5	विद्यालय–वाह्य भीति की साज–सज्जा	1	• सूक्ष्म नियोजन के आंकड़ों की तालिका • शैक्षिक मानचित्रण • विद्यालयों को प्राप्त अनुदान / धनराशि एवं व्यय का वर्षवार विवरण, (भवन निर्माण, मरम्मत, टी०एल०एम० अनुदान, विद्यालय सुधार अनुदान) • विद्यालय सूचना पट्ट • खुले प्रांगणीय कक्षा हेतु श्यामपट्ट (बाह्य दीवार पर)
6	कक्षा–कक्षों में श्यामपट्ट एवं छात्रों के प्रयोगार्थ तीन फीट की पट्टी की उपलब्धता	1	• क्या प्रत्येक कक्षा कक्ष में दो कक्षाओं के लिए दो दीवारों पर दो श्यामपट्ट उपलब्ध हैं? • छात्रों के प्रयोगार्थ कक्षा के चारों ओर तीन फीट की हरी पट्टी उपलब्ध है? बच्चों के द्वारा उसे प्रयोग में लाया जाता है?

क्र०सं०	चेक बिन्दु	अंक	टिप्पणी
7	कक्षा–कक्षों में लर्निंग कार्नर की स्थापना	1	• शिक्षण अधिगम सामग्री • अनुपूरक शिक्षण सामग्री • मानचित्र / ग्लोब इत्यादि
8	छात्रों के बैठने की व्यवस्था	1	• पर्याप्त प्लास्टिक चटाइयों/टाट पट्टियों की व्यवस्था है या नहीं • बालिकाओं एवं बालकों की मिश्रित बैठने की व्यवस्था • क्या बच्चे पंक्तिबद्धए अर्धचन्द्राकार, गोले में या अन्य अन्य किसी गैर परम्परागत विन्यास में बैठकर कार्य करते हैं? • क्या सभी बच्चों के पास अभ्यास/ गतिविधियाँ करने के लिए पर्याप्त स्थान है? • पर्याप्त प्रकाश / व्यवस्था है या नहीं?
9	बच्चों की स्वच्छता	1	• क्या बच्चे साफ–सुथरे हैं? उनके बाल कढ़े हुए हैं? • क्या उनके कपड़े साफ–सुथरे हैं?

शिक्षक एवं शिक्षण / अधिगम संबधी

भाग – दो

कुल अंक – 29

क्र०सं०	चेक बिन्दु	अंक	टिप्पणी
9	शिक्षक का व्यक्तित्व	1	. वेशभूषा, साफ सुथरी . संयत एवं मुस्कुराहट . प्रसन्नचित्त, मृदुस्वभाव, समयबद्धता। . शिष्ट एवं अनुशासित आचरण
10	शिक्षक की भाषा एवं सम्प्रेषण क्षमता	3	. स्थानीय भाषा का प्रयोग करता है। . शुद्ध उच्चारण का प्रयोग करता है। . उसकी बात / भाषा, कक्षा के सभी बच्चों को समझ में आती है। . बालक एवं बालिकाओं को समान रूप से सम्बोधित करता है।

क्र०सं०	चेक बिन्दु	अंक	टिप्पणी
11	अध्यापक का बच्चों के प्रति दृष्टिकोण	1	• मित्रवत् – स्नेहपूर्ण • सकारात्मक • बालिकाओं एवं बालकों के प्रति समान भाव रखता हो। • अध्यापकों का व्यवहार छात्रों को प्रोत्साहन देता है या नकारात्मक शब्दों से उन्हें हतोत्साहित करता है। • बच्चों की शैक्षिक प्रगति के प्रति सचेत/प्रयासरत रहता है या नहीं।
12	सभी बच्चों तथा शिक्षक के पास अपनी पाठ्य पुस्तकें तथा अनुपूरक साहित्य उपलब्ध हैं?	1	• शिक्षक के द्वारा T.L.M. अनुदान से स्वयं के लिए पुस्तकें क्रय की गई है या नहीं। • बालिकाओं एवं अनु०जाति के लड़कों को पुस्तक समय से उपलब्ध हुई या नहीं। • अन्य आर्थिक रुप से कमजोर बच्चों को बुक बैंक से पुस्तकें उपलब्ध करायी गई या नही।

क्र०सं०	चेक बिन्दु	अंक	टिप्पणी
13	विद्यालय अनुशासन	1	• क्या विद्यालय समय से खुलता है? • बच्चों की एसेम्बली (प्रार्थना सभा) होती है? • बच्चे विद्यालय तथा कक्षाओं में अनुशासित हैं?
14	• कक्षावार समय सारिणी की उपलब्धता • पाठ्यक्रत की उपलब्धता • समयबद्ध शैक्षिक इकाईयों के अनुसार पढ़ाई की जा रही है या नहीं?	3	• समय सारिणी का अनुपालन करना • समयबद्ध रूप से शैक्षिक इकाईयों को पढ़ाया जा रहा है या नहीं। • पूर्व में पढ़ाई गई इकाईयों पर पुनरावृत्ति करायी जाती है या नहीं।
15	शिक्षक संदर्शिका के आधार पर शिक्षक के द्वारा T.L.M. एवं बतिविधियों की अन्य आवश्यक तैयारी की है या नहीं।	3	• नवीन इकाई/विषय वस्तु के लिए पाठ योजना बनाकर तैयारी करता है या नहीं।

क्र०सं०	चेक बिन्दु	अंक	टिप्पणी
16	क्या शिक्षक बच्चे पाठ / विषय के अनुसार शिक्षक अधिगम सामग्री का निर्माण एवं प्रयोग करते हैं।	2	• क्या विषय वार, पाठ वार शिक्षण अधिगम सामग्री की समझ अध्याापक को है? एवं इसका आवश्यकतानुसार विकास किया जा रहा है? • स्थानीय सामग्री का प्रयोग शिक्षक अधिगम सामग्री के रूप में तथा इसके निर्माण में किया जाता है?
17	क्या शिक्षक अधिगम प्रक्रिया में गतिविधियाँ कराई जा रही हैं?	1	• बच्चों को करके सीखने में अध्यापक मदद करता है? • क्या बच्चे स्वयं गतिविधियाँ करते हैं?
18	क्या अध्यापक कक्षा गतिविधियों में सभी बच्चों की प्रतिभागिता सुनिश्चित कराता है।	3	• क्या बालिकाओं और कमजोर बच्चों को अभिव्यक्ति एवं गतिविधि करने का समान अवसर दे रहा है। • कुछ बच्चे गतिविधि करें तथा कुछ निष्क्रिय, उपेक्षित हों ऐसा तो नहीं।

क्र०सं०	चेक बिन्दु	अंक	टिप्पणी
19	कक्षा के समस्त बच्चे क्रियाशील हैं?	3	• क्या बच्चों से वाचन/लेखन कार्य कराया जाता है? • क्या बच्चे प्रश्न पूछ रहे हैं? • क्या बच्चे गतिविधि करके सीख रहे हैं? • क्या बच्चे समूह में एक दूसरे से सीख रहे हैं। • क्या बच्चे एकाग्रचित्त हो कर अपना अभ्यास कार्य कर रहे हैं? • क्या अध्यापक के द्वारा विभिन्न प्रत्ययों के स्पष्टीकरण के समय बच्चे सचेत होकर ध्यान दे रहें हैं? • क्या बच्चे गणित के प्रश्न अथवा अन्य लेखन कार्य एकाग्रता से कर रहे हैं? • क्या बच्चे श्यामपट्ट पर कार्य कर रहे हैं?

क्र०सं०	चेक बिन्दु	अंक	टिप्पणी
20	पाठ्य पुस्तक में दिये गये अभ्यास कार्य नियमित रूप से पूर्ण किये जा रहे है या नहीं।	3	• पाठ्य पुस्तकों में प्रत्येक पाठ के उपरान्त दिए अभ्यास कार्यों को किया जा रहा है? • प्रत्येक इकाई के उपरान्त दिए गए अभ्यास एवं मुल्यांकन • कक्षा कार्यों की जांच एवं उसके सुधार का अवसर दिया गया?

क्र०सं०	चेक बिन्दु	अंक	टिप्पणी
21	क्या अध्यापक पाठ्य सहगामी क्रियाएं कराता है?	1	• पाठ्य सहगामी क्रियाओं में लड़कियों की सहभागिता है या नहीं? • क्या बच्चे स्वतंत्र रूप से पाठ्य सहगामी कार्यक्रमों, क्रियाओं, अनुशासन, पुस्तकालय आदि का संचालन करते हैं तथा इसके लिए उनकी समितियाँ बनी हैं? • ड्राइंग, क्राफ्ट को सप्ताह में कितने दिन तथा कितने घण्टे समय दिया? • खेल–कूद / पी०टी० को सप्ताह में कितना समय मिलता है? • स्कूल में 3 माह में कितनी बार तथा किस प्रकार की प्रतियोगिताएं हुईं? • पुस्तकालय की पुस्तकों को पढ़ने के लिए कितना समय दिया गया है?

क्र०सं०	चेक बिन्दु	अंक	टिप्पणी
22	क्या विद्यालय में विद्यालयी सरकार बनी है।	1	• क्या बालिकाओं को उक्त समितियों में बराबर का भागीदार बनाया गया है? • क्या बच्चों की सरकार विद्यालय संचालन में सहयोग करती है? (पुस्तक वितरण, पर्व–उत्सव, बाल मेले, प्रतियोगिताएं, मूल्यांकन, शिक्षण, उपस्थिति सुनिश्चित कराना, दीवार समाचार–पत्र बच्चों के द्वारा तैयार किया गया तथा कब बनाकर लगाया गया? इत्यादि)
23	अध्यापक के द्वारा किए गए अभिनव प्रयोग / कार्य	2	

छात्रों के प्रशिक्षण एवं मूल्यांकन/अनुश्रवण सम्बन्धी

भाग – तीन

कुल अंक – 12

क्र०सं०	चेक बिन्दु	अंक	टिप्पणी
24	पाठ्य पुस्तक में 'कितना सीखा' के आधार पर मूल्यांकन किया जा रहा है या नहीं?	1	• इकाई आधारित
25	शिक्षक के द्वारा गृह कार्य दिया जा रहा है/उसकी जाँच की जा रही है?	1	

क्र०सं०	चेक बिन्दु	अंक	टिप्पणी
26	छात्रों के सम्प्राप्ति स्तर की स्थिति	3	पर्यवेक्षण कर्ता स्वयं पर्यवेक्षण के समय कम से कम दो विषय भाषा एवं गणित का मूल्यांकन उस समय तक पढ़ाई जा चुकी इकाइयों में से 5–5 प्रश्न/अभ्यास कराके जाँच करें।
27	क्या अध्यापक बच्चों का वर्षवार/छमाही संचयी मूल्यांकन अभिलेखन करता है एवं उसका प्रयोग करता है?	1	

क्र०सं०	चेक बिन्दु	अंक	टिप्पणी
28	मासिक परीक्षण/इकाई परीक्षण के उपरान्त उभरे कठिन स्थलों/बिन्दुओं पर शिक्षक के द्वारा उपचारात्मक शिक्षण किया गया अथवा नहीं।	3	• कमजोर, पिछड़े बच्चों के लिए व्यक्तिगत रूप से किए गए प्रयास • (गिफ्टेड) अतिमेधावी बच्चों के लिए संसाधन जुटाना। उन्हें नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा दिलाना।
29	क्या पाठ्य सहगामी क्रियाओं का मूल्यांकन भी किया जा रहा है।	1	प्रतियोगिताओं में अच्छे कार्यों का विवरण मूल्यांकन कार्ड
30	क्या बच्चों की प्रगति से अभिभावकों को अवगत कराता है?	2	• छमाही पर बच्चों के उपलब्धि स्तर उनके श्रेष्ठ प्रदर्शन एवं कमजोरियों के सम्बंध में अभिभावकों के साथ विचार विमर्श किया जाता है?